खण्ड–508, अंक–06
गुरुवार, 03 आषाढ़, शक संवत् 1941
(25 जुलाई, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2019)

(खण्ड 508 में 07 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-119
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	120-121
जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
सुल्तानपुर सदर से गुजरने वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर मुझई नदी एवं अन्य स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा के अन्तर्गत 220/132/133 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत खजुरी नहर पुलिया से ग्राम वैनी जाने वाली माइनर नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत भोपा रोड पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद-सम्भल अन्तर्गत महवा नदी की खुदाई मनरेगा से कराकर पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद-वाराणसी के ब्लाक चोलापुर के अन्तर्गत ग्राम धौरहार, हरिहरपुर के पास नाद नदी पर पुलिया तथा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद-एटा अन्तर्गत एटा-आगरा स्टेट हाई-वे के निर्माणाधीन कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड हंडिया के ग्राम उमरी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर कुतुब से ग्राम रंगडपुरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना	126
जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगापुर रजवहा की लाइनिंग पिंचिग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ओ0डी0आर0 घोषित कराकर सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम बाबूगंज में नये विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद-हरदोई के अन्तर्गत राजघाट व नैमिषारण्य के बीच गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194कैम्प/2001, दिनांक 9 अगस्त, 2018 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के अन्तर्गत अजीतपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवाबगंज की सरकारी खलिहान की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत बेतवा नदी से लिफ्ट कैनाल/पम्प कैनाल द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद-वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत रामकटोरा तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद-महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत ग्राम बम्होरी बेल्दारन में क्षतिग्रस्त रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत अमरिया में फर्जी उर्दू शिक्षक द्वारा विभिन्न विभागों में किये गये घोटाले विषयक सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131-132
विधान सभा की वी0आई0पी0 कैंटीन के खाने में कीड़े एवं काकरोच निकलने तथा खाने की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	132
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-687/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (27)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	132-133
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-688/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट--2017-आदेश (28)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	133
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-689/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (29)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	133
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-690/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (30)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	133
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-691/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (31)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	133-134
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-590/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0ऐक्ट-1-2017-आदेश (32)-2019, दिनांक 16 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	134
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-770/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (33)-2019, दिनांक 20 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	134
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखा गया)	134
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-807/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (35)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	134-135
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-808/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (36)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-809/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (37)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	135
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-810/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (38)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	135
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-829/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(40)-2019, दिनांक 04 जून, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	135-136
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (42)-2019, दिनांक 02 जुलाई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	136
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-984/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (43)-2019, दिनांक 02 जुलाई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	136
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1027/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश (44)-2019, दिनांक 09 जुलाई, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	136
उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (छियालीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 ...	136-137
उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	137
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का अड़तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 (प्रस्तुत किया गया)	137
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का उन्तालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (प्रस्तुत किया गया)	137
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का चालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (प्रस्तुत किया गया)	137

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 (सदन के पटल पर रखी गयी)	137-138
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	138
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	138
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित बारह याचिका (उपस्थित की गयीं)	138-140
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	140-141
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित सात याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	141
श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	142
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	142-143
श्री ज्ञानेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महाराजगंज से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	143-144
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलिया से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	144
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	144-145
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	145
श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	145
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	145

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद-शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका व्यपगत	145-146
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	146
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी व लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की गयी)	146
श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका व्यपगत	146
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	146-147
श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	147
श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	147-148
श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	148-149
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित ग्यारह याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	149-150
श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	150-151
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव (पारित) ...	151-160
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	161-184
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प	184-185
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित) ...	185-189
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प	189-192
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 के (पारित) ...	192-195
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प	195-196
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)...	196-200
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 (पारित)	200-212
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)...	212-219
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (पारित)	220-252

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 (पारित)	252-255
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	255-259
जनपद अयोध्या में दर्शन नगर स्थित यश पेपर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य ...	259-263
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत कुम्हरावां से बाबागंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2019 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	263-264
जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत बाबा बाजार में विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	264-266
जनपद-फिरोजाबाद के फिरोजाबाद नगर में विद्युत अवस्थापन के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	266-267
जनपद-उन्नाव की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवायें जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य..	267-269
जनपद-गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत गोला मार्ग से कौड़ीराम तक की सड़क का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	269-270
जनपद-बदायूं के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	270
जनपद-प्रतापगढ़ के थाना कोहडोर में थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह की दिनांक 13 जून, 2019 को ड्यूटी पर जाते वक्त दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मृतक के परिवारीजनों को 20 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिवारीजन को सरकारी सेवा में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	270-271
नत्थियां	272-287

घ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-353

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
31. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. असलम अली, श्री — हापुड़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
38. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
46. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
47. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
48. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
49. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया

51. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
52. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओमकुमार, श्री बिजनौर
55. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
56. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
57. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
65. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केसर सिंह, श्री बरेली
68. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
69. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
70. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
71. गंगा, श्री कुशीनगर
72. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
73. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
74. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
80. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
82. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
83. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
84. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
85. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
86. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
88. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महाराजगंज
91. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
92. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
93. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
94. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
95. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
96. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
98. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
99. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
100. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
101. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
102. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
103. दल बहादुर, श्री रायबरेली
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
106. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
107. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
108. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज

113. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
115. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
118. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
119. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
120. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
122. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
123. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
124. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
141. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
142. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
143. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
144. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
145. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
146. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
147. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
148. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
149. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
150. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
151. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
152. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
153. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
154. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
158. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
159. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
160. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
161. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
162. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
163. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा
165. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
166. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
167. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ

173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
175. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
187. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
189. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
190. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
191. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
192. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
193. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
194. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
195. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
196. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
197. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
198. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
199. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. योगेश वर्मा, श्री खीरी
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
207. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
208. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
209. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
210. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
211. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
212. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
213. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
214. रवि शर्मा, श्री झांसी
215. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
216. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
217. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
219. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
220. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
221. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
222. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
223. राज करन कबीर, श्री बांदा
224. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
225. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
226. राजबाला, श्रीमती रामपुर
227. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
228. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
229. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
230. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
231. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
232. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली

233. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
234. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
235. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
236. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
237. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
238. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
239. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
240. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
241. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
242. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
243. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
244. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
245. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
246. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
247. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
248. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
249. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
250. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
251. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
252. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
253. लाखन सिंह, श्री औरैया
254. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
255. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
256. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
257. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
258. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
259. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
260. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
261. विजय मिश्र, श्री भदोही
262. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
263. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
264. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
265. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
266. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
267. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
268. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
269. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
270. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
271. वीरेन्द्र, श्री एटा
272. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
273. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
274. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
275. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
276. शशांक वर्मा, श्री खीरी
277. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
278. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
279. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
280. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
281. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
282. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
283. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
284. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
285. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
286. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
287. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
288. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
289. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
290. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
291. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
292. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
293. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर

294. संजय, श्री बुलन्दशहर
295. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
296. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
297. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
298. संजय यादव, श्री बलिया
299. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
300. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
301. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
302. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
303. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
304. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
305. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
306. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
307. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
308. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
309. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
310. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
311. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
312. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
313. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
314. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
315. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
316. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
317. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
318. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
319. सुचि, श्रीमती बिजनौर
320. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
321. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
322. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
323. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
324. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
325. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
326. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
327. सुरेश कुमार, श्री शामली
328. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
329. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
331. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
332. सुरेश राही, श्री सीतापुर
333. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
334. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
335. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
336. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
337. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
338. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
339. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
340. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
341. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
342. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
343. सौरभ सिंह, श्री खीरी
344. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
345. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
346. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
347. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
348. हरीराम, श्री सोनभद्र
349. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
350. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
351. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
352. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
353. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) एवं ग्राम्य विकास मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों में बन्द पड़े वेन्टीलेटर को ठीक कराने विषयक

****1-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कुल कितने वेंटीलेटर स्थापित हैं एवं स्थापित वेंटीलेटरों में कुल कितने चालू स्थिति में हैं तथा कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े वेंटीलेटरों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में वेंटीलेटरों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')

जी हां।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों यथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उ0प्र0, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नाकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0के0 कैंसर संस्थान कानपुर में कुल 619 वेंटीलेटर्स स्थापित हैं, जिसमें से कुल-577 वेंटीलेटर्स क्रियाशील हैं तथा 42 वेंटीलेटर्स अक्रियाशील हैं।

अक्रियाशील 42 वेंटीलेटर्स में से 09 वेंटीलेटर्स की मरम्मत करयी जा रहीं है तथा अवशेष 33 वेंटीलेटर्स मरम्मत योग्य न होने के कारण उनके निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मरम्मत कराये जा रहें 09 वेंटीलेटर्स एक माह में क्रियाशील करा दिये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी पूछेंगे या वर्मा जी ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पहले वर्मा जी पूछ लें, फिर हम पूछते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में कुछ वेंटीलेटर जो मंगाये गये, बिना खुले हुये अभी पड़े हुये हैं और जिन्हें कुछ तकनीकी कारणों से अभी तक नहीं लगाया जा सका है? दूसरा, मान्यवर, चिकित्सा संस्थान का मतलब केवल मेडिकल संस्थान नहीं हैं जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं, वह भी इसका मतलब है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें एक भी राजकीय मेडिकल कालेज में वेंटीलेटर का जिक्र नहीं है क्या जनहित में मेडिकल कॉलेजों में वेंटीलेटर की व्यवस्था कराने का काम करेंगे, जिससे जनता को दूर तक न जाना पड़े?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुल 214 वेंटीलेटर हैं, जिसमें 193 क्रियाशील हैं, 21 अक्रियाशील हैं जो कि निष्प्रयोज्य हैं और मेरे पास जो सूचना है कोई भी वेंटीलेटर वहां डब्बाबंद नहीं है। दूसरा, जो आपने कॉलेजों के विषय में पूछा तो यह प्रश्न संस्थान के सम्बन्ध में था और संस्थान का उत्तर चला गया था, लेकिन आपने पूछा है इसलिये मैं कॉलेज का बता रहा हूं 13 राजकीय मेडिकल कालेजों में कुल 364 वेंटीलेटर हैं, जिसमें 331 क्रियाशील हैं और 33 अक्रियाशील हैं। इन 33 में 26 मरम्मत योग्य हैं और 07 निष्प्रयोज्य हैं। इसके अलावा जो 05 नये मेडिकल कालेज खुल रहें हैं, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कालेज जो बन रहें हैं, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में, इनमें 27 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं, जिसमें 24 क्रियाशील हैं और 03 अक्रियाशील है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर में क्या वेंटीलेटर क्रियाशील हैं ?

श्री अध्यक्ष-

ललई जी, आप भी पूछ लीजिये, मंत्री जी साथ में उत्तर दें देंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकार में किंग जार्ज मेडिकल कालेज के ट्रामा सेण्टर में कुल कितने वेंटीलेटर की व्यवस्था की गयी थी, उसमें से कितने संचालित किये जा रहें हैं और कितने वेंटिलेटर कुछ लाख रुपये के अभाव के कारण उसी तरह से डिब्बे में बन्द पड़े हुये हैं,जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है? अगर कुछ रुपयों का इन्तजाम हो जायेगा तो मैं समझता हूँ, वहां वेंटीलेटर चल जायेंगे। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करने का काम ट्रामा सेण्टर, किंग जार्ज मेडिकल कालेज में करने का काम करेगी ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी में 214 वेंटीलेटर्स हैं और कोई भी डिब्बा बन्द नहीं है। ट्रामा सेण्टर भी किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी के अन्तर्गत ही आता है। मेरे पास यहाँ विभागवार अलग-अलग सूचना नहीं है कि किस विभाग में कितने लगे हैं। कुल 214 हैं और जैसा मैंने अभी बताया था कि 21 अक्रियाशील हैं और उनको निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही चल रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, मैंने अम्बेडकर नगर के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष-

अम्बेडकरनगर वाला वह अलग से देख लेंगे, सवाल में तो है नहीं।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

अध्यक्ष जी, इसकी हमारे पास सूचना नहीं है, मैंने कुल मेडिकल कालेज के बारे में बता दिया है।

श्री अध्यक्ष-

बदायूँ वाला भी अलग से देख लेंगे।

अब आप तीन लोग खड़े हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अम्बेडकरनगर राजकीय मेडिकल कालेज के बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ। मान्यवर, शिक्षा संस्थान का मतलब मेडिकल कालेज भी होता है, अगर आप शिक्षा संस्थान कहें तो क्या कोई कालेज नहीं होगा, केवल यूनीवर्सिटी होगी ? तो शिक्षा संस्थान के सम्बन्ध में जो यह प्रश्न है, उसमें मेडिकल कालेज भी आता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर में वेंटीलेटर हैं, लेकिन क्रियाशील नहीं है तो क्या मा0 मंत्री जी उन वेंटीलेटरों को क्रियाशील कराने की कृपा करेंगे, बस इतना जवाब दे दें।

अध्यक्ष-

अब माननीय राजभर जी। वर्मा जी, आपको उसी में उत्तर आ जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी संख्या के सन्दर्भ में अनुपूरक में हमारे वर्मा जी ने प्रश्न कर लिया। इन्होंने लगभग 08 संस्थाओं में वेंटीलेटर की व्यवस्था का जिक्र किया है और एक सामूहिक फीगर दिया है, संस्थाओं का काई ब्रेकअप नहीं बताया है कि इस संस्था में इतने हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो आक्सीजन वेंटीलेटर में सप्लाई होती है और

दुर्भाग्यवश आक्सीजन की कमी से गोरखपुर में एक बहुत बड़ी घटना घट गयी और वहाँ पर हृदय विदारक घटना घटी। उसमें कहीं न कहीं टेण्डर या ठेकेदारी की बात थी, उसमें हम नहीं जाना चाहते। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह वेंटीलेटर में जो आक्सीजन की आपूर्ति होती है, वह पाइप लाइन से सप्लाई होती है या सिलेण्डर से भी आपकी व्यवस्था है? अगर पाइप लाइन से है तो किन जगहों पर है, किन संस्थाओं में है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे? आपने भी अभी कहा है कि बहुत दबाव है, ज्यादा से ज्यादा मरीजो को वेंटीलेटर देना पड़ता है। इस तरह के गंभीर रोगों से बहुत ग्रसित है लोग। क्या प्रति मरीज आप ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर एक-एक बेड पर या इस तरह की लगाने की व्यवस्था पर आप विचार करेंगे जो स्वयं ऑक्सीजन बनाता है। कहीं से सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत से प्राइवेट भी लगा लेते हैं अपने घरों में। अभी मैं गया था लोक भवन में वहाँ पर हवा का प्रवेश इतना ठीक से नहीं है। दफ्तरों में लगाया गया है इसी लोक भवन में ऑक्सीजन वेंटीलेटर अलग से लगा दिया गया है, क्योंकि एक कमरे में हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है। मैंने दो प्रश्न किये है कि क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जहां-जहां आप वेंटीलेटर लगाये हैं वहाँ पर पाइप लाईन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होती है या सिलेण्डर द्वारा। अगर सिलेण्डर द्वारा है तो क्या उसको पाइप लाईन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे? इससे एक लाभ हो जायेगा कि गोरखपुर की घटना दोबारा नहीं घटने पायेगी। अगर हम व्यक्तिगत सिलेण्डर सप्लाई करेंगे और दूसरा अगर मा0 मंत्री जी विचार करेंगे कि हर मरीजों के प्रति ऑक्सीजन कन्सीटेटर लगायेंगे जो स्वयं ऑक्सीजन पैदा करता है। साथ ही साथ हमारे पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ मेडिकल कालेज है आजमगढ़ का। वहां पर वेंटीलेटर की व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है तो क्या उसमें शीघ्र व्यवस्था करवा देंगे। जिसको वर्मा जी ने पूछा इस तरह से बहुत से हमारे ग्रामीण इलाके में भी मेडिकल कालेज खुले हैं। वहां पर वेंटीलेटर की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस में उठा-उठा कर के आदमी पी0जी0आई0 मेडिकल कॉलेज लाते हैं तब तक आदमी दम तोड़ देता है। इसलिये प्राथमिकता इस पर दीजिये, क्योंकि बहुत ही गंभीर बीमारियों में ही वेंटीलेटर लगाया जाता है। श्रीमन् अगर पाइप लाईन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो सिलेण्डर और अगर सीलेण्डर ही व्यवस्था है तो पाइप लाईन की व्यवस्था कराने का काम करेंगे ? दूसरा अगर आप ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर जो होता है यह मरीजों के लिये अलग हसे व्यवस्था करेंगे ? जैसा कि निजी लोग भी कहीं-कहीं अपने घरों में लगा लेते हैं। क्या इस तरह की आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, मा0 राजभर जी ने अलग-अलग संस्थान में वेंटीलेटर की संख्या पूछी है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 214, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में 101, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में 188, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में 11, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षाणिक संस्थान नोएडा में 20, डॉ0 राम मनोहर

लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर में 65, जे0के0 कैंसर संस्थान कानपुर में 2, हृदय रोग संस्थान कानपुर में 18 कुल 619 वेंटीलेटर इन संस्थानों में है। मा0 वर्मा जी ने कहा कि संस्थान का ब्यौरा दिया है तो यह प्रश्न संस्थान के सम्बन्ध में ही था, लेकिन मैंने मेडिकल कॉलेजों के विषय में भी आपको बता दिया और मा0 राजभर जी ने कहा कि अलग-अलग ब्यौरा नहीं दिया तो आपका प्रश्न था सामूहिक वह उसका जवाब चला गया था, लेकिन मैं आपकों अलग-अलग बता रहा हूँ। अब इस 619 में 577 वेंटिलेटर्स क्रियाशील है और 42 वेंटिलेटर्स अक्रियाशील हैं और इसमें भी मार्च 2017 तक 422 वेंटिलेटर्स थे 619 में से 197वें वेंटिलेटर मार्च, 2017 से अब तक स्थापित किये गये और इस वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास है कि इन सभी संस्थानों में मिला के 131 वेंटिलेटर्स और उसमें स्थापित किये जायें। ऐसा हमारा प्रयास है। अब मान्यवर, ऑक्सीजन के सम्बन्ध में आपका प्रश्न नहीं था, लेकिन यह जितने सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान हैं इनमें पाइप लाइन ऑक्सीजन उपलब्ध है और स्टैण्डबाई में सिलेण्डर लगाये जाते है और वहां नहीं है वहां हम क्रमशः व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे छः राजकीय मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराने हैं और उनके ऊपर बहुत अधिक लोड हैं। कानपुर, आगरा, प्रगागराज, गोरखपुर, झाँसी और मेरठ वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रहीं है और कुछ जगह व्यवस्था क्रियाशील हो गयी है, कुछ जगह एक-दो महीने में होने वाली है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आजमगढ़ में बहुत लोड है, हम उसके लिये पूछ रहे हैं, वहाँ का बता दें और वहाँ भी व्यवस्था करवा दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अम्बेडकर नगर का नहीं बताया।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद का भी नहीं बताया।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***1-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हेक्टेयर भूमि बंजर शेष है ? क्या सरकार शेष बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई योजना लायेगी ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से बंजर भूमि 24.96 लाख हेक्टेयर (ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 4.61 लाख हेक्टेयर, कृष्य बेकार भूमि 4.05 लाख हेक्टेयर, वर्तमान परती 11.21 लाख हेक्टेयर, अन्य परती 5.09 लाख हेक्टेयर) है। प्रदेश में बीहड़/बंजर तथा जलभराव क्षेत्रों के सुधार हेतु राज्य पोषित पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक अनुमोदित है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित की जा रहीं है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2012-22 तक रु0 477.33 करोड़ के व्यय पर 171186 हेक्टेयर समस्याग्रस्त बीहड़/बंजर क्षेत्र का उपचार प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 17718 हेक्टेयर एवं वर्ष 2018-19 में 51547 हेक्टेयर बीहड़/बंजर क्षेत्र का उपचार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

प्रदेश में कृषि दर बढ़ाने विषयक

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने उन्नतशील किसान हैं और कितने लघुसीमान्त किसान हैं पिछले दो वर्षों में कितने लघुसीमान्त कृषक उन्नतशील कृषक की श्रेणी में आये हैं उनकी संख्या क्या है ? क्या सरकार लघुसीमान्त कृषकों को उन्नतशील कृषक की श्रेणी में लाये जाने हेतु एवं प्रदेश की कृषि दर बढ़ाये जाने हेतु कोई योजना बना रही हैं ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कृषि गणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 में लघु सीमान्त कृषकों की संख्या 2.15 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में लघु सीमान्त कृषकों की संख्या 2.21 करोड़ है।

उन्नतशील कृषकों की गणना उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा लघु सीमान्त कृषकों को उन्नतशील कृषक की श्रेणी में लाये जाने हेतु एवं उत्तर प्रदेश की कृषि की कृषि दर को बढ़ायें जाने हेतु विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य कार्यक्रम निम्नवत् हैं :-

यूरिया की दरों में कमी के लिये एसीटीएन टैक्स को समाप्त कर उसके दरों को कम किया गया है।

किसानों के उत्पाद को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन पर खरीद की व्यवस्था को गति दी गयी है।

सब्जी फलों आदि की खेती के लिये किसानों को प्रोत्साहन और अनुदान दिया जा रहा है।

पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये टीकाकरण और नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मछली उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु मत्स्य पालक किसानों को भी विभिन्न कार्यक्रमों पर अनुदान देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मृदा की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों एवं सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को संस्तुति के अनुसार उर्वरक के प्रयोग का सुझाव उपलब्ध होता है।

प्रमाणित/संकर/उन्नतशील बीजों की आपूर्ति रबी, खरीफ सीजन आरम्भ होने के पूर्व ही विकास खण्ड स्तर पर सुनिश्चित की जा रहीं है। कीटों एवं बीमारियों से फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा रसायनों/बायोपेस्टिसाइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश के किसानों के मध्य जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित कर बड़े पैमाने पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वर्मीकम्पोस्ट को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक ग्राम में वर्मीकम्पोस्ट इकाई की स्थापना करायी जा रही है।

सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दैवीय आपदा से फसलों की क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया गया है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन के क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने के रोडमैप तैयार किया गया है। वर्ष 2022 तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 70 प्रतिशत आच्छादन में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।

कृषकों को सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल सिंचाई हेतु अनुदानित दर पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कृषि स्नातक युवकों को प्रशिक्षण एवं बैंकों से ऋण की व्यवस्था करा कर देय अनुदान के माध्यम से एग्रीजंक्शन स्थापित किये गये हैं जहां पर किसान भाइयों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज, कीटनाशक तथा यंत्र इत्यादि उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रदेश से जुड़े किसानों की इन समस्याओं पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आप, पूरा सदन और देश अवगत है कि प्रदेश और देश की 68 फीसदी आबादी कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल है। पी0आर0एस0 केन्द्र सरकार की एक बड़ी कम्पनी है जिसकी जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली है।

(इसी समय 11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुये)

जिसने अपनी जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना है कि उत्तर प्रदेश के 40 फीसदी किसान घाटे की कृषि कर रहें हैं वहीं माननीय अध्यक्ष जी यह चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में कृषि दर लगातार घट रहीं है, कृषि दर बढ़ नहीं रहीं है। पिछले तीन सालों में देखें तो कृषि दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, हमारे निकटतम राज्यों बिहार, झारखण्ड, पंजाब और हरियाणा आदि है उनमें दोगुनी-तीनगुनी कृषि दर हो गई है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार की गणना के अनुसार वर्ष 2010-11 में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 2.15 करोड़ थी जो कि वर्ष 2015-16 में 2.21 करोड़ हो गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि लघु-सीमान्त किसानों की संख्या बढ़ रहीं है जो चिंता का विषय है, क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्वे करायेंगे कि विगत तीन वर्षों में कितने किसान उन्नतशील से लघु किसान सीमांत में आ गये और कितने किसान लघु सीमांत से उन्नतिशील में आये यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा माननीय मंत्री जी से है कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि हम मिट्टी की जाँच कराते हैं और मिट्टी की जाँच की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उस तरीके की खेती करने के लिये हमने रिपोर्ट भेजी है और उनको प्रोत्साहित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने किसानों के खेतों का मृदा सर्वेक्षण कराया गया उनकी रिपोर्ट क्या रही और किसानों ने उनकी रिपोर्ट को कितना स्वीकार किया और उसी में यह जानना चाहते हैं कि इस पूरी क्रिया में मिट्टी को पहचानने पर कृषि विभाग ने कितना पैसा व्यय किया, यह मेरा एकदम स्पेशिफिक प्रश्न है और आपसे निवेदन है कि इसका स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने रखा है, इन्होंने बहुत ही विस्तीर्ण प्रश्न रखा है। यदि स्पेसिफिक प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब दिया जा सकेगा, जो प्रश्न इन्होंने पूछा था उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है कि हमारी क्या-क्या योजनायें हैं और उनके परिणाम क्या आये हैं।

जैसे कि इन्होंने कल्पना के आधार पर कह दिया कि विकास दर नीचे की ओर जा रही है जो अर्थ और सांख्यिकी विभाग के आंकड़े हैं वह इस बात का संकेत दे रहें हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास दर बढ़ रही है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

हम अन्य विकास दर नहीं कृषि विकास दर की बात कह रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्राइमरी सेक्शन कृषि के भीतर ही आते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

कृषि विकास दर की व्यवस्था कोई आज से नहीं है, मैं भी कृषि मंत्री रहा हूँ कृषि दर एकदम निर्धारित होती है उसका अन्य विकास दर से कोई मतलब नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप भी कृषि मंत्री रहे हैं, ये भी कृषि मंत्री हैं आप दोनों लोग संतुष्ट हो जायें तो हम अगला प्रश्न ले लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फॉरेस्ट्री एण्ड फार्मिंग, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिसरिंग और एक्वाकल्चर और माइनिग को जोड़ते हुये जो वर्ष 2015-16 में कृषि दर थी, जो बेस इयर यदि हमारे आने का मान लिये जाये तो वह दर उस समय 5.6 थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद वह 6.7 प्रतिशत हुई और वर्ष 2018 मार्च तक जो एनालाइसिस किया गया है उसमें यह 7.8 प्रतिशत है तो आपने जो यह तथ्य रखा है ये आधारहीन तथ्य रखा है। मेरे पास अर्थ और सांख्यिकी विभाग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आपने जिस परिणाम के बारे में कहा है वह रिपोर्ट हमने नहीं देखी है लेकिन इण्डिया टुडे ने जो सर्वे किया आपके कार्यकाल में, जब आप कृषि मंत्री थे तो उस समय उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर था। इण्डिया टुडे हर साल देशभर के जो अच्छे और प्रगतिशील राज्य हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस की है उनके विभिन्न विभागों के बारे में सर्वे करता है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश सत्रहवें नम्बर पर खड़ा था, जहाँ से इण्डिया टुडे ने जो असेसमेण्ट किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमने कृषि के विषय में पूछा था यह पर्यटन कहाँ से आ गया ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाण्डेय जी, यदि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहें हैं थोड़ा सुन लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2018 दिसम्बर का इनका असेसमेण्ट यह बताता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में दूसरा नम्बर पर पहुँच गया है और उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग, किसानों के लिये जो काम किये हैं मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसकी वजह से 17वें नम्बर से ऊपर उठकर आज वह तीसरे नम्बर पर पहुँचा है।

आप की सरकार द्वारा किसानों के लिये पैदा की गयी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का किसान देश के सभी राज्यों के भीतर 17वें नम्बर पर खड़ा था। जिस प्रकार से हमने किसानों को अनुदान देना, कृषि विभाग की सुविधाओं को उन तक पहुँचाना जैसे कार्य किये उसका परिणाम यह है कि इण्डिया टुडे के सर्वे ने तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को लाकर रखा है और यदि इसी प्रकार से हम काम करते रहे तो हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद !

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गर्वनमेण्ट की जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट बतायी और माननीय मंत्री जी अखबार की रिपोर्ट बता रहे हैं। अखबार और पत्रिका को इस सदन में संज्ञान में नहीं लिया जाता। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहिये कि जो एजेंसियों की रिपोर्ट है उसको बतायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से किया था जिस पर वह कुछ नहीं बोले। मैंने माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसी में से पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कितने किसानों के मृदा सर्वेक्षण कराये गये ? दूसरा, उनकी रिपोर्ट से जो किसानों को अवगत कराया गया उसमें कितने प्रतिशत किसानों ने उसको स्वीकार किया और इस पूरे काम पर कितना खर्च आया ? मान्यवर, यह बेसिक प्रश्न है परंतु माननीय मंत्री जी किसी इण्डिया टुडे की बात कर रहें है। यह पी0आर0एस0 गवर्नमेण्ट की संस्था है जो कहती है कि 40 फीसदी किसान घाटे की किसानी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट मैं आपको भिजवा दूँगा। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें जो मैंने अभी किसानों की मिट्टी के सम्बन्ध में किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाण्डेय जी, यह प्रश्न आपने जो पढ़ा इसकी परिधि में अगर यह सूचना जो आप माननीय मंत्री जी से माँगना चाह रहे हैं कि कितनी मृदों का परीक्षण हुआ और कितने उससे लाभान्वित हुये यह कहीं उस प्रश्न से रिलेटेड हैं तो बतायें ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर में आया हैं उसमें यदि 7वाँ बिंदु देखें, 'मृदा की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों एवं सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को

मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को संस्तुति के अनुसार उर्वरक के प्रयोग का सुझाव उपलब्ध होता है।' मान्यवर, मैंने उसी मिट्टी की पहचान पर माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूछा है, अलग से नहीं पूछा है और यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, इसकी सूचना आपके पास हो तो बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हम दो उपाय कर रहें हैं उसके संदर्भ में मैंने माननीय सदन को अवगत कराया है और यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो अलग से स्वाइल हेल्थ कार्ड के ऊपर यह सवाल लगा देते हैं तो विस्तृत जानकारी मैं आपको दूँगा। वैसे मैं यह बता सकता हूँ कि जिस समय हमारी सरकार आयी थी उस समय लगभग आपके पास 48 लाख सैम्पल इकट्ठा थे जिसमें से आपने सिर्फ 06 न्यूट्रीएंट्स की जाँच करायी थी और वह कुल मिलाकर 17-18 लाख के करीब बैठती थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रथम शेड्यूल के सारे सैम्पल्स की जाँच करायी जो आपके जमाने में पेण्डिंग थे। उसके माध्यम से लगभग 96 लाख किसानों को हम लोगों ने वह कार्ड बाँटा हैं मान्यवर, एक्यूरेट नम्बर मैं इस लिये नहीं बता सकता क्योंकि यह सीधा प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। पूरे प्रदेश के भीतर आपकी सिर्फ 12 प्रयोगशालायें थीं आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 43 जिलों में डबल ए0ए0एस0 सिस्टम लगा करके सभी जनपदों के भीतर 12 न्यूट्रीएंट्स जांच करने की व्यवस्था करा दी है और 2 जनपदों को छोड़कर सभी जनपदों के भीतर हमारी प्रयोगशालायें कार्य कर रहीं है। लगभग डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसानों तक हम लोगों ने स्वाइल हेल्थ कार्ड पहुँचाया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के उत्तर में आया है और एक उत्तर माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में हमको पहले से दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी ने 29 लाख किसानों की मिट्टी की पहचान करायी और उत्तर में आया है कि एक भी किसान ने उत्तर प्रदेश की इस कृषि विभाग की पहचान को स्वीकार नहीं किया है। जब इनकी जांच को उत्तर प्रदेश के किसान स्वीकार ही नहीं कर रहें हैं तो इसका मतलब कि जो उसके ऊपर करोड़ों रुपये व्यय हुआ वह नष्ट हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार के उस पैसे का अपव्यय हुआ। 5 किलो यूरिया और डी0ए0पी0 काट ले रहें हैं और कहते हैं कि किसान बहुत आगे बढ़ रहा है। 40 फीसदी किसान घाटे की खेती कर रहा है और यह पी0आर0एस0 की रिपोर्ट है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक करिये, केवल दो प्रश्न हुये हैं और पूरा आधा घण्टा लग गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे प्रश्नों का जवाब आप दिला दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

आप और प्रश्नों से तो संतुष्ट हैं केवल मृदा परीक्षण के बारे में आपने माननीय मंत्री जी से फिगर पूछा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी के पास हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हैं तो आपकी पीठ से जो निर्देश होगा मैं उसे मान लूँगा या फिर मेरा यह निवेदन है कि नियम-49 पर चर्चा के लिये कह दीजिये। प्रदेश के 68 फीसदी किसानों का सवाल है और उत्तर प्रदेश रोजगार का केवल एक हमारे पास साधन हैं और वह कृषि है।

अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपका उत्तर नहीं आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पाण्डेय जी, सभी प्रश्नों का उत्तर आपने पाया। केवल एक प्रश्न पर आपने कहा था कि हम संतुष्ट हैं कि मृदा परीक्षण के संदर्भ में आपने ठेका नहीं लिया है कि कितने मृदा परीक्षण हुये हैं उत्तर प्रदेश में आपने संदर्भ लिया कि एक प्रश्न में आपने बताया आप उस लाईट में कोई प्रश्न करेंगे तो मा0 मंत्री जी बता देंगे। यह तो एक योजना बताया उन्होंने कि ये-ये हमारी योजनायें हैं। अब उसमें फीगर यदि आप पूँछ रहें हैं तो इसमें आप मदद करें। अगर अलग से प्रश्न का उत्तर है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी के उत्तर में था।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, नहीं उत्तर में नहीं योजना में है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

योजना भी उत्तर है। उत्तर में दिया है। हम लिखकर दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी कि नियम-49 में इस पर चर्चा का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

बैठियें, ठीक है, चलिये भाई राजपूत जी।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

आज उन्नत खेती की बात हो रही है। जहाँ प्राकृतिक खेती, कीटनाशक और उर्वरक से किसानों का घाटा हो रहा है, वहीं पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये जीरो बजट की खेती चूंकि सुभाष कालेकर ने एक पद्धति अपनाई है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जीरो बजट की खेती पर क्या ऐसा विचार लायेंगे सदन में क्योंकि माननीय मंत्री जी लखनऊ के शिविर में सुभाष कालेकर और झांसी में स्वयं गये थे और कह आये थे कि हर ब्लाक में किसानों को अपनाया जायेगा जिससे जीरो बजट की खेती किसान करने लगेगा।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये आपका अनुपूरक नहीं बनता, सुझाव आपका मान लिया, बैठिये। हम अगला प्रश्न ले रहें हैं। चलिये आपने सुझाव दिया, अच्छा है। मा0 मंत्री जी, आपसे बात कर लीजियेगा। राजपूत जी, बहुत अच्छा सुझाव आया है, आप अच्छे किसान हैं अगला प्रश्न है। सुषमा पटेल जी का।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या एवं लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने विषयक

***2-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों के आवेदन-पत्र लम्बित होने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है? यदि हां, तो प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या का जनपदवार विवरण सरकार सदन के पटल पर रखकर लम्बित आवेदन के लाभार्थियों को लाभ पहुंचायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हाँ।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) से प्राप्त सूचना के अनुसार 8376 आवेदन-पत्र उप जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है। (जनपदवार सूची संलग्न* है) दिनांक 10 मार्च, 2019 से 23 मई, 2019 तक आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण आवेदनों का निस्तारण सम्भव नहीं हो सका। दिनांक 23 मई, 2019 के बाद उक्त लम्बित 8376 आवेदन-पत्रों को निस्तारित करते हुये अब तक 15900 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* देखिये नत्थी 'क' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 272-273 पर।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता की योजना है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को मृत्यु के 30 दिन यानी कि एक महीने के भीतर रु0 30000.00/-की एक मुश्त सहायता दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें बजट न होने पर भी जिलाधिकारी द्वारा टी0आर0-27 से बजट धनराशि देने की व्यवस्था है ताकि मृतक व्यक्ति की विधवा को तात्कालिक सहायता मिल सके। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस योजना में एक महीने तो दूर एक-एक साल तक सहायता नहीं दी जाती है। तहसील स्तर से लेकर जनपद स्तर, हर जगह बड़ी संख्या में पेन्डेन्सी पड़ी रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं इस पर 3 सवाल पूँछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है मा0 मंत्री जी से, मा0 मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि आचार संहिता के कारण 8376 आवेदन-पत्र 31 मार्च तक लम्बित थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यदि आचार संहिता 10 मार्च, 2019 से लागू हुई थी तो क्या ये इतनी बड़ी संख्या में 8376 लम्बित आवेदन-पत्र इसी 10 मार्च से 31 मार्च यानी कि 20 दिन के बीच की है। मा0 मंत्री जी यह आंकड़ा पूरी तरह से संदिग्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल पूछना चाहती हूं कि यदि यह 8376 आवेदन-पत्र आचार संहिता के पहले के है तो यह किन परिस्थितियों में इतने लम्बे समय तक लम्बित रखे गये। क्या इस सम्बन्ध में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। मेरा तीसरा सवाल है कि एस0डी0एम0 स्तर के बाद जनपद स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदन पत्र आज भी लम्बित है जिनके बारे में इस उत्तर में नहीं बताया गया है जबकि लाभार्थियों की अन्तिम स्वीकृति जनपद स्तर से ही होती है। इस प्रकार जिम्मेदार अधिकारियों ने माननीय सदन को गुमराह करने का कार्य किया है क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये पूरे प्रदेश के जनपद स्तर पर तथा एस0डी0एम0 स्तर पर लम्बित सभी आवेदन पत्रों की 30 दिन के भीतर स्वीकृति की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, इन्होंने पूछा था कि क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों के आवेदन-पत्र लम्बित होने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है तो हमने कहा जी हां। आगे इन्होंने पूछा यदि हां तो प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या का जनपदवार विवरण सरकार सदन के पटल पर रखकर लम्बित आवेदन के लाभार्थियों को लाभ पहुंचायेंगे तो हमने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र एन0आई0सी0 से प्राप्त सूचना के अनुसार 8376 आवेदन-पत्र उप जिलाधिकारी के स्तर पर लम्बित है। जनपदवार सूची संलग्न कर दी

गयी है। दिनांक 23 मार्च, 2019 से आदर्श आचार संहिता लगने के कारण यह कुछ लम्बित हो गया था। इसके बाद में 23 मई, 2019 को आचार संहिता खत्म होने के बाद सारे आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है और सारी व्यवस्था उन तक पहुंचा दी गयी है। हमारी सरकार उन गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये जो पारिवारिक व्यवस्था के लिये है, प्रतिबद्ध है और हम प्रकार से इसको समय पर पूरा कराते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, सुषमा जी ने एक स्पेसिफिक प्रश्न किया है कि जो लम्बित 8376 आवेदन-पत्र जो उप जिलाधिकारी स्तर पर है क्या इनको अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है और लोगों को लाभान्वित कर दिया गया है, वह यह पूछ रही है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, 23 मई, 2019 के बाद लम्बित 8376 आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है और अब तक 15900 परिवारों को और भी सहायता दी जा चुकी है। हमारी सरकार इस ओर सतर्क निगाह रख रही है और किसी न किसी कीमत पर हम हर प्रकार से सहायता करने के लिये तत्पर है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8376 आवेदन-पत्रों को निस्तारित करते हुये 15900 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। केवल 15900 तो बाकी क्या अपात्र पाये गये, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सुषमा पटेल जी ने एक स्पेसिफिक सवाल किया कि सबसे गरीब और निरीह लोगों के लिये यह योजना है। मान्यवर, इन्होंने पूछा था कि आचार संहिता लगने के पहले के कितने प्रकरण है उनको इतने लम्बे समय तक निस्तारित न होने का कारण क्या रहा। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या 30 दिन की कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि आवेदन-पत्र आने के 30 दिन के भीतर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिये कोई निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे। यह मुख्य सवाल है और इसका उत्तर आना आवश्यक है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह बात सही है कि उसके पहले से भी व्यवस्था रही होगी लेकिन आचार संहिता लगने के तुरन्त बाद की पूरे प्रदेश की लिस्ट हमारे पास है और आचार संहिता हटने के बाद यह पूरी लिस्ट निस्तारित की जा चुकी है। आने वाले दिन में अगर इस प्रकार से कोई बात होती है तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, पूरा निस्तारण करेगी और व्यवस्था करेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि 8376 निस्तारित किये गये और दिया गया केवल 15900 को। तो बाकी अपात्र पाये गये क्या। दूसरी बात आवेदन-पत्र

प्राप्त होने के क्या 30 दिन के भीतर निस्तारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सवाल पूछा गया था 8376 के लिये और पूरी सूची के साथ उसके अतिरिक्त जो उसके बाद के लम्बित थे 23 मई के बाद भी।

श्री लाल जी वर्मा-

आप उत्तर पढ़ लें। यह निस्तारित करते हुये अब तक केवल 15900 को दिया गया, इसका मतलब अन्य अपात्र पाये गये क्या।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिये ऐसा है कि आपका जो मूल प्रश्न था वह 8376 के लिये था, उन लोगों के आवेदन-पत्रों को निस्तारित करते हुये पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो धन अनुमन्य है यह उनको दे दिया गया। उसके अतिरिक्त भी लोगों को दिया गया है यह 7376 की संख्या 15900 से कम है। इस प्रकार 8376 के अतिरिक्त जो भी लम्बित थे, उनको भी इसका लाभ दे दिया गया है। जितने के बारे में आपने पूछा उसके भी लगभग दोगुने लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। दूसरी बात जो आपने कहा है उसको हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नियत समय है उस नियत समय के अन्दर लोगों के परिवार लाभान्वित हो सकें, इसके लिये फिर से सुनिश्चित कर देंगे।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं। मैंने यह नहीं पूछा कि आपने कितनों को दिया है। मेरे पूछने का मतलब यह है कि यह आवेदन-पत्र इतनी बड़ी संख्या में लम्बित क्यों हैं और यह आवेदन-पत्र जो 8376 लम्बित हैं क्या यह इन्हीं दिनों के हैं यानि 10 मार्च से 31 मार्च तक के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह महिलाओं को मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि अगर आप मेरी बात का आपको विश्वास न हो तो कल ही आप पूरे प्रदेश की जांच करा लीजिये कि कितने मामले आज भी बहुत बड़ी संख्या में लम्बित हैं। मैंने अपनी विधान सभा के 06 महीने से तीन आवेदन-पत्र करवाये हैं और मैं तीन महीने से कभी ब्लाक स्तर पर, कभी तहसील स्तर पर प्रयास कर रही हूं लेकिन अभी तक उन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप अपनी विधान सभा का विषय अलग से उठाइयेगा।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, जौनपुर के बारे में हम पूरी सूचना लेकर आये हैं। दिनांक 31-03-2019 तक कुल 75 आवेदन लम्बित थे जिन्हें लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने

के उपरान्त निस्तारित कर दिया गया और लाभार्थियों को भुगतान कराया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त 1-4-2019 के उपरान्त प्राप्त 50 अन्य आवेदनों को भी निस्तारित करते हुये लाभार्थियों को भुगतान कराया जा चुका है। इस प्रकार जनपद-जौनपुर में वर्ष 2018-2019 में कुल 766 परिवारों को रुपया 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार का भुगतान किया जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

***3-श्री मो0 फईम इरफान-**

[04 मंगलवार के ता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नदियों के किनारे कम समय में तैयार होने वाली फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में

***4-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के किनारे उपलब्ध रेतीली जमीन में बिहार राज्य की तरह दलहन, तिलहन, सब्जी, मिर्च, मसाले, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक व तेजपात जैसी कम समय में तैयार होने वाली फसलें अनुदानित या गैर अनुदानित तरीके से कराने एवं मशरूम की फायदेमंद खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में नदियों के किनारे उपलब्ध रेतीली जमीन में दलहन एवं तिलहन फसलें अनुदानित तरीके से पैदा करने की कोई सरकारी योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतु प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत बीज क्रय करके कोई भी कृषक अपनी जमीन पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों को पैदा कर सकता है।

प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त शाकभाजी मसाला फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है जिसमें विशेषतया कद्दूकुल की सब्जियों की खेती जनपदों में नदियों के किनारे उपलब्ध रेतीली जमीन पर कृषकों द्वारा की जा रही है। प्रदेश में नदियों के किनारे रेतीली जमीन में शाकभाजी मसाला फसलों के उत्पादन हेतु विभाग में कोई पृथक से योजना संचालित नहीं है।

मशरूम की खेती के अन्तर्गत मशरूम उत्पादन इकाई स्थान, उत्पादन यूनिट एवं कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिये इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन तथा तिलहन एवं टी0बी0ओ0 योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत किसानों को तिलहनी एवं दलहनी फसलों के प्रदर्शन प्रमाणित तथा हाईब्रिड बीज वितरण तथा अन्य कृषि निवेश यथा जिप्सम खरपतवारनाशी कृषि रक्षा रसायन मिनी दाल मील तिरपाल राइजोबियम कल्चर कृषि यंत्र स्माल ऑयल एक्स्ट्रेक्सन यूनिट सिंचाई के लिये पानी का पाइप पम्प सेट आदि को कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों को दलहन एवं तिलहन उत्पादन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हं कि बिहार राज्य की भांति उत्तर प्रदेश में नदियों की रेतीली भूमि जो निजी स्वामित्व में नहीं है, दलहन, तिलहन, हल्दी व कद्दूकुल की सब्जी आदि जो कम समय में तैयार हो जाती है, क्या सरकार उनको उगाना नहीं चाहती ? मैं दूसरा सवाल आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपके के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या नदियों की रेतीली भूमि जो कम समय में तैयार होने वाली फसल पैदा करने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष फसली आधार पर पट्टा आदि पर देने की योजना सरकार बना रही है ? अधिष्ठाता महोदय, मेरा तीसरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है कि 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2019 के मध्य मशरूम उत्पादन इकाई और कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना व उनको दिये गये अनुदान का विवरण इस समय या बाद में मुझे और इस सदन को सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सोलंकी साहब, पहला प्रश्न जो आपने नदियों के किनारे दलहन और तिलहन के बारे में पूछा है, उसमें मंत्री जी ने साफ बता दिया है कि कोई योजना हमारे वहां संचालित नहीं है। दूसरे प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के कार्यक्रम चलाये जा रहे है। किसान जो बीज खरीदता है, प्रमाणित और आधारीय बीज उस पर हम मूल्य का 50 परसेन्ट अनुदान उनको देते हैं, 2500 रुपये या 50 परसेन्ट जो भी कम हो। इस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिये जो किसान नदियों के किनारे रहते हैं, यदि वह दलहन और तिलहन की खेती कर रहे हैं तो उनको भी उस योजना के भीतर लाभान्वित किया जा रहा है। अलग से इसके लिये कोई अतिरिक्त योजना नहीं बनाई गई है, न उनके ऊपर इस बात का प्रतिबन्ध रखा गया है कि वह इस कार्यक्रम का अपने क्षेत्र के भीतर उपयोग नहीं करेंगे। मशरूम के बारे में जो आपने कहा है, वह सूचना यदि आप अलग से मांगेंगे या प्रश्न करेंगे तो आपको दे दिया जायेगा। लिखित भी मांगेंगे तो हम

आपको दे देंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको प्रसन्नता होगी कि आप ही के जनपद के भीतर चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है और वहां पर मशरूम की खेती के लिये हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है और उसकी ट्रेनिंग भी किसानों को दे रहे हैं, जिससे कि मशरूम की खेती में विभिन्न प्रकार के मशरूम तैयार हो सके, उस दृष्टि से व्यवस्था की गई है। यदि आप चाहेंगे तो कभी जा करके खुद भ्रमण करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

इरफान साहब अब आप खुश हो जाइये, उन्होंने कहा ठीक है।

हाजी इरफान सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें पट्टों की बात रह गई है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। हम इनसे नाराज नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

खुश हैं न, तो बैठ जाइये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, इसमें किसानों की बात है, बात मेरी निजी नहीं है। बात पट्टे देने की है कि सरकार उनको पट्टे देने की कृपा करेगी या नहीं करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जो उस श्रेणी के भीतर किसान आता है, उसको नियमानुसार पट्टा देने की व्यवस्था है। यदि वह भूमिहीन किसान है या अत्यन्त लघु किसान है। उस ग्राम सभा या न्याय पंचायत की परिस्थितियों को देखते हुये आलरेडी पट्टा दिये जाने की व्यवस्था है और बहुत सारी नदियों के किनारे वाले किसान इस तरीके का पट्टे का लाभ ले रहे हैं। अलग से कृषि विभाग के द्वारा इस तरह की कोई योजना नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बस एक अनुपूरक कर लीजिये।

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, इरफान भाई ने अभी यह जो कहा है कि 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2019 के मध्य मशरूम उत्पादन इकाइयों और कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों की स्थापना में दिये गये अनुदान का ब्यौरा, इस समय या बाद में माननीय मंत्री जो उपलब्ध करा दें, यह हमारी गुजारिश है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, दे दीजियेगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन करने की समय-सीमा को 01 वर्ष से बढ़ाते हुये 02 वर्ष करवाने के सम्बन्ध में

***5-श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की समय-सीमा को 01 वर्ष से बढ़ाते हुये 02 वर्ष कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम) की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत वर्तमान में आवेदन हेतु 01 (एक) वर्ष की सीमा निर्धारित है जो पर्याप्त हैं। अतः इसे बढ़ाकर 02 वर्ष किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा इस प्रश्न को पूछने का जो मूल उद्देश्य है, जैसा कि अभी मा0 सदस्या श्रीमती सुषमा जी ने इस प्रश्न को उठाया था और मा0 वर्मा जी ने भी इस पर बल दिया था। यह समाज की उन परिस्थितियों को पूरक के रूप में कम्पेनसेट करने की योजना है, जैसा कि सरकार का उत्तर है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार, उसका जब कमाऊ मुखिया खत्म हो जाता है तो उसके आश्रित या उसकी विधवा पत्नी को इसमें धनराशि मिलती है 30 हजार। तो मेरी इस प्रश्न के माध्यम से पूछने की भावना यह थी कि एक साल से दो साल होगा, क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि एक साल के बाद, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई न कोई आ जाता है तो मन में लगता है कि 15 दिन रह गये इसलिये इस बेचारी विधवा को 30 हजार रुपये नहीं मिल पाये। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को स्वीकार करता हूं लेकिन इसमें मैं एक निवेदन सुझाव के रूप में करना चाहता हूं कि जहां किसान दुर्घटना बीमा योजना या अन्य योजनाओं में जो कमाऊ मुखिया है उसकी आयु 18 से 70 वर्ष तक की है तो उसको पांच लाख रुपया देने का काम होता है तो बड़ी कृपापूर्वक मा0 मंत्री जी ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्य अर्जक मुखिया की मृत्यु के बाद जो उसे 30 हजार रुपया मिलता है यदि उस उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दें क्योंकि मजदूरी, गरीबी में काम करने वाला आदमी 60 साल में रिटायर हो करके घर में नहीं बैठता है इसलिये यदि ऐसा हो जाए तो यह लोगों के भले का काम होगा। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इसकी उम्र को बढ़ाने के लिये विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये विचार कर लें।

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह नीतिगत मामला है। मैं मा0 असीजा जी से निवेदन करूंगा कि कभी हमारे साथ बैठ जायेंगे उसके बाद विचार करेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह जो 30 हजार रुपये की धनराशि है यह बढ़ती महंगाई को देखते हुये बहुत कम है क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह भी अभी सम्भव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप भी साथ में बैठ लीजियेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, बैठा तो एक जगह जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

जब बैठे-बैठे काम हो रहा है तो ठीक ही है।

प्रदेश में वर्ष 2016 से मार्च, 2019 तक पिछड़े वर्ग के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बन्ध में

***6-श्री विरेन्द्र यादव-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016 से मार्च, 2019 तक पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण छात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में वर्ष 2016 से मार्च, 2019 तक नियमावली के अनुसार पात्र पाये गये अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को बजट उपलब्धता की सीमा तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 2018-19 के पूर्व पात्र पाये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 2018-19 में धनराशि की उपलब्धतानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विरेन्द्र यादव जी।

श्री विरेन्द्र यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो छात्रवृत्ति देने की बात कही है, उसमें से जो छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह गये हैं, क्या आप उनको छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 अधिष्ठाता जी, नियमतः जो छात्र व्यवस्थानुसार छात्रवृत्ति का समयानुसार फार्म भर देते हैं, उनके खाते में पैसा सीधे चला जाता है। इसमें जितने भी छात्र छात्रवृत्ति का फार्म भर चुके हैं, उनका सत्यापन करने के पश्चात् जितने भी फार्म सही पाये गये हैं, उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। जिन छात्रों ने फार्म भरने में त्रुटियां कर दी हैं या फार्म नियत समय तक नहीं भर पाये हैं, उन्हीं की छात्रवृत्ति शेष रह गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 लाल जी वर्मा।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2018-19 के पूर्व सही पाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में धनराशि की उपलब्धतानुसार। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट की अनुपलब्धता के कारण पिछड़े वर्ग के कितने छात्र-छात्राएं पात्र होने के उपरान्त भी छात्रवृत्ति पाने से अवशेष रह गये हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी है और कितने छात्र-छात्राएं बजट की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गये हैं। तीसरा प्रश्न है कि जो छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से अवशेष रह गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन छात्रों को बजट की व्यवस्था करके छात्रवृत्ति दिलाना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी।

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अधिष्ठाता जी, पिछड़े वर्ग के बच्चों को वर्ष 2017-18 में धनराशि रु0 535 करोड़ से 18.78 लाख छात्र छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुये थे। वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 564 करोड़ से 18.13 लाख छात्र छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुये हैं। अनुसूचित जाति के

बच्चों को वर्ष 2017-18 में धनराशि रु0 1810 करोड़, 18.36 लाख छात्रों को दिया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 1811 करोड़ 19.41 लाख छात्रों को दिया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 1830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति का फार्म भरा जा रहा है उनको दिया जायेगा। सामान्य वर्ग के बच्चों को भी हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। बजट उपलब्धतानुसार पहले सरकारी स्कूलों को, उसके बाद एडेड स्कूलों को और उसके बाद जो छात्र मेरिट में आते हैं, उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है। इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के छात्रों का भी है। बजट उपलब्धतानुसार मेरिट के आधार पर उन छात्रों को छात्रवृत्ति दे दिया जाता है। आज की तारीख में जो भी छात्र अभी नया फार्म भरने जा रहे हैं, उनको छोड़कर कोई लम्बित नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, हमने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2018-19 में पिछड़े जाति और अनुसूचित जाति के कितने छात्र-छात्राएं पात्र होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति पाने से अवशेष रह गये हैं, इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। मान्यवर, अनुसूचित जाति के सभी छात्रा-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। हम जानना चाहते हैं कि पात्र होने के बावजूद भी कितने छात्र-छात्राएं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में अवशेष रह गये हैं, इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। चूंकि आपने आंकड़ा दिया और पात्र पाये गये समस्त छात्रों को बजट उपलब्धतानुसार छात्रवृत्ति दिया है। कितने छात्र-छात्राएं अवशेष रह गये हैं और इन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति कब तक दे देंगे, माननीय मंत्री जी यह बता दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, उसका हम स्पेसिफिक जवाब दे रहे हैं। वर्ष 2018-19 में 6818 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जा चुका है और 7505 छात्र-छात्राएं शेष रह गये हैं। इनको शीघ्र ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करा देंगे।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अधिष्ठाता जी, जो छात्र अम्बेडकर छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर हम गये थे, वहां पर बहुत सारे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति न होने के कारण उनको परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया गया जिससे उनका कैरियर बर्बाद हो गया। तो इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे कि वहां पर कितने बच्चे रहते हैं ? जो परीक्षा में वंचित रह गये हैं और उनके कैरियर बर्बाद हो गये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, यह इस प्रश्न से अलग है, हॉस्टल के लिये आप अलग से प्रश्न लगा दीजियेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जाति के 7500 बच्चे अवशेष रह गये हैं, तो उनको कब तक आप छात्रवृत्ति उपलब्ध करा देंगे ? दूसरा पिछड़े वर्ग के कितने बच्चे पात्र होने के बाद भी अवशेष रह गये हैं क्या उनको भी छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी प्रतिबद्धता है, जो भी शेष रह गये हैं हर हालत में उनको छात्रवृत्ति देंगे। धनराशि आने में देरी हो गयी, उसकी वजह आचार संहिता भी है लेकिन आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी उनको उपलब्ध करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये आश्वासन बन गया। तारांकित प्रश्न संख्या-7 श्री हर्षवर्धन बाजपेयी जी।

प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में

***7-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग अन्य प्रांतों के सापेक्ष डी0 आई0 पी0 पी0 द्वारा क्या दर्शाई गई है ? क्या सरकार ने उक्त में इजाफा करने के लिये कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

उ0प्र0 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अन्य प्रांतों के सापेक्ष डी0आई0पी0पी0 (डिपार्टमेन्ट ऑफ इण्डस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन) द्वारा 92.89% अंक के साथ 12वीं दर्शायी गयी है।

जी हां।

भारत सरकार की बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2019 की संस्तुतियों के अनुपालन में प्रदेश के 23 विभागों द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हेतु अपने विभागीय कार्यों से सम्बन्धित कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये बधाई दूंगा, जो हम लोगों की एक बॉडी उद्योग बन्धु, जो बिजनेस को देखती है, इतिहास में पहली बार हर कमिश्नरी मुख्यालय में जाकर किसी मंत्री ने उद्योग बन्धु की मीटिंग ली है वह आप है, इसके लिये मैं आपको बधाई दूंगा। जो आप कार्य कर रहे है वह यह दिखाता है कि आप

उद्योग के लिये और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये कितने संवेदनशील है। लेकिन मंत्री जी मैं यह कहूंगा कि हमारी रैंक अगर एक वर्ष में 14 से कम होकर 12 हुई है तो निश्चित रूप से यह इम्प्रूवमेंट है। लेकिन भारत के सबसे बड़े प्रान्त को टॉप टेन में तो कम से कम होना ही चाहिये। यह हमारी कमी रही है। अधिष्ठाता जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कई पहलू ऐसे है जो केन्द्र सरकार के हाथ में है।

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी जी, अनुपूरक प्रश्न करिये, पूरी पॉलिसी यहां पर डिसाइड नहीं होगी।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मैं आपसे केवल उन मुद्दों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं जो प्रदेश सरकार के हाथ में है जिसमें से चार मुख्य रूप से प्वाइंट हैं जो हर समय, हर विधायक को चुभ रहा है। एक है इन्फोर्समेन्ट्स कॉन्ट्रैक्ट। आज की तारीख में शहर क्षेत्र में अगर कोई किरायेदारी है तो उस किरायेदारी को खाली कराना नामुमकिन हो गया है क्योंकि वह कब्जा कर लेते हैं, अपनी जमीन मान लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपका अनुपूरक है ?

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी बेवसाइट भी आ गयी है, खसरा, खतौनी सब लिस्टेड है लेकिन इसके बावजूद हर तहसील, हर ब्लाक में, पड़ोसी-पड़ोसी में लड़ाई हो रही है कि आपका खसरा कहाँ तक का है, आपका कहाँ तक का है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी आप स्पेसिफिक अनुपूरक करिये, प्रश्न करिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

इसी तरीके से जो ए0डी0ए0 है, जो कंस्ट्रक्सन देखता है, आप देख रहे हैं कि कई विभाग इसमें हैं। इसीलिये मैं अलग-अलग विभाग का दे रहा हूँ क्योंकि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेन्ट है। आज भी जो डेवलपमेण्ट अॅथारिटीज हैं इसमें जो प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं इसमें भारी मात्रा में, यह कोई अपनी सरकार में नहीं हो रहा है, यह एक परम्परा चली आ रही है सारी सरकारों में घूस लेने वाली। नक्शा पास कराने की घूस लेने वाली परम्परा डेवलेपमेंट ऑथारिटीज में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी, आप सवाल करिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मेरा सवाल यह है मा0 मंत्री जी जब इतने अलग-अलग विभाग है, पॉवर, डेवलेपमेंट अॅथारिटीज व अन्य विभाग है तो एक ओवर ऑल बाडी जो सबको ओवरराइड करे, जो गलत पॉलिसी या जो पॉलिसी हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, हमारी रैंकिंग को नीचे कर रही है, उस रैंकिंग को बढ़ाने के लिये वह बॉडी उस पर फैसला ले। जैसे पॉवर विभाग है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाजपेयी जी, अगर पॉलिसी बतानी है तो किसी दिन क्लास ले लीजिये, आप अनुपूरक करिये, आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। (हंसी)

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

अनुपूरक का यह पार्ट है अध्यक्ष जी।

श्री अधिष्ठाता-

पार्ट है तो उसको पूछ लीजिये। माननीय मंत्री जी को अवसर दीजिये बोलने का।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मंत्री जी, जैसे कि मैं पावर का बताना चाहता हूँ कि मैप मीटरिंग की पॉलिसी खत्म कर दी है तो मेरा यह कहना है कि क्या हम लोग एक ओवर ऑल बॉडी बनायेंगे जो सारे विभागों की समस्याओं को ले करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के लिये।

श्री अधिष्ठाता-

आप अनुपूरक नहीं कर रहे हैं अब मैं अगला प्रश्न ले लूंगा। माननीय मंत्री जी, जो आपकी समझ में आ गया हो बता दीजिये।

श्री सतीश महाना-

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत विस्तार से माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ मान्यवर कि जो हमारे 20 विभाग हैं उन 20 विभागों में 372 बिन्दुओं को ईज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत 20 बी0आर0ए0पी0 के अन्तर्गत लिया गया है इसमें 358 बिन्दुओं को अनुमोदित किया गया था बाकी शेष जो 14 बिन्दु थे, उनको भी अब हमने अपडेट करके अपने पोर्टल के अन्तर्गत डाल दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने यह निवेश मित्र प्रारम्भ किया तबसे हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन्स आई हैं क्योंकि अधिकतर लोग मान्यवर, इन्डस्ट्री लगाने के लिये उत्तर प्रदेश की ओर इस समय रुख कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम स्थापित कर चुके हैं और उनको यह विश्वास दिला चुके हैं। पहले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आने के लिये इन्डस्ट्रीज को परेशान होना पड़ता था। अब इसमें मैन इन्टरफियर की आवश्यकता नहीं है वह सीधे हमारे पोर्टल के ऊपर वह चले जाते हैं और उसमें जितने भी प्रकार की समस्यायें हैं क्योंकि जैसा मैंने

आपको बताया 372 हैं वह एक-एक के ऊपर यहाँ पर जवाब देना कठिन हो जायेगा लेकिन अगर वह पूछेंगे तो मैं एक-एक के ऊपर मैं जवाब देने की स्थिति में हूँ। इन्डस्ट्री से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं लगभग 23 विभागों को हमने उसमें डाला हुआ है। अब जैसे लैंड रिकाड्र्स के लिये। किसी ने इन्डस्ट्री लगाने के लिये लैंड किसी व्यक्ति से खरीदी तो उसके पास हमने एक दो बाइंडिंग्स के साथ कि इस जमीन का क्या स्टेटस हैं और पिछलें 10 सालों में उसका क्या स्टेटस था यह भी उसको पता चल जायेगा। पहले उसको इसी की जानकारी करने के लिये तहसील के दफ्तर में अन्य विभागों के अन्तर्गत चक्कर लगाने पड़ते थे तो इसीलिये उस लैंड की यथास्थिति को, उसमें किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है। किस-किस के स्वामित्व के अन्तर्गत थी यह सारी की सारी सूचनायें उसमें आ जायेंगी। इसी प्रकार से मान्यवर लेबर के अन्तर्गत हैं, इसी प्रकार से पावर के अन्तर्गत हैं। अब पावर में किसी इन्डस्ट्री को बिजली का कनेक्शन लेना है तो उसको केवल दो फार्म भरने पड़ते हैं। इसी प्रकार से मान्यवर, जैसे अन्य विभाग हैं, अगर उसको फायर की एन0ओ0सी0 लेनी है तो उसके लिये भी समय-सीमा तय कर दी गयी है और यह तय कर दिया है कि जिस विभाग से सम्बन्धित उसमें लिखकर आ जायेगा कि इसकी एन0ओ0सी0 आपको इतने दिन के अन्दर मिल जायेगी। अगर वह नहीं मिलती है तो उसको डीमड एप्रूव्ड मान लिया जाता है क्योंकि यह पोर्टल के ऊपर हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। किसी भी प्रकार की बैक डेट उसमें नहीं चल सकता। हमारे पास लगभग 54 हजार एप्लेकेशन्स थी जिसमें 47 हजार का निस्तारण कर दिया। बाकी प्रोसेस में हैं, समय के अन्दर उनका निस्तारण होगा।

प्रदेश में चलने वाले आई0टी0आई0 केन्द्रों में अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***8-श्री संजय गर्ग-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चलने वाले आई0टी0आई0 केन्द्रों में वहाँ उत्पादित होने वाले स्थानीय उत्पादों की अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

आई0टी0आई0 केन्द्रों में वहाँ उत्पादित होने वाले स्थानीय उत्पादों की अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर सरकार विचार नहीं कर रहीं हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की तकनीकी प्रशिक्षण के अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहें हैं। प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्

(एन0सी0वी0टी0) के मानकों एवं मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। जिसमें आधुनिक कौशल, तकनीकी व अन्य सम विषयों का समावेश किया गया है। संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रमों का उपवर्धन नियमित रूप से एन0सी0वी0टी0 द्वारा कराया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से लागू होता है। एन0सी0वी0टी0 द्वारा प्रभावी पाठ्यक्रम में आमेलन/परिवर्तन/संशोधन करने की संवैधानिक प्राधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि आई0टी0आई0 केन्द्रों में उत्पादित होने वाले स्थानीय उत्पादों की अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यवस्था नहीं की जा सकती, मान्यवर, एन0सी0वी0टी0 के द्वारा प्रभावी पाठ्यक्रम में परिवर्तन, संशोधन करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। मेरा आशय इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी करना था कि वास्तव में इस समय बेरोजगारी का सूचकांक सबसे ज्यादा है और स्वतः रोजगार के स्तर पर जो स्थानीय स्तर की कारीगरी और आर्ट क्राफ्टमेनशिप के आधार पर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके अन्तर्गत लगे हुये हैं, उसमें मास्टर क्राफ्टमेन निराश हो रहे हैं और उन्हें बाजार भी उस रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि ओ0डी0ओ0पी0 वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तहत हर जिले को एक प्रोडक्ट चूज करने की जिस तरह से बात की गयी है, मेरी मंशा केवल इस बात की है कि उस प्रोडक्ट की बारीकी को जब तक हम प्रशिक्षित करने का काम नहीं करेंगे, जिसके बारे में आपने कहा कि वह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से हो रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तमाम योजनायें आउटसोर्स की हुई हैं और उनके भी निश्चित, इंगित अल्पकालीन कोर्सेज हैं, जिसमें कोई भी इस तरह का प्रशिक्षण नहीं चल पा रहा है। मेरा आशय यह था कि जिस तरह से सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम करने वाले, फिरोजाबाद में कांच का, मुरादाबाद में पीतल का, भदोही में कालीन का, बनारस में साड़ी का और यह तमाम जो चीजें हैं। आई0टी0आई0 के अन्दर 12 ट्रेडें आती हैं और उन 12 ट्रेडों में सपोज कारपेन्ट्री है। कारपेन्ट्री में ही लकड़ी की नक्काशी के इन्स्टूमेन्ट्स को भी शामिल कर लिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करने का जवाब दिया है कि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरी जानकारी है कि निश्चित रूप से आई0टी0आई0 के संचालक और एन0सी0वी0टी0 के बीच में हर तीसरे महीने, छठे महीने आपस में वार्तालाप होती है। कोई भी प्रदेश सरकार अगर उसे सुझाव दे तो उसे उस कोर्स में शामिल किया जा सकता है, इसलिये इस संवेदनशीलता और जरूरत का अहसास करते हुये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इस ट्रेड्स को जो ओ0डी0ओ0पी0 में भी आपने सेलेक्ट करने का काम किया है, उनकी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण आई0टी0आई0

संस्थानों के माध्यम से दिया जा सकें, इस बात का सुझाव राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् एन0सी0वी0टी0 को देकर कराने का काम करेगी ?

श्री चेतन चौहान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो मा0 सदस्य ने कहा है, वह ठीक ही कहा है, स्थानीय उत्पादों के लिये ओ0डी0ओ0पी0 योजना सरकार ने बनायी है और वह बहुत अच्छी तरह से चल भी रहीं है, लेकिन ओ0डी0ओ0पी0 स्कीम इस विभाग के अधीन नहीं है। जहां तक कौशल विकास का सवाल है, कौशल विकास में बहुत सारे ट्रेड लिये गये हैं और वह कार्य सुचारु रूप से चल रहा हैं। ओ0डी0ओ0पी0 के बारे में ज्यादा जानकारी के लिये आप अलग से दे दीजियेगा।

(सदस्य श्री संजय गर्ग द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें, माननीय मंत्री जी बोल रहें हैं, बोल लेने दीजिये। यदि आप संतुष्ट न हों तो आप अनुपूरक कर सकते हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी को अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये।

श्री चेतन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एस0सी0वी0टी0 और एन0सी0वी0टी0 प्रोग्राम केन्द्र सरकार ही निर्धारित करती है और वहीं तय करती है। आपका सुझाव है अगली कोई बैठक होगी उसमें शामिल कर लिया जायेगा, लेकिन स्थानीय उत्पादों के लिये अलग से योजना बन गयी है और वह सफलतापूर्वक चल रहीं है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने शुरू किया है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कोई ओ0डी0ओ0पी0 योजना की जानकारी नहीं चाहता। ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत हर जनपद के जो प्रोडक्ट व्यवस्थित रूप से सेलेक्ट किये गये हैं, मेरा आशय केवल यह था कि उसमें दस्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिये आई0टी0आई0 कोर्सेस के साथ ही थोड़ी सी फिनिसिंग कर अगर अटैचमेन्ट कर दिया जाये तो निश्चित रूप से उस कारीगरी को और ज्यादा बढ़ावा मिलने का काम होगा और मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि केवल आई0टी0आई0 के जो संचालकगण हैं, एन0सी0वी0टी0 में हर प्रदेश सरकार अपने सुझाव देती है तो यह सुझाव देकर उन सुझावों को शामिल किया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी अगली आने वाली बैठक में सुझाव देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की सिर्फ इतनी मांग है कि क्या आप सुझाव देकर उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करेंगे ?

श्री चेतन चौहान-

जो सुझाव दिया है उसको अगली जो बैठक होगी उसमें उस सुझाव को रख देंगे।

प्रदेश में वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन एवं विधवा पेंशन योजना के तहत धनराशि रु0 500 से बढ़ाकर 1500 करने के सम्बन्ध में

***9-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कि प्रदेश में वर्तमान में पूर्व प्रचलित महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना एवं समाजवादी पेंशन योजना को सरकार द्वारा पूर्णरूपेण बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में गरीबों के उत्थान तथा प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में पूर्व प्रचलित महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। समाजवादी पेंशन योजना दिनांक 07 फरवरी, 2014 को प्रारम्भ की गयी थी। इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अनुक्रम में प्रदेश में अब तक कुल सत्यापित 5439440 (चौवन लाख उन्तालीस हजार चार सौ चालीस) लाभार्थियों में से 440165 (चार लाख चालीस हजार एक सौ पैंसठ) अपात्र एवं 47862 (सैंतालिस हजार आठ सौ बासठ) लाभार्थियों को मृतक चिन्हित किया गया है।

सम्प्रति सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस यह पूछना चाहूँगी कि आपने अपने जवाब में कहा 5439440 लोगों में चार लाख और कुछ लोग अपात्र पाये गये हैं तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगी कि अपात्र की डेफिनीशन क्या है। कौन पात्र है कौन अपात्र है यह मानक तो आप ही तय करते हैं कि किस हिसाब से इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया जो गरीब लोग है, बी0पी0एल0 लोग हैं, कैसे उनको सबसे पहले अपात्र घोषित किया गया किस मानक के अनुसार ? यह तो सरकार के हाथ में है कि आप क्या मानक बनाते हैं। दूसरा मेरा यह क्वैश्चन है जो विकलांग पेंशन है उसकी एज 18 साल होती है अगर कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है बहुत बार मैं गांव देहात में जाती हूँ कोई विकलांग बच्चा है, चाहें वह जिस एक का हो तो उसको वेट क्यों करना पड़ेगा कि जब वह 18 साल का हो तब उसे लाभ मिले। उसके माँ बाप गरीब है उस बच्चों के माँ बाप को बच्चे की रिस्पांसबिलिटी को उठाना है

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि विकलांग बच्चों की पेंशन में उम्र मानक न हो कि 18 साल बाद ही वह पेंशन चालू की जायेगी।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरों का भी और ग्रामीण क्षेत्र का मानक तय है और उसी मानक के अनुसार अभी सर्वे कराया जा रहा है यह अपात्र पाये जाने वाले उसमें हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कहा केवल विकलाँग के लिये ही नहीं ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के लिये सुविधायें देने के लिये हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने तय किया है। गरीबों के उत्थान के लिये आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना तमाम प्रकार की योजनायें चलाई हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें।

हाजी इरफान सोलंकी-

मंत्री जी सवाल क्या है और जवाब क्या दे रहें हैं।

सुश्री अदिति सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैंने दो प्रश्न किये उसका मंत्री जी जवाब देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी अदिति सिंह ने दो योजनाओं के बारे में पूछा है कि यह दो योजनायें संचालित हैं कि बन्द हैं आयुष्मान योजना, बिजली योजना, सौभाग्य योजना यह सब उन्होंने नहीं पूछा है। यह दोनों योजनायें संचालित हैं कि नहीं इतना बता दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह अच्छा नहीं लगता है। यह आचरण विधायक लोगों के लिये अच्छा नहीं लगता।

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अधिष्ठाता जी भारत सरकार की व्यवस्था है कि अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब तक मदद न मिल जाये तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। जहाँ तक सुश्री अदिति सिंह का प्रश्न है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक अपात्र पाये गये कुल चार लाख से अधिक लाभार्थी जिसकी आमदनी से अधिक व्यवस्था है शहरी क्षेत्र में 54,460 ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 जिनकी वार्षिक आमदनी है वह इसके अन्तर्गत पात्र पाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत

जो सर्वे कराया गया है तो 54,39,440 लोगों को जिनको पेंशन दी जा रही थी उसमें से 4,40,165 लोग अपात्र पाये गये हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग अपात्र पाये गये हैं और 47,862 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उनको पेंशन मिल रही थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने इसका सत्यापन शुरू कराया है और सत्यापन जारी है। उसके बाद में इसके लिये हमारी भारत सरकार ने तमाम योजनायें शुरू की हैं। हमने आपसे बताया कि अनेक प्रकार की योजनायें चालू करके सबको लाभान्वित किया जा रहा है।

(इस मध्य नेता, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, श्री अजय कुमार लल्लू सहित विपक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। माननीय लल्लू जी, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब आप लोग बैठ जायें।†

प्रदेश में किसानों को खाद्य एवं बीज क्रय में छूट देने विषयक

***10-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उर्वरकों की आपूर्ति पूर्णतः भारत सरकार के नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा ही उर्वरकों पर अनुदान निर्धारित कर सीधे उर्वरक कम्पनियों को दिया जाता है। उर्वरकों के मूल्य निर्धारण में प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में यूरिया पर लगने वाले अतिरिक्त कर ए0सी0टी0एन0 की समाप्ति हेतु दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है जिससे यूरिया के दामों में कमी आई है।

प्रदेश में किसानों को खरीफ, रबी एवं जायद में विभिन्न फसलों के प्रमाणित एवं संकर बीज क्रय कृषि विभाग द्वारा नामित संस्थाओं से करने पर राज्य सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

***11-श्री सुखदेव राजभर-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

---

† नोट :- नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृत आवेदनों के सम्बन्ध में

***12-श्री अजय कुमार 'लल्लू'**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलावार कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं एवं उक्त में से कितने आवेदन, कितनी अवधि के बाद स्वीकृत किये गये और स्वीकृत आवेदनों में से कितने आवेदनों के लिये कितनी राशि जारी की गयी है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत होने वाले विलम्ब को कम करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलित शब्द के उपयोग के सम्बन्ध में

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में दलित शब्द को प्रयोग आम प्रचलन में है। जो संवैधानिक नहीं है। क्या यह भी सही है कि उक्त शब्द का उच्चारण एक जाति विशेष के लिये किया जाता है जिससे मानहानि एवं अपमान महसूस होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके उच्चारण को प्रतिबन्धित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

'दलित' शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन किया हुआ, जिसके अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण/उत्पीड़न हुआ है।

'दलित' शब्द संवैधानिक शब्द न होने और इस शब्द का उपयोग शासकीय भाषा में न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में

***14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में छात्रावास का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था तथा अब तक कितने

छात्र/छात्रायें छात्रावास में रहकर अध्ययन कर चुके हैं? क्या छात्रावास वर्तमान में संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्रावास संचालित कराकर सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्नगत बालिका छात्रावास के भवन का निर्माण वर्ष 2012 में पूर्ण किया गया है।

जी नहीं।

उक्त छात्रावास को संचालित कराये जाने हेतु आवश्यक पदों के सृजन एव वित्तीय व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं जलभराव से उरद, मूँग, मूँगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि खरीफ फसलों की 70-80 प्रतिशत नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में

***15-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में हुई अतिवृष्टि एवं जलभराव से उरद, मूंग, मूंगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की 70-80 प्रतिशत नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के 31,45,000 कृषि बीमा धारक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उक्त फसल नुकसान के विरुद्ध दावा का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों पर ग्राम पंचायतवार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकड़ों के आधार पर क्षति होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देय होती है।

जनपद शामली को वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित वृद्धावस्था पेंशन विषयक

***16-श्री नाहिद हसन-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निराश्रय वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितनी धनराशि का बजटीय प्रावधान किया गया तथा उक्त प्राविधानित धनराशि वित्तीय वर्ष 2106-17 तथा 2017-18 की तुलना में कितनी अधिक है ? क्या सरकार

बतायेगी कि जनपद शामली को वित्तीय वर्ष 2018-19 में विगत 2 वर्ष की अपेक्षा कितनी अधिक धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत कुल रु0 2560 करोड़ का बजट प्राविधान था। वर्ष 2017-18 में भी रु0 2560 करोड़ का प्राविधान किया गया था। वर्ष 2016-17 में रु0 1550 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में एक समान धनराशि का प्राविधान था। वर्ष 2018-19 में बजटीय प्राविधान वर्ष 2016-17 की तुलना में 1010 करोड़ अधिक था।

जनपद शामली में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 6,94,33,200/- (रुपया छः करोड़ चौरान्बे लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र), वर्ष 2017-18 में रु0 5,10,24,200/- (रु0 पांच करोड़ दस लाख चौबीस हजार दो सौ मात्र) एवं वर्ष 2016-17 में रु0 5,04,18,900/- (रु0 पांच करोड़ चार लाख अट्ठारह हजार नौ सौ मात्र) का बजट आवंटन किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में विगत् दो वर्षों 2016-17 एवं 2017-18 की तुलना में क्रमशः रु0 1,90,14,300/- (रुपया एक करोड़ नब्बे लाख चौदह हजार तीन सौ मात्र) एवं रु0 1,84,09,000/- (रुपया एक करोड़ चौरासी लाख नौ हजार मात्र) अधिक धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रदेश में किसानों के कुल कृषि रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***17-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत कुल कितने किसानों को कृषि रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराये गये तथा उनसे कुल कितने किसानों को लाभ पहुंचा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16,120 कृषकों को अनुदान पर कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराते हुये लाभान्वित किया गया है।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता है।

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

---

† देखिये नत्थी 'ख' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 274-277 पर।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में

1-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की नीति एवं पात्रता क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद-गाजीपुर में वर्तमान में कितने लोग पात्रता के आधार पर उक्त पेंशन पा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन पा रहे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराते हुये लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण, उ0प्र0 की आख्यानुसार वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 की आय सीमा (शहरी क्षेत्र रु0 56,460/-वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/-वार्षिक) में आने वाले 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को रु0 500/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की नीति है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को 04 त्रैमासिक किश्तों में पेंशन धनराशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 दिनांक 29-02-2016 द्वारा आवेदन-पत्र की स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश में योजनान्तर्गत आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन कराते समय आवश्यक संलग्नकों यथा-आयु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, फोटो, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की फोटोप्रति अपलोड कराये जाने का अनिवार्य प्राविधान किया गया है।

जनपद गाजीपुर में वर्तमान में कुल 61,509 पात्र वृद्धजनों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के वृद्धावस्था पेंशन पा रहे लाभार्थियों की सूची sspy-up-gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 6,051 लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे है। लम्बित प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी के लॉगिन से जांचोपरान्त अग्रसारित आवेदन-पत्रों पर तत्काल स्वीकृति की कार्यवाही करते हुये पेंशन भुगतान हेतु डाटा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर फाइनल फ्रीज कर दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के वृद्धा आश्रम वनतारा में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में

2-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 10-01-2019 का पत्र जो वृद्धाश्रम वनतारा, शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच विषयक था समाज कल्याण राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र दिनांक 28-1-2019 को निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को आपके द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

शिकायतें प्राप्त होने पर उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल बरेली से स्थलीय जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे। उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली के पत्र सं0-281/स0क0/उ0नि0/निरी0पत्रा0/2019-20, दि0 08-07-2019 द्वारा जनपद-शाहजहांपुर में संचालित वृद्धाश्रम का स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उनके द्वारा वृद्धजन कल्याण समिति द्वारा वनतारा जनपद-शाहजहांपुर में संचालित वृद्धाश्रम का संचालन सन्तोषजनक रूप से पाये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य, विधान सभा के ही पत्र दिनांक 27-06-2019 जो, मा0 मंत्री, समाज कल्याण को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन एवं निदेशक, समाज कल्याण को पृष्ठांकित हैं, द्वारा जनपद-शाहजहांपुर के उक्त वृद्धाश्रम संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि इस आश्रम के संचालन के सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर उनके द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी से वृद्धाश्रम शाहजहांपुर की जांच कराने की मांग की गयी थी। प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य द्वारा वृद्धाश्रम शाहजहांपुर का स्वयं दिनांक 26-06-2019 को भ्रमण किया गया एवं उ0प्र0 शासन के दिशा-निर्देशानुसार संचालित पाया गया। वृद्धाश्रम सन्तोषजनक अवस्था में संचालित पाया गया एवं वृद्धजन सन्तोषजनक रूप में आश्रम में निवासरत हैं तथा वृद्धाश्रम शाहजहांपुर का संचालन करने वाली संस्था दीपजन कल्याण समिति का कार्य अच्छा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये संचालित विद्यालयों में फर्जी छात्रों की जांच विषयक

3-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये संचालित विद्यालयों में फर्जी छात्र

संख्या की जांच विषयक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 27-03-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

उप निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 10-07-2019 निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-544/स0क0/शिक्षा ब/2019-20, दिनांक 12-07-2019 द्वारा प्राप्त हुई। प्राप्त जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत संस्था के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1354/26-2-2019-75(वि0स0)/2019, दिनांक 17-07-2019 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड के मार्टिनगंज, फूलपुर, निजामबाद, ठेकमा, मुहम्मदपुर के किसानों की मिट्टी के मृदा परीक्षण विषयक

5-श्री सुखदेव राजभर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के खेतों से मिट्टी लेकर मृदा परीक्षण की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, फूलपुर, निजामाबाद, ठेकना, मुहम्मदपुर के कुल कितने किसानों के खेतों से मिट्टी लेकर मृदा परीक्षण किया गया है ? क्या सरकार सैम्पल में पायी गयी कमियों वाले खेतों को उपजाऊ बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज में 5670, फूलपुर में 5728, ठेकमा में 7621, मुहम्मदपुर में 4099 एवं निजामाबाद (रानी की सराय) में 2854 कृषकों के खेतों से मृदा नमूना लेकर क्रमशः 5650, 5707, 7582, 3534 एवं 2807 मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

मृदा नमूना विश्लेषण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के समय मृदा नमूने में पायी गयी कमियों को सुधारने हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कुल वर्ष 2017-2018, 2018-2019 में आवंटित धन के सम्बन्ध में

6-श्री सुखदेव राजभर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कुल कितना धनावंटन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में किया गया एवं उसके सापेक्ष कुल कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ में आवंटित धन के सापेक्ष कुल कितने सामूहिक विवाहों का आयोजन हुआ है तथा कितनी धनराशि वापस की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश के मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल धनराशि रु0 25000.00 लाख (रु0 दो अरब पचास करोड़ मात्र) का आवंटन किया गया, उसके सापेक्ष रु0 7220.49 लाख (रु0 बहत्तर करोड़ बीस लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हुई।

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल धनराशि रु0 25000.00 लाख (रु0 दो अरब पचास करोड़ मात्र) का आवंटन किया गया, उसके सापेक्ष रु0 19493.83 लाख (रु0 एक अरब चौरानबे करोड़ तिरानबे लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हुई।

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	आवंटित धनराशि के सापेक्ष सामूहिक विवाह आयोजन के सम्मिलित जोड़ों की संख्या	सामूहिक विवाह आयोजन में जोड़ों पर व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)	आयोजन के उपरान्त वापस की गयी धनराशि (लाख रु0 में)
2017-18	166.60	31	10.85	155.75
2018-19	331.45	475	224.49	106.96

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में युवाओं के पलायन को रोकने हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने हेतु

7-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में औद्योगिक इकाइयों/औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा 02 मिनी औद्योगिक आस्थानों क्रमशः राजकीय मिनी औद्योगिक आस्थान, रंगरेजपुर विकास खण्ड डुमरियागंज एवं राजकीय मिनी औद्योगिक आस्थान परसा, विकास खण्ड बढ़नी की स्थापना करायी गयी है।

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत 38 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष अनुदानित धनराशि रु0 114 लाख का लक्ष्य दिया गया है।

मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जनपद में 124 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष अनुदानित धनराशि रु0 120.28 लाख आवंटित किया गया है।

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषण सहायता योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर का चयनित उत्पाद काला नमक चावल (उद्योग/सेवा/व्यवसाय) हेतु 15 इकाइयों की स्थापना एवं इसके सापेक्ष अनुदानित धनराशि रु0 75.00 लाख का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं में जनपद सिद्धार्थनगर हेतु कुल 177 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं इसके सापेक्ष रु0 309.28 लाख की अनुदानित धनराशि आवंटित की गयी है।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भारत सरकार की साइट udyogadhar.gov.in पर विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 473 सूक्ष्म लघु विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों का पंजीयन स्वतः इकाई स्वामियों द्वारा कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि की उपज बढ़ाने, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने तथा किसान कल्याण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

8-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों की उपज राष्ट्रीय औसत से कम होने के मद्देनजर किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मुफ्त उपलब्ध कराने, किसानों को

ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक विकास खण्ड पर किसान कल्याण केन्द्र खोलने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज पर केन्द्रीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना आदि के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना एवं संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में विकास खण्डों पर स्थित राजकीय बीज भण्डार जो अत्यन्त जर्जर भवन एवं किराये के भवन में संचालित है, ऐसे विकास खण्डों में से 131 किसान कल्याण केन्द्रों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत हो रहा फर्जीवाड़ा रोकने विषयक

9-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के नाम पर कतिपय संस्थाओं द्वारा केवल ऑनलाइन पंजीकृत कर फर्जी औपचारिकता करके सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों को दंडित करने तथा बेरोजगार युवाओं को उचित प्रशिक्षण तथा अनुदानित आर्थिक सहायता दिलाने के प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों के संचालन व उनकी गुणवत्ता का अनुश्रवण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है तथा उनके गुणवत्ता युक्त संचालित किये जाने की पुष्टि की जाती है।

मिशन को ऐसी प्रतिकूल आख्यायें नहीं प्राप्त हुई हैं जिनसे यह इंगित होता है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मात्र युवाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है अथवा फर्जी औपचारिकताओं को पूर्ण कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के भ्रमण के दौरान व योजनाओं के संचालन में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा यदि कोई शिथिलता/अनियमितता पायी जाती है, तो उनकी रिपोर्ट पर तत्काल, अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुष्ठ रोगियों के आर्थिक सुरक्षा के लिये योजना बनवाने के सम्बन्ध में

10-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की आर्थिक सुरक्षा के लिये उनको अलग से पेंशन योजना में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-89/20151040/65-2-2015-52(विविध)/2015, दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा कुष्ठ रोग के कारण विकलांगजन के लिये आर्थिक सुरक्षा हेतु पेंशन योजना संचालित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को रु0 2500/-(रु0 दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है।

प्रदेश में बहेलिया व अहेरिया जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने विषयक

11-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहेलिया तथा अहेरिया जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक स्थिति एक ही समान है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि बहेलिया समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है किन्तु अहेरिया समुदाय को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के बहेलिया तथा अहेरिया जातियों की समान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को देखते हुये अहेरिया समुदाय को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वर्ष 2014-15 में नृजातीय सर्वेक्षण कराकर संस्तुति रिपोर्ट मा0 मंत्रि-परिषद् से अनुमोदनोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 27-06-2016 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया, जिसे भारत सरकार ने दिनांक 28-12-2016 को अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद-341 के प्राविधानों के अनुसार यह अधिकार भारत की संसद एवं राष्ट्रपति में निहित है।

प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सर्विस रोड के निर्माण हेतु

12-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सर्विस-रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे पर अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार वर्तमान में सर्विस रोड सम्बन्धी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उपर्युक्तानुसार यमुना एक्सप्रेस-वे की अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार मई, 2013 तक यथा आवश्यक 65.00 कि0मी0 की लम्बाई में सर्विस रोड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता बनाने सम्बन्धी

13-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता बनाने हेतु प्रदेश के एशियाई खेल पदक विजेताओं के निर्देशन में उच्च सुविधायुक्त खेल प्रशिक्षण केन्द्र सरकार स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश की प्रतिभाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु खेल विभाग द्वारा 19 जनपदों में 16 खेलों में 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन कराया जा रहा है तथा खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कॉलेजेज क्रमशः गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई (इटावा) की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त खेल विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों मे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त खेल अवस्थापनायें यथा-स्पोर्ट्स स्टेडियम-71, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल-67, तरणताल-38, सिन्थेटिक हाकी मैदान-10, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट-15, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट-11, कुश्ती हाल-11, वेटलिफ्टिंग हाल-11, छात्रावास भवन-18, जिम्नेजियम हॉल-03, फ्लड लाइट युक्त सिन्थेटिक हॉकी मैदान-02, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम-01, स्पोर्ट्स कालेज-03, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स-03, शूटिंग रेन्ज-05, सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक-02 तथा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जिम हॉल-17 इत्यादि का निर्माण करया गया है। इस खेल अवस्थापनाओं के नियमित एवं अधिकाधिक सदुपयोग हेतु विभिन्न खेलों के विभागीय प्रशिक्षक (क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी,

सहायक प्रशिक्षक) तथा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कराया जाता है।

जनपद आजमगढ़ मण्डल में क्षेत्र एवं जनता के विकास की दृष्टि से भारी उद्योगों को खोलने के सम्बन्ध में

14-श्री नफीस अहमद-

क्या औद्योगिक विकस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ मण्डल में भारी उद्योग की स्थापना न होने से इस क्षेत्र में पिछड़ापन है? यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों में उद्योग लगाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट 2018 के आयोजन एवं उ0प्र0 औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित कर भारी उद्योग स्थापित किये जाने हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जा रहा है किन्तु आजमगढ़ मण्डल के किसी भी जनपद में भारी उद्योग का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन एवं आवेदक श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री शिवचरण के आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या 312120525251 दिनांक 24/04/2018 एवं श्रीमती रामकुमारी पत्नी श्री पंचम सिंह आवेदन संख्या 312120511511 दिनांक 05/03/2018 एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद राठौर पुत्र श्री राधा किशन राठौर आवेदन संख्या 312120527311 दिनांक 02/05/2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

15-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील, फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेशन के आवेदक श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री शिवचरन आवेदन रजिस्ट्रेशन संख्या 312120525251 दिनांक 24.04.2018, श्रीमती रामकुमारी पत्नी श्री पंचम सिंह आवेदन संख्या 312120511511 दिनांक 05.03.2018 एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद राठौर पुत्र श्री राधा किशन राठौर आवेदन संख्या 312120527311 दिनांक 02.05.2018 के आवेदन कितने समय तक जाँच हेतु सदर तहसील में लम्बित रहे हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरणों के साथ-साथ सदर तहसील फिरोजाबाद में पिछले 1 वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में समाजिक क्षेत्र की लाभार्थी योजनाओं के आवेदनों को जानबूझ कर महीना लम्बित रखते हुये शासन की छवि धूमिल करने

वाले भ्रष्ट अधिकारियों की जाँच कराते हुये कठोर कार्रवाई करने का कार्य करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद के तहसील सदर में श्रीमती भगवान देवी, पत्नी श्री शिवचरन के आवेदन पत्र संख्या-312120525251 दिनांक 24.04.2018, श्रीमती राम कुमार पत्नी श्री पंचम सिंह के आवेदन पत्र संख्या 312120511511 दिनांक 05.03.2018 एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद राठौर, पुत्र श्री राधा किशन राठौर के आवेदन पत्र संख्या 312120527311 दिनांक 02.05.2018 के आवेदन पत्र क्रमशः 46 दिन, 115 दिन एवं 67 दिन तक तहसील सदर में लम्बित रहे।

उक्त विलम्ब के लिये तहसीलदार सदर, फिरोजाबाद के पत्रांक-मेमो/लो0आ0 दिनांक 09.08.2018 द्वारा सम्बन्धित लेखपाल श्री राधेश्याम, क्षेत्र प्रेमपुर रैपुरा, तहसील सदर, फिरोजाबाद को आवेदन-पत्र पर समय से आख्या अंकित न किये जाने के कारण कठोर चेतावनी दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न दस्ताकारियों को बढ़ावा दिये जाने सम्बन्धी

16-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दस्ताकारी को बढ़ावा देने हेतु दस्तकारों को प्रशिक्षण देने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने, बिक्री केन्द्र खोलने तथा सरकारी अनुदान आधारित कम ब्याज पर ऋण दिलाने की कोई योजना सरकार की है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों/दस्तकारी के लिये वर्तमान में हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्पियों के हस्तशिल्प कौशल उन्नयन विकास प्रशिक्षण एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के हस्तशिल्पी/दस्तकार उद्योग लगाये जाने हेतु लाभ प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के भारतीय नीति आयोग के सुझावों पर अमल किये जाने की योजना सम्बन्धी

17-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि भारतीय नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कौन-कौन से सुझाव दिये गये थे? क्या सरकार ने उन सुझावों पर अमल करने की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

नीति आयोग द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु गठित संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव एवं उसके समयबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

जी हाँ।

उक्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य बिन्दु हैं :-

केन्द्रीय योजनाओं की विकास परख पहल।

राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित बीज आपूर्ति हेतु बीज आपूर्तिकर्ता एजेन्सी (पब्लिक एण्ड प्राइवेट) से 3 वर्ष का अनुबन्ध किया जाना।

प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार की भांति बीज प्राप्त करने वाली बीज आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा बीज उत्पादन किसानों को बीज के मूल्य का सीधे एवं आंशिक भुगतान किया जाना।

प्रदेश में कृषि शोध को पुनर्जीवित किया जाना। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे आई0आर0आर0आई0, सी0आई0एम0 एम0आई0टी0, आई0एम0डब्ल्यू0एम0आई0 आदि से सम्पर्क कर आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा दिया जाना।

प्रदेश के किसानों एवं प्रतिस्पर्धा बाजार हेतु उचित मूल्य का वातावरण तैयार करना।

कृषकों की कृषि भूमि को एक दूसरे को हस्तान्तरित करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी को कम करना एवं माडल लैण्ड लीज लॉ को लागू कर लैण्ड लीज मार्केट को उदार बनाना।

समस्त महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी को नियंत्रित करने के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना। जैव रसायन को प्रोत्साहित करने हेतु नेशनल सेण्टर फार आर्गेनिक फार्मिंग, गाजियाबाद द्वारा विकसित तकनीक का प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा किया जा सकता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार किसानों के प्रक्षेत्रों पर वृक्षों की कटाई एवं ढुलाई में छूट प्रदान करना एवं काष्ठ आधारित उद्योग हेतु लाइसेन्स निर्गत करना। जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार किसानों के परिक्षेत्र पर वनीकरण को बढ़ावा देते हुये मेड़ पर पेड़ के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई विकास की रणनीति को प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अपनाया जाना। खरीफ में आच्छादन को बढ़ाकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना

प्रथा को कम किया जा सकता है, इस प्रथा को कम करने के लिये खरीफ में 70 प्रतिशत क्षेत्रफल में बुआई सुनिश्चित किया जाना। प्रथम 3-4 वर्षों तक किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराने से किसानों में अन्ना तथा समाप्त कराने के प्रति उत्साह पैदा होगा जिससे खरीफ में पशुओं से होने वाली क्षति स्वतः नियंत्रित हो जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूपों को उर्जीकृत कर कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाया जाना।

प्रदेश सरकार द्वारा पालतू जानवरों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधन को बढ़ावा दिया जाना।

प्रदेश सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 की भांति प्रसार कार्य हेतु कास्ट इफेक्टिव नवोन्मेशी मॉडल को अपनाया जाना एवं ग्राम स्तर पर अनुबन्ध के आधार पर कृषि मित्र का उपयोग किया जाना।

संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ इस प्रकरण में कृषि उत्पाद में राज्य के अंश की तुलना में संस्थागत ऋण के अंश में साझा करना।

प्रदेश सरकार द्वारा नीति आयोग के सुझाव के अनुसार प्राथमिकता पर कृषि रिफार्म एजेण्डा को लागू किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में बेरोजगार युवकों के सम्बन्ध में

18-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोरांव विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रयागराज में बेरोजगार युवक, युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान सरकार स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

सोरांव विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज (पूर्व जनपद-इलाहाबाद) के बेरोजगार युवक, युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-655/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2015-01(एस0एन0डी0)/2013 दिनांक 25-02-2015 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोरांव के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोरांव के नवनिर्मित भवन का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने एवं प्रोत्साहन भत्ता देने विषयक

19-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, विकास एवं उपकरण की योजना राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10(4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ड्राप कर दी गयी है।

प्रदेश के पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द सरकारी उद्योगों को चलाने हेतु

20-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े सरकारी उद्योगों को चलाने हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिये उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गई है।

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज व बिलरियागंज में किसानों के हुये बीमा के सम्बन्ध में

21-श्री नफीस अहमद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज व बिलरियागंज में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल कितने किसानों का बीमा किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज व बिलरियागंज में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल 12835 कृषकों का बीमा किया गया।

विवरण निम्नवत् है :-

मौसम	विकास खण्ड	बीमित कृषकों की संख्या
खरीफ 2017	बिलरियागंज	2610
	महाराजगंज	1529
रबी 2017-18	बिलरियागंज	2073
	महाराजगंज	1204
खरीफ 2018	बिलरियागंज	1579
	महाराजगंज	1375
रबी 2018-19	बिलरियागंज	1440
	महाराजगंज	1025

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सहारनपुर के वर्ष 2017-2018 में कुल आवंटित शादी अनुदान के सम्बन्ध में

22-श्री संजय गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में शादी अनुदान के कितने पात्र अभ्यर्थियों को शादी अनुदान दे दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद-सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत कुल 1884 पात्र लाभार्थियों को अनुदान दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद में कोयले वाली भट्ठियों को प्रदूषण मुक्त गैस भट्ठियों में बदले जाने सम्बन्धी

23-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर में कोयले के प्रयोग से चल रही ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पीतल भट्ठियों को कम प्रदूषण फैलाने वाली आधुनिक गैस भट्ठियों में परिवर्तित करने हेतु सरकारी सहायता या अनुदान देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

कोयले के प्रयोग से चल रही ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पीतल भट्टियों को कम प्रदूषण फैलाने वाली आधुनिक गैस भट्टियों में परिवर्तन करने हेतु पृथक से कोई योजना नहीं हैं, अपितु सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त सूक्ष्म व लघु उद्योगों के तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु तकनीकी उन्नयन योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु क्रय की गयी प्लान्ट एवं मशीनरी पर अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें प्रदूषण कम किये जाने से सम्बन्धित तकनीक भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कृषि उत्पाद खरीद केन्द्रों को पर्याप्त खरीद केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी

24-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किस-किस कृषि उत्पाद को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु सरकारी खरीद केन्द्र स्थापित किये जाते हैं ? क्या अवशेष उत्पादों सहित समस्त खरीद केन्द्रों पर उक्त खरीद की व्यवस्था वर्ष पर्यन्त करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में गेहूं, धान, मक्का, चना, मसूर, सरसों, उर्द, मूंग एवं मूंगफली की सरकारी समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु क्रय केन्द्र स्थापित किये जाते हैं।

जी नहीं।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उक्त फसलों का क्रय मुख्यतः भारत सरकार की अनुमति/निर्देश के क्रम में निर्धारित अवधि (सामान्यतः 90 दिन) के लिये किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

25-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद-शाहजहांपुर के विनोवा आश्रम स्थित के सम्बन्ध में

26-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विनोवा आश्रम स्थित वृद्धाश्रय में फर्जी बुजुर्गों को दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

शिकायतें प्राप्त होने पर उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल बरेली से स्थालीय जाँच कराये जाने के आदेश दिये गये थे। उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली मण्डल बरेली के पत्र सं0-281/स0क0/ उ0नि0/निरी0 पत्रा0/2019-20, दिनांक 08-07-2019 द्वारा जनपद शाहजहांपुर में संचालित वृद्धाश्रम का स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उनके द्वारा दीपजन कल्याण समिति द्वारा बनतारा जनपद शाहजहाँपुर में संचालित वृद्धाश्रम का संचालन सन्तोषजनक रूप से पाये जाने का अल्लेख किया गया है। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, विधान सभा के ही पत्र दिनांक 27-06-2019, जो माननीय मंत्री, समाज कल्याण को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, समाज कल्याण को पृष्ठांकित है, द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के उक्त वृद्धाश्रम संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि ''इस आश्रम के संचालन से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से वृद्धाश्रम शाहजहाँपुर की जाँच कराने की मांग'' की गयी थी। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा वृद्धाश्रम शाहजहांपुर का स्वयं दिनांक 26-06-2019 को भ्रमण किया गया एवं उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार संचालित पाया गया। वृद्धाश्रम सन्तोषजनक अवस्था में संचालित पाया गया एवं वृद्धजन सन्तोषजनक रूप से आश्रम में निवासरत है तथा वृद्धाश्रम शाहजहाँपुर का संचालन करने वाली संस्था दीपजन कल्याण समिति का कार्य अच्छा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के तहसील सदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान एवं रामसुत पत्र श्री नाथूराम निवासी मौहल्ला करबला गली नं0-9/1 द्वारा दिनांक 31/01/2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

27-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर फिरोजाबाद में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत रामसुत पुत्र श्री नाथूराम निवासी-मोहल्ला करबला गली नं0-9/1 द्वारा दिनांक 31-01-2018 को ऑनलाइन आवेदन किया था? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त प्रकरण में तहसील सदर फिरोजाबाद द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन एवं ऑलाइन अग्रसारण अत्यन्त विलम्ब से किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। सदर तहसील फिरोजाबाद के स्तर से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों को कार्य में विलम्ब के लिये चेतावनी निर्गत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य ऋण राहत आयोग गठित किये जाने सम्बन्धी

28-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केरल राज्य की भांति कृषि क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने व ऋण वसूली रोकने आदि अधिकारी से संपन्न ''राज्य ऋण राहत आयोग'' गठित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

केरल राज्य की भाँति कृषि क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने व ऋण वसूली रोकने आदि अधिकारों से सम्पन्न ''राज्य ऋण आयोग'' गठित करने के सम्बन्ध में कृषि विभाग में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री वीर विक्रम सिंह प्रिन्स-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी

30-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किस-किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं ? क्या सरकार प्रदेश में नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

राज्य क्षेत्र में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में चार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/फैजाबाद/मेरठ/बांदा निजी क्षेत्र में सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी स्थापित है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद-आजमगढ़ में पठन-पाठन वर्ष 2018 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद-गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) तथा जनपद लखीमपुर-खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) निर्माणाधीन है। सम्प्रति राज्य क्षेत्र के उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत नव निर्मित महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किये जाने का अवसर नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-गाजीपुर के छपरौली में बालिकाओं के लिये खेलकूद महिला विश्वविद्यालय खोलवाने विषयक

31-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं हेतु एक नया खेलकूद महिला विश्वविद्यालय सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गाजीपुर के गौराबाजार में एक स्टेडियम तथा श्री मेघबरन सिंह स्टेडियम, करमपुर सैदपुर में सिन्थेटिक हॉकी मैदान निर्मित है। इसके अतिरिक्त जनपद-गाजीपुर छावनी लाइन, एन0जेड0ए0 में रु0 470.44 लाख की लागत से एक नवीन स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।

जनपद-फिरोजाबाद के वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रेषित पत्र संख्या-4642-45 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

32-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत गत वर्ष के 1037, नवीन फाइनल फीज 3335 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में फाइनल फीज 2217 के कुल 6585 वंचित पात्र नवीन वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृत/वितरण कराने हेतु जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या-4642-45/स0क0/वृ0/पें0यो0/2018-19, दिनांक 05-11-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्यानुसार तहसील सदर फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष के 1037, नवीन फाइनल फ्रीज 3335 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करते हुये भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर को प्रेषित पत्र संख्या मीमों/उपरोक्त तद्दिनांक 04-02-2019 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

33-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय औद्योगिक आस्थान, नंगला भाऊ, फिरोजाबाद में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु स्थापना के समय से ही भूमि रिक्त है ? यदि हां, तो शत-प्रतिशत स्थापित औद्योगिक इकाइयों वाले इस औद्योगिक आस्थान में रिक्त भूमि पर प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर को प्रेषित पत्र संख्या मीमो/उपरोक्त तद्दिनांक 04-02-2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

जी हां।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 12-7-2019 द्वारा प्रश्नगत प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु आगणन गठित कर उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के कांच निर्यात के सम्बन्ध में

34-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात निरीक्षण एजेंसी, आगरा द्वारा पूर्व में जनपद फिरोजाबाद के निर्यातकों के परचेज आर्डर को पूरे आर्डर के अनुसार एस0ए0एफ0टी0ए0 (साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया) का घोषणा-पत्र जारी किया जाता था, को रोकते हुये अनिवार्य रूप से प्रत्येक बिल इनवायस पर एस0ए0एफ0टी0ए0 के घोषणा-पत्र को संलग्न कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि प्रत्येक ट्रक बिल इनवायस पर अलग से एस0ए0एफ0टी0ए0 की घोषणा-पत्र आगरा से प्राप्त करने में फिरोजाबाद के निर्यातकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां भी एक-दो दिन खड़ी रहती है एवं जिसका अतिरिक्त चार्ज निर्यातकों को देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि निर्यात निरीक्षण एजेंसी, आगरा द्वारा फिरोजाबाद के निर्यातकों को बिना पूर्व चर्चा/सूचना के अपने कार्यालय के बाहर, कार्यालय को 01-03-2019 से बंद कर दिये जाने सम्बन्धी नोटिस लगा दिये जाने से निर्यात निरीक्षण एजेंसी को आगरा से हटाये जाने पर फिरोजाबाद के कांच उत्पादों के निर्यात में बहुत गिरावट आयेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद के कांच

निर्यात के प्रोत्साहन हेतु पूर्व की भांति पूरे परचेज आर्डर एस0ए0एफ0टी0ए0 जारी कराने एवं निर्यात निरीक्षण कार्यालय आगरा में ही बनाये रखने अथवा फिरोजाबाद में स्थापित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रकरण भारत सरकार से संबंधित होने के कारण जनपद-फिरोजाबाद के निर्यातकों की उक्त समस्या के समाधान हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत् है :-

फिरोजाबाद के निर्यातकों की समस्याओं को संज्ञान में रखते हुये ई-मेल दिनांक 6-2-2019 द्वारा पूर्व में ही साफ्टा जारी करने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

एक साफ्टा प्रमाण-पत्र एक बिल/इनवाइस पर जारी होता है। एक बिल का तात्पर्य यहां एक ट्रांसपोर्ट दस्तावेज के सहित क्रेता को भेजी जाती है, यदि ट्रांसपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो एक बिल/इनवाइस को एक परेषणावार (Consignment) मान लिया जाता है। मूल प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रपत्र संख्या-EIC/CoO-PS/Ex.Inst/Jan/2017 issue 01 खण्ड III के e में उपलब्ध है, जो कि निर्यात निरीक्षण परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निर्यात निरीक्षण एजेंसी, दिल्ली के मुख्यालय के उप-कार्यालय आगरा को बंद/विलय करने के सम्बन्ध में वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 16012/32/2017 अनुवर्ती आदेश दिनांक 21 मई, 2018 जो ई0आई0सी0/ई0आई0 के पुनर्गठन के सन्दर्भ में है, सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन/नीतिगत कारणों के पश्चात् 31 मार्च, 2019 तक बंद/विलय करने का निर्णय लिया गया है।

यह भी उल्लेख करना है कि ऑनलाइन सुविधा होने के कारण कोई भी निर्यातक कहीं से भी अविलम्ब सुविधा का लाभ ले सकता है तथा कार्यालय में आय के स्रोत में कमी होने की वजह से भी उप कार्यालय को सुचारु रूप से जारी रखना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

युवा कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनायें चलाये जाने सम्बन्धी

35-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में गठित युवक/महिला मंगल दलों के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव, ब्लाक व जिला स्तर पर खेल का मैदान, खेल प्रशिक्षक, विभिन्न खेल किटों की उपलब्धता की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत एवं ब्लाक पर खेल मैदान एवं खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर खेल मैदान हेतु भूमि की उपलब्धता के अनुसार मनरेगा के माध्यम से खेल मैदान विकसित किये जाते है। जनपद स्तरीय खेल मैदान खेल विभाग द्वारा तैयार कराये जाते हैं। युवक एवं महिला मंगल दल के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट की उपलब्धता के आधार पर चयनित मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरित की जाती है।

नगर निगम फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत धनराशि विषयक

36-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में अवशेष धनराशि के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों का चयन कर सामूहिक विवाह कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

नगर निगम फिरोजाबाद में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे के सटे हुये ग्राम सभाओं में सरकारी प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल खोलने सम्बन्धी

37-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे में जनपद मथुरा की कतिपय ग्राम सभाओं की जमीनों के अधिग्रहण किये जाने की मुआवजा धनराशि लगभग रु0 10 करोड़ राजस्व खाते में जनपद मथुरा में जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि का उपयोग जनपद मथुरा के सरकारी प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जैसे जनहित के कार्यों में खर्च करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे में जनपद-मथुरा की कतिपय ग्राम सभाओं की जमीनों के अधिग्रहण किये जाने की मुआवजा धनराशि रु0 14,92,91,236.00 लेखाशीर्षक 0029-भू राजस्व-800-

अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-06-प्रकीर्ण प्राप्तियां में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में तत्समय जमा कराया गया है। इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2018 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के क्रम में दोषियों पर कार्रवाई सम्बन्धी

38-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2018 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के क्रम में क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की 11 सहकारी समितियों द्वारा अनुदान राशि में की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में गठित कमेटी में जांच पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रश्नगत प्रकरण में समितियों से सम्बन्धित बुनकर सर्वश्री एहतेशाम, राधेश्याम, रामबली एवं मंगल चन्द्र आदि ने इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को जनसुनवाई समन्वित शिकायत प्रणाली में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसका सन्दर्भ संख्या-15191180171372 दिनांक 08-08-2018 है, जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-393 दिनांक 21-08-2018 द्वारा आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ से एक समिति गठित कर जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पूर्व में प्रेषित जांच रिपोर्ट का परीक्षण एवं सम्बन्धित समितियों के अभिलेख का परीक्षा एवं जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पुनः निदेशालय के पत्र संख्या-712, दिनांक 20-12-2018, पत्र संख्या-01, दिनांक 05-04-2019 एवं पत्र संख्या-02 दिनांक 27-06-2019 द्वारा आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ से शीघ्र जांच आख्या प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा चुका है। आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ से अभी तक जांच आख्या प्रतीक्षित है।

जांच आख्या प्रतीक्षित।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के सदर तहसील के अन्तर्गत पेंशन के पात्र आवेदकों एवं आवेदन संख्या 312110487861 दिनांक 26/12/2017 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

39-श्री मनीश असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद सदर तहसील स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन के पात्र आवेदकों की जाँच आख्या समय से पूरी नहीं किये जाने के कारण पात्र लाभार्थी वृद्धजनों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है? क्या उक्त प्रकरणों में

मीरा जैन पत्नी श्री टीकम चन्द्र, निवासी-524, नई बस्ती, फिरोजाबाद जिसका आवेदन संख्या 312120487861 दिनांक 26.12.2017 सहित आवेदनों को महीनों रोकने के मामलों को संज्ञान में लेते हुये उक्त प्रकरण के साथ-साथ पिछले 01 वर्ष में इसी प्रकार के कई-कई महीनों तक रोके गये आवेदनों के लिये जिम्मेदार लापरवाह एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कराने एवं दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क्रमशः क-6 नं0 247079 दिनांक 14.12.2018, पत्र संख्या क-6 नं0 247077 दिनांक 14.12.2018 एवं पत्र संख्या क 6 नं0 247074 दिनांक 14.12.2018 उन्हें प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

इस सम्बन्ध में प्राप्त जिलाधिकारी, फिरोजाबाद आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद के तहसील सदर में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र आवेदकों की लम्बित जांच आख्या समय से पूर्ण करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक-3463-66 दिनांक 28 अगस्त, 2018 एवं जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांक-सी-4548 दिनांक 16 फरवरी, 2018 तथा पत्रांक-सी-1554 दिनांक 29 जून, 2019 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

श्रीमती मीरा जैन, पत्नी श्री टीकम चन्द्र नि0-524, नई बस्ती, फिरोजाबाद की वृद्धावस्था पेंशन 15 मार्च, 2014 को स्वीकृत हुई थी। दिनांक 17-02-2015 को प्रथम बार इनके बैंक खाते में रु0 2100.00 पेंशन की धनराशि प्रेषित की गयी। उक्त समय से श्रीमती मीरा जैन, पत्नी श्री टीकम चन्द्र जैन को वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सतत् रूप से इनके बैंक खाता संख्या-0173000102541879 पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य फिरोजाबाद में प्रेषित की जा रहीं हैं, जिसका पंजीकरण संख्या-31212015458 है।

माननीय सदस्य के प्रश्न में अंकित श्रीमती मीरा जैन के आवेदन संख्या-312120487861 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती मीरा जैन, पत्नी श्री टीकम चन्द्र के द्वारा उक्त योजनान्तर्गत पुनः आवेदन किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या-312120487861 है। पूर्व से पेंशन प्राप्त होने के कारण उक्त पंजीकरण आवेदन-पत्र को DUPLICATE ACCOUNT DETAIL होने के कारण आवेदन-पत्र ब्लॉक किया गया है।

माननीय सदस्य के पत्रों के क्रम में समस्त सम्बन्ति अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना करने के सम्बन्ध में

40-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी, हाँ।

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक 22 किसानों के प्रक्षेत्रों पर सोलर फोटोवोल्टैइक इरिगेशन पम्प स्थापित कराये गये हैं। वर्ष 2019-20 में 18 नये कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना प्रक्रिया में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में दिव्यांगों को दी जाने वाले मोटर चलित साइकिल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

41-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में दिव्यांगों को दी जाने वाली मोटर चलित साइकिल मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग के अनुरूप मोटर चलित साइकिल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर-

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 में किये गये प्राविधान के अनुसार पात्र दिव्यांगजन को अधिकतम रु0 10000/-तक का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत यथास्थिति हस्तचालित ट्राई-साइकिल दी जाती है। उक्त नियमावली में मोटर चालित साइकिल दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में बन्द पड़ी सरकारी कताई मिल मऊ आइमा को पुनः संचालित करने सम्बन्धित

42-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में बन्द सरकारी कताई मिल, मऊ आइमा को पुनः संचालित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

लगातार हो रहे घाटे, टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त मंदी, विपरीत बाजारीय परिस्थितियों तथा जर्जर वित्तीय स्थिति के कारण कालान्तर में कार्यशील पूंजी के अभाव में मऊ आइमा कताई मिल बन्द हो गई, जिसके समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा अगस्त, 2010 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का हितलाभ प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई के आदेशानुसार मऊ आइमा, कताई मिल परिसमापनाधीन है तथा कताई मिल मऊ आइमा की परिसम्पत्तियां परिसमापक (जिलाधिकारी, प्रयागराज) के अधीन है।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तरीय खेल कूद स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में

43-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोरांव में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेंशन योजनाएं एवं श्रीमती कुसुम जैन पत्नी श्री पवन कुमार के आवेदन संख्या-312120570281 चालान नं0-17, दिनांक 01-11-2018 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

44-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील-फिरोजाबाद में श्रीमती कुसुम जैन पत्नी श्री पवन कुमार के द्वारा आनलाइन आवेदन-पत्र संख्या 312120570281 की फोटो कापी पर तहसील सदर द्वारा चालान नं0 17, दिनांक 01-11-2018 पर पात्र अंकित करा गया है, परन्तु पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे विवरण के अनुसार उक्त आवेदन-पत्र उप जिलाधिकारी, सदर तहसील के लॉगइन पर स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण सहित तहसील सदर, फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाने वाली सामाजिक क्षेत्र की पेंशन योजनाओं के निस्तारण में विलम्ब करने/घोर लापरवाही करते हुये जान बूझकर शासन की छवि को धूमिल करने वाले भ्रष्ट

अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने एवं दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने पर विचार करगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

इस सम्बन्ध में प्राप्त जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की आख्यानुसार जनपद-फिरोजाबाद के तहसील सदर में श्रीमती कुसुम जैन, पत्नी श्री पवन कुमार के द्वारा ऑनलाइन कराये गये आवेदन-पत्र संख्या-312120570281 तहसील सदर के चालान नं0-17, दिनांक 01-11-2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उप जिलाधिकारी, सदर द्वारा उक्त आवेदन-पत्र, दिनांक 11-02-2019 को स्वीकृत किया गया है।

तहसीलदार सदर फिरोजाबाद के पत्रांक-मेमो/लो0आ0 दिनांक 09-08-2018 द्वारा संबंधित लेखपाल तहसील सदर फिरोजाबाद को आवेदन-पत्र पर समय से आख्या अंकित न किये जाने के कारण कठोर चेतावनी दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लॉक बहरियाँ के अन्तर्गत किरांव चौराहे पर बीज गोदाम का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में

45-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक बहरियां के अन्तर्गत किरांव चौराहे पर बीज गोदाम का नवनिर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक बहरिया के अन्तर्गत मैलहन में एक राजकीय कृषि बीज गोदाम कार्यशील है जो कि किरांव चौराहे से 8 कि0मी0 की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक बहरियां में स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र छाता में एक नवीन किसान कल्याण केन्द्र (मल्टी परपज सीड स्टोर) निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में कृषि श्रमिकों व किसानों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा किसी विशेष आयोग का गठन किये जाने सम्बन्धी

46-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषि श्रमिकों एवं किसानों की साझा समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार किसी आयोग का गठन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

श्रमिकों का प्रकरण श्रम विभाग के द्वारा व्यवहारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को खोज कर आगे बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने सम्बन्धी

47-हाजी इरफान सोलंकी तथा श्री मो0 फईम इरफान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की खोज करके, बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक गांव में क्रीड़ा सुविधाएं विकसित करने एवं क्रीड़ाश्री जैसे प्रशिक्षक की पुनः तैनाती करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा संचालित पायका योजना (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान) दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से परिवर्तित होकर राजीव गांधी खेल अभियान एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से खेलों इण्डिया के नाम से संचालित है। योजना परिवर्तित हो जाने के कारण तैनात क्रीड़ाश्री को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से न रखे जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में क्रीड़ाश्री की तैनाती नहीं की जानी है। गांवों में क्रीड़ा मैदान मनरेगा के माध्यम से विकसित किये जाने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश बीज विभाग निगम द्वारा इटावा में किये गये घोटाला प्रकरण में जांच की प्रगति सम्बन्धी

48-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा इटावा में विभिन्न बीजों की आपूर्ति में प्रकाश में आए 90 लाख रुपये के घोटाला प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा प्रारम्भिक जांच कराई गई। प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी दो विपणन अधिकारी, एक शैक्षिक सहायक, परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, कानपुर को निलम्बित करते हुये दिनांक 08 जनवरी, 2019 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है।

शासन स्तर से भी शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 मई, 2019 द्वारा विशेष सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच कराई जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त प्रकरण की थाना-कल्याणपुर, जनपद-कानपुर नगर में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सहायता हेतु किसानों का एक बार में संयुक्त पंजीकरण कराने विषयक

50-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को कृषि सम्बन्धी सहायता योजनाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत, कृषकों का संयुक्त अनिवार्य पंजीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन, अनुदानों के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) तथा समस्त योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर समस्त कृषकों का पंजीकरण किया जा रहा है।

उद्यान एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा भी उक्त पोर्टल का उपयोग कृषकों को लाभान्वित किये जाने वाली योजनाओं में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में शादी समारोह में हो रहे फिजूलखर्ची की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

51-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शादी व अन्य सामाजिक समारोहों में हो रही फिजूलखर्ची एवं भोजन की बर्बादी रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की प्रचलित नीति नियमों से आच्छादित नहीं है।

प्रदेश में प्राइज सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत चना, मसूर एवं सरसों के क्रय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार कृषि भवन द्वारा जारी पत्र संख्या-एफ, नं0-एल-15016/32/2019-एमपीएस दिनांक 08-04-2019 पर कार्रवाई हेतु

52-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी सत्र 2018-19 के लिए प्राइज सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत चना, मसूर एवं सरसों के उत्पादों को किसानों से क्रय करने विषयक मैनेजिंग डायरेक्टर, एन0ए0एफ0ई0डी0 को सम्बोधित एग्रीकल्चर, को-आपरेशन एण्ड फारमर्स वेलफेयर, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ0, नं0-एल 15016/32/2019- एमपीएस, दिनांक 8 मार्च, 2019 की प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

भारत सरकार के उक्त पत्र के माध्यम से चना, मसूर एवं सरसों की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत क्रय किये जाने की अनुमति प्राप्त हुई। तत्क्रम में जनपद-आगरा में 01, मथुरा में 01, कानपुर नगर में 01, कानपुर देहात में 01, बरेली में 01, बांदा में 01, गोण्डा में 01 तथा जनपद झांसी में 01 क्रय केन्द्र खोलते हुये सरसों की 1455.750 मै0टन, चना की 743.400 मै0टन तथा मसूर की 162.850 मै0टन (कुल 2362.00 मै0टन) का क्रय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड में निर्माण हो रहे डिफेन्स कारीडोर द्वारा जमीन अधिग्रहण किसानों के परिवारों को रोजगार देने विषयक

53-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बनाये जा रहे डिफेंस कारीडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से भूमिहीन हो रहे किसानों के परिवारों को रोजगार देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डिफेन्स कारीडोर परियोजना हेतु चिन्हांकित नोड्स के अन्तर्गत जनपद झांसी, चित्रकूट व जालौन में भूमि उपलब्ध कराने के लिये ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' के अन्तर्गत

अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी, अपितु भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि बैनामा द्वारा क्रय की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के मण्डी समिति परिसरों में कृषकों को अनुदानित खाना और मुफ्त रात्रि विश्राम की सुविधा आरम्भ किये जाने विषयक

54-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2018 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन मण्डी समिति परिसरों में कृषकों को अनुदानित दर पर जलपान/आहार और मुफ्त रात्रि विश्राम की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

मण्डी समिति परिसरों में कृषकों को मुफ्त रात्रि विश्राम की सुविधा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में 70 मण्डी स्थलों में कृषकों के विश्राम हेतु निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। उक्त की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

कृषकों को अनुदानित दर पर जलपान/आहार की सुविधा अभी प्रारम्भ नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मण्डी स्थलों में वर्तमान में इसके लिये आवश्यक अवस्थापना सुविधायें विकसित की जा रही हैं। अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है :-

प्रदेश में कुल 251 मण्डी समितियों अधिसूचित हैं। वर्तमान में 220 नवीन मण्डी स्थल निर्मित हैं। निर्मित 220 मण्डी स्थली में से मात्र 114 मण्डी समितियों में कैन्टीन अनुबन्ध/ठेके पर प्राईवेट वेन्डर्स द्वारा संचालित हैं, जिनमें 81 मण्डी समितियों में भुगतान के आधार पर जलपान की व्यवस्था है एवं 33 मण्डी समितियाँ में भुगतान के आधार पर भोजन व जलपान दोनों की व्यवस्था है।

प्रदेश के 27 मण्डी स्थलों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है, जिसमें कैण्टीन निर्माण की अवस्थापना सुविधायें भी सम्मिलित हैं।

प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक गेहूँ की खरीद वाली मण्डल समितियों में जलपान/आहार अनुदानित दर पर उपलब्ध करायें जाने का लक्ष्य था, किन्तु तत्समय लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 आदर्श आचार संहित प्रभावी होने के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद के समय चरणबद्धरूप से मण्डी समितियों में अनुदानित दर पर जलपान/आहार की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

---

* देखिये नत्थी 'ग' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 278-279 पर।

उपरोक्तानुसार।

55-श्री मो0 फईम इरफान-

[दिनांक 24-07-2019 को अता0प्र0सं0-183 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के बुन्देलखण्ड के बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को डिफेन्स कारीडोर से जोड़ने की कार्य योजना बनाने विषयक

56-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड के उद्यमियों एवं किसानों के हित को देखते हुये झांसी के एरच कस्बे के निकट बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को डिफेन्स कारीडोर से जोड़ने की कार्य योजना सरकार बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश महाना-

प्रस्तावित डिफेंस कॉरीडोर जनपद झांसी में एरच कस्बे के निकट प्रस्तावित हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पूंछ बाईपास मार्ग पर लगभग 6.5 किमी0 (एम0डी0आर0-31बी) दूर स्थित एरच कस्बे से लगभग 1.5 किमी0 एरच बेंदा मार्ग के दोनों ओर स्थित है।

पूंछ-एरच मार्ग पर 4 किमी0 की दूरी पर बेलवा नदी है जिस पर सेतु निर्मित है। प्रस्तावित डिफेंस कॉरीडोर की दूरी बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निम्नवत् है :-

डिफेंस कॉरीडोर से पूंछ बाईपास की दूरी-8 किमी0 (लगभग)।

राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पूंछ-एराच मार्ग के उदगम स्थल से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे व राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के जक्शन की दूरी-35 किमी0 (लगभग)।

डिफेंस कॉरीडोर से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की दूरी-(8+35)=43 किमी0।

अतः उक्तानुसार प्रस्तावित बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे डिफेंस कॉरीडोर से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्तानुसार।

57-श्री मो0 फईम इरफान-

[दिनांक 24-07-2019 को अता0प्र0सं0-180 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के किसानों को अच्छे बीज, ब्याज मुक्त कर्ज देने व किसान कल्याण केन्द्र खोलने सम्बन्धी

58-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों की उपज राष्ट्रीय औसत से कम होने के दृष्टिगत सुधारवादी उपायों के तहत किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मुफ्त उपलब्ध कराने, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक विकास खण्ड पर

किसना कल्याण केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना हैं? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों पर केन्द्रीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना आदि के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना एवं संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि विभाग द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश में विकास खण्डों पर स्थित राजकीय बीज भण्डार जो अत्यन्त जर्जर भवन एवं किराये के भवन में संचालित हैं, ऐसे विकास खण्डों में से 131 किसान कल्याण केन्द्रों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के एरच में डिफेंस कारिडोर को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के सम्बन्ध में

59-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के एरच में डिफेंस कॉरिडोर को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश महाना-

प्रस्तावित डिफेंस कॉरीडोर जनपद झांसी में एरच कस्बे के निकट प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पूंछ बाईपास मार्ग पर लगभग 6.5 किमी0 (एम0डी0आर0-31बी) दूर स्थित एरच कस्बे से लगभग 1.5 किमी0 एरच बेंदा मार्ग के दोनों ओर स्थित है।

पू0छ-एरच मार्ग पर 4 किमी0 की दूरी पर बेतवा नदी है जिस पर सेतु निर्मित है। प्रस्तावित डिफेंस कॉरीडोर की दूरी बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निम्नवत् है :-

डिफेंस कॉरीडोर से पूंछ बाईपास की दूरी-8 किमी0 (लगभग)।

राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पूंछ-एरच मार्ग के उद्गम स्थल से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे व राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के जक्शन की दूरी-35 किमी0 (लगभग)।

डिफेंस कॉरीडोर से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की दूरी (8+35) = 43 किमी0।

अतः उक्तानुसार प्रस्तावित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे डिफेंस कॉरीडोर से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र 01 बेहट ब्लाक सढ़ौली कदीम में ग्राम जाट्टोवाला स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

60-श्री नरेश सैनी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र, बेहट के ब्लाक सढौली कदीम, ग्राम जाट्टोवाला स्पोर्ट्स कालेज का 60 प्रतिशत निर्माण कार्य हो गया है, परन्तु वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर स्पोर्ट्स कालेज का संचालन शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां, 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूण है। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द है।

सिंचाई विभाग के परामर्श के क्रम में एन0जी0टी0 से क्लीयरेन्स एवं संशोधित आगणन प्राप्त हो गया है तथा स्पोर्ट्स कालेज हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रेषित 5.837 हे0 भूमि पुर्नग्रहण के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम-पलठेड़ी, ब्लॉक-थाना भवन, जिला-शामली में निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र विषयक

61-श्री नाहिद हसन-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम पलठेड़ी, ब्लाक-थाना भवन में निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य सरकार निश्चित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद-शामली के ग्राम-पलठेड़ी, ब्लॉक-थाना भवन में कोई भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माणाधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के 3 तिलक मार्ग, डालीबाग एवं बहुखण्डी में निर्मित आवासों में भारतीय शैली के कमोड लगाये जाने विषयक

62-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में विधान मण्डल सदस्यों को आवंटित 3 तिलक मार्ग, डालीबाग नव निर्मित टाइप-6 बहुखण्डी आवासों में पाश्चात्य शैली के कमोड लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या विधायकों से मिलने हेतु ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों से

आने वाले लोगों को उक्त कमोड से होने वाली असुविधा को देखते हुए भारतीय शैली के कमोड उक्त आवासों पर सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

प्रत्येक आवास के एक संयुक्त बाथरूम में एंग्लो इण्डियन सीट लगी है, जिसे पाश्चात्य शैली व भारतीय शैली दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है, फिर भी 3 तिलक मार्ग स्थित उक्त मंत्री आवास के सम्बन्धित अध्यासियों से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से यू0पीएस0आई0डी0सी0 द्वारा पार्कों की स्थापना कराने के सम्बन्ध में

63-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में पर्यावरण की दृष्टि से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा पार्कों की स्थापना, रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण कार्य सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद-बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में 06 पार्क विकसित हैं, जिसमें से एक पार्क की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से वर्तमान वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अवशेष पार्कों में वृक्षारोपण के कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर नोएडा में लम्बित भू-खण्डों को देने के सम्बन्ध में

64-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में किसानों को 5 प्रतिशत आबादी का भू-खण्ड तथा नोएडा में 5 प्रतिशत भू-खण्ड देने की योजना के अन्तर्गत किस वर्ष तक के किसानों के भू-खण्ड वर्तमान में लम्बित हैं तथा उक्त प्राधिकरणों में लम्बित भू-खण्डों की संख्या क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि लम्बित भू-खण्डों को किसानों को कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 1997-1998 से वर्तमान तक कुल 17817 भू-खण्डों की पात्रता के सापेक्ष 15363 भू-खण्डों के आवंटन पत्र जारी किये जा चुके

हैं एवं 2454 लम्बित है। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में दिनांक 01-04-2015 के पश्चात् 45 ग्रामों में लगभग 1,40,000 वर्गमी0 भूमि के लिये 210 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिसके नियोजन हेतु लगभग 03 लाख वर्गमी0 भूमि की आवश्यकता है। जिन ग्रामों में आवासीय उपयोग की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि उपलब्ध हो सकेगी उन ग्रामों के किसानों को 5 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत देय भू-खण्डों का नियोजन किया जायेगा। आवासीय उपयोग की भूमि उपलब्ध नहीं होने पर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 01-11-2018 में इच्छुक किसानों को रु0 22000.00 प्रति वर्गमी0 की दर से भूमि के मूल्य का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। विगत् 02 वर्षों में 1063 किसानों को रु0 5,10,68,98,470/-का भुगतान 5 प्रतिशत आबादी भू-खण्डों के सापेक्ष किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिनांक 21-10-2011 के आदेश के सम्बन्ध में

65-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 21-10-2011 के आदेश से ग्रेटर नोएडा तथा नोएडा में किसानों को 64 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा तथा ग्रेटर नोएडा में 6 प्रतिशत भू-खण्ड के स्थान पर 10 प्रतिशत भू-खण्ड तथा नोएडा में 5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत देने के अनुपालन में क्या सरकार बतायेगी कि 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा क्या केवल उन्हीं किसानों को दिया गया जो न्यायालय में गये थे अथवा उनको भी जो न्यायालय नहीं गये थे ? यदि न्यायालय में नहीं गये किसानों को भी 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है तो उन्हें 10 प्रतिशत भू-खण्ड भी सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-10-2011 से आच्छादित अधिसूचनाओं में निहित समस्त कृषकों को तथा नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-03-2002 से 31-07-2014 के मध्य समस्त काश्तकारों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-10-2011 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-4506/15 तथा सिविल अपील सं0-2127/18 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमशः 14-05-2015 व 15-02-2018 में 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड देने पर विचार केवल उन्हीं काश्तकारों के प्रकरणों पर किया जाये जो याचिका में याची थे। मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय विशिष्ट परिस्थितियों में पारित किया गया है जो कि केवल याचीगण पर ही लागू होता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों की आमदनी के क्रम में डीजल की कीमत से सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में

66-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य हेतु ईंधन/डीजल पर सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

डीजल की बढ़ी कीमतों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को राहत देते हुये अधिसूचना दिनांक 04 अक्टूबर,2018 द्वारा डीजल पर कर की दर जो 17.48 प्रतिशत या 9.41 प्रति लीटर जो अधिक है, को कम करते हुये कर की दर 14.05 प्रतिशत या रुपये 8.43 प्रति लीटर जो अधिक हो, कर दिया गया। इससे डीजल के मूल्यों में कमी आयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में

67-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को अपनी उपज को क्रय केन्द्रों पर बेचने के लिए बिचौलियों के सक्रिय होने के कारण कई-कई दिन इन्तजार करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं राज्य मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

जी नहीं। इस सम्बन्ध में दलहन एवं तिलहन के क्रय के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग से सूचना प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से दलहन एवं तिलहन क्रय कार्य हेतु नामित क्रय एजेन्सी पी0सी0एफ0 द्वारा अपने निजी क्रय केन्द्रों (कृषक सेवा केन्द्रों) तथा समितियों (पैक्स) के माध्यम से दलहन एवं तिलहन की खरीद नेफेड के लिये की जाती है। उक्त खरीद में बिचौलियों अथवा आढ़तियों की कोई भूमिका नहीं होती है।

गेहूं, धान एवं मक्का के क्रय के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि :-

गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों की सक्रियता पर अंकुश लगाने तथा खरीद प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अर्न्तगत नीति दिनांक 06-03-2019 प्रतिपादित की गयी है, जिसके अनुसार खरीद करने वाली एजेन्सियों को एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर आनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा।

क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूं खरीद खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र यथा सम्भव आधार कार्ड के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अवगत कराया गया है कि गेहूं खरीद नीति के अनुसार समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर सीधे किसानों से गेहूं खरीद की गयी है। बिचौलियों से कोई भी खरीद नहीं की गयी है। गेहूं के मूल्य का भुगतान कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया गया है।

धान खरीद के सम्बन्ध में धान खरीद नीति दिनांक 20-09-2018 एवं संशोधित नीति प्रतिपादित की गयी है, जिसके अनुसार किसानों से सीधे धान खरीदा गया है, बिचौलियों से कोई खरीद नहीं की गयी है। मूल्य का भुगतान कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया गया है। क्रय योजना के प्रचार प्रसार इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से कराया जाता है तथा किसानों को धान से संबंधित शिकायतें करने हेतु टोल फ्री नं0-18001800150 जारी किया गया है।

मक्का खरीद के सम्बन्ध में मक्का खरीद नीति दिनांक 14-11-2018 जारी की गयी है, जिसके अनुसार किसानों से सीधे मक्का की खरीद की गयी है तथा बिचौलियों से कोई खरीद नहीं की गयी है। मक्के के मूल्य का भुगतान कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया गया है। किसानों को मक्के से संबंधित शिकायतें करने हेतु टोल फ्री नं0-18001800150 जारी किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा तथा नोएडा के सेक्टरों में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में

68-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा तथा नोएडा के सेक्टरों में पानी की आपूर्ति के लिए कितने नलकूप हैं व उन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें से प्रत्येक की योग्यता क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कुल 146 नलकूप हैं। संचालन एवं देख-रेख का पूर्ण दायित्व निविदा शर्तो में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार आपरेटर/स्टाफ के माध्यम से निर्वहन किया जाता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस जोन के अनुबंधित फर्म की होती है।

नोएडा क्षेत्र में 310 नलकूप कार्यरत हैं। प्रत्येक नलकूप पर प्रतिदिन तीन शिफ्ट में एक-एक कर्मचारी नियमित/श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत हैं। नियमित कर्मचारियों की सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल/आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र है।

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में

69-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सेक्टरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए मार्च, 2017 के बाद कौन-कौन सी एजेन्सी/फर्म द्वारा कितने नलकूप चालू हुए हैं तथा कितने नलकूपों का अवार्ड अभी तक बाकी है एवं वर्ष 2017 के बाद हुए अवार्ड में किस फर्म ने कितने-कितने आपरेटर रखे तथा उन आपरेटर्स के चयन का आधार क्या था ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिये मार्च, 2017 के बाद तथा वर्तमान तक लगभग 19 नलकूप संचालित हुये हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को 06 शहरी जोन, 01 ग्रामीण जोन तथा 01 भूमिगत जलाशय जोन में विभक्त कर जलापूर्ति व्यवस्था करायी जा रही है, जिसके सापेक्ष जोन-1,2,3,4,5 एवं 6 भूमिगत जलाशय की नयी ई-निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा ग्रामीण जोन पुनः ई-निविदा की प्रक्रिया में है। संचालन एवं देख-रेख का पूर्ण दायित्व निविदा शर्तो में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार आपरेटर/स्टाफ के माध्यम से निर्वाह किया जाता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस जोन के अनुबन्धित फर्म की ही होती है। प्राधिकरण द्वारा स्टाफ/आपरेटर का चयन नहीं किया जाता है।

ग्रामीण जोन में जलापूर्ति हेतु अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य निविदा प्रक्रिया में है, जिसके अर्न्तगत 16 नग क्रियाशील नलकूप प्रस्तावित है। 2017 के बाद शहरी क्षेत्र में अवार्ड हुये नलकूपों के संचालन हेतु कार्यो के लिये अनुबंधित फर्मो द्वारा प्रत्येक नलकूप पर तीन पाली में तीन आपरेटर रखे जाने को प्राविधान है। तदनुसार ही अनुबंधित फर्म द्वारा आपरेटर रखे जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में कुल नलकूपों की संख्या-146 है। आपरेटर के चयन करने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होती है।

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प के प्रस्तावों के सम्बन्ध में

70-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रभावित ग्राम जिनकी पंचायत व्यवस्था समाप्त हो गयी है में, नये हैण्डपम्प

(जो जल निगम द्वारा लगाये जाने है) के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत कर उक्त हैण्ड पम्पों को समयबद्ध सीमा में सरकार लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

दादरी विधान सभा ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में उ0प्र0 जल निगम द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के अनुसार कुल 91 नग नये हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

दिल्ली राज्य की भांति उत्तर प्रदेश में भी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी

71-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन देने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामपति शास्त्री-

जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर मा0 मुख्य मंत्री राहत कोष से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2018 से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लोगों को रु0 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराये जाने के प्राविधान है।

शादी अनुदान आवेदकों के आवेदन को स्वीकृत कर अनुदान देने के सम्बन्ध में

72-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2017-18 में शादी अनुदान हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने आवेदकों को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त वर्ष में शेष आवेदकों को अनुदान दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामपति शास्त्री-

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में अनुसूचित जाति के 200 एवं सामान्य जाति के 76 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों में से अनुसूचित जाति के

78 लाभार्थियों को रु0-15,60,000/-(रु0 पन्द्रह लाख साठ हजार मात्र) एवं सामान्य वर्ग के 21 लाभार्थियों को रु0-4,20,000/-(रु0 चार लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि का अनुदान दिया गया। अनुसूचित जाति के 122 एवं सामान्य वर्ग के 55 आवेदकों को पी0एफ0एम0एस0 रेसपान्स न होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की मांग की अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणित करने का प्राविधान नहीं है।

जनपद जलौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा व महेवा में समतल भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बनध में

73-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा व महेवा में यमुना नदी के किनारे उबड़ खाबड़ तथा टीला युक्त भूमि को समतल कर कृषि योग्य बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायतित इंटीग्रेटेड रेनवाटर मैनेजमेन्ट एण्ड लैण्ड डेवलपमेन्ट (वाटरशेड मैनेजमेन्ट) प्रोजेक्ट आर0आई0डी0एफ0-25 की योजनान्तर्गत जनपद जालौन के विकास खण्ड-कदौरा व महेवा का 742 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि संरक्षण के कार्यों हेतु प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार के कार्य यथा पेरीफेरल/मार्जिनल बांध, समतलीकरण, अवरोध बांध प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्टिकल फार्मिंग हेतु गत 2 वर्षों में किये गये सरकार के प्रयासों की जानकारी के सम्बन्ध में

74-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्टिकल फार्मिंग (कई मंजिला) खेती की दिशा में विगत दो वर्षों में शोध एवं उस पर हुए व्यय का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विगत दो वर्षो में वर्टिकल फार्मिग (कई मंजिला) खेती की दिशा में शोध कार्य नहीं किया गया है एवं इस पर कोई व्यय भी नहीं हुआ है।

75-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

76-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में

77-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी विधान सभा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को समयबद्ध सीमा में रि-बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार दादरी विधान सभा में खराब पाये गये कुल 08 नग हैण्डपम्पों को अग्रिम 06 माह में रि-बोर कराकर चालू कराया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा नोएडा के एक्सटेंशन रोड को रूपवास बाईपास को जोड़ने के सम्बन्ध में

78-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा द्वारा निर्मित दादरी रूपवास बाईपास को 130 फिटा एक्सटेंशन रोड से जोड़ने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो एक्सटेंशन रोड से रूपवास बाईपास को जोड़ने में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बस रही अवैध कालोनियों पर सरकार रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा द्वारा निर्मित दादरी रूपवास बाईपास से 130 मीटर एक्सटेंशन रोड जोड़ने की योजना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान में नियोजित है। इस भूमि को शीघ्र अधिग्रहीत करने की कार्यवाही अधिग्रहण नीति के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी एवं इसमें पड़ने वाले किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को वहां से हटाया जायेगा तथा किसी भी अवैध कालोनी को बसने नहीं दिया जायेगा।

जनपद गौतमबुद्धनगर में बोडाकी से जारचा की तरफ 105 फिटा रोड को जमीन अधिग्रहण एवं रोड निर्माण के सम्बन्ध में

79-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में बोडाकी से जारचा की तरफ 105 फिटा रोड के लिए ग्रेटर नोएडा ने जमीन अधिग्रहीत की है ? यदि हां, तो कब तक उक्त रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्राम बोडाकी से जारचा की तरफ 105 मी0 चौड़ी रोड के लिये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है। कृषकों की परस्पर सहमति से आंशिक भूमि सीधे क्रय की गयी। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कौशल विकास केंद्र के माध्यम से स्वरोजगार विषयक

80-श्री नाहिद हसन-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिनांक 10-5-2019 तक कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को सेंटर में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

प्रदेश में दिनांक 10-05-2019 तक कुल 7,64,837 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 13,432 प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार में नियोजित हैं। जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कुल 4,226 युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 217 युवा स्वरोजगार में सेवायोजित हैं।

जी हां।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में स्वरोजगार में सेवायोजित युवाओं का विवरण संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 23-07-2019 को अता0प्र0सं0-181 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में निराश्रित विधवाओं की भांति लिंग भेद मिटाते हुये निराश्रित विधुरों को भी पेंशन दिये जाने सम्बन्धी

82-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश में निराश्रित विधवाओं की भांति विधुरों को भी पेंशन दिए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामपति शास्त्री-

जी नहीं।

---

* देखिये नत्थी 'घ' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 280-285 पर।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से पूर्व से ही वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजन, जिसमें विधुर भी सम्मिलित है, को पेंशन की सुविधा अनुमन्य करायी जा रही है। अतः विधुरों के लिये अलग से पेंशन दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला रेशम उद्योग अधिकारी कार्यालय के सम्बन्ध में

83-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला रेशम उद्योग अधिकारी कार्यालय में दिनांक 1-4-2017 से 31-3-2018 तथा 1-4-2018 से 31-3-2019 तक कितनी धनराशि सरकार तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा प्राप्त हुई तथा उक्त धनराशि किन मदों में कब वितरित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद शाहजहांपुर के जिला रेशम उद्योग अधिकारी कार्यालय के दिनांक 1-4-2017 से 31-3-2018 तक माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना में धनराशि रु0-1333600.00, जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना में रु0-70000.00 तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत रु0-350000.00 तथा दिनांक 1-4-2018 से 31-3-2019 तक धनराशि माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना रु0 1384800.00, जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजनान्तर्गत रु0 80000.00 एवं रेशम निदेशालय योजनान्तर्गत रु0 400000.00 की धनराशि आवंटित की गयी। आवंटित धनराशि निम्न मदों में उनके सम्मुख उल्लिखित तिथि को आहरित की गयी :-

माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना (2017-18)

02 मजदूरी	जून 17	रु0-2,47,648
	नवम्बर 17	रु0-43,575
	फरवरी 18	रु0-3,39,713
	मार्च 18	रु0-2,68,950
29 अनुरक्षण	नवम्बर 17	रु0-78.600
	मार्च 18	रु0-2000
42 अन्य व्यय	जून 17	रु0-9,170
	नवम्बर 17	रु0-1608
	मार्च 18	रु0-17,200
43 सामग्री और सम्पूर्ति	जून 17	रु0-41,100

	सितम्बर 17	रु0-1,55,063
	नवम्बर 17	रु0-68,480
	मार्च 18	रु0-35,156
26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		
	जनवरी 18	रु0-22,700
	मार्च 18	रु0-2300

<u>जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना (2017-18)</u>

44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		
	दिसम्बर 17	रु0-28,250
	जनवरी 18	रु0-16,416
	मार्च 18	रु0-25,334

<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2017-18)</u>

26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		
	नवम्बर 17	रु0-3,49,010
	मार्च 18	रु0-990

<u>माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना (2018-19)</u>

02 मजदूरी	अगस्त 18	रु0-314825
	अक्टूबर 18	रु0-2,92,075
	नवम्बर 18	रु0-65,975
	फरवरी 19	रु0-1,87,775
	मार्च 19	रु0-9,625
29 अनुरक्षण	अगस्त 18	रु0-24,900
	फरवरी 19	रु0-5,370
	मार्च 19	रु0-87,749
42 अन्य व्यय	अगस्त 18	रु0-18,059
	अक्टूबर 18	रु0 10,513
	नवम्बर 18	रु0-6000
	फरवरी 19	रु0-1194
	मार्च 19	रु0-8533
43 सामग्री और सम्पूर्ति	अगस्त 18	रु0-69,644

सितम्बर 18 रु0-1,13,391

अक्टूबर 18 रु0 16,896

फरवरी 19 रु0-58,132

मार्च 19 रु0-93,920

रेशम निदेशालय (2018-19)

26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र

मार्च 19 रु0-39,743

जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना (2018-19)

44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय

दिसम्बर 18 रु0-46,500

फरवरी 19 रु0-33,500

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में रु0 1600000.00 की धनराशि आवंटित की गयी किन्तु लोक सभा निर्वाचन में आदर्श आचार चुनाव संहिता के दृष्टिगत व्यय न होने के कारण उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में समर्पित की गयी।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किसी भी योजनान्तर्गत कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा का ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास का बजट के सम्बन्ध में

84-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में ग्रामीण तथा शहरी विकास का बजट वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में कितना है तथा उक्त वित्तीय वर्षों के निर्धारित बजट में से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के विकास में वर्षवार कितना धन व्यय कर क्या-क्या विकास कार्यों को पूर्ण कराया गया ? क्या सरकार नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में आवंटित बजट से समयबद्ध सीमा में विकास कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने स्रातों से अर्जित धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्राविधान करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

नोएडा-

शहरी एवं अनुरक्षण कार्यों के विभिन्न मदों में वित्तीय प्राविधान :-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2016-17	62805.48	62805.48
2017-18	58884.65	58884.65
2018-19	16950.00	77276.82

ग्राम विकास कार्यों के विभिन्न मदों में वित्तीय प्राविधान :-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2016-17	9097.90	9097.90
2017-18	5305.13	5305.13
2018-19	7604.00	6627.63

ग्रेटर नोएडा-

शहरी एवं अनुरक्षण कार्यों के विभिन्न मदों में वित्तीय प्राविधान :-

वर्ष	बजट प्राविधान(रु0 करोड़ में)	व्यय (रु0 करोड़ में)
2016-17	322	182.37
2017-18	246	165.42
2018-19	267.70	236.24

ग्राम विकास कार्यों के विभिन्न मदों में वित्तीय प्राविधान :-

वर्ष	बजट प्राविधान (रु0 करोड़ में)	व्यय (रु0 करोड़ में)
2016-17	210	42.28
2017-18	114	24.29
2018-19	184	48.22

उपरोक्त विवरण के अनुसार विकास एवं अनुरक्षण कार्य वर्षवार सम्पादित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना में कम्पनियों को दिया गया प्रीमियम व किसानों को प्राप्त मुआवजे के ब्यौरे सम्बन्धी

85-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में किसानों से तथा प्रदेश सरकार द्वारा

कितनी धनराशि बतौर प्रीमियम जमा की गई तथा बीमा कम्पनियों द्वारा उक्त अवधि में किसानों को कितनी धनराशि मुआवजा के रूप में दी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में किसानों से प्रीमियम के रूप में रुपये 787.87 करोड़ एवं प्रदेश सरकार से रुपये 1030.64 करोड़ की धनराशि प्रदेश में कार्यरत बीमा कम्पनियों को प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत रुपये 801.08 करोड़ की धनराशि किसानों को मुआवजा के रूप में दिया गया हैं।

जी हां।

विवरण निम्नवत् हैं :-

मौसम	बीमित कृषक (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे0)	बीमित राशि (करोड़ रु0 में)	प्रीमियम करोड़ रु0 में			लाभार्थी कृषक (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
				कृषक अंश	राज्यांश	कृषक अंश एवं राज्यांश का योग		
खरीफ 2017	25.60	23.70	9194.08	183.88	255.94	4139.82	4.01	244.74
रबी 2017-18	28.13	23.07	11471.73	196.34	240.53	436.87	1.79	119.85
खरीफ 2018	31.40	26.83	10271.79	205.43	282.31	487.74	5.58	419.54
रबी 2018-19	29.68	24.22	11529.87	202.22	251.86	454.08	0.37	16.95
योग	**114.81**	**97.82**	**42467.47**	**787.87**	**1030.64**	**1818.51**	**11.75**	**801.08**

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 19-07-2019 को अता0प्र0सं0-95 द्वारा उत्तरित]

87-कुं0 माधवेन्द्र प्रताप-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88-कुं0 माधवेन्द्र प्रताप-

[02 बुधवार के अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में रहने वाले मीणा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी

89-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बिलारी, जिला-मुरादाबाद के ग्रामों में निवास करने वाले मीणा जाति के लोगों को अपने पड़ोसी तहसील क्षेत्र चंदौसी में

रहने वाले सम्बन्धियों की भांति अनुसूचित जन जाति का प्रमाण-पत्र उनके पुराने प्रमाण पत्रों व अन्य जरूरी अभिलेखों के आधार पर जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

भारत सरकार के परिपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2022 में उत्तर प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'मीणा' जाति सम्मिलित नहीं है। परन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट करने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र सं0-12017/2/2018-एससीडी (आर0एल0 सेल) दिनांक 22-02-2018 के अनुपालन में शासनदेश सं0-91 भा0स0/26-3-2018 दिनांक 24-07-2018 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बीते 2 वित्तीय वर्षों में किसानों को अनुदान पर दिये गये कृषि यंत्रों की संख्या एवं अनुदान धनराशि के ब्यौरे सम्बन्धी

90-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 2 वित्तीय वर्षों में किसानों को अनुदान पर दिये गये कृषि यंत्रों की संख्या एवं अनुदान धनराशि का ब्यौरा जिलेवार सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कृषि यन्त्रों के वितरण व अनुदान के विवरण की जनपदवार सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों की भंडारण समस्या के समाधान हेतु ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर कृषि उत्पाद भंडारण केन्द्र बनाने सम्बन्धी

91-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादों की भण्डारण समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर कृषि उत्पाद भण्डारण केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* देखिये नत्थी 'ङ' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 286-287 पर।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मण्डी परिषद द्वारा ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर कृषि उत्पाद भण्डारण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना संचालित नहीं है मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी/उपमण्डी स्थलों में भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम निर्मित कराये जाते हैं।

सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर कृषि उत्पाद भण्डारण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के चन्दोक टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 मै0 सूर्या प्रोसेसर्स प्रा0लि0 मै0 सत्यम शाकुन्तलम् इंजी0 प्रा0 लि0 आदि औद्योगिक इकाइयों में भूजल दोहन के सम्बन्ध में

92-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थित मै0 चन्दोक टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, मै0 सूर्या प्रोसेसर्स प्रा0 लि0, मै0 सत्यम शाकुन्तलम् इन्जी0 प्रा0 लि0, मै0 लक्ष्मी डाइंग, मै0 शान्ति डाइंग आदि औद्योगिक इकाइयों द्वारा भू-जल का उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त इकाइयों द्वारा भू-जल दोहन की स्वीकृति सरकार से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद-बुलन्दशहर में आवंटी को प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति नहीं की जाती है। उक्त समस्त इकाईयां उत्पादनरत है। आवंटियों को अपने स्तर से संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भू-जल की व्यवस्था करनी होती है। उक्त इकाईयों द्वारा भू-जल का उपयोग किया जा रहा है।

उक्त 05 इकाईयों में से मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा सीजीडब्ल्यूए से भू-जल उपयोग हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी है। अन्य चारों इकाईयों द्वारा भूजल उपयोग हेतु सीजीडब्ल्यूए से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है किन्तु अभी तक उन्हें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में विधान सभा क्षेत्र नगीना में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

93-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कस्बा नगीना में घरेलू उद्योग हेन्डिक्राफ्ट एवं कस्बा किरतपुर में छोटी कांच की शीशी उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के लिये वर्तमान में हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्पियों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना, मुख्य मंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमों की स्थापना एवं स्वरोजगार सृजन के लिये वर्तमान में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत छोटी कांच की शीशी उद्योग लगाये जाने हेतु आवेदक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 नीति-2017 के अन्तर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न सुविधायें यथा-स्टैम्प ड्यूटी में छूट इलेक्ट्रीसिटी विद्युत में छूट भी प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा प्रधिकरणों में, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत, पात्र लोगों को लाभ दिये जाने विषयक

94-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निर्बल वर्ग के कितने पात्र लोगों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष पात्र लोगों को आवासीय भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

वर्तमान में नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भू-उपयोग की भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा ग्रेटर नोएडा एवं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रचलित नियमावली में कतिपय बिन्दुओं पर मार्ग निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत योजना क्रियान्वित नहीं की गयी।

95-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 24-07-2019 को अता0प्र0सं0-178 द्वारा उत्तरित]

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ग्रामों में डाली गयी निष्प्रयोज्य सीवर लाइनों के सम्बन्ध में

96-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित ग्रामों में सीवर लाइन डाली गयी थी जो कि वर्तमान में

चालू नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 122 ग्रामों में से 117 ग्रामों में सीवर लाइन डाली जा चुकी है, जिसमें से 28 ग्रामों को सीवेज शोधन सयंत्र से जोड़ा जा चुका है, जहां सीवरेज सिस्टम क्रियाशील है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विभिन्न ग्रामों में पशु चर भूमि के पुनर्ग्रहण विषयक

97-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा उनकी स्थापना से लेकर वर्ष 2019 तक किन-किन ग्रामों में कितनी पशु चर भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया एवं उसके सापेक्ष कितनी भूमि पर आवारा व घरेलू पशुओं के भरण-पोषण और चरने की व्यवस्था की गयी ?

श्री सतीश महाना-

संदर्भ अवधि में नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा ग्राम साकीपुर, ब्रहमपुर गजरौला उर्फ नबादा, इटेहरा, बिरौण्डा, रसूलपुर राय व खानपुर में कुल 52.3244 हेक्टेयर तथा नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोरना में 3.7940 हेक्टेयर, ग्राम निठारी में 6.1226 हेक्टेयर व ग्राम रघुनाथपुर में 4.4782 हेक्टेयर कुल 14.3948 हेक्टेयर पशुचर भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि के सापेक्ष आवारा व घरेलू पशुओं के भरण पोषण और चरने हेतु व्यवस्था नहीं की गयी है, वरन् शासनदेश के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर पंजीकृत मूल्य सहित धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-94 में गौशाला हेतु 09 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है तथा ग्राम वाजिदपुर में 5.93 एकड़ पशुचर की भूमि पर अस्थायी गौवंश आश्रम संचालित है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हुये घोटाले से संबधित को दंडित किये जाने विषयक

98-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत उसकी स्थापना से लेकर आज तक प्राधिकरण

के प्लान के बाहर व अन्य स्थानों पर कितनी निष्प्रोज्य जमीनों की खरीददारी आपसी सहमति के आधार पर की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खरीददारी से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने वाले कितने अधिकारी व कर्मचारियों तथा बाहर के अन्य शामिल लोगों के नाम सामने आये हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना के बाहर निष्प्रयोज्य भूमि जनपद मथुरा में 57.1549 हेक्टेयर तथा जनपद हाथरस में 14.4896 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी है। महायोजना के बाहर भूमि क्रय से सम्बन्धित प्रकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य सहित जनपद मथुरा में कुल 22 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा जनपद हाथरस में कुल 25 व्यक्तियों के विरुद्ध क्रमशः एफ0आई0आर0 सं0-0421 दिनांक 03-06-2018 व एफ0आई0आर0 सं0-0209 दिनांक 15-03-2019 थाना कासना, ग्रेटर नोएडा में पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये समथर उप मण्डी समिति विस्तार विषयक

99-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा में समथर उप मण्डी समिति का विस्तार सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

उप मण्डी स्थल समथर, मण्डी समिति गरौठा के व्यापार में वृद्धि के दृष्टिगत अतिरिक्त उपयुक्त भूमि प्राप्त होने पर उपस्थल का विस्तारीकरण लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा आदि प्राधिकरणों में हो रहे घाटे के सम्बन्ध में

100-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो उसके घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017-18 की 113 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित तुलन पत्र दिनांक 31-03-2018 के आय-व्ययक के अनुसार प्राधिकरण का व्यय पर आय का आधिक्य धनराशि रु0 10.66 करोड़ सरप्लस है, जिसके अनुसार प्राधिकरण घाटे में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश ग्राम उसके अधिसूचित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

101-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश ग्राम उसके अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जिनमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पम्पिंग सेटों की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो उनमें से कितने कार्यरत हैं एवं कितने कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार खराब पम्पों को ठीक कराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली 81 ग्रामों में से 72 ग्रामों में स्वच्छ जल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। शेष 09 ग्रामों में शीघ्र शुद्ध पेय जल की आपूर्ति किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामों में स्वच्छ पेय जल आपूर्ति हेतु 75 नग पम्प सेटों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में सभी 75 नग पम्प काम कर रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में कुल 107 नलकूपों की स्थापना उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 35 नग नलकूप हस्तगत किये गये। वर्तमान में 20 नग नलकूप क्रियाशील हैं तथा 15 नग नलकूपों को क्रियाशील कर जलापूर्ति की जानी है। द्वितीय चरण में शेष 72 नग नलकूपों को उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्रियाशील कर प्राधिकरण को हस्तगत किया जाना है। वर्तमान में 22 ग्रामों जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017 व उससे पूर्व 3 वर्ष तक सड़कों के किनारे एडवरटाइजिंग पोल्स के ठेके के सम्बन्ध में

102-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017 व उससे पूर्व 3 वर्ष तक सड़कों के किनारे लगे एडवरटाइजिंग पोल्स के ठेके नहीं उठाये गये थे ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त प्रक्रिया होने से प्राधिकरण को कई करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सड़कों के किनारे लगे एडवरटाइजिंग पोल्स के ठेके की संकलित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में एक अनुबन्ध के अन्तर्गत पांच वर्ष हेतु विभिन्न स्थानों के लिये कुल 12 एडवरटाइजिंग पोल्स।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अनुबन्ध के अन्तर्गत दो वर्ष हेतु विभिन्न स्थानों के लिये कुल 4 एडवरटाइजिंग पोल्स।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक अनुबन्ध के अन्तर्गत दो वर्ष हेतु विभिन्न स्थानों के लिये कुल 8 एडवरटाइजिंग पोल्स।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक अनुबन्ध के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु 60 मीटर चौड़ी सड़क (सम्पर्क मार्ग एन0एच0-24) चैनेज 1.1 कि0मी0 से पुलिस लाईन तक प्रचार-प्रसार हेतु।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में छः अनुबन्ध के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु विभिन्न स्थानों के लिये कुल 19 एडवरटाइजिंग पोल्स।

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक रु0 1,12,94,928.00 के राजस्व की प्राप्ति हुयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर स्थिति औद्योगिक वि0प्रा0, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना में वित्तीय वर्ष 2017-2018 ग्रामीण विकास हेतु बजट के प्रावधान के सम्बन्ध में

103-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास हेतु बजट का प्रावधान किया गया था तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ? क्या सरकार ने उक्त धनराशि का उपयोग न कर पाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी को चिन्हित कर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में ग्राम विकास हेतु रु0-15800.00 लाख के अनुमानित व्यय का प्राविधान किया गया था। उक्त के सापेक्ष ग्राम विकास के मद में प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का प्राविधान करते हुये संचालक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ग्राम विकास मद में दिनांक 31-03-2018 को रु0-5305.13 लाख का व्यय किया गया है।

ग्रेटर नोएडा-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास हेतु रु0-114.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0-24.28 करोड़ का व्यय किया जा सका।

यमुना एक्सप्रेस-वे-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में ग्रामीण विकास हेतु रु0-61.02 करोड़ का प्राविधान किया गया था, परन्तु इसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा रु0-06.08 करोड़ की धनराशि व्यय हो पायी है। व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त में कुल रु0-38.50 करोड़ के ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यो की सूची प्रदान की गयी है, जो कराये जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्ववित्त पोषित संस्था है। प्राधिकरणों को ग्राम विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं हेतु शासन से कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। वर्ष 2017 के आरम्भ में विधान सभा का चुनाव प्रचलित होने के कारण आचार संहिता प्रभावी होने से, जी0एस0टी0 लागू होने तथा ई-निविदा प्रणाली की नई व्यवस्था लागू होने के कारण आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इसके लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के चिरगांव में बीज विकास निगम का बीज शोधन संयंत्र और बीज गोदाम की उरई से चिरगांव में स्थानान्तरित करने के विषय में

104-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के चिरगांव में बीज विकास निगम का बीज शोधन संयंत्र और बीज गोदाम स्थापित है ? क्या यह सही है कि चिरगांव में पर्याप्त जमीन होते हुए बीज विकास निगम का कार्यालय सुदूर उरई में किराये के भवन में संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को चिरगांव में स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जी हां।

कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत तथा बीज उत्पादन कार्य को सुचारू-रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 18 अगस्त, 2017 को सम्पन्न 53वीं बैठक में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के परियोजना कार्यालय, उरई को यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद और संभल के प्रत्येक विकास खण्ड को सरकारी वृद्धाश्रम की सुविधा से आच्छादित करने तथा गैर सरकारी वृद्धाश्रमों के संचालकों को सहायता सम्बन्धी

105-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद और संभल में निराश्रित वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के संरक्षण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड को सरकारी वृद्धाश्रम की सुविधा से आच्छादित करने तथा उक्त क्षेत्र में स्थापित गैर सरकारी वृद्धाश्रमों के संचालकों को सहायता व प्रोत्साहन देने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

उ0प्र0 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर प्रत्येक जनपद में एक-एक वृद्धाश्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था है। जनपद मुरादाबाद में पी0पी0पी0 माडल के आधार पर स्वैच्छिक संस्था द्वारा मो0 मिलन विहार निकट आकांक्षा इण्टर कालेज, दिल्ली रोड, मुरादाबाद एवं ग्राम बबैना विकास खण्ड, पंवासा जनपद सम्भल में 150 वृद्धजनों की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें जनपद के निःसहाय, गरीब एवं असहाय वृद्धजनों हेतु निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन आदि के अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के समस्त जनपदों में एक-एक संचालित वृद्धाश्रम के अतिरिक्त 07 जनपदों में 100 वृद्ध संवासियों की क्षमता का वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जनपद मुरादाबाद सम्मिलित है। जनपदों के प्रत्येक विकास खण्डों में वृद्धाश्रम स्थापित करने का अभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

उक्त क्षेत्र में स्थापित गैर सरकारी वृद्धाश्रमों के संचालकों को सहायता व प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेस्टीसाइड कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित करने सम्बन्धी

106-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेती में पेस्टिसाइड का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर उसके स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग सुनिश्चित करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के कृषकों को सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइडस बोर्ड (सीआईबी), फरीदाबाद द्वारा पंजीकृत कीटनाशकों की संस्तुति के अनुसार प्रयोग करने के लिये कृषकों को ब्लाक एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/गोष्ठी/किसान मेला के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा यह भी बताया जाता है कि लाल त्रिकोण वाली दवायें अत्यधिक विषैली होती हैं जिनका जन-जीवन पर दुष्प्रभाव होता है। इसलिये कृषकों को सबसे सुरक्षित हरे त्रिकोण वाले कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। यदि आवश्यक हो तो नीले त्रिकोण एवं पीले त्रिकोण वाले कीटनाशकों का प्रयोग किया जाये। बायोपेस्टीसाइडस के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष बायोपेस्टीसाइडस उत्पादित कर कृषकों को सुगमता से उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत बायोपेस्टीसाइडस पर 75 प्रतिशत अनुदान देकर इसके प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है साथ ही अत्यधिक जहरीले लाल त्रिकोण वाले कीटनाशकों पर कोई अनुदान न देकर इसके प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नये कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने विषयक

107-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने की नीति के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में स्थित धान अनुसंधान केन्द्र के कृषि विश्वविद्यालय के रूप में सरकार स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में चार कृषि विश्वविद्यालय (कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा) स्थापित हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद आजमगढ़ में पठन-पाठन वर्ष 2018 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) तथा जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) निर्माणाधीन है। सम्प्रति उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों तथा इनके अन्तर्गत नव निर्मित महाविद्यालयों से आवश्यक अवस्थापन सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में स्थित धान अनुसंधान केन्द्र को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

बीते 3 वर्षों में रासायनिक खादों और कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद दरों में तुलनात्मक वृद्धि सम्बन्धी

108-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में रासायनिक खादों और कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद दरों में तुलनात्मक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या सरकार कृषि उत्पादों में कम वृद्धि के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यूरिया उर्वरक की दरे भारत सरकार द्वारा एवं फास्फेटिक व पोटेशिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 आदि की दरें उर्वरक कम्पनियों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। उर्वरकों के मूल्य निर्धारण से प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। विगत तीन वर्षों में यूरिया उर्वरक के अधिकतम खुदरा मूल्य में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आयी है। फास्फेटिक उर्वरक, डी0ए0पी0 के अधिकतम खुदरा मूल्य में लगभग 14 प्रतिशत, एन0पी0के0 12.32:16 के अधिकतम खुदरा मूल्य में लगभग 21 प्रतिशत एवं पोटेशिक उर्वरक एम0ओ0पी0 के अधिकतम खुदरा मूल्य में लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। विगत 03 वर्षों में कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद दर में निम्नवत् वृद्धि हुई है :-

फसल	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
धान	19.04
गेहूं	13.23
मक्का	24.54
चना	15.05
मसूर	13.29
सरसों	13.51
उर्द	12.00
मूंग	33.49
मूंगफली	15.88
तिल	24.98

उक्त कृषि उत्पादों का सरकारी खरीद दरों में वृद्धि के फलस्वरूप कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा यूरिया पर लगने वाले अतिरिक्त कर (ए0सी0टी0एन0) को समाप्त कर दिया गया है जिससे कृषकों को यूरिया की प्रति बोरी पर रुपये 35.00 की कमी आई है जिससे कृषि लागत में कमी के फलस्वरूप कृषकों को राहत पहुंच रही है।

उपर्युक्तानुसार।

पिछली सरकार द्वारा गरीबों को दी गई समाजवादी पेंशन की तर्ज पर नई पेंशन दिये जाने सम्बन्धी

109-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पात्र गरीबों को पिछली सरकार द्वारा दी जा रही समाजवादी पेंशन बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त के स्थान पर उक्त पात्र गरीबों को किसी अन्य पेंशन योजना से सरकार लाभान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापाति शास्त्री-

समाजवादी पेंशन योजना शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा प्रारम्भ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-475/26-2-2017-100(1)/2013 टी0सी0-1, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1193/26-2-2017-100(1)/2013 टी0सी0-1, दिनांक 27 जुलाई, 2017 के द्वारा विशेष अभियान चलाकर योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में सत्यापन कराया गया। जनपद स्तर पर कराये गये सत्यापन में कुल सत्यापित 5439440 लाभार्थियों में से 440165 अपात्र एवं 47862 लाभार्थियों को मृतक चिन्हित किया गया है।

समाजवादी पेंशन योजना को चालू करने/बन्द रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बीते 2 वर्षों में किये गये सरकारी प्रयासों के ब्यौरे सम्बन्धी

110-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसानों की दशा सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा बीते 2 वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर इन्हें लागत के 150 प्रतिशत या इससे अधिक निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार के द्वारा मूल्य परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् के द्वारा प्रदेश में होने वाली विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु राज्य सरकार की ओर से संस्तुतियां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् विभूति खण्ड लखनऊ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

111-श्री संजय गर्ग-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश विभूति खण्ड लखनऊ में शासन की स्थानान्तरण नीति के विपरीत दस वर्षों से अधिक समय से समूह ख व ग के कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं ? क्या सरकार उक्त का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विपरीत उपरोक्त कर्मचारियों को एक ही स्थान पर तैनात रखने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित 'किसान मण्डल भवन' में दस वर्षों से अधिक समय में समूह 'ख' के 04 अधिकारी तैनात हैं, जिनमें से 03 अधिकारियों के पद केवल मुख्यालय के लिये एवं 01 अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि 02 वर्ष के अन्दर है।

समूह 'ग' में 10 वर्षों से अधिक समय से 156 कर्मचारी तैनात हैं, जिनके लिये किसी स्थान पर तैनाती हेतु समयावधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

उपरोक्त के विषय में स्थानान्तरण नीति में वर्णित कोई तथ्यात्मक आधार व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे इन्हें प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने का समुचित आधार बनता हो, अतः प्रश्नगत तैनाती स्थानान्तरण नीति के विपरीत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पिछली सरकार की जनेश्वर मिश्र योजना की तरह ग्रामों में सी0सी0 रोड बनवाने एवं सोलर लाइटें स्थापित करने सम्बन्धी

112-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निवर्तमान प्रदेश सरकार की भांति वर्तमान सरकार द्वारा भी मंडी परिषद की ओर से माननीय विधायकगणों के प्रस्तावित ग्रामों को ''जनेश्वर मिश्र योजना'' की तर्ज पर किसी महापुरुष के नाम से चयनित कर उन ग्रामों में सीसी रोड/सोलर लाइट आदि विकास कार्य कराने हेतु विशेष धनराशि दिए जाने की कोई योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं।

मण्डी परिषद् द्वारा वर्तमान में इस स्वरूप की कोई योजना संचालित अथवा प्रस्तावित नहीं है, न ही मण्डी परिषद् के मा0 संचालक मण्डल द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु इस स्वरूप की किसी योजना के लिये बजट प्राविधानित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम द्वारा आम नागरिकों को सुविधायें प्रदान किये जाने विषयक

113-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा स्थित स्टेडियम को खेल एकेडमियों जैसे पुलेला गोपीचंद आदि को अनुबंध के माध्यम से किराये पर दे रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम क्रियाशील है जिसमें बैडमिन्टन एकेडमी हेतु पुलेला गोपीचन्द्र को कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत संचालन किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा में इन्डोर स्टेडियम, ग्रेटर नोएडा से सम्बन्धित

114-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद पथिक स्टेडियम के अंदर बनाये गये इंडोर स्टेडियम के स्ट्रक्चर में गंभीर

तकनीकी खामियां हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी खामियों की उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बनाकर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम वर्ष 2007 से प्रारम्भ कर वर्ष 2016 में पूर्ण किया गया। स्टेडियम का डिजाइन मै0 स्टूप कन्सलटेन्ट प्रा0लि0 द्वारा कराया गया तथा समय-समय पर आई0आई0टी0 रुड़की/दिल्ली से आगणन की तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण भी कराया गया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में क्वालिटी सर्विलाइन्स हेतु नियुक्त मै0 राइट्स लि0 एवं मै0 वैपकोस प्रा0लि0 (तृतीय पक्ष) से निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री एवं निर्माण का निरीक्षण कराया गया, जो सन्तोषजनक पाई गई थी। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम के अन्दर बनाये गये इन्डोर स्टेडियम के स्ट्रक्चर में कोई गम्भीर तकनीकी खामियां नहीं पाई गई है। स्टेडियम सुचारु रूप से गतिमान/क्रियाशील है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में खुले में शौच से सम्बन्धित

115-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित गांव जो अभी तक खुले में शौच मुक्त नहीं हो पायें हैं ? क्या सरकार उन ग्रामों से खुले में शौच मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्राधिकरणवार स्थिति निम्नवत् है :-

नोएडा-

भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नोएडा क्षेत्र (ग्राम व शहर) को खुले में शौच मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा-

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के मापदण्डों के आधार पर 124 ग्रामों में 2084 पात्र लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण करवाकर संतृप्त किया जा चुका है।

यमुना एक्सप्रेस-वे-

प्राधिकरण क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों के पात्रता सूची का सर्वे करा लिया गया है। कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या लगभग 6,770 है, जिसका शौंचालय निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रति शौचालय रु0 12,000.00 की दर से कुल धनराशि रु0 813.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी गई है। लाभार्थियों के प्रथम किस्त रु0 6,000 के भुगतान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में अतिक्रमण से सम्बन्धित

116-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अन्तर्गत परीचौक, अल्फा कमर्शियल बेल्ट, एल्डिकों गोल चक्कर, ऐच्छर, पी 3 व परीचौक पर कुछ माफियाओं के सहयोग से, ठेली पटरियों के अवैध अतिक्रमण से ट्रैफिक जाम के साथ-साथ अन्य परेशानियां भी नागरिकों को हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त लोगों के विस्थापन और रोजगार हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

उत्तर प्रदेश विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2018 की अधिसूचना दिनांक 02 फरवरी, 2018 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों पर लागू है। वर्तमान में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियम नियमावली, 2018 के गजट फरवरी, 2018 उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना की धारा-4 के अनुसार पथ विक्रेता समिति के गठन के पश्चात् इनके विस्थापन तथा रोजगार हेतु योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

117-श्री मो0 फईम इरफान-

[दिनांक 24-07-2019 को अता0प्र0सं0-179 द्वारा उत्तरित]

बरेली मण्डल के उद्योगपतियों द्वारा इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में

118-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंवेस्टर समिट में कितने उद्योगपतियों ने बरेली मण्डल में उद्योग लगाने के लिये एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये तथा उसमें से कितनों ने कार्य शुरू कर दिये तथा कितनों ने किन कारणों से कार्य शुरू नहीं किया है ? क्या सरकार उन कारणों का निराकरण कर उन उद्योग बन्धुओं से उद्योग लगाने का आग्रह करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

वर्ष 2018-19 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्यमियों द्वारा बरेली मण्डल में उद्योग लगाये जाने हेतु 16 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये। हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 में

03 इकाइयां कार्यरत हो गई हैं। 09 इकाइयां निर्माणाधीन है तथा 04 इकाइयों द्वारा कतिपय कारणों से (यथा-भूमि की आवश्यकता-03 इकाइयां, विभिन्न विभागों से अनापत्ति लम्बित-01 इकाई) कार्य शुरू नहीं किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनवरी से जून तक नवयुवकों को कौशल द्वारा दिये गये रोजगार के सम्बन्ध में

119-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक कितने नवयुवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षित नवयुवकों में से कितने नवयुवकों को कहां-कहां रोजगार प्राप्त हुआ तथा कितनों को कितनी-कितनी धनराशि देकर क्या-क्या रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण जनपदवार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कुल 3,75,282 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उक्त अवधि में सेवायोजित युवाओं की संख्या 1,13,627 है। इन युवाओं को जिन जनपदों में व जिन व्यवसायों में सेवायोजित कराया गया है, उसका तथा उन्हें प्राप्त हो रही औसत मासिक धनराशि का विवरण संलग्न है।

जी हां। जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में स्वरोजगार में सेवायोजित युवाओं का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा द्वारा जनता को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में

120-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वित्तीय वर्षों में जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी कितनी और क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई तथा प्रत्येक वर्ष उन सेवाओं पर प्राधिकरण को किस-किस मद में क्या खर्च करना पड़ा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

स्वास्थ्य एवं सफाई सम्बन्धी विभिन्न मदों पर विगत 05 वर्षों में अनुमोदित बजट एवं बजट के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

नोएडा-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2014-15	9335.00	8228.09
2015-16	10746.00	10314.13
2016-17	11909.19	11909.19
2017-18	13029.75	13029.75
2018-19	16950.00	15999.85

उक्त के अतिरिक्त नोएडा, गौतमबुद्ध नगर स्थित जिला अस्पताल हेतु दवाइयों पर विगत 05 वर्षों में अनुमोदित बजट एवं बजट के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2014-15	300.00	296.35
2015-16	500.00	500.32
2016-17	499.90	499.90
2017-18	434.97	434.97
2018-19	1.00	0.60

ग्रेटर नोएडा-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2014-15	1810.00	1683.06
2015-16	2030.32	1820.42
2016-17	3130.00	2517.90
2017-18	4600.00	2734.95
2018-19	4310.00	4169.28

यमुना एक्सप्रेस-वे-

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय (रु0 लाख में)
2014-15	शून्य	--
2015-16	शून्य	--
2016-17	शून्य	--
2017-18	शून्य	--
2018-19	156.00	66.07

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात कर्मचारियों के सम्बन्ध में

121-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा व ग्रेटर नोएडा में समूह 'क' व 'ख' के कितने कर्मचारी हैं जो कि उसी जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में अपने ही गृह जनपद में तैनात हैं और कितने वर्षों से ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के ग्रुप क एवं ख के अधिकारियों के तैनाती का विवरण निम्नवत् है :-

नोएडा-

क्र0-सं0	नाम	पदनाम	तैनाती की तिथि से वर्तमान तक
1	श्री वेदपाल	प्रबन्धक	09-05-1997
2	श्री श्रीपाल भाटी	प्रबन्धक	24-07-2012
3	श्री आर0के0 गुप्ता	स0 निदेशक	21-01-2008
4	श्रीमती सुषमा	प्रबन्धक	02-04-2010
5	श्री गौरव बंसल	प्रबन्धक	26-11-2018

ग्रेटर नोएडा-

क्र0-सं0	नाम	पदनाम	तैनाती की तिथि से वर्तमान तक
1	श्री श्रीपाल भाटी	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	10-09-1992
2	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	07-02-1992
3	श्री सन्नी यादव	प्रबन्धक (सिविल निलम्बित)	07-02-1992
4	श्री ब्रह्म सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	16-09-2002
5	श्री कैलाश चन्द्र भाटी	प्रबन्धक ग्रेड-1 (कामन कैडर)	06-12-1996

क्र0-सं0	नाम	पदनाम	तैनाती की तिथि से वर्तमान तक
6	श्रीमती सुमन भण्डारी	प्रबन्धक ग्रेड-1 (कामन कैडर)	22-05-1992
7	श्री दिगम्बर सिंह	प्रबन्धक ग्रेड-1 (कामन कैडर)	26-02-2010
8	श्री प्रबुद्ध गौतम	प्रबन्धक ग्रेड-1 (कामन कैडर)	16-09-2002

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के समूह ग, घ के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में

122-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण, केन्द्रीयकृत सेवा के अन्तर्गत आ गये हैं, का स्थानान्तरण नीति के विपरीत गृह जनपद में कई वर्षों से तैनात समूह 'क' व 'ख' के अधिकारी व कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रदेश शासन की स्थानान्तरण नीति मार्च, 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 29 मार्च, 2018 राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होती है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमित निकाय है, जिनकी प्रास्थिति राज्य सरकार के कर्मचारियों से भिन्न है। अतः औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानान्तरण उक्त नीति से किये जाने में कठिनाई है।

प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों द्वारा बरेली जनपद में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में

123-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित इंवेस्टर समिट में कितने उद्योगपतियों ने बरेली जिले में उद्योग लगाने के लिये एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये तथा उसमें से कितनों ने कार्य शुरू कर दिये तथा कितनों ने किन कारणों से कार्य शुरू नहीं किया है ? क्या सरकार उन कारणों का निराकरण कर उद्योग लगाने का कार्य सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

वर्ष 2018-19 में प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में उद्यमियों द्वारा बरेली जिले में उद्योग लगाये जाने हेतु 10 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये थे, जिसमें से 01 इकाई कार्यरत हो गई है तथा 06 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। 03 इकाइयों द्वारा भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

जी हां।

निवेश एक सतत् प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप निवेशकों को समयबद्ध किया जाना समीचीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में हुजूरपुर ब्लाक अन्तर्गत ग्राम चिरैयाटांड में स्टेडियम निर्माण कराने के सम्बन्ध में

124-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में हुजूरपुर ब्लाक अन्तर्गत ग्राम चिरैयाटांड में स्टेडियम का निर्माण कब कराया गया था तथा निर्माण पर कितनी लागत आयी थी एवं स्टेडियम के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि विभागीय लापरवाही के कारण है स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद बहराइच में ग्राम भैंसही (चिरैयाटांड) विकास खण्ड-हुजूरपुर ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2012-13 के मध्य पूर्ण कराकर दिनांक 27-12-2012 को युवा कल्याण विभाग को हस्तान्तरित किया गया, जिसकी निर्माण लागत रु0 38.11 लाख थी। स्टेडियम के रख-रखाव की जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग भी है।

जी नहीं। विभागीय लापरवाही के कारण स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण नहीं हुआ है।

जिला युवा कल्याण अधिकारी, बहराइच ने निरीक्षणोपरान्त अपने पत्र दिनांक 22-07-2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत स्टेडियम मरम्मत योग्य है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में उक्त स्टेडियम की जीर्णोद्धार हेतु यथासमय धनराशि की व्यवस्था कराने की चेष्टा की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के तहसील फूलपुर के ग्राम पंचायत खण्डौरा में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सीमांकन में स्थित खसरा नं0-230 कि0 के सम्बन्ध में

125-श्री पारसनाथ यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर की ग्राम पंचायत खण्डौरा में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सीमांकन में स्थित खसरा नं0-230 कि0 में जिन किसानों की पूरी की पूरी जमीन चली गई है, किन्तु यूपीडा द्वारा उन किसानों के थोड़े से भू-भाग की रजिस्ट्री कराई गई है एवं उक्त खसरा नं0 230 कि0 में ऐसे किसानों को करोड़ों का फर्जी भुगतान यूपीडा द्वारा किया गया है, जिन किसानों की एक इंच भी जमीन नहीं गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वास्तविक किसानों को उनकी भूमि का समुचित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

ग्राम खण्डौरा, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या-230मि0 क्षेत्रफल 2.7760 हे0 में से 1.6660 हे0 भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में प्रभावित हो रही है। उक्त गाटा संख्या-230मि0, संयुक्त गाटा व खाते की भूमि है। समस्त कास्तकारों की आपसी सहमति के आधार पर समानुपातिक क्षेत्रफल निकालकर उनकी सहमति पत्र लेकर यूपीडा के पक्ष में रजिस्ट्री कराई गई है। किसी भी व्यक्ति को फर्जी भुगतान की शिकायत निराधार है गाटा संख्या-230मि0 के खातेदारों को उनके समानुपातिक अंश के बैनामा के आधार पर ही भुगतान किया गया है। मात्र 0.0440 हे0 भूमि बैनामा हेतु अवशेष है, जिसका बैनामा खातेदारों के बाहर रहने के कारण नहीं हुआ है। उन्हीं किसानों से बैनामा कराया गया है, जिनकी भूमि संरेखण में आयी है तथा उन्हीं को भुगतान किया गया है। इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की मण्डियों में किसानों को मुफ्त या अनुदानित जलपान व आहार की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी

126-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के तृतीय सत्र-2018 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-44 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कौन-कौन सी मण्डियों में कृषकों को मुफ्त या अनुदानित दर पर जलपान व आहार की सुविधा प्रारम्भ की गई है ? क्या सरकार समस्त मण्डी समितियों में किसी निश्चित अवधि तक उक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

कृषकों को अनुदानित दर पर जलपान/आहार की सुविधा अभी प्रारम्भ नहीं है। मण्डी स्थलों में वर्तमान में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें विकसित की जा रही है। अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है :-

प्रदेश में कुल 251 मण्डी समितियां अधिसूचित है। वर्तमान में 220 नवीन मण्डी स्थल निर्मित है। निर्मित 220 मण्डी स्थलों में से मात्र 114 मण्डी समितियों में कैन्टीन अनुबन्ध/ठेके पर प्राइवेट वेन्डर्स द्वारा संचालित है, जिनमें 81 मण्डी समितियों में भुगतान के आधार पर जलपान की व्यवस्था है एवं 33 मण्डी समितियों में भुगतान के आधार पर भोजन व जलपान दोनों की व्यवस्था है।

प्रदेश में 27 मण्डी स्थलों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है, जिसमें कैण्टीन निर्माण की अवस्थापना सुविधायें भी सम्मिलित हैं।

प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक गेहूं की खरीद वाली मण्डी समितियों में जलपान/आहार अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य था, किन्तु तत्समय लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 आचार संहिता प्रभावी होने के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद के समय चरणबद्ध रूप से मण्डी समितियों में अनुदानित दर पर जलपान/आहार की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में पेश आ रही विभिन्न शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी

127-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन अतिथि गृह में खराब सुविधायें, कमरे एलॉट करने में विधान मण्डल सदस्यों की उपेक्षा, उनके परिजनों को कमरे एलॉट करने में देरी और महंगा किराया वसूली की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त के निराकरण हेतु सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं बैटरी चालित ट्राईसाइकिलें दिये जाने सम्बन्धी

128-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने दिव्यांगजनों को किन-किन सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि पैरों से दिव्यांग व्यक्तियों को बैटरीचालित ट्राईसाइकिलें और वाटर ए0टी0एम0 वितरित करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 63744 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, कान की मशीन, नेत्रहीन छड़ी एवं कृत्रिम अंग (हाथ एवं पैर) का वितरण किया गया है।

दिव्यांगजन को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की योजना प्रक्रियाधीन है तथा दिव्यांगजन को वाटर ए0टी0एम0 वितरित करने की कोई योजना विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा गठित युवक/महिला मंगल दलों की गतिविधियों को बढ़ाये जाने सम्बन्धी

129-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा युवाओं के अन्दर समाज सेवा की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किये युवक/महिला मंगल दलों की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु कोई विशेष योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा युवाओं के अन्दर समाज सेवा की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किये युवक एवं महिला मंगल दलों में से चयनित मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरित किये जाने एवं सर्वश्रेष्ठ दलों को स्वामी विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिये जाने सम्बन्धी योजना वर्तमान में संचालित है जिसके फलस्वरूप सम्प्रति कोई विशेष नई योजना संचालित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में संचालित धान मिलों से मण्डी शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में

130-श्री चेतराम-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायॉ में स्थापित सुखवीर एग्रो इनापतपुर धान मिल को मण्डी शुल्क शासन स्तर से माफ किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्थापित अन्य धान मिलों का मण्डी शुल्क माफ करेगी ? यदि नहीं, तो सुखवीर एग्रो से मण्डी शुल्क माफ किए जाने के क्या कारण है तथा क्या सरकार मामले की शासन स्तर से जांच कराकर सम्पूर्ण मण्डी शुल्क जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

अधिसूचना संख्या-2244/80-1-2013-600(31)/2012, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्गत अधिसूचना होने के दिनांक से 05 वर्षों की अवधि के लिये कतिपय शर्तों के अधीन मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई थी।

मण्डी अधिनियम, 1964 एवं मण्डी नियमावली, 1965 के प्राविधानान्तर्गत ऐसी नई कृषि प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पांच करोड़ या उससे अधिक हो, को अधिकतम पांच वर्ष के लिये मण्डी शुल्क से छूट अथवा उसकी दर में कमी किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के गांव किरठल के प्राचीन गुरुकुल के जीर्णोद्धार के लिये अनुदान राशि के सम्बन्ध में

131-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव किरठल के प्राचीन गुरुकुल का जीर्णोद्धार सरकार करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत इस हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान के अलावा अन्य फसलों के खरीद केन्द्र स्थापित करने तथा खरीद की सुविधा वर्ष पर्यन्त रखने सम्बन्धी

132-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं व धान के अतिरिक्त किसानों की अन्य फसलों को भी सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु सरकारी खरीद केन्द्र स्थापित करने तथा समस्त केन्द्रों पर खरीद की व्यवस्था पूरे वर्ष जारी रखने की सरकार कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में गेहूं, धान व मक्का के क्रय हेतु क्रय केन्द्र खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा दलहनी व तिलहनी फसलों (चना, मसूर, सरसों, उर्द, मूंग एवं मूंगफली) के क्रय हेतु क्रय केन्द्र की स्थापना सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उक्त फसलों का क्रय मुख्यतः भारत सरकार की अनुमति/निर्देश के क्रम में निर्धारित अवधि (सामान्यतः 90 दिन) के लिये किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

फसल बीमा योजना के प्रीमियम एवं किसानों को की गई क्षतिपूर्ति के भुगतान की जानकारी सम्बन्धी

133-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बीमा कम्पनियों द्वारा कितनी प्रीमियम धनराशि प्राप्त की गई और किसानों को कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई ? क्या सरकार बीमा कम्पनियों के मुनाफे के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसानों को क्षतिपूर्ति के मानकों को सरल बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों से प्रीमियम के रूप में रुपये 787.87 करोड़ एवं प्रदेश सरकार से रुपये 1030.64 करोड़ की धनराशि प्रदेश में कार्यरत बीमा कम्पनियों को प्राप्त हुई जिसमें से रुपये 801.08 करोड़ की धनराशि किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई।

प्रदेश में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में कोई संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र में साठा धान के रोपाई पर रोक एवं बोरिंग पानी के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में

134-श्री चेतराम-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायॉ में साठा धान लगाये जाने से जल स्तर काफी नीचे चला गया है जिस कारण पीने के पानी का काफी संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में साठा धान रोपे जाने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में विभागीय हाइड्रोग्राफ स्टेशन पर भू-जल स्तर की मानीटरिंग के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विगत 10 वर्षों में औसतन भू-जल स्तर में प्री- मानसून अवधि में 31 से0मी0/प्रति वर्ष एवं पोस्ट मानसून अवधि में 64

से0मी0/प्रति वर्ष की गिरावट परिलक्षित हुई है। यह गिरावट साठा धान लगाये जाने के कारण हुई है या अन्य कारण से, इसका अध्ययन अभी नहीं हुआ है।

साठा धान रोपे जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा साठा धान रोपे जाने हेतु अपील/चेतावनी जारी की गई है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या-11318/2017 अजीत सिंह व 138 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2017 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद भदोही में चकगुमानी वीरमपुर में आश्रम पद्धति में हुए घोटाले की जांच के सम्बन्ध में

135-श्री विजय मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में चकगुमानी वीरमपुर में आश्रम पद्धति में हुये घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम चकगुमानी विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर, जनपद संतरविदासनगर (भदोही) में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हेतु रु0 1305.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चकगुमानी भदोही के निर्माण के सम्बन्ध में मेसर्स मिश्रा इलेक्ट्रिक एण्ड कन्सट्रक्शन जी0टी0 रोड, जनगागंज, भदोही द्वारा बरती गई अनियमितताओं/घोटाले की शिकायत की जांच हेतु पत्र दिनांक 04-07-2019 के माध्यम से निदेशक, समाज कल्याण को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-07-2019 द्वारा जिलाधिकारी, भदोही से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट के फलस्वरूप निर्माण हुए ग्राम पंचायतों को फण्ड की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

136-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट की परिधि में आने वाले ग्रामों में बाधित विकास व सफाई आदि के कार्यों को कराये जाने हेतु सरकार किसी फंड की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट की परिधि में आने वाले ग्रामों की साफ सफाई का कार्य ग्राम विकास के बजट से यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ी शिवम मावी अण्डर-19 विश्वकप विजेता टीम के सदस्यों को पुरस्कारों की घोषणा के सम्बन्ध में

137-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ी शिवम मावी को सरकार की ओर से पुरस्कृत करने की घोषणा के अनुरूप उन्हें पुरस्कार धनराशि सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं। सरकार की ओर से पुरस्कृत करने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 तक तालाबों की सफाई हेतु

138-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा व ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में, उसके अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किन-किन ग्रामों में तालाबों की सफाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नोएडा-

नोएडा के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब हैं, उनकी सफाई जिला प्रशासन, गौतमबुद्धनगर द्वारा की जाती है। प्राधिकरण द्वारा उसमें सहयोग किया जाता है।

ग्रेटर नोएडा-

वित्तीय वर्ष 2017-18-शून्य।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 तालाबों की सफाई करने का निर्णय लिया गया। तद्क्रम में ग्राम सैनी में 01, लड़पुरा में 02, हल्द्वानी मे 01, ब्रह्मपुर गजरौला उर्फ नवादा में 01 एवं बिरौंडी में 01, तिलपता कनवास में 01 तालाब सहित कुल 12 तालाबों की सफाई का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विलासितापूर्ण शादी समारोह में खाने की बर्बादी और फिजूलखर्ची रोकने हेतु उपाय करने सम्बन्धी

139-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज में शादी समारोहों में दिखावे और विलासिता पूर्ण कार्यक्रमों में हो रही फिजूलखर्ची और भोजन की बर्बादी रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या तय करने तथा भोजन की बर्बादी रोकने के उपाय करने जैसी कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की प्रचलित नीति नियमों से आच्छादित नहीं है।

प्रदेश में पैदा हो रहे गेहूं की पौष्टिक तत्व परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फेल गेहूं प्रजातियों का बोना प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी

140-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित गेहूं के पौष्टिक तत्वों का परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त पौष्टिकता परीक्षण में विफल गेहूं की प्रजातियों का बोना प्रतिबंधित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

गेहूं की विभिन्न प्रजातियों का विमोचन राज्य बीज विमोचन समिति एवं केन्द्र बीज विमोचन समिति द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् प्रजातियों का नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है।

विमोचित की जाने वाली प्रजातियों के गुणवत्ता, उत्पादन, उत्पादकता के निश्चित अवधि हेतु परीक्षण कृषि विभाग के सम्भागीय कृषि एवं प्रदर्शन केन्द्रों पर एवं विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों में कराये जाते हैं। तदुपरान्त ही उनके परिणामों का राज्य बीज विमोचन समिति चर्चा के आधार पर उन प्रजातियों को कृषकों में वितरण हेतु संस्तुत एवं विमोचित किया जाता है।

गेहूं की विमोचित की गई किसी भी प्रजाति में पौष्टिकता परीक्षण में विफल होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं है। चूंकि प्रजातियों के विमोचन के पूर्व ही प्रजाति विशेष के गुणवत्ता,

उत्पादकता एवं उपज सम्बन्धी परीक्षण किये जाते हैं। अतः गेहूं के पौष्टिक तत्वों का पृथक से परीक्षण कराये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

उपर्युक्तानुसार।

141-श्री धीरेन्द्र सिंह

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के लोगों को विभिन्न आय सम्बन्धी कार्यों के लिये टैक्स आदि में छूट दिये जाने विषयक

142-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार और आय के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु छोटे उद्यमियों को मंडी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी व जी0एस0टी0 आदि में छूट देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अधिकाधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 एवं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू की गई है। इन नीतियों के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ-साथ प्रदेश में स्थापित होने वाली नई इकाइयों को मण्डी शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट व जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश की ऐसी नई प्रसंस्करण इकाइयों को जिनकी संयंत्र एवं मशीनरी की लागत रु0 5 करोड़ या उससे अधिक हो, को मण्डी शुल्क से छूट की व्यवस्था है। इस हेतु इकाइयों को निर्धारित प्रारूप पर मण्डलायुक्त से सक्षम आवेदन करना चाहिये।

प्रदेश में स्थापित होने वाली नई इकाइयों को उद्यम स्थापनार्थ भूमि क्रय करने पर पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड के जिलों में 100 प्रतिशत मध्यांचल व पश्चिमांचल के जिलों में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार प्रदेश में स्थापित होने वाली नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 5 वर्षों के लिये कुल एस0जी0एस0टी0 की 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रतिपूर्ति की सीमा पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के जिलों में स्थाई पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा तक, मध्यांचल व पश्चिमांचल के जिलों में (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर) 90 प्रतिशत की सीमा तक एवं गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में 80 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति की

जायेगी। इस हेतु पिकप अथवा सम्बन्धित जिले के उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में इकाइयों को आवेदन करना चाहिये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि अपशिष्ट जलाने के मामले में की गई दण्डात्मक कार्रवाई के ब्यौरे सम्बन्धी

143-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धान की पराली, गेहूं का तना व गन्ने की पत्ती आदि कृषि अपशिष्टों को जलाने से रोकने हेतु कोई प्रोत्साहन योजना सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित योजना ''प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेजीड्यू'' योजनान्तर्गत धान की पराली, गेहूं का तना व गन्ने की पत्ती आदि कृषि अपशिष्टों को जलाने से रोकने/फसल अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेंट यंत्र जैसे-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर, श्रव मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रोटरी स्लैशर तथा जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल के क्रय पर 50 प्रतिशत एवं इन्हीं यंत्रों के फार्म मशीनरी बैंक अथवा कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के एरच में डिफेंस कारिडोर में भूमि अधिग्रहण में भूमिहीन हो रहे किसानों के सम्बन्ध में

144-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के एरच में डिफेंस कारिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण से भूमिहीन किसानों के परिजनों को रोजगार एवं जीवनयापन के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की जा रही है। ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' के अन्तर्गत अभी भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

नियम-301 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

आज दिनांक 25-07-2019 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 22 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सीताराम वर्मा की सुल्तानपुर सदर से गुजरने वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर मझुई नदी एवं अन्य स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा के अन्तर्गत 220/132/133 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत खजुरी नहर पुलिया से ग्राम वैनी जाने वाली माइनर नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत भोपा रोड पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद सम्भल अन्तर्गत महवा नदी की खुदाई मनरेगा से कराकर पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के ब्लाक चोलापुर के अन्तर्गत ग्राम धौरहरा, हरिहरपुर के पास नाद नदी पर पुलिया तथा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री विपिन कुमार 'डेविड' की जनपद एटा अन्तर्गत एटा-आगरा स्टेट हाइवे के निर्माणाधीन कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हंडिया के ग्राम उमरी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर कुतुब से ग्राम रंगडपुरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर राजवाहा की लाइनिंग पिंचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ओ0डी0आर0 घोषित कराकर सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम बाबूगंज में नये विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के अन्तर्गत राजघाट व नैमिषारण्य के बीच गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की शासनादेश संख्या 1428/आठ-8-2018-194 काम्प/2001, दिनांक 9 अगस्त, 2018 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/अभियंताओं द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में है।

अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के अन्तर्गत अजीतपुर इण्ड्रस्ट्रियल एरिया में सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव की सरकारी खलिहान की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत बेतवा नदी से लिफ्ट कैनाल/पम्प कैनाल द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत रामकटोरा तालाब जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बाइसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत ग्राम बम्होरी बेल्दारन में क्षतिग्रस्त रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं एवं पढ़ी हुई मानी गयी सूचनाएं संलग्न हैं।)

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कालपी बहुत ही पिछड़ी विधान सभा है। कालपी बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार भी है, निम्न गांवों में मार्गों की आवश्यकता है :-

1-सुरावली से मदनेपुर टेल तक 02 किमी0 विकास खण्ड-कुठौन्द।

2-पिपरौधा से हथनौरा तक लम्बाई 1.5 किमी0 विकास खण्ड-महेवा।

3-सरसई से सिकरी जरहा लम्बाई 5 किमी0 वि0ख0-महेवा।

4-जोल्हूपुर हमीरपुर मार्ग का काशीखेड़ा से कालपी 3 किमी0 विकास खण्ड-कदौरा।

5-पथरेहटा से बसरेही 2.5 किमी0 विकास खण्ड-कदौरा।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मार्ग जिनकी लम्बाई बहुत कम है, स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकुमार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत प्रमुख सम्पर्क मार्ग-शेरपुर कल्याण गांव, अतापुर उर्फ खतापुर, खेड़ीजट से फुसन्दी, गिलाड़ी सेढकोली, लाडनपुर से महमदाबाद, छज्जूपुर सादात से नसीरपुर, शेरपुर कल्याण से मुकरपुर ननूपुरा, नूरपुर बिनौर हाइवे मार्ग से हल्दौर कालेज तक, नागलजट से बधावा, चान्दपुर से जलालपुर भूड व गोगली मार्ग कच्चा होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कच्चा मार्ग होने के कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने से बरसात में जल भराव होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्कूली बच्चे अक्सर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। उक्त सम्पर्क मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलाकिंग निर्माण कराये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई न होने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का सी0सी0 अथवा इण्टरलाकिंग निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

सुल्तानपुर सदर से गुजरने वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर मझुई नदी एवं अन्य स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा सदर से गुजरने वाला निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के कारण जगह-जगह मझुई नदी एवं अन्य स्थानों पर पुल/पुलिया का निर्माण न

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न किये जाने के कारण बरसात में जल भराव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कहीं-कहीं सकरी पाइप डाली गयी है जो जल निकासी हेतु अपर्याप्त है। कई गांवों में जल भराव के कारण जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनहित में मझुई नदी एवं अन्य स्थानों पर जल निकासी हेतु पुल/पुलियों का निर्माण अन्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मझुई नदी एवं अन्य स्थानों पर जल निकासी हेतु पुल/पुलियों का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा के अन्तर्गत 220/132/133 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[महोदय, जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र 220/132/33 के0वी0ए0 का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिला मुख्यालय के आखिरी छोर पर स्थित होने एवं चार अलग-अलग 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्रों से सप्लाई होने के कारण आये दिन विद्युत ट्रान्समिशन की समस्या बनी रहती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयक पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मड़िहान जनपद मिर्जापुर शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यहां पर न तो कई इण्टर कालेज हैं और न ही तकनीकी शिक्षा हेतु कोई आई0टी0आई0 ही है। जिसके कारण इस क्षेत्र में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यहां पर इण्टर कालेज एवं आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना हेतु काफी समय से मांग की जा रही है और भूमि भी उपलब्ध है परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक कोई कार्यवाही न होने से इस क्षेत्र के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत खजुरी नहर पुलिया से ग्राम वैनी जाने वाली माइनर नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-287, पयागपुर, जनपद बहराइच, सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत खजुरी नहर पुलिया से ग्राम वैनी तक जाने वाली माइनर नहर पटरी (सड़क) का निर्माण कार्य अधूरा है। लगभग 1 किमी0 पूर्व में कई वर्ष पूर्व बनी सड़क टूट गयी है तथा अवशेष लगभग 01 किमी0 कच्ची सड़क होने से आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए टूटी सड़क का पुनर्निर्माण व अवशेष मार्ग को लेपन स्तर तक बनाए जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत भोपा रोड पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के औद्योगिक क्षेत्र में पेपर मिल स्थित है। इन पेपर मिलों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं तथा जान-माल का भी काफी नुकसान पहुंचता है जिस कारण से जनहित में औद्योगिक क्षेत्र पेपर मिलों में अक्सर होने वाली आगजनी व जनहानि को रोकने के लिए ''भोपा रोड'' पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सम्भल अन्तर्गत महवा नदी की खुदाई मनरेगा से करा कर पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सम्भल की महावा नदी ब्लाक रजपुरा, गुन्नौर, जुनावई होकर जनपद बदायूं के ब्लाक दहगवां के ग्राम समसपुर भूड़ आदमपुर, असलौर खनुआ नगला, बागबाला, जरैठा, जतकी, मदारपुर, सुडारी आदि 40 ग्रामों में होती हुई हुसैनपुर में गंगा नदी में मिलती है। यह नदी सदानीर की पिछले 15 वर्षों में सूख गयी है जिससे 40 ग्राम के लोगों को परेशानी हो रही है। सम्भल में जिलाधिकारी ने मनरेगा से महावा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा से खुदाई करा दी है। सम्भल की तरह बदायूं में भी महावा नदी की खुदाई मनरेगा से करा कर पुनर्जीवित करें। प्रधान संघ के अध्यक्ष लताफत हुसैन लम्बे समय से प्रयासरत हैं परन्तु अभी तक उक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नदी की खुदायी नहीं करायी गयी है। महावा नदी की खुदाई न होने के कारण लोगों में रोष की भावना व्याप्त है, यह जनहित का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए महावा नदी की खुदाई मनरेगा से कराकर पुनर्जीवित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के ब्लाक चोलापुर के अन्तर्गत ग्राम धौरहरा, हरिहरपुर के पास नाद नदी पर पुलिया तथा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, जनपद वाराणसी के ग्राम धौरहरा, हरिहरपुर के मूल निवासी हैं। हम किसानी व मजदूरी का कार्य करते हैं। ब्लाक चोलापुर में ग्राम धौरहरा, हरिहरपुर में जनहित में सुलभ आवागमन हेतु नाद नदी पर पुलिया निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है। इसकी सूचना शासन व प्रशासन को पूर्व में दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद एटा अन्तर्गत एटा-आगरा स्टेट हाइवे के निर्माणाधीन कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार 'डेविड'-

[महोदय, अवगत कराना है कि एटा-आगरा स्टेट हाइवे जो कि एटा शहर की लाइफ-लाइन है जिसके सहयोग से जनपद के हजारों लोग (व्यापारी, गम्भीर बीमारी से पीड़ित एवं छात्र-छात्राओं आदि) प्रतिदिन एटा-आगरा जाकर अपना कार्य निपटाते हैं किन्तु यह मार्ग अभी भी विकसित नहीं है। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा फोर लेन का कार्य धन की उपलब्धता होने पर कराये जाने की जानकारी दी है। जनहित में इस सड़क का फोर लेन कराने हेतु धन उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हंडिया के ग्राम उमरी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा-उमरी मनोहरपुर, वि0ख0-हण्डिया, में प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिससे वहां के ग्रामीणों के बच्चों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा न मिलने से उनका भविष्य अन्धकार में है एवं उक्त ग्राम में पंचायत भवन भी नहीं है, जिससे वहां के ग्रामीणों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर कुतुब से ग्राम रंगडपुरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-17 नजीबाबाद के ग्राम-गाजीपुर कुतुब से ग्राम रंगडपुरा सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से कच्चा है। जिसकी लम्बाई लगभग 01.2500 किमी0 है। उपरोक्त मार्ग कच्चा होने से सैकड़ों ग्रामवासियों को दैनिक आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत लहंगपुर रजवहा की लाइनिंग पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे जनपद मिर्जापुर काफी पिछड़ा एवं पहाड़ी क्षेत्र है। 8-10 किमी0 नहर काफी दयनीय स्थिति में है और जर्जर होने के कारण कई जगह आये दिन टूटना और कुछ स्थानों पर होल बनाकर पानी का रिसाव होकर नदी व जंगल में बह जाता है। जिससे सिंचाई हेतु आगे पानी जाने में काफी असुविधा होती है। जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। लहंगपुर रजवहा से लगभग 20-25 गांवों की सिंचाई होती हैं किन्तु रजवहा की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उस क्षेत्र के सिंचाई के लिए एक मात्र यही साधन है। इस रजवहा के सुदृढ़ीकरण हो जाने से क्षेत्र के किसानों के फसलों की सिंचाई होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में लहंगपुर रजवहा की लाइनिंग पिचिंग कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ओ0डी0आर0 घोषित कराकर सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 98-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद के बरी चौराहे से बसई मोहम्मदपुर होते हुए अंते की मढ़इया, महुआ हार, मढुआ होकर फिरोजाबाद, फतेहाबाद मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक के मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन आमने-सामने से गुजरते समय पलटने का भय बना रहता है व कई बार पलट भी जाते हैं। जनहित में बरी चौराहे से बसई मोहम्मदपुर होते हुए अंते की मढ़इया, महुआ हार, मढुआ होकर फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग तक के मार्ग को ओ0डी0आर0 घोषित कराकर सौन्दर्यीकरण, चौड़ीकरण कराने की अति आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम बाबूगंज में नये विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-बदलापुर के जनपद जौनपुर में बदलापुर (जौनपुर) के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा बाबूगंज में नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा बाबूगंज के अगल बगल 20 से 25 गांव भटपुरा विद्युत उपकेन्द्र से 20 से 22 किमी0 दूरी होने के कारण उक्त गांव की लो वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है। जिससे 20 से 25 गांवों की सिंचाई व अन्य कार्य करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा बाबूगंज में नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत राजघाट व नैमिषारण्य के बीच गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 160-बालामऊ, जनपद हरदोई के अन्तर्गत बेनीगंज के अमरगंज मार्ग पर राजघाट व नैमिषारण्य के बीच पुल का निर्माण कराया जाना जनहित व पर्यटन के हित में अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि उक्त पुल के बन जाने से कानपुर, हरदोई व सीतापुर जनपद का सम्पर्क जुड़ जायेगा तथा पर्यटन स्थल नैमिषारण्य व मिश्रिख तीर्थ को जाने के लिए भी यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बेनीगंज के अमरगंज मार्ग पर राजघाट व नैमिषारण्य के बीच पुल निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194 कैम्प/2001 दिनांक 9 अगस्त, 2018 पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में बिचौलियों के द्वारा, विकास प्राधिकरणों से तलपट-मानचित्र स्वीकृत कराये बिना, गैर-कानूनी तरीके से नागरिकों को अविकसित प्लाट बेचे जा रहे हैं। इन प्लाटों का बैनामा में बिचौलिये सीधे काश्तकारों से कराकर सभी कानूनी कार्यवाही से बच जाते हैं।

गोरखपुर महानगर में इस प्रकार का अनियोजित विकास अपने चरम पर पहुंच चुका है। चारों ओर बेतरतीब तरीके से गड्ढे-कूचे बेंचे जाते हैं, सड़कें, नाली की जल निकासी, पथ प्रकाश, बिजली किसी प्रकार की सुविधा नागरिकों को नहीं मिल रही है। यह गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/अभियन्ताओं/कार्मिकों की जिम्मेदारी थी कि वे ऐसी अनधिकृत कालोनियों का विकास रोकें, लेकिन इन्होंने इन बिचौलियों से गठजोड़ करके इन्हें नागरिकों को लूटने की छूट दे रखी है। वैधानिक रूप से इन अनधिकृत कालोनियों में नगर निगम/विधायक/सांसद द्वारा विकास नहीं कराया जा सका। उत्तर प्रदेश शासन ने इस लूट और शोषण को रोकने के लिए 9 अगस्त 2018 को एक शासनादेश निकाल कर प्राधिकरणों को ऐसी सभी अनधिकृत कालोनियां चिन्हित करने, उनके बिचौलिये विकासकर्ताओं को सूचीबद्ध करके उनकी सम्पत्ति जब्त करके उससे इन कालोनियों का विकास कराने तथा ऐसी कालोनियों के विकास को रोकने में असफल या बिचौलियों की गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों/ अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये थे लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इतने महत्वपूर्ण आदेश को कूड़े के ढेर में डाल दिया है। अभियन्ताओं और बिचौलियों का गठजोड़ बदस्तूर जारी है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि गोरखपुर महानगर की सभी अनधिकृत कालोनियां चिन्हित हों, बिचौलियों की सम्पत्तियां जब्त हों और प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाइ की जाय।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें।]

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के अन्तर्गत अजीतपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मिलक, जनपद-रामपुर में स्थित अजीतपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में सड़क पूरी तरह से टूटी-फूटी, लाइटें खराब पड़ी हैं जबकि यहां की औद्योगिक इकाइयों से विभाग को करोड़ों रुपये का राजस्व प्रतिमाह प्राप्त होता है। सड़क

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जर्जर होने के कारण एक्सपोर्टर इन फैक्ट्रियों में आने से कतराने लगे हैं। जनहित में अजीतपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाता नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागंज की सरकारी खलिहान की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव, तहसील मनकापुर के खलिहान की भूमि गाटा सं0-67/0.266 एअर जो सरकारी खलिहान की भूमि है। उस पर भू-माफिया पूर्व प्रधान छेदी खां द्वारा सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा/मकतब स्कूल का पक्का निर्माण करा दिया गया है। जनहित में उक्त ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत बेतवा नदी से लिफ्ट कैनाल/पम्प कैनाल द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गरौठा में बेतवा नदी निकलती है। जिसमें आज भी जलधारा बह रही है। नदियों में पानी के बड़े-बड़े कुण्ड/जल स्रोत है, लेकिन किसानों की पानी के अभाव में खेती नहीं हो पा रही है। किसानों की हजारों एकड़ भूमि बिना बुआई के खाली पड़ी है। बेतवा नदी पर पहलाददौ/डिकौली में लिफ्ट कैनाल/पम्प कैनाल निकालकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत रामकटोरा तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा वाराणसी उत्तरी अन्तर्गत लहुरावीर एक शहर का प्रमुख चौराहा है। जहां पर ऐतिहासिक महत्व का रामकटोरा तालाब स्थित है। जो कई वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है जो कि यहां पर हमेशा धार्मिक अनुष्ठान निरन्तर चलते रहते हैं। कई बार नगर निगम एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण को इस तालाब के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण के लिए कहा गया किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह कार्य हो जाने से यह तालाब पर्यटन क्षेत्र में विकसित हो सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत ग्राम बम्होरी बेल्दारन में क्षतिग्रस्त रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र चरखारी जनपद महोबा के अन्तर्गत चरखारी विकास खण्ड के ग्राम बम्होरी बेलदारन में क्षतिग्रस्त रपटे आवागमन बन्द है। रपटे का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

श्री अधिष्ठाता-

जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं :-

1-श्री पूरन प्रकाश
2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद
3-श्री मूलचन्द्र
4-श्री सुशील कुमार शाक्य
5-चौ0 उदयभान सिंह
6-श्री अबरार अहमद
7-श्री नाहिद हसन
8-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव
9-इंजी0 ब्रजेश कठेरिया
10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
11-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
12-श्री सोहिल अख्तर अंसारी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

13-श्री राम अचल राजभर
14-श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली
15-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
16-डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी
17-श्री आजाद अरिमर्दन
18-श्री कल्पनाथ पासवान
19-डा0 डी0सी0 वर्मा
20-श्री बहोरन लाल मौर्य
21-श्री रोशन लाल वर्मा
22-श्री असलम अली
23-श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल
24-श्री उमेश मलिक
25-श्रीमती जय देवी
26-श्री अनिल पाराशर
27-श्री बम्बा लाल
28-श्री विनोद सरोज
29-श्री वीरेन्द्र सिंह राणा
30-श्री सत्यपाल सिंह राठौर
31-श्री केसर सिंह

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं :-

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत अमरिया में फर्जी उर्दू शिक्षक द्वारा विभिन्न विभागों में किये गये घोटाले विषयक सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

पहली सूचना है श्री अगयश राम शरण वर्मा जी की है कि दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को नियम-300 के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत अमरिया के गांव जगत में उर्दू भाषा का ज्ञान न होने पर भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उर्दू शिक्षक के रूप में कार्यरत राजकुमार उर्फ राजू द्वारा जिला पंचायत, मण्डी परिषद, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लोक निर्माण विभाग एवं गन्ना विकास विभाग आदि में भिन्न-भिन्न नामों से ठेकेदारी एवं घोटाले करने विषयक ध्यानाकृष्ट की गई सूचना पर अपेक्षित कृत कार्यवाही की सूचना न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो निर्देश हैं उसका पालन कर लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसका पालन कर लीजिएगा। यह सूचना अग्राह्य की गयी। दूसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह जी की विधान सभा की वी0आई0पी0 कैंटीन में मा0 सदस्यों के खाने में कीड़े एवं काकरोच निकलने तथा खाने की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में है।

विधान सभा की वी0आई0पी0 कैण्टीन के खाने में कीड़े एवं काकरोच निकलने तथा खाने की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री संजय गर्ग-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कैंटीन का बहुत बुरा हाल है कैंटीन में कोई भी माननीय सदस्य जाने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है क्या यह विषय माननीय अध्यक्ष जी के अधीन है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विषय माननीय अध्यक्ष जी के अधीन है इस विषय पर अलग से बैठकर बात कर लेंगे और इस समस्या का समाधान कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी से रिलेटेड यू0पी0 भवन का भी यही हाल है इसके बारे में भी विचार करा लीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, विचार करा लेंगे।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-687/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(27)-2019, दिनांक 1 मई, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-687/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(27)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी समय 12 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए)

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-688/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(28)- 2019, दिनांक 1 मई, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-688/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(28)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-689/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(29)- 2019, दिनांक 1 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-689/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(29)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-690/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(30)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-690/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(30)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-691/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(31)- 2019, दिनांक 1 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-691/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(31)-2019, दिनांक 1 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-590/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(32)-2019, दिनांक 16 मई, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-590/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(32)-2019, दिनांक 16 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-770/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(33)-2019, दिनांक 20 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-770/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(33)-2019, दिनांक 20 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-805/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (34)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-807/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(35)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-807/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(35)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-808/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(36)-2019, दिनांक 28 मई, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-808/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(36)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-809/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(37)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-809/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(37)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-810/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(38)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-810/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(38)-2019, दिनांक 28 मई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-829/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (40)- 2019, दिनांक 4 जून, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-829/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (40)-2019, दिनांक 4 जून, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-983/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(42)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(42)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-984/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(43)- 2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-984/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(43)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1027/ग्यारह-9 (47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(44)- 2019, दिनांक 9 जुलाई, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1027/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 ऐक्ट-1-2017-आदेश(44)-2019, दिनांक 9 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (छियालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या-306/86-2019-153(सा0)-2017, दिनांक 6 मार्च, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (छियालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या-342/86-2019-183-2011, दिनांक 9 मार्च, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का अड़तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का अड़तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 को कम्पनी अधिनियम की धारा-619ए (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का उन्तालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का उन्तालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 को कम्पनी अधिनियम की धारा-619ए (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का चालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का चालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम की धारा-619ए (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन

† छापी नहीं गयी।

विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2015-2016 †

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2015-2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) (बी) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 †

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाति सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-07/2019/2485/80-1-2018-600(22)-2002 टी0सी0 II, दिनांक 7 फरवरी, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-28 में कुछ नहीं है।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित बारह याचिकाएं

डा0 डी0सी0 वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पिथुपुरा से वाया गौतारा शंखा पुल तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम कपूरपुर से बाबा कैलाशमणि के पास रामगंगा घाट तक पक्के रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहिपुरा में मेन रोड से सरदार बग्गा सिंह झाले तक डामर/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार बग्गा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के फतेहगढ़ पश्चिमी से वाया रहपुरा जागीपुर टेक्सटाईल पार्क होते हुए ठिरियाठकुरान तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम धनेटा में बहगुल नदी के किनारे बाबा बनखण्डीनाथ मन्दिर के पास भूमि का सौन्दर्यीकरण कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतिराज सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम चनेटा से खेउगौटिया तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहनलाल लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम महिमा नगला से ग्राम केसरपुर तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बसई में मुख्य मार्ग से अशोक गंगवार के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम चिटौली से सिरसा जागीर तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम कुरतरा से ग्राम बड़ी पटवैया तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खेमपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दुनका में दुनका पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में श्री अनिल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(12) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम थानपुर से एन0एच0-24 तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मंजू कोरी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री लाल जी वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम खिद्दिरपुर, ग्राम पं0-गनेशपुर में टोंस नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम-चनगा बड़ेरिया में विशुही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी एवं भीटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसन्तपुर-नाउपुर के बीच में विशुही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत ग्राम सभा-बहोना शरीफ, ग्राम पंचायत-पूरे दरबार में विशुही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झिंगूरी निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम भारीडीह-जैनपुर मार्ग पर भदौना नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत ग्राम-सया में गडियावाँ नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

† छापी नहीं गयी।

श्री सियाराम पटेल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित सात याचिकाएं†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बरेली बगेश्वर मार्ग आटामांडा से धौरा टाण्डा होते हुए शाही तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के ग्राम कमुआ गौटिया में जनसुविधा केन्द्र से महिपाल सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महिपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत बरेली बगेश्वर मार्ग के कनमन से शरीफनगर होते हुए मवई काजियान तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेद प्रकाश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम पिपौली से नवनिर्मित मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत सनिया से बहिजुईया होते हुए ऐना तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत मुडिला चेतराम के पास नहर से सफरी तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमराज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मान्यवर, क्रम संख्या 7 में तहसील बहेड़ी की जगह बरेली होगा।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम भूडा से बरेली-नैनीताल मार्ग तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज साहू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं†

श्री ज्ञान तिवारी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड-रेउसा के अन्तर्गत रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा थानगांव में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री विकास शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड-रेउसा के अन्तर्गत राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण नन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में रेउसा को तहसील व पुलिस सर्किल आफिस बनाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड रामपुर मथुरा के अन्तर्गत दुर्गापुर से राजकीय इण्टर कालेज रामपुर मथुरा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम मनोरथ अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में बाढ़ खण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवबरनलाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करेंगे।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित आठ याचिकाएं †

श्री अनिल सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत बिछिया-चमरौली मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण/दुरुस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत के0के0एम0-सराय जोगा से होते हुए एम0एम0यू0 तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण/दुरुस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत असोहा-बनी मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण/दुरुस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम बन्थर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट के कारण प्रदूषण समस्याओं के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड असोहा पुरवा-गिलसहामऊ-कालूखेड़ा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण/दुरुस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सहदेव रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में ट्यूबवेल कनेक्शन का स्टीमेट की धनराशि देने के बावजूद समय पर ट्रान्सफार्मर न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री आशीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत पुलियों का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री ज्ञानेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री ज्ञानेन्द्र-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-319, पनियरा के विकास खण्ड-धुधुली में देवरिया रजवहा पर विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पुल के

† छापी नहीं गयी।

नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री अरवीन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-319, परतावल बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-319, पनियरा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के विकास खण्ड नगरा के अन्तर्गत ग्राम सभा नगरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के मधुबन ढाला एवं कुण्डैल ढाला पर वाराणसी-गोरखपुर मुख्य रेल मार्ग के मध्य अण्डर पास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत विकास खण्ड-सीयर में 132/33 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दयानन्द वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्रीमती सुषमा पटेल-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में बेरमाँव बाजार बड़ी नहर से घूरीपुर होते हुये सुजानगंज बेलवार मेन रोड दीपकपुर तक लम्बाई 3 किमी0 पिच रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समर बहादुर पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-मुंगराबादशाहपुर, ग्राम सभा-अमोध में उचौरा गरियांव मुख्य मार्ग पर अमोध सम्पर्क मार्ग से

† छापी नहीं गयी।

राजू पटेल के घर से होते हुए ग्राम सभा रामपुर भोडी तक 3 किमी0 पिच रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा सखवनिया शुर्द, टोला वासदेवपुर, तहसील कसया, ब्लाक पडरौना में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा कल्याण छापर (छोटा), तहसील व ब्लाक पडरौना में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका †

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संविदा एम0पी0डब्लू0 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के नियमित रिक्त पदों पर समायोजित करने हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका †

श्री असलम अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में निकट मकदूम साहब मजार के पास में मेन रोड पर स्थित जर्जर नाले पुल का नव निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी रफीक व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिंस'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका व्यपगत †

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिंस''-

की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पंचायत निजामपुर नगरिया के राजस्व ग्राम रसीदपुर में पानी की

† छापी नहीं गयी।

टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह चन्देल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका व्यपगत।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मिर्जाबेग दुःखवर (मकदूमपुर बना) के दक्षिण से तुरकहिया तालाब से ग्राम सभा नैली (नयानगर) में स्थित नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राज व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य विधान सभा की जनपद वाराणसी व लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका †

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के पत्रकारपुरम सिकरौल से सनवीम वरूणा स्कूल, सेन्ट्रल जेल रोड तक खुले नाले में पाइप बिछाने का कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) जनपद लखनऊ के ग्राम रहीमाबाद (राजा बिजली पासी वार्ड द्वितीय) नहर के ट्रांसफर के शराफत नगर कालोनी तक लगभग 1.00 किमी0 सड़क का डामरीकरण एवं नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राकेश सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका व्यपगत †

श्री राकेश सिंह-

की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत खीरी को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका व्यपगत।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री अमिताभ बाजपेई-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर स्थित एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के निर्माण हेतु ग्राम सफीपुर परगना व तहसील कानपुर सदर के किसानों को 20

† छापी नहीं गयी।

वर्ष व्यतीत होने के बाद जिलाधिकारी/भू-अध्याप्ति अधिकारी कानपुर द्वारा किसानों को मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) जनपद कानपुर नगर के आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र में कैनाल पटरी एक्सप्रेस रोड कामर्शियल प्लाट दुकानों में सीवर व जलकल न होने के बावजूद अवैध वसूली के सम्बन्ध में श्री दीपक जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) जनपद कानपुर नगर के के0डी0ए0 कानपुर नगर इस्पातनगर योजना में कामर्शियल प्लाटों के विकास एवं मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री सी0पी0 ओमर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) जनपद कानपुर नगर आर्यनगर विधान सभा में घण्टाघर चौराहे पर उजाड़े गये ठेला दुकानदारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब के अन्तर्गत ग्राम बीच का खेड़ा मजरा, ग्राम पंचायत कठवारा में जल निकासी के सम्बन्ध में श्री केशन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री संजय गर्ग, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

श्री संजय गर्ग-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के महानगर सहारनपुर की मलिन बस्ती इन्दिरा कॉलोनी निकट पेपर मिल रोड एवं नन्द पुरी निकट लेबर कॉलोनी में गन्दे पानी की निकासी न होने के सम्बन्ध में श्री शिव मंगल व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन राजकीय इण्टर कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्न हुयी अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में श्री आजम शाह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-344 रुड़की-पुचकूला मार्ग के 42 किमी0 में सहारनपुर नगर में प्रवेश से पहले नागदेव नदी पर

† छापी नहीं गयी।

लगभग 184 साल पुराने पुल के जर्जर होने के कारण पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री विपिन जैन व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मंडल मुख्यालय महानगर सहारनपुर के बीचों-बीच स्थित बस अड्डों को बाहर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री औसाफ गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में यमुनोत्री राज्य मार्ग संख्या-57 के बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनुराग मलिक व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के महानगर सहारनपुर के पुराने शहर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री विपिन जैन व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में वीनियर एवं प्लाईवुड उद्योगों का हब स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर रउफ व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में काष्ठकला उद्योग के लिए क्लस्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हैदर रउफ व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के महानगर सहारनपुर के बीचों-बीच ढमोला नदी की पिचिंग हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की समिति के द्वारा अनुमोदित रुपये 566.47 लाख के वित्त पोषण के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर की बेहट तहसील में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में चेक डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चानू राम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा में वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा-329 के विकास खण्ड नौरंगिया, कोटवां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय सुविधा पैथालॉजी सेण्टर, एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउण्ड, सी0टी0 स्कैन लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा-329 के खड्डा ब्लाक के छितौनीव नौरंगिया ब्लाक के बरवातन पुर स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय सुविधा के सम्बन्ध में श्री रामायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सोहगीबरवां वन अभ्यारण केन्द्र को पर्यटन केन्द्र इको-टूरिज्म के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा-329 के खड्डा में पर्यावरणीय प्रबन्धन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित ग्यारह याचिकाएं†

डा0 नीरज बोरा-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के इंजीनियरिंग कालेज (आई0टी0आई0) जानकीपुरम चौराहे से पुरनिया चौराहे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती रूपाली गुप्ता व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के खदरा एवं फैजुल्लागंज, गोमती तट परिछई पूजा हेतु घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मो0 जानकीपुरम गार्डेन में मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज के चतुर्थ वार्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अपूर्व मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(5) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्टेडियम को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-एफ जानकीपुरम में लम्बित सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के अलीगंज में समाज कल्याण द्वारा संचालित जाति वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर गौतम व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(8) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के अलीगंज में स्थित नगरीय बाल महिला चिकित्सालय को 100 शैय्या अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंघल व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(9) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज गोमती तट पर नये श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश शुक्ला व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(10) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के अलीगंज में स्थित पुराना हनुमान मंदिर से लगा हुआ परिसर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ जायसवाल व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(11) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-लखनऊ के कपूरथला बाजार, अलीगंज में पार्किंग स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अनिल पाराशर, सदस्य विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री अनिल पाराशर-

(1) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मडराक जरवहा में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र तोमर व अन्य निवासीगण, जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर के पठैनी अघोन मार्ग से बलीपुर (बलरामपुर) से होकर कमालपुर बाईपास के 2 किमी0 भाग के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री ठाकुर योगेन्द्र पाल सिंह अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

(3) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास के चार लेन निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह पार्षद व अन्य निवासीगण, जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मडराक में पानी की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ठाकुर सज्जन पाल सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-50 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 जुलाई, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 25 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं,

2-दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं,

तद्नुसार दिनांक 25 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जुलाई, 2019</u>

25 गुरुवार

1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(ख) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

(ङ) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

(च) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

(छ) उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

26 शुक्रवार 1-उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3- (क) मा0 सदस्यों द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा :-

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम/प्रस्तुतीकरण का दिनांक	प्रस्ताव
1	2	3
1.	श्री विनय शंकर तिवारी 22 दिसम्बर, 2017	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।
2.	श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू 22 दिसम्बर, 2017	यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।
3.	श्री अजय कुमार लल्लू 22 दिसम्बर, 2017	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर में बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।
4.	श्री देवमणि द्विवेदी 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर ''कुश भवनपुर'' किया जाये।

1	2	3
	5. श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्य योजना बनायी जाय।
	6. श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी की ब्लाक मोंठ के ग्राम लोहागढ़, ब्लाक गुरसराय के ग्राम एवनी तथा ब्लाक बामौर के ग्राम ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाये।
	7. श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढवई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाये।
	8. श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
	9. श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

1	2	3
10.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
11.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
12.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
13.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशा कर्मियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
14.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

1	2	3
15.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
16.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।
17.	श्री वीर विक्रम सिंह 21 दिसम्बर, 2018	यह सदन जनपद-शाहजहांपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाए।
(ख) मा0 सदस्यों द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-		
1.	श्री संजय कुमार गुप्ता	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।
2.	श्री संजय कुमार गुप्ता	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी स्थित बन्द पड़े अस्पताल बल्लभराम सालिगराम मेहता का अधिग्रहण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित कराया जाये।

1	2	3
	3. ''प्रिन्स'' वीर विक्रम सिंह	यह सदन जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा में स्थित विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पंचायत बुधवना के ग्राम जिराऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कराई जाय।
	4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि मथुरा के राया में मथुरा-अलीगढ़ रेलवे मार्ग पर रेलवे फाटक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या के निवारण हेतु उपरिगामी सेतु बनवाया जाय।
	5. श्री जवाहर लाल राजपूत	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के गिरते भू-जलस्तर को ठीक करने हेतु तालाबों/पोखरों से अतिक्रमण हटवा कर उनका पुनरुद्धार करवा कर उनमें प्रचुर मात्रा में जल संचयन की व्यवस्था करायी जाय।
	6. श्री जवाहर लाल राजपूत	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड की नदियों से मानकों के विपरीत बालू/मौरंग के अंधाधुंध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं गिरते भू-जलस्तर को देखते हुए बालू/मौरंग के खनन मानकों का पुनर्निर्धारण करते हुए उनके पालन हेतु एक प्रभावी योजना बनायी जाय।
	7. श्री बृजेश कुमार प्रजापति	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिवर्ष पड़ रहे सूखे के कारण गिर रहे जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए।

1	2	3
	8. श्री बृजेश कुमार प्रजापति	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के नागरिकों का पलायन रोकने हेतु बुन्देलखण्ड में ही रोजगार मुहैया कराया जाए।
	9. श्री पवन केडिया	यह सदन प्रस्ताव करता है कि हाटा क्षेत्र के मुख्यालय से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर भारी वाहनों के आवाजाही से जनता को सड़क पार करने में हो रही असुविधा एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए हाटा कस्बे के यात्री स्टेशन पर अण्डरपास बनाया जाए।
	10. श्री संजय कुमार गुप्ता	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्षेत्र में UPSIDC द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जायें।
	11. डा0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती आबादी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में विकसित हुए नवीन आवासीय क्षेत्र के बीच आ चुके शमशान भूमि के कारण कालोनी वासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत पुराने शमशान घाटों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी योजना बनायी जाए।
	12. डा0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में सूर्योपासना के महापर्व छठ पर होने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के दृष्टिगत गोमती नदी के तट पर गोमती रिवर फ्रण्ट योजनान्तर्गत घाटों का निर्माण कराया जाए।

1	2	3
13.	डा0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि व्यापक जनहित में लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर से लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रबन्ध संस्थान मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाय।
14.	डा0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में ओ0डी0 ओ0पी0 अन्तर्गत चयनित आंवला के किसानों को प्रोत्साहित करने व आंवला के गुणकारी विभिन्न उत्पादनों की पहचान देश विदेश में कराने हेतु जनपद-प्रतापगढ़ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए।
15.	डा0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा विश्वनाथगंज अन्तर्गत ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थल, भयहरणनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर उसका सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाये।
16.	डा0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में गरीबों, बेरोजगारों, नौजवानों के मुम्बई, दिल्ली आदि बड़े शहरों में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ की ए0टी0एल0 फैक्ट्री की भूमि पर एक उद्योग की स्थापना की जाए।

1	2	3
	17. डा0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में बढ़ती आबादी व होने वाले जलसंकट के दृष्टिगत भविष्य में सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए कुर्सी रोड और घैला के पास एक-एक वाटर वर्क्स की स्थापना करायी जाय।
	18. श्री ज्ञान तिवारी	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर-एच में जल निकासी के लिए क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय।
	19. श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा मंझनपुर के पश्चिम शरीरा पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करके सी0एच0सी0 एवं चम्पहा बाजार में पी0एच0सी0 स्थापित करायी जाय।
	20. श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी स्थापित करायी जाये।
	21. श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा मंझनपुर के चम्पहा बाजार एवं विकास खण्ड कौशाम्बी के धर्मपुर में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन को स्थापित कराया जाये।

1	2	3
22.	श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय महिला इण्टर कालेज एवं राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।
23.	श्री संजय गुप्ता	जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी में भरवारी कोतवाली की स्थापना करायी जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विधेयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय कुमार लल्लू-

अधिष्ठाता महोदय, कार्य-मंत्रणा वाले में 103 का जो प्रस्ताव था वह आपने नहीं रखा, उसको सम्मिलित करा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

हमने 3 क बोल दिया था।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, नहीं बोला है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, उसको देख लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-52 में कुछ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 25-07-2019 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम चार सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री शैलेन्द्र सिंह यादव 'ललई', डा0 संग्राम यादव, श्री नफीस अहमद की उच्चतर शिक्षा आयोग के विज्ञापन संख्या-47 के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु जारी सूची में आरक्षण का अनुपालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री राम अचल राजभर की दिनांक 08-07-2019 को यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटना में 29 लोगों की मृत्यु एवं आये दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री सोहिल अख्तर अंसारी, सुश्री अदिति सिंह की दिनांक 14 मई, 2019 को जनपद रायबरेली से सदर विधायक सुश्री अदिति सिंह पर कातिलाना हमला किये जाने एवं कोई ठोस कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रफीक अंसारी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री संग्राम यादव, श्री नवाब जान, श्री संजय गर्ग, श्री नाहिद हसन, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री नईम उल हसन, श्री इकबाल महमूद, श्री नफीस अहमद की दिनांक 30 जून, 2019 को मेरठ में एक संस्था द्वारा शान्तिपूर्वक कैन्डिल मार्च निकालने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने, 60 से अधिक लोगों को जेल भेज दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं- पहली सूचना, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री ओमकार सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री सोवरन सिंह यादव। दूसरी सूचना, श्री असलम अली और तीसरी सूचना श्री हरीराम।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, महत्वपूर्ण है, लोक महत्व का है, निश्चित है। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में आरक्षण व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या-47 के अन्तर्गत सहायक आचार्य-समाज शास्त्र, सहायक आचार्य-शारीरिक शिक्षा, सहायक आचार्य-सैन्य विज्ञान आदि विभिन्न विषयों के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। उसकी लिखित परीक्षा लेकर परिणाम घोषित किया गया तथा साक्षात्कार हेतु जो कट-आफ सूची जारी की गयी उसमें सामान्य भर्तियों की अपेक्षा अधिक अंक पाने वाले पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसमें सहायक आचार्य-समाज शास्त्र में सामान्य वर्ग का

कट-आफ है-103.37, अन्य पिछड़ा वर्ग का है-130.34, अनुसूचित जाति, जनजाति का है-112.36, अंग्रेजी विषय में सामान्य वर्ग का है-53.06, अन्य पिछड़ा वर्ग का है-73.46, अनुसूचित जाति का है-55.10, अर्थशास्त्र विषय में सामान्य वर्ग का है-132.65, अन्य पिछड़ा वर्ग का है-138.78, अनुसूचित जाति का है-128.57, शारीरिक शिक्षा में सामान्य वर्ग का है-103.09, अन्य पिछड़ा वर्ग का है-123.71, अनुसूचित जनजाति का है-107.22, उर्दू विषय में सामान्य वर्ग का है-145.45, अन्य पिछड़े वर्ग का है-165.66, अनुसूचित जाति का है-115.15 पर रखा गया। इसमें संविधान के तहत आरक्षण प्राप्त करने वाली पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी अधिक अंक पाने के बावजूद भी साक्षात्कार से वंचित हो गये हैं। इसमें केन्द्र सरकार की तरह सेन्ट्रल एजुकेशन आफ इंस्टीट्यूट, पोस्ट में रिजर्वेशन इन टीचर, आर्डिनेन्स-2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 एवं यू0जी0सी0 के सर्कुलर संख्या-1-5-2006 अनु0जनजाति दिनांक 07 मार्च, 2019 का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। हम किसी के विरोध में नहीं है लेकिन संविधान में जिनको आरक्षण का अधिकार दिया गया है, उनको लाभ मिलना चाहिए और यह सरकार जब से सत्ता में आयी है षड़यन्त्र करके पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण व्यवस्था को लगभग समाप्त सा कर दिया है। ये सामान्य वर्ग से अधिक अंक पाये हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति इसके बावजूद साक्षात्कार में नहीं बुलाये गये और जो कम नम्बर पाये वो साक्षात्कार में चले गये। श्रीमन् ये घोर अन्याय है।

श्री लाल जी वर्मा-

सामान्य वर्ग का रिजर्वेशन हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सामान्य वर्ग के लोग भर्ती हों इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के अधिक नम्बर पाकर साक्षात्कार में न बुलाया जाना और एक वर्ग जो कम नम्बर पाया है उसको साक्षात्कार में बुला लेना ये तो घनघोर अन्याय है, श्रीमन्। अभी कल ही हाउस में आया था कि प्रोफेसर पद पर उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पिछड़े और अनुसूचित जाति के प्रोफेसर नहीं हैं। श्रीमन् ऐसी ही व्यवस्था पिछले सत्र में आयी थी और मैंने इस प्रश्न को उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, उसका पालन किया जायेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं श्रीमन् यह बड़े चालाक लोग हैं, कागज में, नियम में खत्म नहीं किया है आरक्षण। नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि आरक्षण लागू न हो पावे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन न हो। आप पूर्ण बहुमत में आये हैं और हमको लगता है कि आरक्षित वर्ग भी बहुमत में आपको वोट दिया है, क्यों उसके हक को आप मारना चाहते हैं ? क्यों उसके पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं ? क्यों नहीं उसको आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं ? जिसके वोट पर आप

इतने बहुमत से आये हैं, उसी के पेट पर लात मार रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस मामले को लेकर के पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मन में सरकार के प्रति अविश्वास व्याप्त हो गया है, क्षोभ हो गया है, दुःख हो रहा है। अगर अविलम्ब इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक करके, निरस्त करके, आरक्षण की व्यवस्था लागू करके सबको हक देने की जब तक बात नहीं होगी श्रीमन्, तो यह स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का है, निश्चित है और अविलम्बनीय है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन की शेष कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा नहीं हो रही है, आप बैठिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इसमें आपके दस्तखत नहीं हैं। मान्यवर, यह न तो परिपाटी है और न ही यह नियम है।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिये, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह महत्वपूर्ण है, सब को सुन लीजिए। इसमें संग्राम जी का दस्तखत है, ललई जी का दस्तखत है, नरेन्द्र वर्मा जी का दस्तखत है तो क्यों तेजी में है ? यह बहुत गम्भीर मामला है। दो-दो मिनट सबको सुन लीजिए।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े रहने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह गलत परम्परा है, नियम-56 में जिन लोगों के दस्तखत हैं। उनमें से चाहे जिन दो लोगों की सुन लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह परम्परा गलत है कि किसी भी विषय पर अगर नियम-56 में किसी माननीय सदस्य ने लगाया तो ऐसे

कोई भी खड़ा हो जायेगा। आप दल के नेता हैं, आप अलग से जब चाहें कह सकते हैं। आप क्षमा करेंगे, यह व्यवस्था के खिलाफ है। मान्यवर, यह नियमों के भी खिलाफ है और परम्परा के भी खिलाफ है। माननीय नेता विरोधी दल का जैसा अंदाज है कि एक बात को तिल का ताड़ बनाना, अगर कहीं तिल भी न हो तो भी वह ताड़ बना सकते हैं। यहां तिल भी नहीं है, उसका ताड़ बनाये हुए हैं। अरे, तिल नहीं हैं, उसका ताड़ बनाये हुए हैं। अधिष्ठाता महोदय जिसे अनुमति देंगे, हम तो सुनेंगे और जवाब देंगे।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठता महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष के बाद बोलने के बाद भी क्या आप कोई नई बात बोलेंगे। चलिए दो मिनट ने अपनी बात कह लीजिए।

डा0 संग्राम यादव-

मान्यवर, आज एक बहुत ही गम्भीर विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने आपका ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। आज पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में, जो हमारे दलित, आदिवासी वर्ग हैं, इनमें बहुत ही क्षोभ है। जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि ज्यादा नम्बर होने के बावजूद जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विज्ञापन आया और जिसके बारे में आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि विज्ञापन संख्या-47 के अंतर्गत सहायक आचार्य- समाज शास्त्र, सहायक आचार्य- शारीरिक शिक्षा, सहायक आचार्य- सैन्य विज्ञान आदि विभिन्न विषयों के आवेदन आमंत्रित कर लिखित परीक्षा लेकर परिणाम घोषित किया गया था। मान्यवर, जो परिणाम घोषित किया गया, जो कटऑफ सूची जारी की गई, उसमें सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा अधिक अंक पाने वाले पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी साक्षात्कार में समिलित नहीं हो सके। इसमें समाज शास्त्र- सहायक आचार्य में सामान्य कटऑफ 103.37, अन्य पिछड़ा वर्ग 130.34, अनुसूचित जाति 112.36, अंग्रेजी विषय में सामान्य वर्ग 53.06, अन्य पिछड़ा वर्ग में 73.47 और अनुसूचित जाति में 55.10। मान्यवर, इस तरह से अधिक अंक पाने के बावजूद साक्षात्कार से वंचित हो गये। इसमें केन्द्र सरकार के 10 सेंट्रल एजुकेशनल इंन्स्टीट्यूट, रिजर्वेशन इन टीचर आर्डिनेंस 2019, दिनांक 7.5-2019 एवं यू0जी0सी0 के सर्कुलर संख्या एफ0 185206, अनुसूचित जाति जनजाति दिनांक 7-5-2019 का अनुपालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, जब पिछला भी सत्र चला था, तब माननीय नेता प्रतिपक्ष, राम गोविन्द चौधरी जी ने इस विषय को उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस समय भी कहा था। लेकिन मान्यवर, आपको याद होगा कि जब देश के अंदर आपकी सरकार बनी तो कैबिनेट में लाया गया है तो सबसे पहले जो आपने पूरे देश के

अंदर विश्वविद्यालयों में 13 प्वाइंट रोस्टर लागू करके पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के हक को मारा था, दिल्ली में आपकी सरकार बनते ही कहा कि वह जो 13 प्वाइंट रोस्टर था, वह गलत था, वह संविधान प्रदत्त नहीं था और उसको उन्होंने रद्द करके भारत सरकार ने दो सौ प्वाइन्ट रोस्टर लागू किया था। जब आपको हक मारना होता है तो आप कागजों पर नियम कानून बना देते हैं और उसके बाद जनता को गुमराह करने के लिए समय-समय पर संशोधन करते रहते हैं। अगर तेरह प्वाइन्ट रोस्टर जिसकी श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने चर्चा किया था, अगर वह गलत था जिसको भारत सरकार ने मानने का काम किया तो मान्यवर, उसके द्वारा जो नियुक्तियां हुई थीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या सरकार उसको रद्द करने का काम करेगी ? मान्यवर, बड़े जद्दोजहद के बाद मंडलायुक्त की सिफारिशें लागू हुई थीं, बड़े संघर्षों के बाद लागू हुई थीं, हमारी आबादी 54 परसेंट थी लेकिन हमें 27 परसेंट आरक्षण दिया गया लेकिन उसके बाद भी 27 परसेंट आरक्षण के साथ आप इतना बड़ा खेल तमाशा लगाये हुए हैं। आरक्षण को कम कमजोर करने के लिए आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां कर रहे हैं, आप निजी क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। आप हमारे पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार पिछड़ों के हकों को मारा जा रहा है, दलित वर्ग के हकों को मारा जा रहा है, आदिवासियों के हकों को मारा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आज नौजवान है, जो पढ़ा-लिखा विश्वविद्यालय का नौजवान है जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है और सरकार की गलत नीतियों के कारण उसके हकों पर डाका डाला जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोकमहत्व के विषय पर आप तत्काल सदन की कार्यवाही स्थगित करके उस पर चर्चा कराने का काम करें, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं पुनः विनती करूंगा कि 13 प्वाइन्ट रोस्टर के तहत् उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं अगर सरकार पिछड़ों और दलितों की हितैषी है, आदिवासियों की हितैषी है तो ऐसी नियुक्तियों को रद्द करके दूसरा विज्ञापन जारी करके नियुक्तियां कराने का काम करे जिससे पिछड़े और दलितों के हकों को मारा न जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, नेता प्रतिपक्ष ने यह विषय उठाया है कि उच्चतर शिक्षा आयोग के विज्ञापन सं0-47 के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु जारी सूची में आरक्षण का अनुपालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। मान्यवर, मैं पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार पूरी तरीके से जो संवैधानिक चीजें हैं उनको लागू करने में एक परसेंट की न तो कोई कोताही की है और न करेगी। दूसरी बात मान्यवर, अगर कहीं तिल हो तो उसका ताड़ बनाना तो समझ में आता है और और अगर तिल भी न हो तो भी ताड़ बना देते हैं। मान्यवर, सेलेक्शन कहां हो गया, सेलेक्शन का मतलब यह है कि रिटेन एग्जामिनेशन प्लस इन्टरव्यू उसके बाद परीक्षाफल आता है। सेलेक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि केवल रिटेन एग्जामिनेशन हो और उसको

आप अन्तिम परिणाम मान लें। आपने जो यह विषय उठाया है कि सामान्य वर्ग के लोगों के कम नम्बर होते हुए भी उनको बुला लिया गया और अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के नम्बर ज्यादा होते हुए भी उनको साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। मान्यवर, 27 परसेंट के आरक्षण की जो व्यवस्था बैकवर्ड के लिए है, आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश को आश्वस्त करना चाहते हैं वह पूरी तरीके से बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से उसके प्रति हम संकल्पित भी हैं और वह लागू रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई हीलाहवाली नहीं होगी। मान्यवर, आयोग को यह अधिकार है कि जितने कैंडीडेट सेलेक्ट हों, उसके पांच गुने लोग साक्षात्कार हेतु बुला लिये जाएं। चूंकि सामान्य वर्ग के कैंडीडेट ज्यादा सेलेक्ट हुए थे इसलिए उनको पांच गुना करके बुला लिया गया। यह नम्बर की बात नहीं है, यह नम्बर के आधार पर तय नहीं होता है, मान्यवर, एक निश्चित अंक प्राप्त न भी कर पायें ओ0बी0सी0 के लोग तो भी 27 परसेंट पूरा होगा। 27 परसेंट के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और उसमें कोई हीलाहवाली, कोई छेड़छाड़ किसी प्रकार की नहीं होगी, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। मान्यवर, जब विश्वविद्यालय की बात पिछली बार आई थी तो यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने 2008, 2009, 2010 में उसको किया उस समय जो लोग यहां पर बैठे थे (सत्ता पक्ष में थे) उन लोगों ने उसको लागू किया था। यह व्यवस्था हमने नहीं की, उन लोगों ने लागू किया और लागू करने के वक्त यह नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा ? आपने एक बात पर ध्यानाकर्षण किया, हमने उसको सही समझा और उसको पूरी तरीके से विभागवार न करके, विश्वविद्यालयवार कर दिया। पिछली बार यह सदन में आया था जिसके बारे में अभी बाकायदा उठाया गया। आपने (नेता प्रतिपक्ष) कोड किया, इसीलिए हम जवाब दे रहे हैं कि जो हमने लॉजिकल समझा कि आपका हक किसी प्रकार से न मरे, ओ0बी0सी0 और एस0सी0 वर्ग की किसी प्रकार से हकतलफी न हो, उसको केन्द्र सरकार ने अलग से व्यवस्था करके लागू करा दिया। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। जब-तब आप खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है और सरकार बैक डोर से ऐसा कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी भी बैकवर्ड या अनुसूचित वर्ग के लोगों का हक मारें। हम पूरी तरीके से इस बात के लिए संकल्पित थे, संकल्पित हैं और आगे भी ओ0बी0सी0 का हक कहीं नहीं मारा जायेगा। यह मान्यवर, हम आपके माध्यम से पूरे सदन व पूरे प्रदेश को आश्वस्त करना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते, स्पष्टीकरण मांगने का इसमें प्रावधान नहीं है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सरकार ओ0बी0सी0 व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आवाज को दबाना चाहती है। उनका हक नहीं देना चाहती है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, केवल एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्य-स्थगन में स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी का पूरा उत्तर आ गया है, मैं इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह सदन की प्रापर्टी हो गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, आप नियमों को देख लें, नियम-56 में स्पष्टीकरण मांगने का प्राविधान नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कोई भी जवाब बड़ी चालाकी से दे लेते हैं और हमेशा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति हमदर्दी जताते हैं। अभी कहा कि पिछली बार जो विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमने उठाया था और मांग की थी कि जब आरक्षण नहीं लागू हुआ है तो नियुक्तियों को निरस्त कर दिया जाये और नये सिरे से नियुक्ति की जाए जिसमें पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति का जो हक मारा गया है उनको मिल जाये, क्या वे नियुक्तियां निरस्त हुईं ? जब पूरी नियुक्ति कर ली, जब कहीं कोई पद खाली नहीं रहा तब इन्होंने केन्द्र में नियम को बदला। हम लोगों के कहने के बाद कोई नियुक्ति ही नहीं हुई। पहले भर लिया फिर नियम बदल दिया। इसमें भी वही हो रहा है। जब आप इण्टरव्यू में नहीं बुलायेंगे तो नियुक्ति किस तरह से कर लेंगे ? ठीक है उनका नम्बर अधिक है लेकिन जब इण्टरव्यू में बुलायेंगे नहीं और इण्टरव्यू में वह पास नहीं होंगे तो आप आगे कैसे भर्ती कर लेंगे। जब अधिक नम्बर पाये हुए पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के

विद्यार्थियों को इण्टरव्यू में ही नहीं बुलायेंगे तो वह नियुक्त कैसे होंगे ? आप कह रहे हैं कि हक नहीं मारा जायेगा। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी योग्य हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं, सहृदय हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हक नहीं मारना चाहते हैं तो सीधे इस बात को कहने में आपको कौन सी परेशानी है कि आरक्षण व्यवस्था इसमें लागू की जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सामान्य वर्ग में भी पिछड़ा वर्ग आयेगा। सामान्य वर्ग में भी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पिछड़े वर्ग की मेरिट हाई है वह सामान्य वर्ग में नहीं शामिल होंगे, वह कैसे नहीं शामिल होंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, बैठिये, आप सीनियर सदस्य हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

वह कैसे नहीं शामिल होंगे, सामान्य वर्ग का 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हो गया और आप कह रहे हैं हकतलफी नहीं होगी। मान्यवर, सामान्य वर्ग में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग नहीं शामिल होंगे, क्या ऐसा कोई नियम आपने बनाया है ? अगर नहीं बनाया है तो इनका मेरिट हाई कैसे हुआ ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वर्मा जी, आप बैठिये। आप को नहीं बुलाया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इनको भी साक्षात्कार में बुलाना ही होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार के इस पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति विरोधी रवैये के खिलाफ हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता हैं।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, हमने कहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में ज्यादा चयनित हुए थे, इसलिए उनको पांच गुना बुलाया गया था। जो कम नम्बर पाये थे उसमें वह भी आ गये, लेकिन वह अंतिम चयन में नहीं है। साक्षात्कार के बाद भी आपका 27 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। संविधान के नियमों में लिखित रूप से जो व्यवस्था है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, संसदीय कार्य मंत्री बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। अधिक नम्बर पाने वाले को साक्षात्कार में बुलाया नहीं और सामान्य वर्ग को बुला लिया, तो नियुक्ति कैसे

कर देंगे ? सामान्य वर्ग को नौकरी मिले, इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक को क्यों मार रहे हैं ? मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2014 में जब से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से आरक्षण समाप्त करने की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरह से आमादा है कि हम आरक्षण व्यवस्था खत्म कर देंगे। हम इस सरकार के संविधान विरोधी काम की निन्दा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होकर हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं पुनः स्पष्ट करता हूं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में ज्यादा चयनित हुए थे, इसलिए उनको ज्यादा संख्या में बुलाया गया था। जहां तक पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण का सवाल है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आरक्षण अपनी जगह पर पूर्ण रूप से लागू हो।

नियमों में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको हम पूरी तरीके से लागू कराएंगे, यह हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

दूसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर और श्री राम अचल राजभर की है, आप अपनी बात रखें।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, नियम-56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने सूचना दी है। इसकी ग्राहयता को समझते हुए मा0 अध्यक्ष जी ने इस सूचना को चयनित किया है। मान्यवर, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर चिंता संसद में भी उठी थी। संसद में भी इस विषय पर बहस हुई है। मान्यवर, आज समाचार-पत्र उठाकर जब देखते हैं तो सड़क दुर्घटना में कहीं 5, 10 और 20 लोग तो कहीं पूरा परिवार ही हादसे का शिकार हो रहा है। अभी हाल ही में एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण दुर्घटना हुई है। एक्सप्रेस-वे पर साल भर में 417 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पूरे प्रदेश में 40 हजार दुर्घटनाएं अभी तक घटित हुई हैं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जो इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं यह बहुत हृदयविदारक है। इसमें पूरा का पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। जब भी हम लोग देखते हैं 15 मरे, 20 मरे। अगर ऐवरेज निकाला जाय तो पूरे प्रदेश में 100-150 आदमियों की जानें दुर्घटनाओं में प्रतिदिन जा रही हैं। इसलिये यह चिन्ता का एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने इस विषय को इसलिये उठाया कि हो सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी साथी लोग मिल करके इस पर कोई राय मशविरा दें, इस पर सदन में चिन्तन हो और कोई तरीका निकाला जाय। सरकार

कोई प्रिकॉशन ले या प्रशासन शासन कोई प्रिकॉशन ले। अभी हमने कहा कि राज्य सभा में यह मैटर उठा, गडकरी साहब ने पूरी चिन्ता व्यक्त की। यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे यहां आर0सी0सी0 रोड बन रही हैं उस पर टायर फटने की तमाम घटनायें होती हैं। इन रोड्स पर इतनी जल्दी टायर गर्म हो जा रहा है कि टायर फटा और 10 लोगों की जान चली गई। उसमें यहां तक उन्होंने कहा कि जैसे विदेश में अमेरिका जैसे देशों में टायर जो बनाया जाता है उसमें रबर में सिलिकॉन मिलाया जाता है। विदेशों में ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि कितना भी टायर गर्म हो जाय वह फटेगा नहीं, उससे भी बहुत सी दुर्घटनाएं बच जाती हैं नहीं होती हैं। इसलिये मैं इस पर बहुत लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, यह एक बहुत चिन्ता का विषय है। जब भी हम कोई खबर सुनेंगे इलेक्ट्रानिक मीडिया पर, प्रिन्ट मीडिया पर या जो भी हमारे पत्रकार भाई दिखाते हैं। सुनकर दिल दहल जाता है कि 29 लोग मर गये, 15 लोग मर गये, 20 लोग मर गये, पूरा परिवार का परिवार साफ हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारा क्या वश है। मान्यवर, आज सड़क दुर्घटना नियंत्रण सरकारें भी करती हैं। उसके लिये आप एक उपाय निकालें। यह एक चिन्ता का विषय है, प्रदेश में जहां 10,20,30 लोग रोजाना मर रहे हैं और ऐसे मौतें हो रही हैं कि दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। इस पर हम चाहते हैं कि सभी लोगों की राय आ जाय। हर सदस्य दो दो मिनट में अपनी राय दे कि प्रदेश में जो आये दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाय। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संसद में भी इस पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। आज इस तरह की घटनाओं से हम लोग दुःखी हैं इसलिये मैं बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा लेकिन आपसे यह जरूर चाहूंगा कि इस विषय पर आप चर्चा करवाइये और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसी राय या कोई ऐसा विचार आये या इस विषय पर अपना कोई प्रिकॉशन बतायें कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कन्ट्रोल करने के लिये यह व्यवस्था कर रहे हैं या इसको कन्ट्रोल करने के लिये हमारी कोई योजना बनी है इस तरह से हम इसको नियंत्रित करेंगे। हो सकता है कि हमारे सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्यों के इस पर सुझाव भी आ सकते हैं कि इस तरह की जो हृदय विदारक घटनायें हो रही हैं जो रोजाना इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं जिनकी जिन्दगी बहुत दिन की इस धरती पर हो सकती थी, बहुत दिन तक उनकी खुशहाल जिन्दगी रह सकती है, बच्चे भी मर जा रहे हैं। उन लोगों की जिन्दगी के लिये वह इस धरती पर कुछ दिन तक रहें। अचानक इस तरह की घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं उनको रोकने के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब जवाब दें या आप ही निर्णय ले लें कि एक दिन 10, 15 मिनट, 1 घंटा, दो घंटा इस पर चर्चा करवायें। इसकी एक ग्राह्यता है मान्यवर, यह नोटिस हमने मानवीय आधार पर दी है कोई इस तरह का नहीं की सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, या इनकी कमियों की बात हो। यह जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इस पर विचार करें और यह एक संदेश भी जायेगा प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सभी

सदस्यों ने मिलकर इस तरह की घटना पर दुःख व्यक्त किया है, चिन्ता व्यक्त की है और उसके निवारण के लिये कि कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जाय, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके सदन में इस पर एक चर्चा का विषय बनाया है और उसका एक सॉल्यूशन निकला है। सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के लिये यह 56 का नोटिस नहीं दिया है। मानवीय आधार पर नोटिस दिया है, इस पर सरकार की तरफ से भी अच्छे सुझाव आयं। हम सब पूरे सदन के लोग बैठ करके एक संदेश प्रदेश के अंदर दें कि आज इस तरह की चिन्ताएं सदन में हैं कि निर्दोष लोग, पूरा परिवार का परिवार जो रोजाना साफ हो रहा है, इस पर सावधानी बरतें, नियंत्रण के लिये कोई कार्य योजना बनें और साथ ही साथ और सदस्यों का सहयोग लें। इस पर मैं बहुत उम्मीद के साथ मानवीय आधार पर चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर जो भी उत्तर देंगे, जो कुछ बतायेंगें वह ठीक है लेकिन यहां पर बहुत अनुभवी सदस्य है, जो अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से सड़क दुर्घटना में नियंत्रण हो सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज विदेशों में जैसे नियम बने हैं, वह टायर में सिलिकॉन मिलाते हैं, चाहे कितना भी हीट हो जाये, वह कभी फट ही नहीं सकते हैं, लेकिन आज हमारे जो रोडें बनी हैं, उस पर टायर बहुत जल्दी फट जाते हैं। केवल टायर फटने से 435 मौतें हुई हैं, कहीं निर्माणकार्य में कमी रही हो या जो भी कमियां रही हों, इसलिए मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं और सरकार इस पर जो भी उत्तर दे, वह मानवीय आधार पर कोई सोल्यूशन निकालने के लिए मा0 सदन की सहमति ले ले या सभी मा0 सदस्यों की सहमति ले ले, इसलिए मैं इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज जो विषय मा0 सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी ने, मा0 लाल जी वर्मा जी ने और अन्य मा0 सदस्यों ने उठाया, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। दुर्भाग्य से अभी पिछले दिनों जो घटना हुई है, जिसमें 29 लोग मारे गये हैं, वह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हृदयविदारक घटना थी। स्वाभाविक रूप से जिसने उसको अखबार में पढ़ा है, उसको दुःख हुआ है। कई नौजवान जो उसमें नौकरी के लिए जा रहे थे, वह उसमें हताहत हुए हैं, कई परिवार उसमें हताहत हो गये हैं। इस प्रकार की घटनाओं को पहले भी गम्भीरता से लिया जाता रहा है, परन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से सारे विभागों की बैठक बुलायी थी, जिसमें परिवहन विभाग मुख्य रूप से भागीदार था। एन0एच0ए0 की सड़कों के ऊपर भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। जब से एक्सप्रेस-वे का प्रचलन हुआ है। बहुत अच्छे एक्सप्रेस-वे पूरे देश और दुनिया में भी बने होंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे का नवेटवर्क उत्तर प्रदेश में है, जो एक विकास की गति को विकास के साथ ही अपने आपको जोड़ता है परन्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो मा0 सदस्य ने कही कि जो उसके ऊपर घटनायें होती हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। उसका एनालिसिस किया गया, उसकी जांच करायी गयी तो

कई कारण उसमें घटना के आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, एक्स्ट्रा स्पीड, जो स्पीड निर्धारित है, उस स्पीड से ज्यादा जब वाहन चलते हैं, जिसके कारण दुर्घटनायें होती हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जो रात में ड्राइविंग करते हैं, उसमें ड्राइवर को नींद आ जाती है। यह भी एक दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण है, दुर्भाग्य से यह जो घटना हुई थी, इसमें ड्राइवर को नींद आ गयी थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई और दुर्भाग्यपूर्ण हुई। जो बात मा0 सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी ने कही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विमत नहीं है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। टायर पंचर भी उसमें एक कारण है। टायर पंचर के सम्बन्ध में जैसे आपने कहा गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने भी इस बात का बहुत गम्भीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लिया। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने भी राज्य सभा में उसका वक्तव्य दिया था। टायर अब नये प्रकार के आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर भी आ रहे हैं पहले टायर और ट्यूब अलग-अलग होता था, जिससे उसके फटने के चान्सेज ज्यादा होते थे। अब ट्यूबलेस टायर भी आ रहे हैं अगर पंचर भी हो जाये तो कई किलोमीटर तक चल सकते हैं। उसमें दुर्घटना होने की शंका कम रहती है। जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है, वैसे-वैसे नई-नई टेक्नालाजी भी आ रही हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इसके ऊपर विचार-विमर्श होना चाहिए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। परिवहन विभाग के साथ हमने बैठक की उसमें यह निर्णय लिया गया कि जिनको लगभग 300 किमी0 से ज्यादा चलना होता है, उनको सिंगल ड्राइवर की जगह 2 ड्राइवर की व्यवस्था करा दी ताकि उसको नींद नहीं आये और यदि नींद आये तो वह रेस्ट लेकर दूसरी गाड़ी चला सकता है। उसमें यह भी कहा गया कि 100 किमी0, 150 किमी0 के बाद उसको कम से कम आधा घण्टे का रेस्ट ले लेना चाहिए। इसके साथ-साथ इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने सारे एक्सप्रेस-वे के ऊपर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के अन्तर्गत उसको रखा है और उसमें कोई भी गाड़ी जो निर्धारित स्पीड है, उसी स्पीड से चलेगी। हम कहते हैं कि 100 किमी0 से ज्यादा एक्सप्रेस-वेज के ऊपर नहीं चलना चाहिए। उसमें कैमरे लगाये हैं, कैमरे लगाने के पश्चात् अगले टोल बैरियर पर अगर कैमरे में यह आता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा स्पीड गाड़ी चलायी है तो अगले टोल बैरियर पर पहुंचने से पहले इस बात की वहां पर सूचना हो जाती है कि इसने स्पीड तोड़ी तो उसको टोल के साथ-साथ उसकी चालान की चिट भी देने का प्राविधान हम कर रहे हैं, कुछ किया भी है। यमुना एक्सप्रेस-वे के ऊपर इसका प्राविधान किया है। अब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भी इसका प्राविधान कर रहे ताकि उसके मन में यह डर हो कि अगर हम एक्स्ट्रा स्पीड से चलाएंगे तो चालान हो जाएगा। कभी-कभी मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है हम सब इस सिस्टम के पार्ट हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। कभी-कभी यह व्यक्ति के हाथ में होता है एक आदमी से मैंने कहा कि भाई तुम क्यों स्पीड में चलाते हो तुम्हें मालूम है कि कैमरे लगे हुए हैं तो उसने कहा कि जब कैमरा आते हैं तो हम धीरे कर लेते हैं। तो उसी ने तय कर लिया कि हमें नहीं

मानना अगर मन मस्तिष्क में है कि हमें कोई न कोई वायलेशन करना ही है तो भगवान न करे इस प्रकार की दुर्घटना हो लेकिन फिर ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट में लोग हताहत हो जाते हैं इसमें हताहत होने वाला ही प्रभावित नहीं होता है परिवार प्रभावित होता है समाज प्रभावित होता है सब लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। अभी जो क्रैश बैरियर हैं दुर्भाग्य से क्रैश बैरियर के ऊपर दुर्घटना हुई जो बस थी यह पलटकर उस जगह गिरी इसे मैं डबल दुर्भाग्य कहूंगा कि यह बस उस जगह पर आकर गिरी जहां पर नीचे नाला था तो अब पुल या नाले के बीच में स्थान हैं उनको कवर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वहां पर कोई बस गिरकर इस प्रकार की दुर्घटना न हो। जो क्रैश बैरियर हैं इनकी ऊंचाई अभी दो ढाई फीट है उसको डबल करने का निर्णय लिया गया है। इसको ढाई फीट से पांच फीट कर देंगे तो फिर जो गाड़ी है उसके गिरने की आशंका कम हो जाएगी। इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो स्पीड से गाड़ियां जाती हैं चूंकि स्टेट हाई-वे या एक्सप्रेस-वे के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए जा सकते एन0एच0ए0आई0 का भी नियम है और एक्सप्रेस वे का भी नियम है क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर लगाते हैं तो और कठिनाई होती है। तो जो रम्बल स्ट्रिप्स होते हैं यह निर्णय लिया गया है कि हर 15 कि0मी0 के ऊपर रम्बल स्ट्रिप लगा दिए जाएं। क्योंकि रम्बल स्ट्रिप्स लगाने से जिस समय गाड़ी उस पर से गुजरती है तो घड़घड़ाती है उस समय अगर ड्राइवर को नींद भी आती है तो खुलती है इससे वह सावधानी से चलाता है कि आगे फिर कोई रम्बल स्ट्रिप्स आ जाएंगी तो रम्बल स्ट्रिप्स लगाने के निर्देश माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। जहां पर डिवाइडर हैं उससे उचित दूरी के पहले भी इस प्रकार के रम्बल स्ट्रिप्स लगाए जाएंगे जिससे डिवाइडर में आदमी टकराए नहीं। इम्यूलेशन लाइट्स हैं रिफ्लेक्टर्स हैं वह पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं जिससे दूर से ही पता चल जाए कि यहां पर डिवाइडर है। यातायात के सम्बंध में मैंने निवेदन किया कि ई-चालान कराने का निर्णय हमने लिया है। ट्रैक्टर्स और ट्राली यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पुराने ट्रैक्टर्स हैं ट्रालीज हैं हम सब लोग सड़क पर देखते हैं मैं केवल एक्सप्रेस हाइवेज की बात नहीं कर रहा छोटे हाई-वे के ऊपर स्टेट हाई-वे के ऊपर जो पुराने ट्रैक्टर्स हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर्स नहीं हैं बत्ती नहीं हैं पुराने ट्रैक्टर्स हैं इसके ऊपर सख्ती करके उसमें बैक लाइट और रिफ्लेक्टर सही तरीके से लगें परिवहन विभाग के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है। मदिरा पीकर चलाने वाले जो वाहन चालक हैं उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने की बात है। जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा उसमें दोषी पाने पर चालान करेंगे आवश्यकतानुसार परिवहन के नियम के अन्तर्गत उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे। ब्रेथ एनालाइजर बहुत जरूरी है क्योंकि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वह भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनता है। लम्बी दूरी के सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया कि दो वाहन चालकों की हमने व्यवस्था की है हमने टोल की पर्ची में हेल्पलाइन का नम्बर भी लिखा है। अभी हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिस समय एक्सप्रेस-वे के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ेगी तो एक हम ऐसा ऐप डेवलप करने जा रहे हैं तो हमारा

वहां का जो पोर्टल है वह उसमें पाप अप हो जाएगा उसको हर चीज पता होगी कि कितनी दूरी पर हमारी एम्बुलेंस है कितनी दूरी पर आवश्यकतानुसार अगर कोई गाड़ी उसको ट्रोल करके ले जाने के लिए है वह है। साथ ही साथ इन एक्सप्रेस हाई-वे के किनारे हर 100-150 कि0मी0 पर क्योंकि कभी अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीक हास्पिटल में ले जाया जाता है। तो जहां पर हास्पिटल की दूरी है वहां के लिए जैसे अभी कन्नौज में सौरिख के पास एक ट्रामा सेन्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार के ट्रॉमा सेन्टर्स और जो तात्कालिक दुर्घटना के साथ जहां से राहत मिल सकती है इसकी भी व्यवस्था की जायेगी और भी जो उसमें आवश्यक निर्देश हैं वह संबंधित विभागों को दिये गये हैं। अभी एक और बात है कि जैसे एक्सप्रेस-वे के किनारे जा रहे हैं तो किसी ने वहां तार काटने के पश्चात दूर खेत में ढाबा खोल दिया और लोग वहां पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। इसलिये जो अवैध ढाबे हैं वह भी एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण हैं, उनको भी बंद कराने के लिये निर्देश दिये हैं, क्योंकि अगर तार काटकर ढाबा खोला जायेगा तो उससे कोई जानवर भी आयेगा, कोई व्यक्ति भी आयेगा और ड्राईवर भी वहां पर रूककर जायेंगे। इसलिये सख्ती के साथ उनको हटाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मा0 सदस्यों की तरफ से आते हैं तो उन पर भी हम चिन्तन करके उनको इनकॉर्पोरेट करके इस बात की व्यवस्था करेंगे कि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को रोकने में जितनी सावधानी बरती जा सकती है वह बरती जाए। जैसे मैंने आपसे यह कहा कि अगर किसी को कैमरा देखकर धीरे हो जाना है और उसके बाद उसे बढ़ना ही है तो उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता है। वह कहते हैं न कि 'गॉड हेल्प्स देम दोज हू हेल्प्स देमसेल्फ' यानी भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना चाहते हैं। जो स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकता है तो न विधान सभा उसकी मदद कर सकती है न आप कर सकते हैं और न मैं कर सकता हूं, लेकिन सावधानी बरतने के लिये कि आम नागरिक को नियम का पालन करना है, उसको हर तरीके से वह सारी सुविधाएं दी जाएं, सारे प्रिकॉशन्स बरते जाएं जिससे इस प्रकार की घटना न हो। चूँकि यह महत्वपूर्ण विषय था और आप इसे संज्ञान में लाए इसलिये मैंने उसका जवाब दिया। मान्यवर, यह नियम-56 में आता है कि नहीं आता है, आप इस पर निर्णय करेंगे। जो बात मैंने बताई है मेरे ख्याल से उससे सभी मा0 सदस्य संतुष्ट होंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कोई वाद-विवाद नहीं है। सामान्यतया जो देखने में आता है कि परिवहन विभाग के जो नियम हैं उनका पालन न किये जाने के कारण भी बहुत-सी दुर्घटनाएं होती हैं और विशेष रूप से हाई-वे हो, एक्सप्रेस हाई-वे हो और इसके अलावा भी जो हाई-वे हैं उस पर उसके किनारे तमाम ट्रक खड़े कर दिये जाते हैं, कई अन्य गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं तो इस तरह से जगह-जगह गाड़ी खड़ी करने से जो अतिक्रमण हो जाता है उसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसमें इस बात को जोड़ने की

जरूरत है कि प्रशासन को विशेषकर पुलिस प्रशासन को इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराया जाए कि जो लोग परिवहन नियमों का पालन न करें और इस तरह से सड़क के किनारे हाई-वे पर या जो डिस्ट्रिक्ट रोड हैं उन पर भी किनारे वाहन खड़ा करके और काफी देर तक वाहन खड़े करके जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं उसको रोकने की भी कार्यवाही हो, तभी मैं समझता हूं कि इसको रोका जा सकता है। मान्यवर, आज यह चिन्ता का विषय है कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वह ट्रॉमा से है, एक्सीडेंट से ही है। हम तमाम अन्य बीमारियों पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको रोकने का प्रयास अगर नहीं करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं हैं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर अगर होगी तो वह ट्रॉमा से ही होगी। इसलिये हम लोग इस पर प्रभावी रूप से विचार करके इस पर अंकुश लगाने का अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है, खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कमी अवश्य लाई जा सकती है। इसलिये इसका पालन करने के लिये मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी बैठक करके या चर्चा करेंगे तो बहुत से मा0 सदस्यों की बात आयेगी, आप जो उचित समझें, लेकिन यह आज चिन्ता का विषय है इसलिये इस पर निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं जवाब दे दूं। मा0 सदस्य बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात संज्ञान में लाए हैं। जो भी डिबेट है वह पब्लिक इंट्रेस्ट में बहुत अच्छी डिबेट है। जो आपने कहा है तो हमारी जो 100 नम्बर की गाड़ियां होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, हम आज ही यह निर्देश दे देंगे कि उन पेट्रोलिंग कार्स के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि एक्सप्रेस हाईवेज के किनारे या हाईवेज के किनारे किसी भी प्रकार के कोई ट्रक खड़े न हों और अगर खड़े होते हैं तो रोड से उतरने के पश्चात् जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां पर खड़े हों। अगर हाईवेज के किनारे खड़े पाए जाते हैं तो सख्ती के साथ उनका चालान किया जायेगा और आपने बाकी जो भी बात कही है और जो भी सुझाव आयेंगे, सरकार उन सुझावों के लिये हमेशा तैयार है और उनका पालन करेंगे। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

यह जो आगरा में घटना हुई है उससे पक्ष-विपक्ष और पूरा प्रदेश चिन्तित है और जो विषय रखा गया है वह बहुत गम्भीर विषय है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो भी संभावना हो सकती है उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कोई अन्य सुझाव होंगे तो उन सुझावों को लेकर कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये इसे अग्राह्य किया जाता है। अब तीसरी सूचना मा0 अजय कुमार लल्लू जी, मा0 मसूद अख्तर जी, मा0 नरेश सैनी जी, मा0 आराधना मिश्रा 'मोना' जी, मा0 सोहिल अख्तर अंसारी जी तथा सुश्री अदिति सिंह जी की 'दिनांक 14 मई, 2019 को जनपद रायबरेली से

सदर विधायक सुश्री अदिति सिंह पर कातिलाना हमला किये जाने एवं कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।'

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 14 मई, 2019 को जनपद रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक वोटिंग होनी थी और उस दिन हमारी विधायक सुश्री अदिति सिंह जी, लखनऊ से कुछ जिला पंचायत सदस्यों के साथ गाड़ी से रायबरेली के लिए प्रस्थान करती हैं तथा रास्ते में बछरांवा, हरचन्दपुर के पास एक टोल पड़ता है और उसी टोल के पास कुछ लोगों द्वारा सुश्री अदिति सिंह जी की गाड़ी से जिला पंचायत सदस्यों को उतारकर बुरी तरह मारा-पीटा जाता है तथा कातिलाना हमला किया जाता है। इतना ही नहीं हमारी विधायक सुश्री अदिति सिंह जी की गाड़ी को भी ठोकर मारा जाता है जिसके कारण उनकी गाड़ी पलट जाती है और वह भी बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। अधिष्ठाता महोदय, परिस्थिति यह होती है कि मुकदमें दर्ज होते हैं और जो लोग अज्ञात होते हैं उनकी गिरफ्तारी तो सरकार करती है किन्तु जो लोग नामजद होते हैं उनके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं होती है। बाद में सुश्री अदिति सिंह जी जो मुकदमा दर्ज कराती हैं उसमें पुलिस फाईनल रिपोर्ट लगाकर उस पूरे मुकदमे को समाप्त कर देती है। चूँकि यह घटना सदन के एक सदस्य के साथ हुई है और यह मामला काफी गंभीर है, अगर सदन के सदस्य ही सुरक्षित नहीं होंगे और यह पूरा सदन अगर अपने सदस्यों को ही सुरक्षित नहीं रख पायेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि अन्य लोगों की सुरक्षा की कहीं कोई गारंटी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यह पूरी घटना हमारी विधायक सुश्री अदिति सिंह जी के द्वारा आपके समक्ष रख दी जाये ताकि इस पर चर्चा हो सके।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 14 मई, 2019 को जब जिला पंचायत अध्यक्ष, अवधेश सिंह के खिलाफ कोर्ट मैनडेटेड अविश्वास प्रस्ताव आया था तब मैं और मेरे साथ कुछ अन्य लोग हमारे जो सदस्य हैं उनको स्कॉट करने के लिए रायबरेली गए थे। बछरांवा में जो टोल प्लाजा है सबसे पहले हमारे साथ वहां पर अटैक हुआ था, वहीं पर श्री किशन लाल लोधी, जिला पंचायत सदस्य जो कि उस समय हमारे साथ थे उनको काफी मारा-पीटा गया था जिसके कारण उनके सिर में चोटें आ गयी थीं और उसके बाद उनको वहां से किडनैप भी किया गया था और हम सब की गाड़ियों पर पत्थरों से व अन्य चीजों से हमला भी किया गया था। वहां पर कम से कम 20-30 लोग उपस्थित थे जिन्होंने हम पर हमला किया था और इसके आगे भी हम लोगों पर दो-तीन घटनाक्रम हुए थे। श्री राकेश अवस्थी जी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने एफ0आई0आर फाईल करी थी जिनको जान से मारने का प्रयास इन लोगों ने किया था, इनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी गयी थी जिसके कारण उन्हें काफी चोटें आईं थीं और लगभग दसियों सर्जरी उनकी हुई हैं, उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गयी थी। उसके आगे एक

महावीर इण्टर कॉलेज है जो कि अवधेश सिंह एवं गणेश सिंह का ही है इन सब लोगों ने मिलकर मेरी गाड़ी की घेराबंदी कर ली और गाड़ी पर पत्थर फेकना चालू कर दिया तथा एक तरफ ट्रक खड़ा कर दिया था। स्थिति को देखते हुए वहां पर 20-30 लोग आ गए थे इसके बाद जब इन सारी चीजों में थोड़ी सी स्पीडिंग हुई तो इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि यहां पर कोई भी मारपीट नहीं हुई है बस दो गाड़िया आपस में टकराई हैं जिसके कारण यह सब हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज को दिखवायें कि उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर एफ0आर0 लगाने का जो टाईम पीरियड होता है जो कि तीन महिने का होता है इन्होंने तीन दिन या चार दिन या एक महिने के अन्दर एफ0आर0 कैसे लगा दी ? इस मामले में न तो मेरा बयान लिया गया है और न ही मेरे साथ जो जिला पंचायत सदस्य थे, ड्राइवर थे या मेरे साथ जो लोग थे उनका बयान लिया गया है। इसके अलावा जो नामजद लोग हैं जिनमें से एक गणेश सिंह है जो कि मर्शी पिटीशन पर बाहर हैं और बाकी सारे घोषित क्रिमिनलर्स हैं आप उनकी हिस्ट्रीशीट निकलवा लीजिए इन लोगों में से एक की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मान्यवर, दो माह से ज्यादा का समय बीत गया है और आराम से यह लोग घूम रहे हैं पुलिस ने उनका बहुत ज्यादा संरक्षण किया है। बार-बार जब मैं अपने एस0पी0 को फोन करके कहती थी कि सर कर क्या रहे हैं, यह लोग यहीं घूम रहे हैं तो वह कहते थे कि अरे कुछ नहीं मैडम, हो जायेगा हम लगे हुये हैं, हमने ईनाम घोषित कर दिया है। इन्होंने उनको गिरफ्तार किया जो अज्ञात व्यक्ति थे और जो 10 दिन में छूटकर चले आये। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिये। मैं एक चुनी हुई सदस्य हूं और विधायक हूं। मेरे साथ जो लोग थे वह सब भी चुने हुए जिला पंचायत सदस्य हैं और जिस तरीके से रायबरेली में काम चल रहा है उससे सब लोग पुलिस पर हंस रहे हैं कि भइया यह क्या कर पायेंगे क्योंकि हमारी महिला विधायक ही सेफ नहीं है। हमारे चुने हुये लोग एडमिट हैं और मैं उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा सकती हूं। मुझे भी और सारे सदस्यों को अभी भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सदस्य इस मामले को कोर्ट में ले गये हैं तो वहां से जो आदेश होगा उसके अनुसार उसमें होगा लेकिन इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिये। अपराधी लोग फरार भी नहीं हैं बल्कि आराम से घूम रहे हैं। आई वाण्ट टू रिपीट माईसेल्फ ऑल ऑफ देम आर हिस्ट्रीशीटर्स। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले एस0पी0 को यहां से सस्पेण्ड किया जाये, हटाया जाये, कायदे की टीम लाई जाये और फिर से जांच कराई जाये, एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी हो। मुझे आप सबसे पहले सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराईये और जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसको कृपया जनता से चुनाव करायें क्योंकि ऐसे तो हार्स ट्रेडिंग लगी रहेगी। जहां मैं सुरक्षित नहीं हूं वहां कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि चुनाव तो सबके आने हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, यह काफी गंभीर विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

आप तो पहले बोल चुके थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक विधायक के साथ घटना हुई है और यह सदन की परम्परा भी रही है कि जब हम लोग नये चुनकर आये थे कि अगर कोई माननीय सदस्य कितना भी प्रश्न करे और माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं तो अगर विधायक यह कह देता था कि माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात को सही मान लिया जाये तो माना गया कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो अथवा विपक्ष का हो, कभी असत्य नहीं बोल सकता। तो माननीय सदस्य की बात को सही मानने के अलावा मंत्री जी के पास कोई चारा ही नहीं बचता था और वह कहते थे कि हम जांच करायेंगे। एक वर्तमान विधायक के साथ यह घटना हुई है और किसी पार्टी, सरकार अथवा विपक्ष की बात नहीं है। एक महिला विधायक का मामला है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। अन्यथा सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दीजिये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोग यह मानकर चलते हैं कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य जो बोल रहा है और खासतौर पर अपने बारे में बोल रहा है तो वह अपनी बात को सही बोलेगा। हम अपेक्षा भी करते हैं और आप जैसी नई सदस्या से तो हम विशेष रूप से अपेक्षा करते हैं क्योंकि आप पढ़ने-लिखने वाली सदस्य हैं, विधान सभा की कार्यवाही में रूचि लेती हैं, तैयारी करके आती हैं। कल भी मैंने इस बात को इंगित किया था लेकिन मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से प्योरिली यह एक दुर्घटना थी और यह दुर्घटना उस समय हुई जिस समय अविश्वास प्रस्ताव का आपस में झंझट चल रहा था। चूंकि सदस्य का मामला है इसलिये यदि आप कहें तो मैं रिपोर्ट पढ़ दूं। विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्यों और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा गठित की गई फारेन्सिक टीम द्वारा किए गए परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट से वादी मुकदमा के वाहनों के आपस में टकराने से हुई दुर्घटना पाये जाने के आधार पर दिनांक 29-06-2019 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। बाकी जो दो मुकदमें आप द्वारा बताये गये हैं उसमें जो लोग विवेचना में दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ चार्जशीट भी लगाई गई है और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगेगी। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपसे किसी प्रकार की कोई किसी से बात नहीं है और वैसे भी रायबरेली में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई आंख उठाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, यह व्यावहारिक सत्य है क्योंकि मैं वर्षों से जानता हूं कि यहां पर मैं भी काफी दिनों से आता हूं और आपके पिता भी इस सदन के कई बार सदस्य रहे। हम उनका भी बड़ा सम्मान करते रहे क्योंकि वह हमसे पहले के थे। वैसे भी आपको अपना एक

सम्मान है और आपके परिवार का सम्मान है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार की हरकत करे ? चूंकि आपने कहा है और आपके निजी सदस्य का मामला है। मा0 नेता कांग्रेस ने कहा है। मा0 नेता विरोधी दल ने उसके ऊपर बल दिया है। मैं इसको फिर से दिखवा लूंगा, लेकिन जो परिस्थिति थी उसको मैंने आपके सामने बता दिया है। बाकी दोनों केस में विवेचना के दौरान चार्जशीट लगाई है और इसके बाद एक बार फिर से हम गहनता से दिखवा लेंगे क्योंकि यह मा0 सदस्य का मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

अधिष्ठाता महोदय, सी0सी0 टी0वी0 कैमरे में इस फुटेज के पूरे तथ्य हैं और वह प्रमाणित है इस बात की कि इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं जिला पंचायत के सदस्यों को इस तरह मारा-पीटा गया है कि वह पूरी तरह अधमरे की स्थिति में हैं। भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, इनको रोज टेलीफोन से और अन्य श्रोतों से धमकी दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो इनको सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। साथ ही साथ जिन जिला पंचायत सदस्यों के साथ इस तरह की घटना हुई है उनको भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और इस घटना में जो असली अभियुक्त लिप्त हैं उनको पुलिस बचा रही है तथा सरकार कहीं न कहीं उनको सरंक्षण दे रही है। निश्चित इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इस घटना में लिप्त हैं, अभी आपने बताया कि मल्टी पिटीशन पर वह बाहर हैं और पूरी घटना के वह रचयिता हैं उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि जब सदन के सदस्य ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर किसी दूसरे की गारंटी की सुरक्षा कैसे हो सकती है ? अधिष्ठाता महोदय, यह लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया तो उसके बाद क्या रह जाता है ? यह नियम-56 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है। अब मैं नियम-56 की 4 सूचना लेता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, इसमें तीन सूचनाएं ही स्वीकार की गयी थीं। जिसकी सूचना मेरे पास है।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें चार सूचनाएं थीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी अधिष्ठाता महोदय के आश्वासन से चार सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं तो उसमें एक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा ?

श्री रफीक अंसारी-

अधिष्ठाता महोदय, आप सबको मालूम है कि पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है। यह बड़े शर्म की बात है और आज पूरी दुनिया के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस पर कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि

मेरे तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना,
मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना,
कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना ?

अधिष्ठाता महोदय, 30 तारीख को मेरठ की एक घटना है जिसमें तबरेज, की झारखण्ड के अंदर मॉब लिंचिंग में उसकी हत्या हुई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे और वहां भी कुछ लोगों ने मेरठ के अंदर प्रदर्शन किया तथा कैन्डिल मार्च निकालने का उन्होंने आह्वान किया। अधिष्ठाता महोदय, धारा-144 लगी थी। धारा-144 के अंतर्गत मैं वहां की पुलिस से पूछना चाहता हूं, वहां के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वहां पांच हजार लोग जमा हो गये। जब धारा-144 लगी थी तो वहां पांच हजार लोग कैसे जमा हो गये। और उसके बाद वहां यह तय हुआ कि प्रदर्शन में केंडिल मार्च नहीं निकाला जायेगा। वह भले लोग जिनके जज्बात भड़काकर वहां इकटठा किये गये थे वह लोग अपने घर जाने लगे और रास्ते में जो भीड़ जा रही थी पुलिस ने उनको इकटठा करके घेरकर लाठीचार्ज किया। किसी का हाथ टूट गया किसी का पैर टूट गया किसी का सिर फट गया। बेगुनाह लोगों को ऐसे मारा गया निहत्थे लोगों को मारा गया। यह इस सरकार के अंदर जुल्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहां नहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर मेरठ में हो गया, धारा-144 लग गयी। तो क्यों निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। और 70-75 लोग नामजद कर दिये गये। और हजारों लोग अज्ञात में कर दिये गये। और अगले दिन गिरफ्तारी होनी शुरू हो गयी। सड़कों पर चाय वाले, ठेले वाले, रस्से वाले लोगों को पकड़ने का काम किया गया। ऐसे लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो आतंकवादी पर धारा लगती है वह लगाने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि धारा-144 में कितनी धारायें लगती है। कमजोर और गरीब लोगों को टार्गेट बनाकर यह सरकार काम कर रही है। हजारों लोग घर से बेघर हो गये हैं। और अब तो यह हो रहा है कि हर थाने के अंदर पुलिस पहुंच जाती है कि तेरा भी नाम है। घर से लोग भागे हुये हैं, हालत खराब है। दहशत और खौफ में मेरठ के लोग जी रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो कानूनी तरीके से जुर्म होता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरठ के प्रशासन की जांच में यह आया और अखबार में छपा है मेरठ में

भारतीय जनता पार्टी का चर्चित नेता उसमें शामिल था उसका नाम उजागर होना चाहिए। कौन है जो मेरठ को जलाना चाहता है, कौन है जो मेरठ में झगड़ा कराना चाहता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम उजागर होना चाहिए जो मेरठ को दंगे में घसीटने का काम कर रहा है। मान्यवर, ऐसे जुर्म तो अंग्रेजों ने भी हम पर नहीं किये। क्या इसी खातिर इस मुल्क को हमने आजाद कराया था, हमने सिर सजदे में कलम कराये थे कि हमारे ही हजारों लोगों पर अज्ञात में मुकदमा होगा और तमाम 65-70 लोग आज जेल में सड़ रहे हैं और उनकी मां और बहने रो रही हैं। उनके पास जमानत कराने के लिए पैसा भी नहीं है। क्या यह गरीबों की सरकार है। योगी जी, मादी जी कहते हैं कि गरीबों के मददगार हैं, गरीबों की सरकार है। आज 70 से ज्यादा गरीब लोग जेल में हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोग जो मेरठ में दंगा कराना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चर्चित बड़ा नेता है उसका नाम खुलना चाहिए। प्रशासन से पूछना चाहिए कि कौन नेता है जो इस दंगे-फसाद को कराने के लिए शामिल था। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होंगी जिससे होंगी अब तो जालिम तुझे देखना है कि तू कहां तक है अब तो जुल्म सहने की आदत हो गयी है हमें। करिये कितना जुल्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह मामला थोड़ा गंभीर है। इसको आप अपने स्तर से दिखवा लें। यह पूरे प्रदेश में हुआ कि मॉब लिंचिंग की जो घटना झारखण्ड में हुयी। पूरे देश के लोगों ने इस पर दुख प्रकट किया। कहीं जुलूस निकले कहीं मोमबत्ती लेकर लोग निकले। जैसे अन्ना हजारे आन्दोलन में बहुत लोग मोमबत्ती लेकर निकले। दिल्ली, बनारस, आगरा में हर जगह। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। लेकिन मेरठ के ही लोग क्यों जेल गये। इसको आप गंभीरता से लीजिए और जो निर्दोष लोग जेल में बंद किये गये हैं उनको जेल से छुड़ाया जाये उनके मुकदमें वापस लिये जायें और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये। इसलिए श्रीमन् यह मामला बहुत गंभीर है। इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस मामले को दिखवा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, इतना बड़ा भाषण हमारे माननीय सदस्य ने दिया। मान्यवर, और नेता विरोधी दल ने उस पर बल दिया। इसलिए इस पर सरकार का भी पक्ष आ जाये। सरकार का कानून एवं व्यवस्था को मेन्टेन रखने का काम है और सरकार पूरी जिम्मेदारी के

साथ कानून एवं व्यवस्था को मेन्टेन रखना चाहती है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाये, बिना किसी की हकतलफी किये, हम किसी की हकतलफी नहीं चाहते हैं, हम किसी को भी नाजायज तरीके से परेशान करना नहीं चाहते हैं और हर तरह से चाहते हैं कि अमन-चैन कायम रहे। लेकिन यदि कोई उदण्डता पर उतर आये और कोई इस बात पर तुल जाये कि हमको तो शांति व्यवस्था बिगाड़ना ही है तो फिर सरकार के पास सारे विकल्प मौजूद हैं और सरकार अपना काम करती है। सरकार किसी को भी इस बात की छूट नहीं देती कि किसी की स्वतंत्रता में खलल पहुंचायें। किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई किसी की स्वतंत्रता में खलल पहुंचाये और यह छूट दी भी नहीं जा सकती है। मैं आपके सामने चार लाईन पढ़ दे रहा हूं, जो मेरे पास आई हैं। झारखण्ड में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या के विरोध में फैज-ए-आम इण्टर कालेज में विरोध प्रदर्शन हेतु बदरअली अध्यक्ष, युवा सेवा समिति के नेतृत्व में 700 आदमी इकट्ठा हुये और सार्वजनिक सड़क दिल्ली राज मार्ग पर बदरअली के नेतृत्व में करीब 600/700 आदमी उग्र स्थिति में बिना अनुमति के सरकार विरोधी मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली राजमार्ग को जाम कर दिया गया था। राज मार्ग को जाम करने का अधिकार किसको है ? इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी गहनता से संज्ञान लिया है कि जाम किसको नुकसान पहुंचाता है। कोई तीमारदार अपने मरीज को कहीं लेकर जा रहा है, किसी की कोर्ट में तारीख है एवं हाईवेज के ऊपर बहुत सारे लोग जरूरी काम से निकलते हैं और 600/700 लोग जाम लगाये बैठे हैं। किस लिए जाम लगाये बैठै हैं, क्या गुनाह किया था, मेरठ वालों ने, क्या अपराध किया था उन लोगों ने जो जाम में फंसे रहे ? क्यों जाम लगवाया, इसका कोई उत्तर है ? आखिरकार सरकार क्या मौन बैठी रहेगी। आपको जाम लगवाने का क्या अधिकार है ? झारखण्ड में हत्या हुई और आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप जाम लगायें ? इसमें हत्या की मेरिट के आधार पर मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसमें जो मुल्जिम होंगे, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करने में पीछे नहीं हैं। लेकिन वहां लोग इस परेशानी को क्यों भुगते, उन्होंने क्या गुनाह किया है ? आखिरकार जिन लोगों ने जाम लगाया, उनसे भी पूंछा जाना चाहिए कि जाम के कारण परेशान लोगों को किस गुनाह की सजा मिल रही है। घण्टों जाम लगाया गया। जब जाम लगाया जायेगा तो क्या सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी रहेगी। पहले अधिकारी अनुनय-विनय करते हैं कि भाई हट जाओ। उसके बाद बल का प्रयोग किया जाता है और बल का प्रयोग इस हिसाब से किया जाता है कि किसी को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। पहले जब जाम लगाया और यह परिस्थिति पैदा की गई, तभी यह स्थिति पैदा हुई। सरकार इस बात के लिए पूरी तरह सचेत है कि कानून-व्यवस्था को मुस्तैद रखें और किसी को भी नाजायज तरीके से इस बात का अधिकार नहीं है कि कोई कानून को अपने हाथ में ले। यदि कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो सरकार अपना काम करेगी, कानून आपना काम जरूर करेगा। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी निर्देश हैं कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाये, निर्दोष को न सताया जाये। मा0 नेता विपक्ष ने इस बात को कहा है कि जो लोग निर्दोष हैं

उनके लिए हम अलग से दिखवा लेंगे, जो मुकदमें हुए हैं। उसमें नाजायज तरीके से कुछ न किया जाये और उनको इस बात के लिए निर्देशित भी कर देंगे कि इसमें किसी भी निर्दोष को सजा भुगतनी न पड़े, कोई निर्दोष किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाय। यह मैं आपके माध्यम से उनको निर्देशित भी कर दूंगा। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक मा0 सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का मामला है, उसको कृपया करके ले लीजिए। आज नहीं लेंगे तो कल जरूर ले लीजिए। इस बात को प्रमुख सचिव जी भी सुन रहे हैं। जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। जब देश आजाद हुआ तब इस देश में एक संविधान बना और उस संविधान ने इस देश के नागरिकों को अधिकार दिया कि यदि हमको सरकार से असहमति है तो हम अहिंसक तरीके से धरना/प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर सकते हैं। यह तो सरकारों का काम है कि यदि हम शांतिपूर्वक भी आंदोलन कर रहे हैं तो उसको हिंसक बता दिया जाता है। आप सरकार ही नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी भी हैं, हम-आप सभी हैं। यह बात सही है जो आदमी सरकार में बैठता है उसको केवल कानून दिखाई देता है, समाज दिखाई नहीं देता, पुलिस की जोर-जबरदस्ती दिखाई नहीं देती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश की बदनामी दुनिया में मॉब-लिचिंग की घटनाओं को लेकर हो गयी है और उसके विरोध में हम कैंडिल मार्च निकालते हैं तो इसमें हिंसात्मक क्या हो गया। रोड जाम में केवल नेशनल हाई-वे में नियम है कि नेशनल हाई-वे को कोई जाम नहीं करेगा लेकिन पुलिस रोकती है तो अमूमन हर आदमी यही करता है कि वहीं सड़क पर बैठ जाता है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप केवल सरकार नहीं हो, आप पार्टी भी हो और पार्टियां जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करता हैं। अमेरिका ने भी कह दिया कि मॉब-लिचिंग के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है और माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति के अनुसार इस प्रदेश और देश में अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने और उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करने पर तुली हुई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मामले को ठीक से नहीं दर्शाया इसलिए हम इनके कथन के विरोध में सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी के नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गए)

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए हम इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार में लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, किसी को कोई भय नहीं है। अगर भय है तो केवल नेता विरोधी दल को है। ये प्रोपेगैण्डा करने में और

बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में माहिर है इसलिए इनकी बात का कोई संज्ञान न लिया जाए और इसको हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको लिखा भी न जाए। मान्यवर, अभी-अभी पता चला है कि उस दिन वहां पर हिंसा भी हुई, तोड़-फोड़ भी हुई। यदि तोड़-फोड़ होगी, हिंसा होगी तो कानून अपना काम जरूर करेगा। मान्यवर, कानून को उन लोगों को भी सुरक्षित देखना है जो शांतिप्रिय तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं और किसी प्रकार से कोई भी उद्दण्डता एवं असामाजिक गतिविधि सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री संजय गर्ग-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

अभी जब अननुमोदन का प्रश्न रखा गया था, अधिष्ठाता जी, तब 'हां' की संख्या ज्यादा थी और हमारे साथियों ने पढ़ कर उसके अन्दर जो खामियां आयी थीं, अन्तर्रात्मा की आवाज से..

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, 'नहीं' की संख्या ज्यादा थी।

श्री अधिष्ठाता-

गर्ग जी, अपनी बात रखें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

पहले इस पर मंत्री जी बोल लें।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी पहले प्रस्ताव कर दें।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। मान्यवर, पहले इन्हें बोल लेने दीजिए, हम जवाब दे देंगे।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो विधेयक आया है, विशेषतया यह दो नए विश्वविद्यालयों के बारे में आया है। सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, जिसकी बहुत लम्बे समय से मांग थी, हमने भी सदन में मांग की थी। हम इस बात के लिए आभार भी प्रकट करते हैं और आजमगढ़ विश्वविद्यालय, आजमगढ़। यह दो नए विश्वविद्यालय बने हैं। हालांकि ज्ञान कमीशन ने उत्तर प्रदेश के 09 मण्डल के बारे में जिक्र किया था कि 09 मण्डल में विद्यालय बनने चाहिए, हायर एजूकेशन के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उन 09 में से 02 मण्डलों में, सहारनपुर मण्डल के लिए सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के प्राविधान को इस विधेयक में रखा गया है। परन्तु इसी के साथ-साथ जो प्रवर समिति को सौंपने की नीयत हमने प्रस्तावित की है, वह इस बात के साथ कि दो जिलों का नाम पिछले दिनों बदला गया, फैजाबाद और इलाहाबाद का। फैजाबाद का नाम अयोध्या जिला रख दिया गया और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। उसके अनुरूप अगर यह बात की जाती कि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज हो जाता और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद की जगह अयोध्या हो जाता तो बात तर्कसंगत थी। इस बारे में नाम परिवर्तन के न तो कोई प्रस्ताव लिए गए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 19वीं सदी से बना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से न जाने कितने लोग राजनैतिक रूप से, कार्यपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में इस पूरे मुल्क की खिदमत करने में लगे हैं और उनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ अपने आप में एक आसक्ति है और उसी के साथ-साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरे हिन्दुस्तान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जितनी क्षमता रखता है और उसकी योग्यता, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर शक करने का काम नहीं किया जा सकता। ऐसे में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के नाम को

बदल कर किसी एक विशिष्ट विचारधारा के व्यक्ति के साथ जोड़ना, निश्चित रूप से एक प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। हम यह प्रस्तावित करते हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। यह कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। अन्य नाम भी ले लिए जायें, अगर प्रस्तावित करने की बात है, अन्यथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही रखा जाए और इसका नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि इसका नाम प्रो0 राजेन्द्र सिंह 'रज्जू भैय्या' विश्वविद्यालय जो इस विधेयक में प्रस्तावित है, किया जाय। इसलिए मा0 अधिष्ठाता जी, इन तमाम पहलुओं पर और भी कई लोगों से चर्चा हुई और वह तमाम लोग इस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र वह किसी भी विचारधारा से सम्बन्धित हो सकता है। वह अपनी उस विचारधारा के सामने किस तरह से अपने सर्वांगीण विकास को और अपनी उन तमाम कैपेसिटीज को प्रफुल्लित करने का काम करेगा, उसके लिए किसी एक नाम और विचारधारा के साथ इंगित कर अगर इतने महान विश्वविद्यालय को ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं लगता है।

मा0 अधिष्ठाता जी, हमारा यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह में वृहद चर्चा करें और प्रस्ताव लाकर इसे बाद में फिर दोबारा विधान सभा में रखने का काम करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, तो यह कौन वाला है जो नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं ? जैसे यहां दो ऐक्ट हैं एक में इन्होंने कहा है कि इसमें डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में सम्मिलित किए गए जिले हैं अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले। अब दूसरा जो राज्य विश्वविद्यालय का है जिसमें नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं उसमें पेज 3 पर क्रम संख्या 6 है डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या इसमें अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले हैं और अमेठी इसमें शामिल नहीं है। मान्यवर, यह दोनों में विसंगति है अगर अमेठी आप उसमें शामिल कर रहे हैं तो यहां अमेठी भी शामिल होगा इसको इसमें जोड़ने का काम करें।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। मैं निश्चित तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि

आज आप फैजाबाद यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर के अयोध्या के नाम से कर रहे हैं। अयोध्या भगवान राम के नाम से जाना जाता है। अयोध्या राम की नगरी माना जाता है और भगवान राम के नाम पर जो सब के आराध्य हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका नाम अयोध्या ना रखकर के भगवान राम के नाम पर, रामायण के नाम पर और ऐसे तमाम मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने ग्रन्थ हैं, भगवान राम के नाम पर ऐसे तमाम कृत्य हैं जिसको मर्यादा पुरूषोत्तम राम कहा गया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम अर्ली एज से आते हैं, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि अमीबा से पैदा होते हैं। अमीबा से आज जो सिंगल सेल बनी उससे आज हम मनुष्य हैं और जब यह संस्कृतियां नहीं थीं तो मान्यवर, हमको रामायण पढ़ाकर के यह बताया गया कि हमारी मां, हमारी बहन से हमको कैसा व्यवहार रखना है, हमारे भाई से हमको कैसा व्यवहार रखना है ? अन्य लोगों के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना है ? अयोध्या भगवान राम की राजधानी रही है। भगवान राम के नाम से जाना गया। मैं कहना चाहता हूं कि इसको रामायण के नाम से क्यों न करके और वहां पर ऐसा एक शोध संस्थान खोला जाए जिसमें रामायण का शोध होना चाहिए। नई जानकारी हमारे इस क्षेत्र को और हमारे इस प्रदेश को विकसित कर सके, आगे बढ़ा सके। आदरणीय संजय गर्ग साहब ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम प्रयागराज या रज्जु भईया के नाम से हो। यह संगम की नगरी है मान्यवर, यहां तीन-तीन नदियां एक साथ होकर मिलती हैं। आप इसका नाम संगम विश्वविद्यालय भी रख सकते हैं।

आप इसका नाम अन्य नदियों के नाम पर भी रख सकते हैं। लेकिन एक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर रखना अनुचित है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के हवाले कर दिया जाए जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करे। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी नहीं है कि संजय गर्ग जी ने ग्रैजुएशन कहां से किया है ? लेकिन जितना भी वैज्ञानिक समुदाय है, वे लोग उनको जानते हैं, उनकी लेखनी से परिचित हैं। प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह जी इस देश के एक बहुत बड़े विद्वान हुए और अगर वे समाजसेवा में न आते तो बहुत बड़े वैज्ञानिक ही होते। यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो उनके द्वारा पढ़ाए हुए और उनके द्वारा शिक्षित-दीक्षित किए हुए हैं। वे लोग बहुत बड़े-बड़े, ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और उनकी विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति है। मैं समझता हूं कि एक ऐसे शिक्षाविद्, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसी वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति

के नाम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी ही, इससे कम होने वाली नहीं है। इसलिए सभी लोगों को उनकी विद्वता को देखकर, उनकी दक्षता को देखकर स्वाभाविक रूप से पूरी सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मान्यवर, वहीं से उनकी महिमा भी थी। अगर आप में इतना ही सम्मान देने की बात है तो केन्द्र में भी आपकी सरकार है और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय भी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है और उस विश्वविद्यालय के नाम पर मैं यह बिल लेकर आया हूं।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

आप सेण्ट्रल का नहीं लाए, स्टेट गवर्नमेण्ट का लाए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिए जो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के रूप में है उसे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

यह हम लोगों ने वर्ष 2016 में बनाया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं इसी की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने उनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि वह अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया जिसमें वे पढ़ाया करते थे। अब यह राज्य विश्वविद्यालय होगा जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री डॉ0 मुरली मनोहर जोशी जी रहे, उन्होंने विशेष रूप से इसको बढ़ाया। बहरहाल मैं समझता हूं कि इसमें जो विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित हुआ है तो उसमें हमारा क्षेत्राधिकार ही नहीं है, उसमें केन्द्र का क्षेत्राधिकार है, वह तो केन्द्र तय करेगा।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

यदि आप चाहेंगे तो वह बेहतर होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था और मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने में मुझे और सभी लोगों को खुशी भी होगी कि इसको प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह जी

के नाम से कर दिया जाए और मैं इसी बात के ऊपर बल देता हूं। जहां तक सहारनपुर विश्वविद्यालय बनाने और आजमगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की बात आपने कही, उसका तो खैर आपने समर्थन ही किया है। इसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करते थे, वे इसमें जोड़े जा रहे हैं, उसके महाविद्यालय इसमें जोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय जिसमें आजमगढ़ और मऊ इससे जोड़े जा रहे हैं, जो पहले जौनपुर विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करते थे। इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ये क्षेत्राधिकार बदलने की टेक्निकल बात है, नाम बदलने की बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर ज्यादा कुछ किया जाए। आप लोगों ने जो कहा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। मान्यवर, अब आप चाहें तो कृपा करके प्रश्न उपस्थित कर दें। क्या मद संख्या-55 वाला प्रस्ताव आ चुका है ? यदि नहीं तो मैं मद संख्या-55 का प्रस्ताव किए देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-55 का प्रस्ताव तो हो गया है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, –

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद" जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा;

(ख) खण्ड (छ) में शब्द "इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के स्थान पर शब्द "प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;"

"(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1–ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1–च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

"(1–छ) जब तक कि इस धारा के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

धारा 52 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2–घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2–ङ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

"(2–च) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, –

(क) क्रम संख्या–2 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"2–चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

(एक) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना होने तक	बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले
(दो) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना हो जाने पर	बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले

(ख) क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

1	2	3
6.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(ग) क्रम संख्या–9 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(एक) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना होने तक	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिले
(दो) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हो जाने पर	गाजीपुर और जौनपुर जिले

(घ) क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

1	2	3
12	प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले

(ङ) क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"15.	सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर"	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले
"16.	आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़"	आजमगढ़ और मऊ जिले

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6–(1) राज्य सरकार, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

चूंकि उपरोक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक, 2019 को जिस उद्देश्य के साथ ये लाया गया है मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि अभी इसमें और ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। अमेठी जिले को सुल्तानपुर की 3 तहसील और रायबरेली की 2 तहसीलों से बनाया गया है और इसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इन्होंने जो दो विश्वविद्यालय हैं, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीच में जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है उसे देखकर इसके अंदर प्रस्ताव लाने की बात की गई है कि जिले के हिसाब से इन्होंने इन्हें विश्वविद्यालयों में आवंटित करने की कोशिश की है, जबकि इसकी एक समग्र समीक्षा की जरूरत थी। हम महसूस करते थे कि और भी इलाकों में जहां जनपदों के पुनर्गठन हुए हैं या विश्वविद्यालय जिस इलाके या तहसील के ज्यादा करीब हैं उनका प्रस्ताव भी यदि समग्रता के साथ इसके अंदर शामिल कर लिया जाता तो निश्चित रूप से उसे सुव्यवस्थित रूप में हम उच्च शिक्षा को और विश्वविद्यालय को और ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ावा दे सकते थे। इसलिए यह जो प्रस्ताव इस अधिनियम के माध्यम से आया है कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से हटाकर डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में अमेठी जनपद को रख लिया जाए। इसके साथ-साथ समग्रता के साथ उसकी समीक्षा, ये प्रवर समिति के सुपुर्द हो प्रवर समिति उसमें सब लोगों से प्रस्ताव ले और समीक्षा कर के उसे पुनः सदन के समक्ष रखे तो मैं समझता हूं कि शायद ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए मेरा पुनः यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव दूंगा। एक जवाब इसमें आया है कि अमेठी में दो तहसील रायबरेली की हैं तो अमेठी जिले में पहले तो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि तीन तहसील सुल्तानपुर की और एक तहसील रायबरेली की ले कर चार तहसीलों का वह जिला है, दो तहसील नहीं हैं। इसको संशोधित कर लिया जाये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बताना चाहूंगा कि अमेठी से अभी जो कानपुर यूनिवर्सिटी है वहां के लिए लगभग 160 कि0मी0 से अधिक जाना पड़ता है और अगर यह साकेत विश्वविद्यालय से जुड़ जायेगा तो मात्र 80 कि0मी0 जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से यह जो संशोधन सरकार ला रही है वह बहुत सही ला रही है इसको हमें पास कर देना चाहिए। मेरा अपने साथियों से यह अनुरोध है कि अमेठी जनपद की सहूलियत को देखते हुए अपना यह संशोधन वापस ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात मैं कहने जा रहा था कि केवल दूरी की वजह से आवागमन में असुविधा होती थी। इसलिए अभी माननीय मंयकेश्वर जी ने जो बात कही वह पूरी तरह से सही है और उन्होंने अनुरोध भी किया है संजय गर्ग जी से और सबसे, कि संशोधन वापस ले लें। मान्यवर, वापस ले लें तो ठीक है, नहीं तो कृपा करके आप प्रश्न उपस्थित कर दें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हमारा मत यह है कि पूरे प्रदेश की समीक्षा हो जाती तो ज्यादा बेहतर था, एक ही बार में एक विधेयक में काम हो जाता।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब प्रश्न उपस्थित कर देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अब यह मौन समर्थन देना चाहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 03 जून, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की अनुसूची का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्या 3 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"3–छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव जिले।"

(ख) क्रम संख्या 6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"6–डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अननुमोदन का संकल्प

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर देगी। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, इसमें शब्द कमीशन के स्थान पर अंश-ग रखा गया है। कमीशन का अर्थ किसी दी गयी सेवा के लिए आपसी सहमति के आधार पर प्राप्त होने वाली या दी जाने वाली धनराशि को कमीशन कहते हैं। अंशदान का अर्थ, अपनी पूंजी या धनराशि में से कुछ अंश या धन बिना किसी पूर्व सहमति के, दबाव के किसी को देना अंशदान कहलाता है। यहां तो पहले से निश्चित किया जाता है कि सरकारी समितियों के माध्यम से गन्ना क्रय कर रहे हैं जिस पर इतने प्रतिशत देना होगा। सरकारी समितियाँ क्रेता और विक्रेता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करती है और अपनी दी गयी सेवा के एवज में पूर्व सहमति के आधार पर निश्चित धनराशि लेती है। इसमें क्रेता संविदा के तहत उतनी धनराशि देने के लिए बाध्य होता है। वह कम या ज्यादा नहीं कर सकता इसलिए इसे कमीशन ही कहा जा सकता है, अंशदान नहीं कहा जा सकता। समितियों को टी0डी0एस0 से बचाने के लिए शब्दों का अर्थ ही बदल देना उचित नहीं है इससे संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होगी और आगे चलकर तमाम विवादों को जन्म देगी। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही विद्वान सदस्य हैं और पूर्व में गन्ना मंत्री भी रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता था कि आप बहुत ही मजबूती के साथ इसका समर्थन करेंगे। चूँकि यह सीधा-सीधा किसान से जुड़ा हुआ मामला है। यदि मैं 2018-19 की बात करूँ तो 2018-19 में ही सहकारी गन्ना विकास समितियों को लगभग 425.69 करोड़ तथा गन्ना विकास परिषदों को

लगभग 141.89 करोड़ की धनराशि देय हुई। किन्तु चीनी मिलों द्वारा टी0डी0एस0 के रूप में की गयी 8 प्रतिशत कटौती के उपरान्त प्रदेश की गन्ना समितियों को लगभग 404.41 करोड़ एवं गन्ना विकास परिषदों को लगभग रू0 134.84 करोड़ प्राप्त हुये, शेष धनराशि 28.37 करोड़ आयकर विभाग में जमा की गयी। यह जो उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम-1953, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24, वर्ष 1953 में अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम में प्रारम्भ से ही धारा-18 में कमीशन का प्राविधान चला आ रहा है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत बनायी गयी उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन नियमावली, 1954 के नियम 49 के प्राविधानों के अनुसार जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, सहकारी गन्ना समितियां एवं गन्ना विकास परिषदों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी गन्ना मूल्य का 3 प्रतिशत, गन्ना विकास कमीशन देय होता है, जिसका 75 प्रतिशत गन्ना समितियों को तथा 25 प्रतिशत गन्ना विकास परिषदों को मिलता है। समस्या तब उत्पन्न हुई जब यहाँ के आयकर अधिनियम-1951 की धारा-10, 20 में लोकल अथॉरिटी के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषदें दिनांक 31-03-2003 तक आयकर से मुक्त थी किन्तु वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा आयकर की धारा-10, 20 में संशोधन दिनांक 01-07-2003 से लागू करके एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत निम्न संस्थायें ही लोकल अथॉरिटी की परिधि में रह गयी हैं। पंचायतें, नगर पालिका, नगर परिषद व जिला परिषद और कन्टोनमेन्ट बोर्ड समितियाँ इससे बाहर हुई, जिसके कारण जो भी कमीशन सोसाइटियों को मिलता है या गन्ना परिषदों को मिलता है, उस पर जो टी0डी0एस0 कटता है, उस टी0डी0एस0 की वापसी के लिए चाहे किसानों को मिलने वाले धन का व्यय हो या समय सीमा का बढ़ना हो, कुल मिला करके जो किसानों के लिए उपयोग होने वाली राशि है या किसानों के उपयोग में आने वाला जो धन है, जिससे विकास के काम होते हैं, चाहे सड़क का काम हो, चाहे कीटनाशक हो या अन्य काम जो किसान के हित में हों, उसका निर्णय सोसाइटी या परिषद लेती हैं, उनमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए क्योंकि टी0डी0एस0 वापसी हेतु आयकर विभाग एवं न्याय विभाग में क्लेम दाखिल किये गये तथा प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त अधिकतर मामलों में टी0डी0एस0 व रिफण्ड प्राप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में विभाग का अतिरिक्त समय व श्रम लगा तथा अनावश्यक वाद-व्यय भी हुआ। बहुत सारे वाद भी विभाग के पास आये। चूँकि आप मंत्री रहे हैं आपको इसकी प्रॉपर जानकारी है, कि बहुत सारे वाद का भी गन्ना विकास परिषदों ने सामना किया है इसलिए इसमें संशोधन लाया गया है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन पूरी तरह से किसान के हित का है और हम सब लगातार किसान के हित की बात करते हैं

और यह सदन चाहता है कि किसान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और किसान के जो विकास के काम हैं, उसमें हम सब बढ़-चढ़ करके हिस्सेदारी करें। जब यह हो जायेगा तो टी0डी0एस0 का झंझट ही खत्म हो जायेगा। कुल मिला करके बहुत आसानी के साथ हमें टी0डी0एस0 की वापसी होगी। मैं समझता हूं कि इससे सोसाइटी मजबूत होंगी, परिषद मजबूत होंगी और गन्ना विकास के जितने किये जाने वाले किसानों के पक्ष के काम हैं, उनमें आसानी होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इसको सामूहिक निर्णय के आधार पर पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह 12 जून, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 18 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

गन्ना के क्रय पर अंशदान

"18(1) किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए एक अंशदान संदत्त किया जायेगा,–

(क) जहां क्रय, किसी गन्ना उत्पादक–सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय, वहां अंशदान, गन्ना उत्पादन समिति एवं परिषद् को उसकी पूँजी/निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे, तथापि परिषद् को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

(ख) जहां क्रय, प्रत्यक्षतः गन्ना उत्पादक से किया जाय वहाँ निधि में अंशदान, परिषद् को संदेय होगाः

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी फैक्ट्री एवं किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता ईकाई के लिए अंशदान की भिन्न–भिन्न दरें, विहित की जा सकती हैं :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमित प्रयोजन की दृष्टि से ऐसे अंशदान का पूर्णतः या आंशिक रूप में परिहार कर सकती है;

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय अंशदान, यथाविहित रूप में अनधिक ऐसे दरों पर होगा जिस दर पर निधि में अंशदान, खण्ड (क) के अधीन परिषद् को संदेय हो;

(3) गन्ना मूल्य के लिए लागू भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूली सहित भुगतान, ब्याज एवं वसूली से संबंधित उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन अंशदान का भुगतान और उसकी वसूली के लिए, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन्2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश राणा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, बहुत दिनों से इस बात की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी और न्यायालयों में बहुत अधिक वाद लम्बित हो गये थे। बेसिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक से संबंधित और हायर एजुकेशन से संबंधित विवाद चूंकि कोर्ट में रहे, मान्यवर, लगभग 22,000 मुकदमें आज की तारीख में अदालतों में पेंडिंग हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इसके ऊपर एक सक्षम अधिकरण का गठन हो जो इन विवादों का निपटारा शीघ्रता से कर सके। मान्यवर, नवम्बर 2018 में और जनवरी 2019 में दो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश इस सम्बन्ध में भी आये और उन्होंने भी इस बात के ऊपर बल दिया कि इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए एक अधिकरण का गठन कर दिया जाये। सरकार की तरफ से यह कहा भी गया था कि इसको हम शीघ्र ही गठित करवा देंगे। तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थानों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा संस्थानों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सेवायोजित अध्यापकों तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों के मामलों के प्रभावकारी तथा त्वरित न्याय प्रदत्त किये जाने के निमित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए आज हम यह बिल लाये हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि विवादों को त्वरित निपटाने के लिए यह आवश्यक है, नियमावली तो मान्यवर बाद में बनेगी। और हमारी यह कोशिश होगी कि इसके माध्यम से जो भी विवाद हैं वह शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित हों। हम यह चाहेंगे कि चाहे इधर

के सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों, इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुए इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय इसमें किसी विरोध की बात नहीं है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक महत्वपूर्ण विधेयक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समित को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल इस सरकार ने पेश किया है और इस बिल के माध्यम से सरकार यह कहना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में जितने भी मुकदमें हैं वह इस अधिकरण को दे दिये जाएं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला है। मैं 2017 और 2019 में दिये गये उच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुझाव दिया होगा, अच्छी तरह से सोच-समझकर सुझाव दिया होगा लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे उस सुझाव पर अमल कर लिया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इससे पहले जितने भी हमारे ट्रिब्युनल बने, लखनऊ में ही बहुत सारे ट्रिब्युनल हैं, बहुत सारे हमारे जनपद प्रयागराज में हैं। कितने ट्रिब्युनलों की हमने समीक्षा की है और यह देखा है कि कितना त्वरित न्याय उन ट्रिब्युनलों के माध्यम से हुआ। अभी भारत सरकार केन्द्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल को भी खत्म करने की पहल कर रही है, क्यों पहल कर रही है क्योंकि जो त्वरित न्याय हम लोगों ने सोचा था, वह त्वरित न्याय वहां पर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं सरकार से चाह रहा हूं कि इस बात की समीक्षा हो जाए। यहां पर एक सर्विसेज ट्रिब्युनल लखनऊ में है उसकी समीक्षा हो जाए कि कितने मुकदमें आज भी लम्बित हैं। कभी आप उसको भंग कर देते हैं, कभी आप उसमें मेम्बर बैठा देते हैं, कभी मेम्बर हटा देते हैं, कभी अध्यक्ष को हटा देते हैं, कभी कार्यकाल बढ़ा देते हैं। जितने भी हम लोगों ने आयोग बनाये हैं, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बनाया, उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड बनाया, पहले जो हम भर्ती करते थे, विद्यालयों के माध्यम से मैनेजमेंट के माध्यम से भर्तियां बेहतर होती थीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था को चौपट करने का अगर कहीं श्रेय जाता है तो वह ट्रिब्युनल को और आयोग को जाता है। इसलिए आयोग बढ़ाने से ट्रिब्युनल बढ़ाने से हम किसी मकसद तक पहुंच नहीं सकते हैं। अगर उद्देश्य हमारा त्वरित न्याय है तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें देखा जाना चाहिए कि आखिर क्यों इतने मुकदमें पैदा होते हैं। कहीं न कहीं प्रशासनिक अक्षमता से मुकदमें पैदा होते हैं, अनिर्णय से मुकदमें पैदा होते हैं, भ्रामक निर्णयों से मुकदमें पैदा होते हैं। जो कानून हम बनाते हैं वह बहुत लचर बनाते हैं क्योंकि हम कानून पर चर्चा नहीं करते हैं। संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को आप उठाकर देख लें तो एक-एक शब्द पर चर्चा होती थी, अगर ऐण्ड लगना है तो पहले लगेगा कि बाद में लगेगा, आइदर लगना है तो पहले लगेगा या बाद में लगेगा। आज पूरा का पूरा कानून बिना पढ़े-लिखे, बिना किसी मशविरे के, बिना प्रवर समिति में जाये पास कर दिया

जाता है और कल उम्मीद की जाती है कि इससे त्वरित न्याय मिलेगा तो मेरा स्पष्ट मानना है और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप प्रवर समिति में देंगे तो आपका यह विधेयक हो सकता है और मजबूत स्थिति में बनकर निकले और अच्छी इसकी स्थिति हो। जब देश की सरकार ट्रिब्युनलों को खत्म करने की बात कर रही है तो कहीं न कहीं उनके पास कोई प्रमाणिकता होगी, सोच होगी। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि अगर एक महीने में अधिकरण नहीं बनेगा तो कोई ऐसा पहाड़ टूटने नहीं जा रहा है। एक महीने में अगर विचार करके लायेंगे तो कहीं न कहीं एक बेहतर विधेयक हम पास कर सकेंगे और केवल मेरी या सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे सदन की प्रशंसा पूरे हिन्दुस्तान में होगी और इससे इस सदन का मान-सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार की यह प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए कि आज ही यह विधेयक पास हो, यह नजीर पेश करे सरकार कि एक विधेयक को तो आप प्रवर समिति में ले जाएं। सारे विधेयकों को अगर आप ऐसे पास करा लेंगे तो वह नजीर समाप्त होती है, कहीं न कहीं हमारा मान-सम्मान घटता है इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कम से कम हम इसकी प्रोग्रेस तो बता दें। हम तो सोच रहे थे कि आप मेरिट पर बात करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बिल पूरा सोच-समझकर और परीक्षण कर विचारोपरान्त लाया गया है। मान्यवर, सिद्धान्ततः हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी बिल को लाने से पहले उसके पीछे गहन मंत्रणा जरूर होनी चाहिए। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि यह मंत्रणा हो चुकी है। हमारा यह विभाग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कल से इस विषय पर बहुत तैयारी की है। हम सोच रहे थे कि आप में से कई मा0 सदस्य इस विधेयक के मेरिट के ऊपर कोई बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरिट पर कोई बात ही नहीं की। फिर भी हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। नियमावली के सम्बन्ध में हमने कल अधिकारियों को एक अलग से निर्देश दिये हैं। जब हम यह नियमावली बनाएंगे, तो उसमें यह प्रावधान जरूर करेंगे कि बार-बार स्थगन (एडजर्नमेण्ट) और तारीखें लेने की स्थिति न हो। यह हमारी कोशिश होगी और इसमें डिलेयिंग प्रैक्टिस अप्लायी न हो और जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, और जिस उद्देश्य से यह

अधिकरण बन रहा है, वह अपने उद्देश्य में सफल हो और लोगों को त्वरित गति से न्याय मिले। मान्यवर, इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। मैं समझता हूं कि उधर से जो कुछ कहा गया है, हमने उनके शंका का समाधान कर दिया है। पूर्ण विचार-विमर्श और गहनता के साथ जब हमने परीक्षण कर लिया है, तब जाकर इस बिल को लेकर आये हैं। मान्यवर, हम आपसे अपील करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, हम लोगों से विचार-विमर्श नहीं किया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर वोट करा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019

एक

विधेयक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से अन्तर्ग्रस्त विवादों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "**पीठ**" का तात्पर्य अधिकरण के किसी पीठ से है;

(ख) "**अध्यक्ष**"का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ग) "**मुख्य न्यायमूर्ति**"का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(घ) "**जिला न्यायाधीश**"का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थान्तर्गत किसी जिला न्यायाधीश से है;

(ङ) '**शैक्षिक संस्था**' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय से है और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल सम्मिलित है;

(च) **विधिक प्रतिनिधि** का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक रूप मे प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें पेंशन सम्बधी, सेवानिवृत्तिक, सेवान्त या अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार निहित हो;

(छ) '**प्रबन्ध तंत्र**' का तात्पर्य प्रशासन योजना, यदि कोई हो, के अनुसार गठित किसी प्रबन्ध समिति से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें किसी शैक्षिक संस्था के मामलों का प्रबन्धन करने का अधिकार निहित हो;

(ज) '**सदस्य**' का तात्पर्य अधिकरण के किसी न्यायिक या किसी प्रशासनिक सदस्य से है और इसमें उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित है;

(झ) '**शिक्षणेत्तर कर्मचारी**' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के किसी कर्मचारी या माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के किसी अध्यापक से भिन्न ऐसे कर्मचारी, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो, या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी से है;

(ञ) '**प्रस्तुतकर्ता अधिकारी**' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक प्रस्तुत कर्ता अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ट) "**सेवा सम्बन्धी मामले**" का तात्पर्य किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है;

(ठ) '**अधिकरण**' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण से है;

(ड) '**अध्यापक**' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक या माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा प्रदान करने हेतु नियोजित किसी व्यक्ति से है।

अधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक अधिकरण स्थापित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण कहा जायेगा।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम् तीन ऐसे अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी जब तक कि वह–

(एक) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा/रही हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए उपाध्यक्ष (न्यायिक) पद धारित न किया/की हो; ~~या जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया/की हो;~~ अथवा

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य न रहा हो और भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हों;

(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी, जब तक कि वह–

(एक) जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया/की हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए न्यायिक सदस्य का पद धारित न किया/की हो;

(ग) उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी, जब तक कि वह–

(एक) कम से कम दो वर्ष तक के लिए प्रशासनिक सदस्य का पद धारित न किया/की हो; या

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय करने मे पर्याप्त अनुभव धारित न किया/की हो;

(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी जब तक कि वह जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारित न किया/की हो;

(4) वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200 या उच्च वेतनमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) का कोई अधिकारी, प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु यह कि राज्य सरकार की राय में वह न्याय करने मे पर्याप्त अनुभव धारित किया/की हो;

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिए प्रस्ताव का पहल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद तब तक धारण नहीं करेगा/करेगी जब तक कि वह उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सिवाय सेवा, जिसमें वह सेवारत था/थी, से पद त्याग न कर दिया/दी हो या सेवा निवृत्त न हो गया/गयी हो;

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये इस रूप में पद धारण करेगा/करेगी, किन्तु वह पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा/होगी;

परन्तु यह कि–

(एक)अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(दो) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा;

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है;

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक राज्यपाल द्वारा उसे पहले ही अपना पद छोड़ने की अनुज्ञा न दे दी जाय, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा;

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या ऐसे न्यायाधीश, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विहित रीति से नाम निर्दिष्ट किया जाय, द्वारा की गयी ऐसी जांच, जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति–युक्ति अवसर प्रदान किया गया हो, के पश्चात सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा किये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाये नहीं जायेंगे;

(9) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(10) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, सम्बन्धित अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा या न अभिवचन करेगा।

(11) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(12) जहाँ अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाय वहाँ उपाध्यक्ष, और जहाँ उपाध्यक्ष तदनुरूप अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाय वहाँ, ऐसा अन्य सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता/लेती है।

अधिकरण के कर्मचारिवर्ग

4–(1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण हेतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का उपबन्ध करेगी जैसा कि वह उचित समझे;

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जैसी कि विहित किया जाये।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

5–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हो या रहा हो, अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकता है;

स्पष्टीकरणः–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "आदेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के अधीन किसी शैक्षिक प्राधिकारी के किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता अथवा शैक्षिक संस्था की प्रबन्ध समिति या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के आदेश से है;

परन्तु यह कि किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहाँ ऐसे दो या दो से अधिक प्रतिनिधि हों, वहाँ उनमें से सभी संयुक्त रूप से ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु के कारण देय वेतन भत्तों,उपदान, भविष्य निधि, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य आर्थिक प्रसुविधाओं के संदाय हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश, ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य, तथा ऐसे निर्देश दाखिल किये जाने से सम्बन्धित ऐसी फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसे तामीलीकरण हेतु ऐसी अन्य फीस, जैसा कि विहित किया जाय, संलग्न किये जायेंगे;

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर यदि अधिकरण का, ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि उक्त निर्देश, उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उपयुक्त है तो वह ऐसा निर्देश ग्रहण कर सकता है और जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहाँ वह अपना कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश को संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा;

(4) जहाँ कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियमावली या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही, जो ऐसे निर्देश ग्रहण करने के ठीक पूर्व लम्बित हो, उपशमित हो जायेगी और अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने के सिवाय, ऐसे विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात् कोई अपील या अभ्यावेदन, ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायेगा;

(5) अधिकरण, सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाय कि अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी ने सुसंगत सेवा नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग कर लिया है;

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिये, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायत के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा;

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील करने या अभ्यावेदन दिये जाने के दिनांक से 120 दिन के भीतर कोई अंतिम आदेश न किया गया हो वहाँ अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी, रजिस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना तामील किये जाने के एक माह के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा।

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

6–(1) अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के निस्तारण के लिए समय-समय पर पीठों का गठन कर सकता है जिसमें दो सदस्य होंगे;

(2) अध्यक्ष के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे किसी पीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम निर्दिष्ट करे;

(3) एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), न्यायिक सदस्य समझे जायेंगे और उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) प्रशासनिक सदस्य समझा जायेगा;

(4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग ऐसे किसी पीठ द्वारा ऐसी अधिकारिता, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करके किया जा सकता है जिसे अधिकरण द्वारा प्रयोग किया गया समझा जायेगा;

(5) अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के निमित्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मामले का अन्तरण, एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है;

(6) जहाँ किसी पीठ के सदस्य, किसी मामले में सहमत होने में असमर्थ हों तो उक्त मामला अध्यक्ष द्वारा गठित किसी अन्य पीठ को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और पश्चात्वर्ती पीठ का विनिश्चय अंतिम होगा।

अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया

7–(1)(क) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस धारा और धारा 16 के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का दिनांक और समय नियत करना और यह विनिश्चत करना सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक या निजी तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह कि जहाँ किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, किसी सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री सुना दिया हो या कोई आदेश पारित कर दिया हो या कोई रिट या निर्देश जारी कर दिया हो और ऐसी डिक्री, आदेश, रिट या निदेश अंतिम हो गया हो, वहाँ पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा;

(ख) धारा 6 के अधीन किसी निर्देश के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1963) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश इस प्रकार सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो, तथापि यह कि:–

(एक) पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा अवधि के होते हुए भी ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा अवधि एक वर्ष होगी;

(दो) परिसीमा अवधि की संगणना में उस दिनांक, जिस दिनांक को अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करे या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को किया गया अभ्यावेदन न हो) करे, से प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक, जिस दिनांक को ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर पारित किये गये अंतिम आदेश की जानकारी हुयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करेगा और साधारणतया उसके द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चय, दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन या मौखिक या लिखित बहसों यदि कोई हो, के आधार पर किया जायेगा;

(3) अधिकरण, साक्ष्य में किसी मूल दस्तावेज के बदले में उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है;

(4) अधिकरण, साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने की न तो मांग करेगा या न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है;

(5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जॉच आयोजित करने के प्रयोजनार्थ, उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होगी जो किसी वाद पर विचारण के समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अधियाचित करना;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(च) विधिसम्मत करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तदनुसार आदेश करना;

(छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक–पक्षीय विनिश्चिय करना;

(झ) व्यतिक्रम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा पारित किये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना;

(ञ) किसी निर्देश पर अंतिम विनिश्चय के लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, पर अन्तवर्ती आदेश पारित करना;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये;

(6) किसी निर्देश से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं पारित किया जायेगा, जब तक :–

(क) ऐसे निर्देश और अन्तरिम आदेश हेतु आवेदन की प्रतिलिपियाँ और साथ ही साथ ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये अभिवचन के समर्थन में समस्त दस्तावेज, उस पक्षकार को न उपलब्ध करा दिये जाये, जिसके विरूद्ध ऐसा निर्देश दाखिल किया गया हो; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर दाखिल करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये;

परन्तु यह कि अधिकरण, खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के किसी क्षति, जिसे धन द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित नहीं की जा सकती है, के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक उपाय स्वरूप अन्तरिम आदेश कर सकता है किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले निष्प्रभावी न कर दिया जाये, उस दिनांक, जिस दिनांक को वह किया जाय, से चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रर्वतन को जारी न रखा हो;

(7) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अधिकरण को किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरूद्ध नियोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) करने की शक्ति नहीं होगी;

(8) अधिकरण द्वारा की गयी घोषणा, दावेदार और उसके नियोजक और साथ ही साथ किसी ऐसे अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी पर बाध्यकारी होगी जिसे उसके हित को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाले किसी दावा के संबंध में उसके विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया हो और उक्त घोषणा किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभावी होगी;

(9) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले अधिकरण के आदेश का निष्पादन, उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से निर्देश से सम्बन्धित दावेदार के नियोजन के किसी मामले में दावेदार द्वारा की गयी किसी अपील या किये गये अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति का कोई अन्तिम आदेश निष्पादित किया जाता;

(10) (क) राज्य सरकार, अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कोई विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकती है;

(ख) कोई अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी और विधिक व्यवसायी की भी सहायता ले सकता है;

(11) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी;

(12) किसी निर्देश या किसी निर्देश के उत्तर या किसी आवेदन–पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के मामले में यथास्थिति उसके कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।

उच्चतम् न्यायालय के सिवाय न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन

8–जिस दिनांक को/से किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा सम्बधी मामलों में इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किये जाने योग्य हो जायेगा, उच्चतम् न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसे सेवा सम्बन्धी मामलों में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति

9—न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अपने अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जैसा कि उच्च न्यायालय को अपने अवमानना के सम्बन्ध में है और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 19 में—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) अवमानना हेतु दण्डित करने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके अधिकरण के किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में साधिकार अपील की जायेगी।"

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

"(4) उपधारा (1) के अधीन अपील, उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से साठ दिन के भीतर दाखिल की जायेगी।"

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

10—(1) अधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकारी आदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में कोई विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो;

(2) उप—धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना—पत्र में उक्त मामले से अन्तर्ग्रस्त विधि का प्रश्न संक्षिप्त रूप में उल्लिखित होगा; विधि के प्रश्न का प्रतिपादन करने या विधि के किसी अन्य प्रश्न को उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय सक्षम होगा;

(3) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण हेतु पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा या यदि नये सिरे से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय नये सिरे से अवधारण करने के लिए विनिश्चय की एक प्रति अधिकरण को भेज सकता है, और तत्पश्चात् अधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हों;

(4) उच्च न्यायालय राज्य अधिकरण के आदेश को उपान्तरण सहित या उसके बिना पुष्ट कर देगा या इसे अपास्त कर देगा या पुनरीक्षण का निस्तारण लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह उचित समझे, के अध्यधीन आदेश का प्रवर्तन स्थगित कर सकता है;

(5) परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किये जाने हेतु यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

वादों पर रोक

11—(1) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए समस्त वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण हेतु आवेदन—पत्र और अन्य आनुषंगिक या सहायक कार्यवाहियाँ (जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ हैं) और अकिंचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील करने की अनुज्ञा के लिए समस्त आवेदन पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (अन्तर्वर्ती आदेशों से प्रोदभूत होने वाले)समस्त पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगें, और उनके अभिलेख अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे और तत्पश्चात् अधिकरण उन मामलों में उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों वे धारा (6) के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट दावे हों;

परन्तु यह कि अधिकरण, धारा 8 के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे प्रक्रम से कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करेगा, जिस प्रक्रम पर मामला पूर्वोक्तानुसार उपशमित किया गया हो और न्यायालय में प्रस्तुत किन्ही अभिवचनों या किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए हों;

(2) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे वादों से उद्भूत होने वाले विचाराधीन समस्त अपीलों की सुनवाई और निस्तारण उस न्यायालय द्वारा पूर्ववत निरन्तर किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो;

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या नियम 25 के अधीन मामला प्रतिप्रेषित करना या प्रतिनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या प्रतिनिर्देश का आदेश, सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय अधिकरण को निदेशित किया जायेगा और तत्पश्चात् अधिकरण, उच्च न्यायालय के निदेशों के अध्यधीन मामला या विवाद्यक पर उसी रीति से विनिश्चिय करेगा मानो यह धारा 6 के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट कोई दावा हो।

अधिकरण के सदस्य और कर्मचारि वर्ग लोक सेवक होंगे

12–अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा अन्य सदस्य और अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

13–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशायित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

सदस्य न्यायाधीश होंगे

14–अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15–(1)राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशेषतः और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी मामले या कोई मामला उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) अधिकरण की शक्तियाँ और उसकी प्रक्रिया;

(ख) पीठों का गठन और उनके मध्य कार्य बटवारा;

(ग) वह प्रपत्र जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य,जिनके साथ ऐसा निर्देश संलग्न होगा और ऐसा निर्देश दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या प्रक्रमकों के निष्पादन या तामीलीकरण के लिए संदेय फीस;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां;

(च) कोई अन्य मामला, जिसके लिये इस अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान न हों और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन समझे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

16–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय मन्त्री जी, पहले आप इस विधेयक पर अपने विचार रख दीजिये, तत्पश्चात् हम बोलेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो हमने उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 आपके समक्ष रखा है। उसमें कुछ छोटे-छोटे संशोधन प्रस्तावित किये हैं। आप उसका स्वागत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि हमारे प्रदेश के भीतर चार विश्वविद्यालय हैं और उसमें से एक नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के नाम से अयोध्या के कुमारगंज में स्थित है। नरेन्द्र देव जी हमारे देश के एक महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद् और विचारक के रूप में उनकी ख्याति रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में वह रहे और बाद में उनके विचारों से सहमत न होने के बाद गरम दल के रूप में उन्होंने आगे चल करके काम किया और सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया जी, जय प्रकाश नारायण जी के साथ उन्होंने बहुत दिनों तक उनके सहयोगी और

मार्गदर्शक के रूप में काम किया। आज मैं समझ रहा था कि आप सभी इस पर पूर्ण सहमति देंगे क्योंकि कांग्रेस की विचार धारा को भी स्थापित करने व नीतियों को बनाये जाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था और सोशलिस्ट पार्टी के भी निर्माण और उसकी विचारधारा में उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन दु:ख यह है कि उनके नाम पर चलने वाले विश्वविद्यालय का नाम जो कि उनके इस प्रतिभा से प्रभावित हो करके काशी विद्यापीठ ने उनको 1926 में आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। लेकिन जब कुमारगंज के इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उनका नाम सिर्फ नरेन्द्र देव के नाम से रहा। आज आचार्य जी को ठीक प्रकार से सम्मान दिये जाने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने फैसला किया और इस विधेयक के भीतर जो दो संशोधन हम कर रहे हैं उसमें नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के नाम के आगे 'आचार्य' नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय हो जायेगा और दूसरा फैजाबाद के स्थान पर उसका नाम अयोध्या परिवर्तित हो जायेगा। दो और छोटे संशोधन हैं जिसमें एक शिक्षक की परिभाषा जो पहले से शिक्षक की परिभाषा थी वह परिभाषा बहुत अस्पष्ट नहीं थी जिसकी वजह से अनेक ऐसे लोग न्यायालयों में चले जाते थे जो शिक्षक तो नहीं थे, पी0एच0डी0 थे या प्रसार कार्यक्रमों में थे और कॉलेज के किसी स्कीम के अंतर्गत वह आते थे, लेकिन शिक्षक के रूप में संज्ञान में ले करके और जिस तरीके के आदेश हो जाया करते थे। उसको देखते हुए, यह पूरे चारों विश्वविद्यालयों के लिए जो हमारा विधेयक, 1958 है उसमें संशोधन करके शिक्षक की परिभाषा की व्याख्या हम लोगों ने किया है। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा जो शिक्षक की परिभाषा है उस परिभाषा के तहत व्याख्या करके उसको हम ला रहे हैं। वह परिभाषा इसके भीतर जोड़ी जा रही है और पुरानी शिक्षक की परिभाषा को हम परिवर्तित कर रहे हैं और चौथा कार्य-परिषद के भीतर जब सर्च कमेटी उस विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए बनती थी ,उसमें जो व्यवस्था थी उसके भीतर दो सदस्य राज्य सरकार की ओर से नामित होते थे और एक कार्य-परिषद् की ओर से इसमें जोड़ा जाता था। उसमें कई बार ऐसा होता था कि ऐसे लोगों के नाम उसमें चले जाते थे जो कुलपति की योग्यता और क्षमता को पहचानने के लिए वह कुशल नहीं थे। इसीलिए हमने प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा व अनुसंधान को इसमें हमने पदेन सदस्य के रूप में उसके स्थान पर परिवर्तित करते हुए ले लिया है जिससे आने वाले दिनों में अच्छे कुलपतियों का चयन वहां पर किया जा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि ये 04 छोटे-छोटे संशोधन हैं और इसको आप सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कराकर एक अच्छा संदेश इस प्रदेश में देने का काम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं आप सबसे इस विधेयक को पारित करने का निवेदन करता हूं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक पेश किया गया है, उसकी जो धारा-5 है, सरकार ने इसमें जो संशोधन किया है नरेन्द्र जी के नाम के सामने आचार्य लाने का, मैं सरकार को भी इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा फैसला सरकार ने किया, जो इस पर पहले किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, और आप यह कदम लाये यह स्वागत योग्य कदम है, और इसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं। फैजाबाद के सामने अयोध्या लाने का जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव भी चूंकि जिले का नाम बदल गया, वह अच्छा प्रस्ताव है। अध्यापक के लिये जो धारा-2 है, जिसमें अध्यापक की परिभाषा पर है। अध्यापक की परिभाषा आपने बदली है आई0सी0आर0 और यू0जी0सी0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो वह है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि पहले की परिभाषा क्या थी और वर्तमान की परिभाषा क्या है ? तब फर्क आपको पता लगेगा। सिर्फ वर्तमान में आपने परिभाषित दो चीजों में कर दिया आखिर पहले जो सेक्शन्स थे, धाराएं थी उसमें क्या परिभाषा थी और आपको क्या कठिनाई आ रही थी। जो सबसे मूल यहां पर आज प्रश्न है जो धारा-11 का संशोधन आप लाये हैं। इसमें मूल अधिनियम की धारा में उप धारा-1 में आपने कार्य परिषद् में नामित व्यक्ति आखिर कौन होता है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा नामित किया जाता है। आज हम सवाल किस पर उठा रहे हैं। आज हम सवाल इस सदन में उठा रहे हैं महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति जो कार्य परिषद् में है। अगर कार्य परिषद् का व्यक्ति अगर एक आदमी चला जाता और दो आपके सदस्य होते। आप पदेन सदस्यों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। पदेन सदस्यों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उसका महत्व कम कर रहे हैं जो एकेडेमिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति कार्य परिषद् में है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं और यह मांग भी करता हूं कि अगर इसको आप वापस ले लें तो यह आपका पूरा का पूरा जो भी आप विधेयक लाये हैं इसको हम लोग सर्व सम्मति से पास करने को तैयार हैं लेकिन सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सोचें कि आज आप यह हमारे साथ यह कर रहे हो। आज कार्य परिषद् में आप अपना, किसी विश्वविद्यालय में आप अपना आदमी बैठाना चाहते हो, सरकार अपना नाम चाहती है कल यह आपके साथ भी हो सकता है। सरकारें अदलती-बदलती रहती हैं। विधेयक में अगर एक बार आपने संशोधन कर दिया तो यह

हमेशा के लिये स्थायी हो जायेगा। कल किसी भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अगर इसकी परिभाषा देखी जायेगी तो इस विधेयक की देखी जायेगी सरकार की नहीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो आप यह करने जा रहे हैं कहीं न कहीं आप जो विश्वविद्यालय हैं उस पर अपने लोगों को बैठाने का एक प्रयास है, एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, उस रणनीति का हिस्सा है लेकिन उसमें हर्ज क्या है अगर कार्य परिषद् का एक व्यक्ति रहता और दो आपके रहते। इसमें आज ऐसी कौन सी विषमता पैदा हो गई थी जो मेरी समझ में नहीं आती। मैं सरकार से चाहूँगा कि इसको वापस ले लें और इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय। एक महीने के बाद इसको बेहतर रूप में हम लोग प्रस्तुत करें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा जैसा माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा इसको प्रवर समिति को सौंपने का, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने दो प्रस्ताव, जो आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर आचार्य शब्द आगे लगाने का कहा, उसका मैं समर्थन करता हूं। दूसरा हमारी यह जिम्मेदारी है कि जब जिले का नाम बदल गया तो वह अपने आप होना चाहिए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दो प्रस्ताव मान्यवर, जो विशेष रूप से कार्य परिषद् के सदस्य में से कोई भी चुन सकता है। चुने तो जायेंगें कार्य परिषद् से लेकिन इसमें शर्त लगा दिया कि उसमें कृषि सचिव ही चुने जायं बाकी न चुने जायं। तो मान्यवर, इसका तात्पर्य यह है कि यह सब पूरी तरह से कार्य परिषद् को पंगु बनाने का काम है। हम यहां कहें कि विधान सभा किसी सदस्य को चुन सकती है तो सदस्य में साथ में यह भी रख दें कि केवल संसदीय कार्य मंत्री को चुन सकती है तो फिर विधान सभा के अधिकार का मतलब क्या रह गया। उसी तरह से मान्यवर, जैसा माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा कि कार्य परिषद् के सदस्यों का, दो जगह से आते हैं। पांच सदस्य सरकार द्वारा प्रपोजल पर महामहिम राज्यपाल नियुक्त करते हैं और मान्यवर, 2 सदस्य विधान सभा से चुने जाते हैं। हमारे विधान सभा के सदस्य पर या महामहिम के निर्णय पर मा0 मंत्री जी ने तो प्रश्नचिन्ह् लगा दिया कि हम विधान सभा से जो सदस्य चुनते हैं, वह उस लायक नहीं है या जो सरकार के प्रस्ताव पर करते हैं और वह उस लायक नहीं हैं तो फिर ऐसे सदस्य सरकार बनाती ही क्यों है ? निश्चित रूप से यह प्रश्नचिन्ह् लगाना उचित नहीं है, इसलिए मेरा इस पर विरोध है कि जो पहले से व्यवस्था थी, वह बनी रहनी चाहिए। यह कृषि विश्वविद्यालय है। रिसर्च का काम करने वाला भी अध्यापक की श्रेणी में होता है। आप केवल सहायक आचार्य तक ही के व्यक्ति को अध्यापक मान रहे हैं, यह उचित नहीं है। अध्यापक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो अध्यापन अथवा अनुसंधान या प्रसार

कार्यक्रम के संचालन तथा पथ-प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा अभिज्ञात हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाए। रिसर्च का कार्य भी अध्यापन है। रिसर्च का कार्य करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था, उनको वह सुविधा न मिलने पाए, इसलिए इसमें संशोधन कर दिया कि केवल अब असिस्टेन्ट प्रोफेसर ही अध्यापक माने जायेंगे। निश्चित रूप से यह भी उचित निर्णय नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन दो संशोधनों को वापस किया जाए। मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि मा0 मंत्री जी ने 4 विश्वविद्यालयों का जिक्र किया। कृषि विश्वविद्यालय बांदा भी इसमें आता है। कृषि विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय था, उस नाम को हटा दिया। मान्यवर कांशीराम जी का इस देश में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उनका जो योगदान है, उसको कोई नकार नहीं सकता और उस महान व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ा हुआ था। आज अगर इस प्रस्ताव में बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो उनके नाम पर था, उसको किन्हीं कारणों से निकाल दिया गया, उनके नाम को फिर से जोड़ने का आप प्रस्ताव लेकर आते तो मैं निश्चित रूप से इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता और स्वागत करता। यह प्रवर समिति में चला जाए और वहां फिर से विचार हो जाये और मेरा जो सुझाव है, मा0 कांशीराम जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय था, उनका नाम हटाया गया है। मेरा यह मानना है कि अहिंसक सामाजिक क्रांति अगर किसी के माध्यम से आयी है तो वह मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से आयी है और उनका नाम उसमें शामिल किया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति में जाने दिया जाए और उस पर फिर से विचार करके बांदा कृषि विश्वविद्यालय में मान्यवर कांशीराम जी का नाम शामिल किया जाए। जो छोटे-छोटे संशोधन आप बता रहे हैं, यह छोटा संशोधन नहीं है यह बहुत बड़ा संशोधन है दो संशोधन का तो हम लोग स्वागत करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन यह जो दो संशोधन तीन और चार है, यह निश्चित रूप से बड़ा संशोधन है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी ने जो बात कही है, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कांशीराम जी का नाम नहीं हटाया है। जो ऐक्ट के भीतर प्राविधान है और जिस नाम से बांदा विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसी को हमने इसके भीतर रखा है, उसमें न कोई परिवर्तन किया है, न कोई बदलाव किया है। आपने सुझाव दिया है, वह परीक्षण के अन्तर्गत जायेगा, लेकिन आज आपने एक सुझाव दिया है, पहले दिया होता तो शायद हमने विचार कर लिया होता, लेकिन आपने इस तरीके से रखा जैसे हमने उसमें कोई

बहुत बड़ा बदलाव कर दिया हो। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और इस ऐक्ट के भीतर वही नाम पहले से पड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न उपस्थित कर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 वर्मा जी तो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए यह जो आपने कहा कि कांशीराम जी के साथ जो उनका योगदान है और उसको हम लोगों ने अनदेखा कर दिया, यह बात सही नहीं है और पूर्णतया तथ्यों से परे और निराधार है। दूसरी बात शिक्षक की जो परिभाषा थी जिसके बारे में माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा इसमें लिखा था कि अध्यापक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अध्यापन अथवा अनुसन्धान या प्रसार के कार्यक्रम के संचालन तथा पथ प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए। जिसमें गाइड भी होगा तो वह जाकर शिक्षक के रूप में जाकर उच्च न्यायालय में जाकर मुकदमा कर देता था और वह कहता था कि हम भी शिक्षक की श्रेणी में आते हैं इस तरह के अनेकों विवाद होते थे आप खुद अवगत होंगे कुमारगंज विश्वविद्यालय से कि वहां पर कई ऐसे प्रकरण रहे हैं। कई बार आप पूछते हैं कि विश्वविद्यालय की लागत क्यों बढ़ जाती है तो इसके पीछे वह भी एक कारण रहा है। इसलिए शिक्षक की परिभाषा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद देश के भीतर करीब 120 संस्थाओं को चलाती है उनके अपने भी विश्वविद्यालय हैं केन्द्रीय सरकार के जो परिभाषा उसके भीतर है उसी परिभाषा को हमने इसके भीतर शामिल किया है इसलिए आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपने कहा सर्च कमेटी के भीतर तो सर्च कमेटी के भीतर हमने किसी के अधिकार को रोकने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि हमारा जो प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा और अनुसन्धान होते हैं वह अद्यतन परिस्थितियों के जानकार होते हैं इसलिए हमने उनको कार्य परिषद के भीतर नामित सदस्य के रूप में रखा है। इसलिए इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ऐसा मैं मानते हुए यह उम्मीद करता हूं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब नरेन्द्र देव जी के नाम के आगे आचार्य जोड़कर यह सदन उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है इसलिए यदि सर्वसम्मति से आपने इसे स्वीकार किया तो हम सब आपके प्रति बहुत अनुग्रहीत होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं और उज्जवल रमण सिंह जी भी समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं इसलिए इस पर आप सबकी सहमति होगी और आप प्रवर समिति के अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विधान सभा का सदस्य भी बोर्ड का मेम्बर होता है दो सदस्य होते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाएं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

तो इतना ही बोल दें कि उसमें विधान सभा का सदस्य भी हो सकता है इतना ही बोल दें। अन्य बात न मानें हम उसको मान लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

(ट) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सन्नियमों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त सहायक आचार्य की श्रेणी से अनिम्न किसी व्यक्ति से है; और

(ख) खण्ड (ठ) में शब्द "नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 2–क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2-क में, उपधारा (1) के खण्ड (एक) में शब्द "फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की, जो नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा" के स्थान पर शब्द "अयोध्या में एक विश्वविद्यालय की, जो आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा," रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसी समिति द्वारा, जिसमें नियत रीति से चुना गया बोर्ड का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे," के स्थान पर शब्द "ऐसी खोजबीन समिति द्वारा, जिसमें बोर्ड का एक पदेन सदस्य, अर्थात् सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे," रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 में,–

(क) स्तम्भ 2 में, शब्द "नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

(ख) स्तम्भ 3 में, शब्द "फैजाबाद" के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं उनके अलग-अलग अधिनियम और अलग-अलग संचालित करने की पद्धति है। बेशक जो वर्तमान में नेचर है वह 2008 के डायरेक्शन के आधार पर है। मान्यवर, आप सहमत होंगे और पूरा सदन भी सहमत होगा कि हम निजी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाएं और जितना बेहतर से बेहतर हो सके शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखें। इस उद्देश्य से यह एकरूपता लाने के लिये यह बिल लाया गया है और यह भी न हो कि पूरी तरीके से स्वेच्छाचारिता हो कि जैसा विश्वविद्यालय चाहें वैसा करें। उसमें गुणवत्ता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए और स्वायत्तता का भी ध्यान रखा जाए। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति जरूर हो, इस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मान्यवर, अभी तक शासन के आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय पृथक-पृथक अधिनियमों द्वारा स्थापित एवं संचालित थे इसलिये एकल अधिनियम के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय स्थापित और संचालित हों, इस उद्देश्य से हम यह लाए हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कतिपय अलग-अलग प्राविधान हैं। राज्य सरकार के नीति विषयक निर्णय सभी विश्वविद्यालयों पर लागू करने, निजी विश्वविद्यालय से सूचना एवं अभिलेख प्राप्त करने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मानकों को लागू करने और उसके अनुश्रवण करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। एकल अधिनियम के प्राख्यान के पश्चात् एकरूपता स्थापित होगी। इस निजी विश्वविद्यालय के विधेयक को लाने का उद्देश्य पवित्र है, उद्देश्य क्वालिटी को मेनटेन करना है, उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और इसलिये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करूंगा इस उद्देश्य से जो बिल लाया गया है उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में मा0 मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इसके पीछे उनकी मंशा और सरकार का उद्देश्य क्या है। मैं जब विधेयक पढ़ रहा था तो सेक्शन-3 और उसका सब सेक्शन 'द' जो है विशेष तौर से सरकार

ने एक ऐसा सब सेक्शन डाला है, क्योंकि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों को मैं देख रहा था कि शायद वहां पर इस तरीके की परिभाषित कोई चीज हो। यह कहता क्या है ? यह कहता है विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से किसी राष्ट्रविरोधी क्रिया-कलाप करने या उसके संवर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाए गए ऐसे किसी क्रियाकलाप के मामले में उसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार एक अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है। मंशा आपकी अच्छी है, सोच आपकी अच्छी है, लेकिन मन में भ्रम कभी-कभी पैदा होता है कि क्या किसी एक विश्वविद्यालय को टारगेट करने के लिये इसको लाया गया है ? आज जिस तरीके से जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोई बात हुई और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक वहां के बच्चे महत्वपूर्ण पदों पर हैं और आज आपकी सरकार के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां के पढ़े हैं। आज जिस तरीके से टुकड़े-टुकड़े गैंग के नाम पर उनको बदनाम किया गया, उस यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया, वह फासिस्टवादी सोच...

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

असलियत है तो वहां पर भी लाकर खत्म कर दीजिये, विश्वविद्यालय को बंद कर दीजिये। जवाहर लाल नेहरू के नाम पर इतनी अगर आपको वह है तो विश्वविद्यालय को खत्म कर दीजिये, अगर दम है, अगर सरकार चाहती है। लेकिन आज पहले विधेयक पर बात हो जाए, वह आगे के विषय हैं आपके विधि आयोग के जो चेयरमैन थे जस्टिस डी0एस0 चौहान उन्होंने राष्ट्रद्रोह पर, कानून की जरूरत पर पुनर्विचार बताया था। उन्होंने कहा था कि पैनल बनाकर संबंधित पक्षों को बिना सुने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। मा0 उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायधीश ने भी कहा था कि वाकई इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है हमें मालूम नहीं है कि क्या समस्या है, क्या मुश्किल है ? हम सभी पक्षों को सुनेंगे, वकीलों से परामर्श करेंगे और तब इस पर निर्णय करेंगे। आज आप अपने विधि आयोग के अध्यक्ष की बात माने बिना यह विधेयक ला रहे हैं। आपकी मंशा क्या है ? आप यह स्पष्ट कर दें कि किसी एक विश्वविद्यालय को टारगेट करने के लिए अगर यह अधिनियम लाया गया है तो मैं इसको नीतिसंगत नहीं मानता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके राष्ट्रद्रोही के नाम पर उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को खत्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में पुलिस के पास अभी भी इतने अधिकार हैं कि अगर कोई भी राष्ट्रद्रोही है तो सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 की इतनी धारायें हैं कि आप उस पर वह धारायें लगाकर कार्रवाई कर सकते हैं और पूरे देश में यह नजीर है कि किसी भी ऐक्ट में आज तक यह उपबन्ध नहीं डाला गया है जो आपने डालने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठता है। मैं यह चाहता हूँ कि सरकार इस सेक्शन पर सब सेक्शन 'द' पर पुनर्विचार करें। सरकार इस पर भी पुनर्विचार करें कि सेक्शन-6 जो

आप लाए हैं इसमें विश्वविद्यालय को शपथ-पत्र देना चाहिए कि आप वेतन और भत्ता कब तक दे देंगे ? आज कितनी प्राईवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं, 27 यूनिवर्सिटी को आप इसके अधीन लाए हैं, लेकिन बहुत जगह 6-6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आप सब चीज का शपथ-पत्र ले रहे हैं लेकिन पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं तथा कर्मचारी हैं उसके वेतन का शपथ-पत्र लेने को आप तैयार नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर इसको आप जोड़ देते तो यह और बेहतर विधेयक बनता और हमारे समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों में होता। आप सेक्शन-12 को उठाकर देखिए, सेक्शन-19 को उठाकर देखिए जो गवर्निंग बॉडी के बारे में है हम चाहते हैं कि इसमें भी सरकार पुनर्विचार करे। हम सरकार से एक चीज और चाहेंगे क्योंकि जब आप कट-कॉपी-पेस्ट के जमाने में विधेयक बनाते हैं तो कई दिक्कतें आती हैं। होता क्या है कि किसी विधेयक को कहीं से कॉपी किया जाता है और कहीं पर लाकर पेस्ट कर दिया जाता है, कहीं पर तो वह चीज कोर्ट है किन्तु कहीं पर वह चीज गवर्निंग बॉडी है। या तो गवर्निंग बॉडी होगी या कोर्ट होगा ? दोनों अलग-अलग चीजे नहीं होंगी, इससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसको आप देख लें और इस पर पुनर्विचार कर लें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों के साथ मशवरा होगा तो बेहतर होगा। यह मशवरा गुपचुप तरीके से अधिकारियों के साथ हो जाता है तभी ये सारी दिक्कते आती हैं। लोक सभा में परम्परा है कि पहले यह विधेयक स्टैण्डिंग कमेटी में जाता है वहां सभी दल के लोग मौजूद रहते हैं और सदस्यों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, यह हम कोई नई परम्परा की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं लोक सभा में देख सकते हैं। आप अगर उस परम्परा का अनुश्रवण करेंगे तो हम बेहतर विधेयक ला पायेंगे, और मैं एक और सेक्शन-20 के क्लॉज-1 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने 'एकैडिमिशस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द प्रोफेसर' लिखा है जबकि आपको वाईस चांसलर शैल बी अपॉइनटेड बाई द प्रेसिडेन्ट फॉर द पैनल ऑफ थ्री एमिनेन्ट एकैडिमिशस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द प्रोफेसर' लिखना चाहिए था। आपने यह नहीं लिखा है, इसमें कोई भी आदमी आ सकता है प्रोफेसर के नीचे का व्यक्ति अगर उसमें रहेगा तो वह आयोग्य ठहराया जायेगा। अगर इस सेक्शन पर आप नजर डालते तो इस सेक्शन को मजबूती मिलती और आपकी जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी हैं वह बेहतर तरीके से चलती। मैं यह चाहता हूँ कि एक प्रोविजन है जहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है अगर उसकी ऑडियो विजुअल रिकॉडिंग करायी जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बंद कमरे में वह लोग कैसे कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं यह किसी को कुछ भी नहीं पता है इसलिये मैं चाहता हूं कि आडियो विजुवल रिकार्डिंग हो जाये और उसका प्रजेन्टेशन गवर्निंग बाडी के सामने हो जाये। यदि सेक्शन-30 को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, प्रबल बनाना है तो यदि आप इसे करेंगे तो बेहतर होगा। मैं इसलिये सरकार से विशेष तौर पर कहूंगा कि सेक्शन 38 को देख लिया जाये जहां कोर्ट ऑफ गवर्निंग बाडी की बात आई है सेक्शन 41, 42 और 58 को देख लिया जाये जिसमें यह बात कही गई है। मैं सरकार से

कहूंगा कि बिल में बहुत सारी खामियां हैं और आज के दिन यह बिल पास होने योग्य नहीं है। यदि यह बिल प्रवर समिति में जायेगा तो बेहतर तरीके से होकर आयेगा इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में ले जाये और एक महीने बाद रिपोर्ट आने के बाद पुनः हम लोग इस बिल को पास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हमारे उज्जवल रमण सिंह जी ने कहा कि नेहरू जी के नाम से ऐसा है। नम्बर-1 नेहरू जी के नाम से किसी को नाइत्तफाकी नहीं है, हां नीतियों से नाइत्तफाकी हो सकती है। नम्बर-2 जे0एन0यू0 के स्कालर्स की काबिलियत के तो हम कायल हैं लेकिन जे0एन0यू0 के लोग अगर यह नारा लगाये कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' तो उसमें आपका क्या पक्ष होगा, जरा यह स्पष्ट कर दीजिये।

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी कुंवर उज्जवल रमण सिंह ने कहा है कि वहां एक फासिस्टवादी सोच है कि नेहरू के नाम पर विश्वविद्यालय बंद करना चाहते हैं। जो लोग 'टुकड़े-टुकड़े कर देंगे' और 'अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं' के नारे लगाते हैं तो यह कौन सी सोच थी वहां पर। किसी भी शिक्षण संस्थान में अच्छी बाते होनी चाहिये, परिवर्तन की बात होनी चाहिये, भविष्य की बात होनी चाहिये, जबकि बात हो रही है कि 'टुकड़े-टुकड़े कर देंगे' तो आप बताईये कि यह कौन सी सोच है। फासिस्टवादी सोच है अथवा आतंकवादी सोच है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य से इतना बोलवा दिया है तो मैं भी एक मिनट में अपनी बात रख दूं। अगर माननीय सदस्य मुझे सम्बोधित करके टुकड़े-टुकड़े वाली बात कहेंगे तो यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। यह बात हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने सीधे श्री उज्जवल रमण सिंह जी का नाम लिया है और इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय सदस्य आप बताईये कि क्या वहां पर यह नारे नहीं लगे हैं। माननीय सदस्य ने वहां की एक बात को कोड किया है जिसमें किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई ऐसा आपत्तिजनक आक्षेप नहीं किया गया है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

अगर आपको लगता है कि हमारी सोच गड़बड़ है तो यह बात आज सदन में स्पष्ट हो जानी चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरी दिशा देने की कोशिश की है। जवाहर लाल नेहरू जी के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है और हमारी पार्टी को किसी के भी नाम से कोई आपत्ति नहीं है हां उनकी नीतियों से आपत्ति हो सकती है। आप बताईये कि जे0एन0यू0 के लोगों ने जिस प्रकार वहां पर नारा लगाया है, उसको क्या कहा जायेगा।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मुझे आपकी बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। माननीय मंत्री जी कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। काबिलियत अपनी जगह पर हो सकती है लेकिन जिस प्रकार से जे0एन0यू0 का चरित्र उभर कर सामने आया है और वहां के लोगों ने नारा दिया है 'तेरे टुकड़े होंगे' और 'अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल अभी जिन्दा हैं।'

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कह रहे हैं वह बात तो मैंने की ही नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने नियम-63 को क्यों नहीं देखा। आप नियम-63 को देख लेते और आपको यह बात कहनी ही नहीं चाहिये थी।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं उसको माननीय मंत्री जी कृपया समझें। जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं वह उसका हिस्सा नहीं है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं या फिर जिसे माननीय सदस्य समझ रहे हैं। यह सदस्य के समझने की गलती है। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर आप इस विधेयक से कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वह एक केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, यह सबको मालूम है कि जवाहर लाल नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वह विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रहे हैं तथा छात्र नेता रहे हैं और वह बहुत पुराने हैं यह सबको पता है। अधिष्ठाता महोदय, किसी को कोई शंका करने की

आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई ऐसी मंशा परिलक्षित नहीं होती है। अगर आपको कोई मंशा समझ में आती है तो आप नियम-63 भी पढ़ लीजिए और नियमावली भी पढ़ लीजिए। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला, शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करने वाला और जो लोग निजी विश्वविद्यालय खोजना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने वाला यह बिल है। यह अपने आप में सम्पूर्ण है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पारित कराया जाए और मैं मा0 उज्जवल रमण जी से अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए उन्होंने इस पर जो आपत्ति जाहिर की है। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव दिया है वह प्रस्ताव वापस ले लें और उसको सर्वसम्मिति से पारित कर दें। अधिष्ठाता महोदय, इसमें किसी प्रकार की शंका मन में न रखी जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, इसको कोट करवा लें। इसमें इतनी अशुद्धियां हैं कि यह फिर वापस हम लोगों के पास ही आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-63 तक, अनुसूची खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में.–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (ए0आई0सी0टी0ई0) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड और नियोजन बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(घ) "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" (सी0एस0आई0आर0) का तात्पर्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से है जो केन्द्र सरकार की एक निधि प्रदानकर्ता अभिकरण है ;

(ङ) "विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र सम्मिलित है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य किसी संस्था, केन्द्र या विद्यालय के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" का तात्पर्य केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हैं;

(ज) "कर्मचारी" में विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(झ) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "शासी निकाय" का तात्पर्य प्रायोजक निकाय द्वारा गठित किसी समिति से है;

(ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों/छात्रों के छात्रावास से है;

(ड) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्" (आई0सी0ए0आर0) का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से है;

(ढ) "संस्थान/स्कूल" का तात्पर्य इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान या स्कूल से है;

(ण) "भारतीय चिकित्सा परिषद्" (एम0सी0आई0) का तात्पर्य भारतीय चिकित्सा परिषद्, 1956 के अन्तर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद से है;

(त) "अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसी धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(थ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्"(एन0ए0ए0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से है ;

(द) "राष्ट्रीय कैडेट कोर" (एन0सी0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय कैडेट कोर से है;

(ध) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" (एन0सी0टी0ई0) का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से है ;

(न) "राष्ट्रीय सेवा योजना" (एन0एस0एस0) का तात्पर्य राष्टीय सेवा योजना से है ;

(प) "भारतीय भेषजी परिषद्" (पी0सी0टी0) का तात्पर्य भारतीय भेषजी परिषद अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् से है ;

(फ) "कुलाधिपति या अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति और "प्रति कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति" या "अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से है ;

(ब) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(भ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(म) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा भारतीय भेषजी परिषद् सम्मिलित हैं ;

(य) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न "अनुसूची" से है;

(कक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य :

(एक सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से है ;

(दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास से है ;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है ;

(कख) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से है;

(कग) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;

(कघ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(कङ) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(कच) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(कछ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

3–इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों के लिये प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(क) न्यूनतम 5 (पाँच) करोड़ रूपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पचास एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक् रूप से धारित करना :

परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली हेतु ऐसी भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भाग का विक्रय, अन्तरण अथवा पट्टा नहीं करेगा और न ही अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग करेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखा जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम चौबीस हजार वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल में भवन का निर्माण करना जिसमें से कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पाँच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें [उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित करना;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों, सह–आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे ;

(च) पुस्तकालय हेतु प्रत्येक वर्ष दस लाख रूपये मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन संसाधनों को क्रय करना :

परन्तु यह कि दस लाख रूपये के व्यय में कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति अगले वर्ष में की जायेगी;

(छ) विनियामक निकायो के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल–कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था करना;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो और विनियमों के अनुरूप होना;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई व्यवस्था इस अधिनियम तथा विनियामक निकायों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय की पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और विनियामक निकायों से प्राप्त अनापत्तियों को सार्वजनिक करना;

(ड) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रारूप और समय पर राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध कराना ;

(ढ) सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर, नकल रोकने के उपायों, प्रवेशों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं प्रमाण–पत्रों आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अनुपालन करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा फीस संरचना की पारदर्शी प्रक्रिया तथा मानक का विनिश्चय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा। प्रवेश का अंतिम दिनांक, सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार होगा।

विदेशी छात्रों की प्रवेश नीति का विनिश्चय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार तथा विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप होगी;

(त) यथाविहित सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करना ; और

(थ) इस अधिनियम के अनुरूप ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने का दायित्व ग्रहण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व अधिकथित किया जाय ;

(द) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप करने या उनका सम्वर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाये गये ऐसे किसी क्रियाकलाप के मामले में, इसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

4-(1) कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट से अन्तर्विष्ट आवेदन, प्रायोजक निकाय द्वारा, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) प्रायोजक निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा उपविधियों की प्रतियों सहित प्रायोजक निकाय का विवरण;

(ख) प्रायोजक निकाय से वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धि सूचना तथा पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित लेखा;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम व स्थान;

(घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ङ) भूमि की उपलब्धता और भवनों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण और भूमि, भवन तथा स्वामित्व प्राप्त करने तथा सृजन किये जाने हेतु प्रस्तावित अन्य अवसंरचना का विवरण;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने हेतु प्रस्तावित अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों की प्रकृति तथा उनका प्रकार और राज्य के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों तथा नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उनकी प्रासंगिकता और पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों सहित प्रथम पांच वर्षों से अधिक के ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया जाना ;

(छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारियों सहित प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण ;

(ज) प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तावित सुविधाएं, पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान;

(झ) प्रायोजक निकाय को उपलब्ध सम्बन्धित शाखाओं में अनुभव तथा विशेषज्ञता ;

(ञ) विश्वविद्यालय को क्रियाशील होने से पूर्व दायित्व ग्रहण किये जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजनाओं का विवरण यथा-भवन निर्माण, संरचनात्मक सुख सुविधाओं का विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों आदि का उपापन और प्रथम पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम;

(ट) आगामी पांच वर्षों के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के लिये चरणबद्ध परिव्यय ;

(ठ) साधन जुटाने की योजना सहित निधियों के स्रोत तथा उनकी पूँजीगत लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रतिसंदाय की रीति;

(ड) प्रथम संचालन वर्ष में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;

(ढ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली ;

(ण) क्या विश्वविद्यालय का स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम उपक्रमित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने वाले विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की प्रकृति ;

(त) क्या विश्वविद्यालय का कृषकों, महिलाओं तथा स्थानीय उद्योगों की प्रसुविधा के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाय ;

(थ) खेल–कूद एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप यथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, रोवर एण्ड रेंजर आदि हेतु उपलब्ध तथा सृजित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रीडा स्थलों तथा अन्य सुविधाओं का विवरण;

(द) शैक्षिणक उत्कृष्ठता, यदि कोई हो, के लिये प्रस्तावित व्यवस्था;

(ध) ऐसे अन्य विवरण, जिसे प्रायोजक निकाय देना चाहे;

(न) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।

मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाना

5–(1) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग एक समिति गठित करेगा, जो निम्नवत् होगी :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी राज्य विश्वविद्यालय का एक कुलपति;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विश्वविद्यालय का एक आचार्य ;

(ग) उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

(घ) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त एवं लेखा सेवा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी;

(ड.) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी ;

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का एक कुलसचिव।

(2) समिति प्रायोजक निकाय की वित्तीय सबलता और आस्तियों तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित करने की उसकी सम्पूर्ण योग्यता सहित प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(3) समिति प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य सूचनाएं, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिये उचित समझे, मांग कर सकती है।

(4) समिति, अपने गठन के दिनांक से 03 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि यदि समिति लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले किन्ही पर्याप्त कारणों से उक्त 03 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर सके तो वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अग्रतर 01 माह या ऐसी अवधि जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाय, के भीतर प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के आदेशों के अधीन गठित किसी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण, उपधारा (1) के अधीन गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये निरीक्षण समझे जायेंगे।

आशय-पत्र का जारी किया जाना और प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना

6-(1) धारा 5 के अधीन गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण है तो वह आशय-पत्र जारी कर सकती है।

(2) प्रायोजक निकाय धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूर्ण करेगा और राज्य सरकार को उसकी अनुपालन आख्या प्रतिशपथ-पत्र के साथ आशय-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि प्रायोजक निकाय धारा 3 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को जारी किये गये आशय-पत्र को वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

नये विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन

7-(1) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन किया है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आशय-पत्र के अनुसार नाम और स्थान से संचालित करने की विश्वविद्यालय को अनुज्ञा दे सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये विश्वविद्यालयों के नाम, इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के पश्चात नव स्थापित विश्वविद्यालय के नाम राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 2 में उल्लिखित अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखे जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विद्यमान विश्वविद्यालयों का निगमन

8-अनुसूची 1 में संख्यांकित विद्यमान विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन निगमित हुए माने जायेंगे।

सम्बद्धता के लिये प्रतिषेध

9-विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त ग्रहण नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

10-विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होंगे और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित के संवर्द्धन के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:-

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धतियों और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता समेकन।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

11-विनियामक निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित किये जाने वाले दिशा-निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ख) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) विनियामक प्राधिकरणों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और तद्निमित्त नियुक्तियां करना ;

(छ) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(झ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ञ) शोध और शिक्षा के लिए स्कूलों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ट) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ठ) आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ड) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ढ) अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति संकाय, विभाग, केन्द्र या स्कूल स्थापित करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के अनुसार मानक अवधारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(थ) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(न) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;

(प) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;

(फ) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(ब) वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना; और

(भ) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

12–(1) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा अवधारित किये जाने वाले प्रतिमानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक मानक, विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गो और मतावलम्बियों के लिए होगा

13–विश्वविद्यालय सभी लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती और किसी पाठ्यकम में प्रवेश में आरक्षण, समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों तथा दिशा–निर्देशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

14–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगे:–

(1) कुलाधिपति या अध्यक्ष;

(2) प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष;

(3) कुलपति;

(4) प्रतिकुलपति;

(5) कुल सचिव;

(6) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(7) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(8) निदेशक;

(9) परीक्षा नियंत्रक;

(10) मुख्य कुलानुशासक;

(11) वित्त अधिकारी; और

(12) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जायें, विश्वविद्यालय के अधिकारी, होंगे।

कुलाधिपति/अध्यक्ष

15–(1) कुलाधिपति/अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रक्रिया तथा निबन्धन एवं शर्तों का अनुसरण करते हुये पाँच वर्ष की अवधि के लिये शासी निकाय द्वारा की जायेगी।

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा, और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कुलाधिपति/अध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय बहुमत के विनिश्चय से तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलाधिपति/अध्यक्ष से आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है, ऐसे मामलों में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष करेगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व कुलाधिपति/अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

प्रति–कुलपति या उपाध्यक्ष

16–(1) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की नियुक्ति, शासी निकाय के अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

(2) कर्तव्यों के निर्वहन में प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष, क्रमशः कुलाधिपति/अध्यक्ष का सहयोग करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में हस्ताक्षर द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से तद्निमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष ऐसा वेतन आहरित करेगा जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/अध्यक्ष से कम होगा।

कुलपति

17–(1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(2) कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिये या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जॉच, जैसा आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि उसका कुलपति बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय, तद्निमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुये कुलपति से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से लिखित आदेश द्वारा अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और वह कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा तथा अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये कार्यपरिषद् तथा अन्य सक्षम निकायों तथा राज्य सरकार के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष और प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त हों तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे तथा तत्पश्चात अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र देगा, जो साधारण प्रक्रम में तीस दिनों की अवधि के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय।

प्रति कुलपति

18-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और अध्यादेशों और विनियमों में उपबंधित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा कि प्रायोजक निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

कुलसचिव

19-(1) कुल-सचिव की अर्हताएं, पदावधि, सेवा शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह समस्त ऐसी सूचना इन अधिकारियों के समक्ष रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके संमव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा यथा विहित कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा किन्तु उसे इस उपधारा के आधार पर मत देने का हक नहीं होगा।

संकायाध्यक्ष

20-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

21-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

22-छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:-

(1) शासी निकाय;
(2) कार्यपरिषद्;
(3) विद्या परिषद्;
(4) वित्त समिति;
(5) नियोजन बोर्ड;
(6) संकाय बोर्ड,
(7) अध्ययन बोर्ड,
(8) प्रवेश समिति
(9) परीक्षा समिति; और
(10) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायं।

शासी निकाय

24-(1) शासी निकाय के गठन और सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाय।

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा नियत दिनांक को शासी निकाय वर्ष में एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठक शासी निकाय की वार्षिक बैठक कही जायेगी :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष, जैसा उचित समझे, शासी निकाय के कुल सदस्यों के अन्यून एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर शासी निकाय की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, शासी निकाय विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके पास निम्नांकित शक्तियां और कृत्य होगें, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना तथा अपना मत कार्यपरिषद् को उपलब्ध कराना ;

(ग) परामर्श हेतु सौंपे गये किसी मामले में अध्यक्ष को परामर्श देना;

(घ) अन्य कार्यों, जो विहित किये जायें, का निष्पादन करना।

कार्य परिषद

25-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्यपरिषद् की बैठक उस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) विश्वविद्यालय के प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण तथा उसकी आय, कार्यपरिषद में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को नियंत्रित और शासित करेगी।

(4) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कार्यपरिषद के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :-

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करना ;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निस्तारण पर रखी गयी किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित करना;

(छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक संस्थित करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना ;

(आठ) परीक्षकों के मानदेय, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारिवृन्द के मध्य परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति तथा अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन, जिसमें विन्यासित सम्पत्ति सम्मिलित है, का विनिधान करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरण और अन्य वांछित साधित्र प्रदान करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें फेरबदल करना, उसे कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना;

(5) कार्यपरिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उसके कारणों सहित सूचित किया जायेगा।

(6) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा, जो निम्नलिखित अन्य सदस्यों से गठित होगी अर्थात् :–

(एक) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य;

(दो) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षा शास्त्री;

(तीन) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी से नीचे का न हो;

(चार) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चकानुक्रम में विश्वविद्यालय का एक आचार्य और एक सह आचार्य;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले तीन नामों के पैनल से सह आचार्य की श्रेणी से अनिम्न एक शिक्षा शास्त्री, जिसके लिये विश्वविद्यालय प्रख्यात शिक्षा शास्त्रीयों के तीन नामों की सूची प्रस्तुत करेगा;

(छः) कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा;

(सात) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु पक्ष में तथा अन्यथा रूप में बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

(7) कार्यपरिषद् की बैठक की गणपूर्ति छः सदस्यों से कम नहीं होगी।

(8) कार्यपरिषद् की किसी बैठक में विनिश्चय, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जाएंगे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव के बराबर होने की स्थिति में कुलपति के समर्थन वाला प्रस्ताव अभिभावी होगा;

विद्या परिषद्

26–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

27–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

28–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

संकाय बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण

29–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाये, का गठन शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

किसी निकाय की सदस्यता के लिए अनर्हता

30–कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने से अनर्ह हो जायेगा, यदि वह :–

(1) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो/की गयी हो।

(2) अनन्मुक्त दिवालिया हो।

(3) नैतिक अद्यमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो/गयी हो।

(4) किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में कहीं भी अनुचित आचरण का बढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिए दण्डित किया गया हो/की गयी हो।

(5) वेतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी लाभ का हेतुक हो।

(6) विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोजित करता/करती हो।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

31–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई विनिश्चय कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नही होगी।

आपात रिक्तियों का भरा जाना

32–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र या उसे हटाये जाने के कारण अथवा हैसियत, जिसमें वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था, में परिवर्तन किये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति को यथाशीघ्र उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा जो ऐसे सदस्य को नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट किया हो :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कोई आपात रिक्ति होने पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय का सदस्य केवल अवशेष अवधि तक के लिये बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

समितियाँ

33–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप ऐसी समितियों या उप समिति का गठन, ऐसे निर्देश–निबन्धों के साथ, जैसा कि ऐसी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु आवश्यक हो, कर सकते हैं। ऐसी समिति या उप समिति का गठन तथा उनके कर्तव्य वही होंगे जैसा कि समिति या उप समिति का गठन करने वाले प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय।

परिनियमावली बनाने की शक्ति

34–(1)इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद् द्वारा बनायी जायेंगी और राज्य सरकार को उनका अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम परिनियमावली पर विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर अनुमोदित करेगी। यदि राज्य सरकार उपरोक्त उल्लिखित समय के भीतर तत्सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को अनुमोदित नहीं करती है अथवा उन्हें विश्वविद्यालय को संसूचित नहीं करती है, तो इस प्रकार प्रस्तुत की गयी परिनियमावली अनुमोदित समझी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमावली में निम्नलिखित सभी या कोई विषय उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, जैसा कि समय–समय पर गठित किया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर निरन्तर बना रहना उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलें, जिनके लिए उपबन्ध किया जाना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कृत्य उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की, एक संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिनमें सेवानैवृत्तिक प्रसुविधाएं, बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक मामलें सम्मिलित हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर विभागों, केन्द्रों और अन्य संस्थाओं आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार हों या विहित किये जायं।

(4) परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

35–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश, कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियॉं, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियॉं प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों हेतु प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियॉं, छात्रवृत्तियॉं, विद्यावृत्तियॉं, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत व्यावसायिक निकाय या संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाय, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

36-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनॉक को जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय को प्रस्तुत किया जायेगा और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ;

(2) शासी निकाय वार्षिक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियॉ कार्य परिषद को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक लेखा

37-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी लेखा-परीक्षा, प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अनधिक पन्द्रह माह के अन्तराल पर करायी जायेगी।

(2) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक/लेखाओं की प्रति, कार्य परिषद के प्रेक्षणों के साथ शासी निकाय और कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखाओं पर किये गये कोई प्रेक्षण, शासी निकाय और कार्य परिषद के संज्ञान में लाये जायेंगे और ऐसे प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात उन्हें कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन्हें सार्वजनिक कर दिया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

38-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और किसी नियमित कर्मचारी के मध्य उठने वाला कोई विवाद कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो इसके निर्देश की प्राप्ति के दिनॉक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उस पर उसका विनिश्चय, कुलपति द्वारा किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

39–(1)कोई व्यथित व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर, कुलाधिपति/अध्यक्ष को कर सकता है :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास विलम्ब के लिये माफी देने की शक्ति होगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारणों से अपीलार्थी नियत समय के भीतर अपनी अपील नही कर सका था।

(2) ऐसी किसी अपील में कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

40–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चत किया जाये, ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनायें या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं का उपबन्ध करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

41–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमे अभिलिखित विषय और संव्यहरण उसी रूप में साक्ष्य के रुप में ग्रहण किये जायेंगे जहां वे यदि मूल रूप में प्रस्तुत किये जाते तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण होते।

परिनियमों, अध्यादेशो और विनियमों का प्रकाशन

42–इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

स्थायी विन्यास निधि

43–(1) प्रायोजक निकाय कम से कम 5 (पांच) करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अध्यादेश, परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय द्वारा इस अध्यादेश, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को समपहृत करने की शक्ति निहित होगी।

(3) विश्वविद्यालय विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचनाओं के विकास हेतु अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु कर सकता है।

(4) विन्यास निधि की धनराशि को ऐसी लिखतों जैसा कि राज्य सरकार नियमावली द्वारा विहित करे, में विनिधानित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिधानित रखी जायेगी।

(5) दीर्घ अवधि की प्रतिभूति में विनिधान किये जाने के मामले में और राजकीय कोषागार के वैयक्तिक जमा लेखों में ब्याज जमा किये जाने के मामले में जमा इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त धनराशि का आहरण या उपयोग नहीं किया जायेगा।

सामान्य निधि

44–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थात :–

(क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधियों का अनुरक्षण

46–इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियॉ कार्य परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेंगी।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा

47–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

48–समस्त प्रयोजनों के लिये शुल्क संरचना का विनिश्चय कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के किसी विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित अथवा विनियामक निकायों द्वारा यथा नियत शुल्क से अधिक शुल्क अपने छात्रों से प्रभारित नहीं करेगा और शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन

49–प्रोग्रामों के प्रारंभ होने के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का प्रत्यायन तथा ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें, प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण किये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हो, से भी प्रमाणन/प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालयों को प्रदान किये गये ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण सुनिश्चित करेगा।

दीक्षान्त समारोह

50–उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा यथा विहित रीति से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, निजी विश्वविद्यालयों के लिये नोडल अभिकरण होगी

51–इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, नोडल अभिकरण होगी।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों के अभिलेख, उनके परिणाम और परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रो के अभिलेख, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराये जायेंगे। छात्रों को अंतिम उपाधि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रदत्त की जायेगी। उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम दीक्षान्त समारोह के दिनांक से 30 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे और परिषद उक्त सूची को अनुमोदित करेगी। यदि 20 दिन के भीतर परिषद के अनुमोदन की संसूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी जाती है तो सूची अनुमोदित की गयी समझी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या अभिलेखों को विनिर्दिष्ट दिनांक एवं समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिये कह सकता है, जिससे विफल होने पर उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों का कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण करेगी और विनिर्दिष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी वचनबद्धता के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

52–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त व्यवस्था और अन्य मामलों या क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

विश्वविद्यालय का विघटन

53-(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठयक्रमों में छात्रों के अन्तिम बैच द्वारा अपने पाठयक्रमों को पूरा करने तक विश्वविद्यालय ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

54-(1) अधिनियम की धारा 53 के अधीन विश्वविद्यालय के देनदारियों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी।

(2) यदि इस प्रक्रिया के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय के व्यय और देनदारियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा आस्तियों का निस्तारण करके की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

55-(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त किसी वचनबद्धता को क्रियान्वित करने से प्रविरत हो गया है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को प्रारंभिक जाँच संचालित करने के लिये निर्देश जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेश पर विश्वविद्यालय की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के समस्त या किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का अतिकमण हुआ है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता क्रियान्वित नहीं की जा रही है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या समिति को, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने के लिये, नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों में, विचारण के दौरान सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होगी, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तथा तद्निमित्त सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये, आवश्यक सुधार करने के निदेश विश्वविद्यालय को देगी। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के ऐसे निदेश जारी करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवश्यक सुधार या उपान्तरण करने हेतु पुनः निदेश दे सकती है;

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के सभी अथवा किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है अथवा उपर्युक्त उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों सहित इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन किया है अथवा धारा 3 के अधीन उसके द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं का पालन करने से प्रविरत हो गया है या विश्वविद्यालय में निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक पर संकट उत्पन्न हो गया हो तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परिसमापन हेतु उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु त्रिसदस्यीय अन्तरिम समिति नियुक्त करेगी।

(7) (एक) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को तब तक प्रशासित करने की समस्त शक्तियां होंगी जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उस बैच के छात्रों को यथा स्थिति डिग्रियां, डिप्लोमा या पुरस्कार नहीं प्रदान कर दिये जाते हैं ;

(दो) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैच को यथा स्थिति उपाधि, डिप्लोमा एवं पुरस्कार, प्रदान कर दिये जाने के पश्चात अन्तरिम समिति राज्य सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(तीन) उपधारा (7) (दो) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त शेष आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

56–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों में निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही कर सकती है।

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ / देनदारियों की प्रास्थिति

57–अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी उपबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अवशिष्ट आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिनमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि तथा देनदारियां सम्मिलित हैं, प्रायोजक निकाय से संबंधित हो जायेंगे।

नियमावली बनाने की शक्ति

58-(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित हेतु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई उपबन्ध हो सकता है/हो सकते हैं :-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने और संदेय आवेदन शुल्क का प्रस्ताव बनाने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किये जाने वाले अन्य विवरण;

(ग) अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन नियमावली द्वारा विहित किये जायं या हो सकते हैं।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

59-राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः वैक्तिक निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रुप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात यथा शक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश के किसी न्यायालय में किया जायेगा

60-अधिनियम में किये गये उपबन्धों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होगा

61-इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्ध विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल बात होते हुये भी प्रभावी होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

62-(1) इस अधिनियम की अनुसूची 1 में पुनसंख्यांकित समस्त अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निरसित समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अनुसूची 1 में पुनसंख्यांकित अधिनियमों के निरसित होते हुये भी निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये समस्त विनिश्चय निष्पादित अधिनियम, सृजित तथा समाप्तकृत अधिकार तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान समझे जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में निगमित किये गये विश्वविद्यालय अपने सम्बन्धित निरसित अधिनियमों के अधीन अपने परिनियमों, अध्यादेशों और तद्निमित्त प्रयोज्य विनियमों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उन्हें संगत बनाये जाने हेतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपान्तर करेंगे।

अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय

63-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तर प्रदेश राज्य के धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे।

अनुसूची–1

(धारा 8 देखें)

क0	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1–	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2–	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3–	मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4–	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5–	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6–	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7–	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8–	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9–	मोनाड़ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10–	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11–	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12–	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर।
13–	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14–	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15–	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16–	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17–	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18–	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19–	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20–	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21–	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
22–	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
23–	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
24–	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
25–	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26–	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27–	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

अनुसूची–2

(धारा 7 देखें)

क0	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1–	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2–	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3–	मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4–	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5–	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6–	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7–	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8–	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9–	मोनाड़ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10–	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11–	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12–	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर।
13–	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14–	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15–	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16–	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17–	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18–	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19–	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20–	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21–	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
22–	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
23–	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश।
24–	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर
25–	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26–	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27–	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-63 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी इस पर पहले गलतियों के शुद्धिकरण पर थोड़ा बता दें।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम भारत सरकार द्वारा संचालित है और यह वर्ष 1899 से लागू है। देश के अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी अपना स्थान लागू करने के लिए 2008 में उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम 2008 सृजित किया गया था जो कि भारत सरकार से स्वीकृत होकर वर्ष 2010 में प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व प्रशिक्षण में काफी त्रुटियां पायी गयीं जो लगभग 436 हैं, इसलिए उपरोक्त त्रुटियों के कारण उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया गया क्योंकि इसे सुधारना अत्याधिक कठिन होता बल्कि संशोधन अधिनियम से भी बड़ा हो जाता, इसलिए यह निश्चय किया गया कि इस अधिनियम को निरसन करते हुए उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप जरूरी संशोधन भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में ही कर लिया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो

अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात की शंका हम लोग शुरू से करते रहे कि थोड़ा सा विचार अगर किसी विधेयक पर होता तो बेहतर होता। जो उद्देश्य और कारण सरकार ने इस विधेयक में दिये हैं कि अधिनियम को परिवर्तित किये जाने का दिनांक नियत करने हेतु अधिसूचना के अभाव में उसे प्रारम्भ नहीं किया जा सका। प्रशासनिक विभाग उक्त अधिनियम में हिन्दी और अंग्रेजी पाठ्य में अत्यधिक त्रृटियों के कारण पूर्वार्ध अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। मतलब अपनी गलतियों को अधिष्ठाता महोदय सरकार खुद स्वीकार कर रही है। और उस स्वीकार के लिए इस सदन का सहारा लिया जा रहा है। मैं तो सभी मा0 सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इसमें सहभागी क्यों बनते हैं। अगर गलती किसी की है तो संबंधित व्यक्ति दोषी हो सकता है उसको दण्डित किया जा सकता है। लेकिन बार-बार सदन में आप एक विधेयक लाते हैं उसमें गलती करते हैं फिर दोबारा विधेयक लाते हैं उसको निरसन करने के लिए। यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। कहीं न कहीं विधायिका पर सवाल उठाती है। विधायिका में बैठे हुये लोगों पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि चर्चा के बिना अगर हम किसी विधेयक को पास करते हैं तो उसका हश्र यही होता है जो मा0 मंत्री जी और सरकार यह विधेयक लेकर आयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको निरसित न किया जाये। इसको प्रवर समिति में सौंपा जाये। उन व्यक्तियों को दण्डित किया जाये जिनकी बदौलत आज हमको यह निरसन विधेयक लाने का दिन देखना पड़ रहा है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करूंगा कि यह आपके सम्मान की भी बात है कि कल कोई विधेयक यह लोग लाते हैं यहां पास हो जाता है। फिर गलतियां होती हैं फिर हम वापस लेते हैं। इसलिए यह सबके लिए हितकर होगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाये। क्योंकि यह जो गलतियां हैं यह बहुत बड़ी गलती है इसको छोटी गलती न मानिये। यह न मानिये कि एक बार यह गलती हो गयी फिर दोबारा नहीं होगी। यह गलतियां बार-बार होंगी अगर विधेयक हम ऐसे ही पास करते रहे। ऐसी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे पास करते रहे बिना पढ़े लिखे पास करते रहे बिना एक-एक सेक्शन पर विचार करते पास करते रहे तो यही दिन आयेगा कि ऐसे ही पास होते रहेंगे। लिहाजा मैं पूरे सदन से और खासतौर से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप इसको वापस कर लें तो बेहतर होगा।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 उज्जवल रमण जी को, जो मा0 मंत्री भी रहे हैं और बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह तो आपको ही कर लेना चाहिए था। क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार का फायदा पहुंचे।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

मैं मंत्री था आप भी मंत्री थे। मा0 मंत्री जी श्री लाल जी वर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही करीबी थे मा0 मुख्यमंत्री जी के। और किस तरह से क्या होता था यह सब कुछ

आपको पता है। अब उस पर मुझसे चर्चा न करायें। लेकिन अगर 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी आपने इस पर विचार किया होता इसको लाये होते तो शायद आज हमें इसकी जरूरत न पड़ती। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक हम इस विधेयक को निरसन नहीं करेंगे तब तक दूसरा नियम नहीं लायेंगे। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी एक बैठक हुयी। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रदेश को 15 हजार 700 करोड़ रुपये की आय हुयी, प्रदेश के विकास के लिए जो कि बहुत जरूरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रक्त सम्बन्धों में जैसे आये दिन झगड़े होते रहते हैं, आये दिन मारपीट होती रहती है, भाई-भाई में बंटवारे हो जाते हैं, 100 रुपये की स्टाम्प पर लेकर, फिर तू-तू मैं-मैं होती है। इसके लिए हम एक नया विधेयक ला रहे हैं। 1899 का शेड्यूल बी तैयार किया जा रहा है। जो शीघ्र ही मा0 विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी बहुत सारी सम्पत्तियां पावर आफ अटार्नी, लेखपत्र में और सारी धन काफी कमी की हम लोग ला रहे हैं।

मान्यवर, कम्पनियों के शेयर, मर्जर, डी-मर्जर, गुजरात, महाराष्ट्र एवं प्रदेश में और जगह चल रहा है उसको लेते हुए हम लाने वाले हैं इसलिए इसका निरसन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मा0 सदस्य जी से अनुरोध है कि जनहित और प्रदेश हित में संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 का निरसन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 17
सन् 2010 का
निरसन

2–उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निरसन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

अब हम नियम-51 लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 25-07-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 102 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना डा0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैंट में आर0ओ0बी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर के आई0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत करायी गयी अण्डरग्राउण्ड वायरिंग के अधोमानक होने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारदर्शितापूर्ण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव नगर पंचायत पुरवा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री सुशान्त कुमार सिंह की जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग परगना चौमलहा में तथाकथित फर्म द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कमल सिंह मलिक की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में 15 सौ एकड़ में फैली झील को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य

हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम गागलहेडी को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की सुश्री सुनीता कुशवाहा के निधन के उपरान्त उनके देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद लखनऊ के राजकीय कालोनी, बादशाहनगर में बरसात का पानी भर जाने से हो रहे नुकसान व असुविधा का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत बिलरियागंज में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में कतिपय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती मंजू त्यागी की जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत बजाज शुगर मिल के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गोंती ग्राम के निकट ससुर नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम लालपुर में जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ 'बब्बू भईया' की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में सी0एच0सी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग में हुए घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बडहलगंज से गोपालपुर तक मार्ग की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को मेहनताना तय किये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री शंशाक त्रिवेदी की जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा के ग्राम खेरवा निवासी श्री गणेश शंकर बाजपेई की भूमि पर किये जा रहे कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में जर्जर तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की बलिया बैरिया मार्ग पर स्थित हल्दी ढाला से प्राथमिक पाठशाला हल्दी तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य जनपद कानपुर नगर में तैनात प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) सम्बद्ध स्वास्थ्य निदेशालय का स्थानान्तरण अन्य किसी जिले में किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अशोक कुमार राणा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड शारदा नहर में तैनात श्री मन्नू लाल द्विवेदी के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतीसवीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार की जनपद बरेली के कतिपय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री विपिन कुमार 'डेविड' की ग्राम सभा स्तर पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के कतिपय राजस्व गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की नगर निगम लखनऊ द्वारा समग्र विकास के तहत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया जनपद लखनऊ में जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवैध निर्माणों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रुधौली के नगर पंचायत रुधौली में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत वंचितों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के खड्डा वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत पावर प्लॉन्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री रामफेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के कतिपय पुलों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री श्याम धनी राही की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जिलेदार के पदों पर नियुक्ति हेतु हुई परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है तथा इकतालीसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर से जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो रही कतिपय सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

1-चौ0 उदयभान सिंह

2-श्री योगेश वर्मा

3-श्री चन्द्रपाल कुशवाहा

4-श्री बम्बा लाल

5-श्री विनोद सरोज

6-श्री नाहिद हसन

7-श्रीमती जय देवी

8-श्री पारस नाथ यादव

9-श्री सोबरन सिंह यादव
10-इंजी0 बृजेश कठेरिया
11-श्री दुर्गा प्रसाद यादव
12-श्री नईमउल हसन
13-श्री मोहम्मद रिजवान
14-श्री अम्ब्ररीश सिंह पुष्कर
15-श्री राजकुमार राजू यादव
16-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
17-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
18-श्री विरेन्द्र कुमार यादव
19-श्री मनोज कुमार पाण्डेय
20-श्री प्रेम सागर पटेल
21-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
22-श्री रवि शर्मा
23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद
24-श्री केसर सिंह
25-श्री रवीन्द्र जायसवाल
26-श्री रवि कुमार सोनकर
27-श्रीमती सावित्री कठेरिया
28-श्री धनन्जय कन्नौजिया
29-श्रीमती कृष्णा पासवान
30-श्री राजेश कुमार सिंह
31-श्री हरीराम
32-श्री राहुल प्रकाश
33-श्री बाबूराम पासवान
34-श्री अविनाश त्रिवेदी
35-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'
36-श्री वीरेन्द्र
37-श्री ज्ञान तिवारी
38-श्री लाल जी वर्मा

39-श्री राम अचल राजभर

40-श्री सुखदेव राजभर

41-श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली

42-श्री हाकिम लाल बिंद

43-श्री पंकज गुप्ता

44-श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी

45-श्री महबूब अली

46-डा0 डी0सी0 वर्मा

47-श्री रोशन लाल वर्मा

48-श्री असलम अली

49-श्री उज्जवल रमण सिंह

50-श्री पल्टूराम

51-श्री सुभाष त्रिपाठी

52-श्री पूरन प्रकाश

53-श्री नरेश सैनी

54-श्री बहोरन लाल मौर्य

55-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा

56-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया

57-श्री उमेश मलिक

58-श्री अजय कुमार लल्लू

59-श्री अनिल पाराशर

60-श्री प्रमोद उटवाल

61-श्री दिनेश चौधरी

जनपद अयोध्या में दर्शन नगर स्थित यश पेपर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा.....

श्री उपेंद्र तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(वक्तव्य वन एवं पर्यावरण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री दारा सिंह चौहान-

[ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित किये गये आदेश दिनांक 23-08-2018 के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण सामिति द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 29-11-2018 को मेसर्स यश पेपर मिल, दर्शन नगर, अयोध्या, उ0प्र0 के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दाखिल की गयी थी, जिसमें प्रकरण से संबंधित निम्नलिखित संस्तुतियां थीं :-

1-मेसर्स यश पेपर मिल के विरुद्ध रु0 15 लाख मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये।

2-मेसर्स यश पेपर मिल को मिल से निकलने वाले उत्प्रवाह को सरयू नदी तक ले जाने हेतु पाइप लाईन 03 माह के अंतर्गत स्थापित करने के निर्देश दिये जाये।

3-मेसर्स यश पेपर मिल को सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र 03 माह के अंतर्गत स्थापित किये जाने के निर्देश दिये जायें।

प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 29-11-2018 पर माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 17-12-2018 को सुनवाई की गयी, जिसके उपरान्त माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय समिति के कार्य क्षेत्र में होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-12-2018 में निर्देशित किया गया कि माननीय अनुश्रवण समिति संस्तुति की गयी पर्यावरण क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रस्ताव मानकर मेसर्स यश पेपर मिल से विगत वर्षो में किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स यश पेपर मिल के विरूद्ध रु0 40.80 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि आंकलित करते हुये अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 24-05-2019 को प्रस्तुत की जा चुकी है। माननीय अधिकरण द्वारा पाइपलाइन की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं। मेसर्स यश पेपर मिल द्वारा बैगास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर क्राफ्ट एवं पोस्टर पेपर का उत्पादन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु मिल में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसका नियमित निरीक्षण किया जाता है तथा मिल में सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना कर ली गयी है। माह फरवरी, 2019 में शासन स्तर से गठित की गयी कमेटी द्वारा प्रश्नगत उद्योग के किये गये निरीक्षण में शुद्धीकृत उत्प्रवाह में प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये थे।

मेसर्स यश पेपर मिल, दर्शन नगर, अयोध्या से निकलने वाले उत्प्रवाह से फसलों के नुकसान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि फसलों में क्षति के सम्बन्ध में कहीं से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। वर्तमान में क्षेत्र में खरीफ की फसल खड़ी है।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार को जो जवाब आया है उसके अंतिम पैराग्राफ से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। इसमें जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा जवाब दिया गया है कि किसी भी किसान की फसल की क्षति के सम्बन्ध में कहीं से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मान्यवर, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि इतनी शिकायतें जिलाधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और एन0जी0टी0 तक दी गयी हैं। ऐसे अधिकारी जो इस तरह के जवाब दे देते हैं और उसी जवाब को माननीय मंत्रीगण यहां पर पढ़ देते हैं कि कहीं से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उस समय कोई फसल भी खेत में नहीं थी जब ये जवाब आया था कि फसल बर्बाद नहीं हुई है। मान्यवर, दो बार एन0जी0टी भारत सरकार ने इसमें आदेश किया है। दिनांक 17-12-2018 तथा 29-04-19 को आदेश किया है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और एन0जी0टी0 ने 15 लाख रुपये यश पेपर मिल के मालिक पर जुर्माना भी लगाया है और उन आदेशों की कॉपियां भी मेरे पास हैं। तीन महीने के अंदर जुर्माना दे दें और मिल से लेकर सरयू नदी तक पाइपलाइन बिछा दी जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पांच महीने बीत गए हैं अभी तक काम भी नहीं शुरू किया गया है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या ने पत्र लिखा है कि यश पेपर मिल द्वारा इस कार्य को नहीं किया जा रहा है और 15 लाख रुपये जुर्माना नहीं जमा किया जा रहा है, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाए, उसमें सभी दलों के मा0 विधायक हों। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो इस प्रकरण को अनुश्रवण समिति में भेज दिया जाए और उसके द्वारा इसकी जांच करा ली जाए। पेपर मिल कह रहा है कि इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है, मान्यवर, यह कहते है कि यह किसानों की सरकार हैं, किसानों को चांद पर ले जा रहे हैं, विश्व में नंबर एक पर उत्तर प्रदेश के किसानों को पहुंचा दिया है, उन किसानों के मुआवजे को ये सरकार दिला नहीं पा रही है। मान्यवर, ये सरकार कब तक उद्योगपतियों की सरकार बनी रहेगी और उनका ही पक्ष लेती रहेगी। ये पूरी सरकार उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गयी है। मैं इतने प्रमाण आपको दे

रहा हूं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण-पत्र दे रहा हूं, जिलाधिकारी ने गलत जवाब दिया है, मैं 25 किसानों की एप्लीकेशन का प्रमाण दे रहा हूं, उसके बाद भी इस तरह का गलत जवाब आ जाना, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतनी मांग कर रहा हूं कि सर्वदलीय कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कर ली जाए और जिस यश पेपर मिल मालिक ने एन0जी0टी0 भारत सरकार के दो-दो आदेशों के बाद भी किसानों के हितकर के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा नहीं जमा किया है और पाइप लाइन नहीं बिछाया है ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, जरा इसे देख लीजियेगा।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय सदस्य द्वारा यश पेपर मिल के ऊपर जिस तरीके की बातें कही गयी हैं, उसकी बुनियाद में मैं नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य काफी उत्साही भी हैं और चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले। हमारी सरकार किसी उद्योगपति के सामने घुटने टेकने वाली नहीं है। हमारी सरकार न्याय के लिए चाहे कुछ भी करना होगा और किसी के खिलाफ भी कुछ करना होगा, हम उसमें एक कदम आगे बढ़कर काम करने वाले लोग हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक 15 लाख रुपये की फाइन का जिक्र माननीय सदस्य ने हाउस में किया है। यश पेपर मिल के उत्प्रवाह से नुकसान की संभावना के बारे में जो आपने कहा है, मान्यवर, जिस कमेटी का गठन एक रिटायर जज के नेतृत्व में एन0जी0टी0 (नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल) ने किया था, वह रिपोर्ट दिनांक 17-12-2018 को एन0जी0टी0 के सामने पहुंचायी गयी। उसके बाद एन0जी0टी0 द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय समिति के कार्य क्षेत्र में होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो समिति ने जांच करने के बाद एन0जी0टी0 के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उसमें एन0जी0टी0 की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। चूँकि यह स्पष्ट ही नहीं है कि वह कार्य क्षेत्र में आता भी है या नहीं ? इसके बावजूद जिन तीन बिन्दुओं पर चर्चा की है, आपने पाइप लाइन की चर्चा की है, 15 लाख फाइन लगाने की बात की है। फिर उन्होंने कहा कि माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-12-2018 में निर्देशित किया गया कि माननीय यशवन्त समिति द्वारा संस्तुत की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रस्ताव मानकर मेसर्स यश पेपर मिल के विगत वर्षों में किए गए उल्लंघन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाय। बोर्ड को यह आदेशित करते हुए कि जो पनिशमेंट उनको दिया गया, जो फाइन लगाई गई है, उसकी पूरी रिपोर्ट एन0जी0टी0 के सामने प्रस्तुत की जाय। माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स यश पेपर मिल

के विरुद्ध 40 लाख 80 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि आंकलित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जब एन0जी0टी0 ने बोर्ड को आदेश दिया तो बोर्ड ने पुनः उसका असेसमेंट किया, उसकी जांच की। जहां पूर्व की समिति का एन0जी0टी0 ने पूरा संज्ञान नहीं लिया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के संज्ञान में उन्होंने 15 की जगह 40 लाख की फाइन लगाया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, जिस पर माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की है, उसको आप दिखवा लेना। अब आप बैठिए।

श्री दारा सिंह चौहान-

अधिष्ठाता जी, मैं माननीय राकेश जी को बता दूं। 40 लाख धन आंकलित करते हुए अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 24-10-2019 को प्रस्तुत की जा चुकी है। चूंकि एन0जी0टी0 के सामने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस रिपोर्ट में 40 लाख की फाइन लगाकर प्रस्तुत कर दिया है। उसमें उन्होंने कहीं पाइप लाइन का जिक्र नहीं किया है, न हम कर रहे हैं। चूंकि मामला सब-ज्यूडिस है, क्योंकि एन0जी0टी0 एक सम्मानित न्यायालय है, इसलिए बोर्ड ने जो रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत की है, आपने डी0एम0 की बात कही। तहसीलदार ने किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर निगेटिव रिपोर्ट, उसमें किसी फसल की क्षति होने की बात नहीं कही है, हालांकि उसकी बुनियाद में क्या है, उसको आप भी जानते होंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मामला सब-ज्यूडिस है, एन0जी0टी0 के सामने जो फाइन लगाकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रस्तुत किया है, अगर एन0जी0टी0 का कोई आदेश आयेगा तो निश्चित रूप से, हण्ड्रेड परसेण्ट उसका पालन करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

अधिष्ठाता जी, इतने लोगों की एप्लीकेशन्स हैं, कहिए तो मैं नाम पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता-

राकेश जी, अब बैठिए।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत कुम्हरावां से बाबागंज मार्ग का चौड़ीकरण कराने एवं डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत चंद्रिका देवी बी0के0टी0 कुम्हरावां.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[बाबागंज मार्ग प्रमुख जिला (सं0-90सी) श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 30.950 कि0मी0 है।

राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0के0टी0) कुम्हरावां बाबागंज तक के भाग की कुल लम्बाई 20.498 कि0मी0 है, जिसको 02 लेन चौड़ीकरण किये जाने की अनुमानित लागत रु0 6307.00 लाख है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत बाबा बाजार में विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, वर्तमान में बाबा बाजार 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को कुमारगंज 132 के0वी0 उपस्थान से विद्युत आपूर्ति होती है। कुल 45.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कि0मी0 लम्बी 33 के0वी0 लाइन से आपूर्ति प्राप्त होती है जो अमानीगंज उपकेन्द्र पर लीलो (लाइन इन आउट) है। उपरोक्त के कारण कुमारगंज से अमानीगंज या अमानीगंज से बाबा बाजार के भाग में भी यदि कोई व्यवधान आता है, तो बाबा बाजार की आपूर्ति बाधित होती है। उक्त 33 के0वी0 लाइन सामान्य से लम्बी होने एवं लगभग पूर्ण भार पर होने के कारण 11 के0वी0 लाइन पर कम वोल्टेज की समस्या है।

स्थायी रूप से लो-वोल्टेज दूर करने के लिये उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन करापोरेशन द्वारा 132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र (बैक अप ट्रान्समिशन लाइन सहित) सैदपुर में निर्माणाधीन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जिसका 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी कुल लागत रु0 52.20 करोड़ है एवं उपस्थान का ऊर्जीकरण दिनांक 31-01-2020 तक लक्षित है। ऊर्जीकरण के पश्चात् बाबा बाजार 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से क्षेत्र का यह निकटतम 132 के0वी0 उपकेन्द्र होगा एवं इस उपकेन्द्र को सोहावल 220 के0वी0 उपस्थान एवं रामसनेहीघाट 132 के0वी0 उपस्थान (बैक-अप आपूर्ति) दोनों स्रोतों से आवश्यकता अनुसार आपूर्ति प्राप्त होगी।

दिनांक 09-07-2019 से 21-07-2019 की अवधि में दिनांक 09-07-2019, 10-07-2019, 11-07-2019, 12-07-2019, 16-07-2019 एवं 19-07-2019 (कुल छः बार) वर्षा व आंधी के कारण भारी व्यव्धान आया। उल्लेखनीय है कि तेज हवा एवं आंधी के कारण 25-40 फिट दूरस्थ स्थित यूकेलिप्टस के पेड़, 33 एवं 11 के0वी0 की लाइनों पर गिर जा रहे हैं। विभागीय कर्मियों द्वारा इन्हें काटने में समय लगा।

सैदपुर 11 के0वी0 फीडर 20 कि0मी0 लम्बा है। साथ ही अवगत कराना है कि 88 ग्राम/मजरे इस पोषक से जुड़े हुये है। 352 अद्द निजी नलकूप भी इस पोषक से संयोजित है। दिनांक 09-07-2019 से मौसम अनुकूल न होने के कारण सामान्य से अधिक व्यवधान आये, जिन्हे तत्परता से दूर किया गया। दिनांक 01-07-2019 से 22-07-2019 तक सैदपुर 11 के0वी0 पोषक पर औसत आपूर्ति 15.01 घण्टे रही है।

11 के0वी0 नेवरा फीडर से 73 ग्राम/मजरे इस पोषक से जुड़े हुये हैं। 88 अदद निजी नलकूप इस पोषक से संयोजित है। दिनांक 09-07-19 से मौसम अनुकूल न होने के कारण पोषक पर सामान्य से अत्यधिक व्यवधान आये, जिन्हे तत्परता से दूर किया गया। दिनांक 01-07-2019 से 22-07-2019 तक 11 के0वी0 पोषक नेवरा पर औसत आपूर्ति 15:18 घण्टा की गयी। नेवरा फीडर पर बड़ेला, नेवरा, महमूदपुर, तालगांव, निरोजपुर बघेड़ी ग्रामों पर भी विपरीत मौसम का प्रभाव रहा।

सैदपुर 11 के0वी0 फीडर पर स्थित छोटा गनेशपुर ग्राम में स्थित श्री उद्धव प्रसाद के निजी नलकूप पर स्थापित 63 के0वी0 परिवर्तक के खराब होने की सूचना दिनांक 18-07-19 को दोपहर प्राप्त हुयी। विद्युत कार्य शाला खण्ड, जनपद-अयोध्या द्वारा दिनांक 20-07-2019 को सायंकाल परिवर्तक बदल दिया गया था। दिनांक 19-07-2019 को हुयी वर्षा एवं रास्ता कच्चा होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ।

विगत दिनांक 15-07-2019 से 22-07-2019 तक प्रणाली नियंत्रण से ग्रिड की आपात परिस्थितियों के कारण एक से अधिक बार अल्प अवधि के लिये अघोषित (अनशेड्यूल्ड) कटौती हुयी। दिनांक 15/16-07-2019 की रात्रि को आयी तेज आंधी के कारण अमानीगंज-बाबा बाजार 33 के0वी0 मेन लाइन का एक पोल एवं 120 मीटर की लाइन पेड़ लाइन पर गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसे दिनांक 16-07-2019 की दोपहर तक प्रतिकूल मौसम के बावजूद ठीक कर दिया गया। दिनांक 19-07-2019 को पुनः वर्षा-आंधी के

कारण कई स्थानों पर लोकल फाल्ट के कारण व्यवधान हुआ। मौसम सामान्य रहने पर रोस्टर के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।]

जनपद फिरोजाबाद के फिरोजाबाद नगर में विद्युत अवस्थापना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, साइट का सर्वे थर्ड पार्टी मै0 इरडा द्वारा किया जा रहा है.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[सभी 13 ग्राम सभाओं में लगभग 03 लाख की जनसंख्या के सापेक्ष लगभग 50000 मकान होने की सम्भावना है। वर्तमान में इन ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति जीर्ण-शीर्ण एल0टी0 एवं एच0टी0 विद्युत तंत्र के द्वारा की जा रही है। इन क्षेत्रों में सुरक्षित एवं अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करने हेतु 11 के0वी0 एवं एल0टी0 विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। प्रथम चरण में अति आवश्यक कार्यों को कराये जाने हेतु लगभग रु0 12 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गयी है। बांस बल्ली से आपूर्ति वाले क्षेत्र में यदि एक तिहाई धनराशि मा0 सांसद/विधायक निधि से प्राप्त हो जाती है तो शेष वित्त पोषण विभाग से कराके तथा शेष कार्य विभाग के आन्तरिक स्रोतों से धन की उपलब्धता के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से कराया जायेगा]

श्री मनीष असीजा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने इस नोटिस की ओर से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा फिरोजाबाद नगर जो है वह टी0टी0जेड0 जोन में आता है और यहां मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं और जिस क्षेत्र के बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षण किया है मा0 मंत्री जी यह जो 13 क्षेत्र हैं इसकी आबादी 3 लाख और जनसंख्या के सापेक्ष 50 हजार मकान होने की संभावना आपके विभाग के द्वारा मानी गई है। वहां पर वर्तमान में बहुत बड़े क्षेत्र में ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति हो रही है और ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति होने के कारण से जो हमारे जिला मुख्यालय पर या शहरी क्षेत्र में और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खासकर टी0टी0जेड0 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के जो मानक हैं, वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे इस क्षेत्र में, क्योंकि आपने स्वयं भी माना है कि यहां मुझे मेरे क्षेत्र की अगर बात रखने का अवसर देंगे तो मा0 मंत्री जी इन क्षेत्रों में स्वयं विभाग ने माना है कि जीर्ण-शीर्ण एल0टी0, एच0टी0 विद्युत तंत्र के द्वारा विद्युत आपूर्ति हो रही है, लेकिन इन जीर्ण-शीर्ण तारों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति के कारण आय दिन जान-माल की घटनाएं हो रही हैं। अनेक बार ऐसा दुःखद समाचार हम सब के सामने आता है कि इस खराब जर्जर विद्युत तारों के माध्यम से कोई जान-माल की हानि हुई है तो मैं मा0 मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं उदारतापूर्वक कि आपने इसका थर्ड पार्टी सर्वे कराया जो इसमें अत्यधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। आप चरणबद्व काम करेंगे, मुझे मालूम है और उस आधार पर यह सबसे ज्यादा क्रिटिकल जोन है उस पर कार्यव्रत सबसे पहले कराने की कृपा करें तो आपका बहुत आभार होगा।

जनपद उन्नाव की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीघापुर, पाटन, भगवन्त नगर..

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[भगवन्तनगर टाउन व धानीखेड़ा एवं अचलगंज उपकेन्द्र से विद्युत, आपूर्ति की जा रही है। जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र की औसत विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे 30 मिनट तहसील की 22 घण्टे एवं जनपद मुख्यालय की 23 घण्टे 07 मिनट है। भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों से विगत एक सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी औसत विद्युत आपूर्ति 17 घण्टे 06 मिनट है।

1-(अ) नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत **उपकेन्द्र बिहार** दिनांक 30-07-2019 को संचालित करके लोड पर ले लिया जायेगा। जिससे 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पाटन के 11 के0वी0 बिहार व असगरगंज फीडर का लोड कम हो जायेगा।

(ब) नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत **उपकेन्द्र गिरजानगर** दिनांक 26-07-2019 को संचालित करके लोड पर ले लिया जायेगा। जिससे 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बीघापुर से निकलने वाले अतिभारित फीडर के 11 के0वी0 ''12 फीडर'' एवं धानीखेड़ उपकेन्द्र के अतिभारित 11 के0वी0 सगवार फीडर का लोड कम होगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(स) 33/11 के0वी0 विद्युत **उपकेन्द्र त्रिभुवन खेड़ा** 26 दिसम्बर 2018 से संचालित है जिससे 11 के0वी0 के 3 फीडर क्रमशः त्रिभुवनखेड़ा, जालिमखेड़ा एवं कोनीरोड फीडर संचालित है।

2-भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में 10 के0वी0ए0 के 24, 16 के0वी0ए0 104, 25 के0वी0ए0 56, 63 के0वी0ए0 04, 100 के0वी0ए0 32 एवं 250 के0वी0ए0 02 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि या अतिरिक्त परिवर्तक लगाये गये है। इसके अतिरिक्त कनेक्शनों में हुयी वृद्धि के दृष्टिगत 55 मजरों को चिन्हित कर 25 के0वी0ए0 के अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर दिनांक 30-09-2019 तक स्थापति करना लक्षित है।

3-(अ) अचलगंज फीडर की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। 11 के0वी0 मगरायर फीडर एवं भैया खेड़ा फीडरों का पृथक्करण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे दिनांक 30-07-2019 तक पूर्ण करके अतिभारिता दूर कर दी जायेगी। 11 के0वी0 ऊचगांव फीडर का 50 एम्पियर भार 33/11 के0वी0 धानीखेड़ा उपकेन्द्रके 11 के0वी0ए0 धानीखेड़ा फीडर पर स्थान्तारित कर दिया गया है, जिससे ऊचगांव फीडर सुचारु रूप से चल रहा है। विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्य अतिभारित फीडरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य 121 सर्किट कि0मी0 की 11 के0वी0 लाइन को बदलकर दिनांक 31-10-2019 तक पूर्ण करना लक्षित है।

(ब) वर्तमान में पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिनांक 30-09-2019 तक पूर्ण करना लक्षित है।

(क) धानीखेड़ा-1 X 5 एम0वी0ए0 से 2 X 5 एम0वी0ए0

(ख) हिलौली-1 X 5 + 1 X 10 एम0वी0ए0 से 2 X 10 एम0वी0ए0

(ग) मवई-1 X 5 एम0वी0ए0 से 2 X5 एम0वी0ए0,

(घ) हसनगंज-1 X 10 एम0वी0ए0 से 1 X 10 + 1 X 5 एम0वी0ए0

(स) असोहा कंदरपुर की विद्युत लाईने 31-08-2019 तक ए0बी0सी0 से अच्छादित करा दी जायेगी। पाठकपुर असोहा पावर हाउस की 33 के0वी0 विद्युत लाइन दिनांक 31-10-2019 तक ऊर्जीकृत कर दी जायेगी।

4-132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र कुन्दनरोड ओवरलोड होने के कारण अचलगंज मवैया 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र को 132 के0वी0 बीघापुर से जोड़ा गया है। कुन्दनरोड उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का परीक्षण तकनीकी दृष्टि से कराकर इस सम्बन्ध में यथासम्भव कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव में 300 सर्किट कि0मी0 जर्जर एच0टी0 लाइन कडंक्टर द्वारा एवं 200 सर्किट कि0मी0 जर्जर एल0टी0 लाइन ए0बी0 कडंक्टर द्वारा बदला जाना प्रस्तावित है जिसे 31-07-2019 तक पूर्ण करना लक्षित है।]

श्री अनिल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन चीजें कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जैसे विद्युत कनेक्शन लिए जाते हैं किसान जो ले रहे हैं वह पैसा पूरा जमा कर देते हैं, लेकिन चार-चार, आठ-आठ महीने इंतजार करते हैं, सिर्फ अधिकारियों की बदमाशियों की वजह से तो मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर सख्ती से जरा कार्यवाही करें, ताकि बेड़ इस समय लग रही है धान की तो बहुत अच्छे से कार्य हो सके इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और हमारे क्षेत्र में कुछ बदल गए हैं तार और कुछ जर्जर तार रह गए हैं।

तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि उनको जल्दी से चेन्ज करा दें ताकि जो अच्छी बिजली व्यवस्था बनी हुई है, उसको आप और अच्छी कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए आपका कुछ काम तो हुआ है, बाकी दिखवा लेना।

जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत गोला मार्ग से कौड़ीराम मार्ग तक की सड़क का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसमें केवल वक्तव्य है। अवगत कराना है कि जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम गोला मार्ग.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उप मुख्य मंत्री केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 21.700 कि0मी0 है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत दिनांक 19-12-2017 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी वित्तीय लागत रु0 3336.00 लाख की है और मार्ग की चौड़ाई 07 मीटर स्वीकृत की गयी है। कार्य को पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त लो0नि0वि0 गोरखपुर के अनुबंध सं0-66 एसई/गो0वृत्त/17-18, दिनांक 18-03-2018 द्वारा मेसर्स रवि कान्स्ट्रक्शन, मुजफ्फरनगर के पक्ष में अनुबंध गठित है। अनुबंध के अनुसार कार्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रारम्भ करने की तिथि 18-03-2018 व पूर्ण करने की तिथि 17-03-2019 थी। स्वीकृत कार्य में मार्ग के कि0मी0 1 से 10 तक 5.50 मीटर से 7.00 मीटर चौड़ीकरण एवं कि0मी0 11.00 से 21.70 तक 3.50 मीटर से 7.00 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है एवं पूरी लम्बाई में सुदृढ़ीकरण किया जाना सम्मिलित है। वर्तमान में 21 21 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य तथा 10 किमी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण का कार्य डी0बी0एम0 स्तर तक पूर्ण है। लागत के सापेक्ष उक्त कार्य पर अब तक 95 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है और 55 प्रतिशत भौतिक प्रगति है। अवशेष कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च, 2020 है।]

जनपद बदायूं के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र दिनांक 24-07-2019 .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उक्त के सम्बन्ध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र दिनांक 24-07-2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराते हुये आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, बदायूं को निर्देशित किया गया है।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोहडोर में थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह की दिनांक 13 जून, 2019 को ड्यूटी पर जाते वक्त दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मृतक के परिवारीजानों को 20 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिवारीजन को सरकारी सेवा में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गई.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि निर्वतमान थानाध्यक्ष कोहडौर स्व0 अर्जुन सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह, निवासी ग्राम-सीकरी, थाना-चिलकाना, जनपद-सहारनपुर दिनांक 12-06-2019 को बहवाले रपट नम्बर-21 समय-13:29 बजे रोजनामचा आम पर 02 दिवस आकस्मिक अवकाश पर अपने घर रवाना हुये थे। बाद अधिभोग अवकाश दिनांक 14-06-2019 को आना था। दिनांक 13-06-2019 को थाना तालग्राम जनपद कन्नौज में उप निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह सड़क दुर्घटना में आयी चोट के इलाज हेतु अस्पताल ले जाया जा रहा था कि मृत्यु हो गयी। इनकी मृत्यु कर्तव्य पालन के दौरान नहीं हुयी है।

उक्त उप निरीक्षक की मृत्यु अवकाश अवधि में हुयी है, अतः इनको शासनादेश संख्या-1046पी/छः-पु-6-17-100(9)/2014, दिनांक 20-10-2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनुग्रह धनराशि अनुमन्य नहीं है तथा असाधारण पेंशन देय नहीं है। इनके आश्रित पत्नी को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं, कल सुबह 11:00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 25 जुलाई, 2019 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थियां

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 19 पर।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

SrNo	District	Pending at SDM Level
1	AGRA	466
2	ALIGARH	3
3	ALLAHABAD	237
4	AMBEDKAR NAGAR	197
5	AMETHI	137
6	AMROHA	192
7	AURAIYA	51
8	AZAMGARH	59
9	BAGHPAT	20
10	BAHRAICH	102
11	BALLIA	84
12	BALRAMPUR	7
13	BANDA	77
14	BARABANKI	66
15	BAREILLY	100
16	BASTI	53
17	BHADOHI	106
18	BIJNOR	339
19	BUDAUN	155
20	BULANDSHAHR	228
21	CHANDAULI	116
22	CHITRAKOOT	7
23	DEORIA	144
24	ETAH	62
25	ETAWAH	168
26	FAIZABAD	92
27	FARRUKHABAD	91
28	FATEHPUR	15
29	FIROZABAD	99
30	GAUTAM BUDDHA NAGAR	2
31	GHAZIABAD	8
32	GHAZIPUR	124
33	GONDA	115
34	GORAKHPUR	110
35	HAMIRPUR	192
36	HAPUR	0
37	HARDOI	271
38	HATHRAS	78
39	JALAUN	201
40	JAUNPUR	75
41	JHANSI	72
42	KANNAUJ	103
43	KANPUR DEHAT	19
44	KANPUR NAGAR	108

45	KASGANJ	49
46	KAUSHAMBI	53
47	KHERI	126
48	KUSHI NAGAR	89
49	LALITPUR	43
50	LUCKNOW	132
51	MAHARAJGANJ	216
52	MAHOBA	67
53	MAINPURI	675
54	MATHURA	84
55	MAU	47
56	MEERUT	24
57	MIRZAPUR	83
58	MORADABAD	37
59	MUZAFFARNAGAR	129
60	PILIBHIT	114
61	PRATAPGARH	204
62	RAE BARELI	63
63	RAMPUR	299
64	SAHARANPUR	134
65	SAMBHAL	67
66	SANT KABEER NAGAR	24
67	SHAHJAHANPUR	107
68	SHAMLI	35
69	SHRAVASTI	11
70	SIDDHARTH NAGAR	57
71	SITAPUR	111
72	SONBHADRA	102
73	SULTANPUR	93
74	UNNAO	102
75	VARANASI	48
Total		**8376**

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न सं0-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 41 पर।

कृषि विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना–विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत कृषि रक्षा यंत्रों जैसे–फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसमें मानव चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर अनुदान की सीमा रु0 1500/– प्रति यंत्र तथा शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्रों पर अनुदान की सीमा रु0 3000/– प्रति यंत्र की दर से कृषकों को उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है। अनुदान का भुगतान कृषक के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से अन्तरित किया जाता है।

विभागीय वेबसाइट upagricultre.com पर पंजीकृत पात्र कृषक स्वेच्छा से किसी भी कम्पनी का कृषि रक्षा यंत्र जो आई0एस0आई0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप हों तथा ऐसे कृषि रक्षा उपकरण जिसके आई0एस0आई0 मानक निर्धारित नहीं हैं के सम्बन्ध में केन्द्रीय संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उसकी उपयोगिता एवं मूल्य की दृष्टि से स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरुप खुले बाजार से क्रय कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4212 कृषि रक्षा यंत्रों को वितरित कर 4212 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 3843 कृषकों को कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराये गये तथा 3843 किसान उससे लाभान्वित हुए।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत चावल, दलहन, गेहूँ, न्यूट्री सीरियल्स, अतिरिक्त दलहन एवं कोर्स सीरियल्स घटक हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये कृषि रक्षा उपकरण का विवरण निम्नवत् है :–

घटक	मैनुअल स्प्रेयर	पावर स्प्रेयर	योग
चावल	14	56	70
दलहन	234	930	1164
अति0 दलहन	85	–	85
गेहूँ	53	131	184
न्यूट्री सी0	2340	–	2340
योग	**2726**	**1117**	**3843**

02/07/19

मिशन निदेशक (एन0एफ0एस0एम0)
उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में वितरित कृषि रक्षा यन्त्र/उपकरण की जनपद-वार सूची

क्रम सं0	जनपद	पावर स्प्रेयर	हैण्ड स्प्रेयर
1	सहारनपुर	82	2
2	मुज्जफरनगर	162	14
3	शामली	125	0
4	मेरठ	64	5
5	बुलन्दशहर	2	0
6	गाजियाबाद	48	1
7	गौतमबुद्धनगर	0	0
8	बागपत	60	8
9	हापुड़	187	4
10	आगरा	73	8
11	फिरोजाबाद	25	5
12	मैनपुरी	132	52
13	मथुरा	101	24
14	अलीगढ़	22	2
15	एटा	73	23
16	हाथरस	157	10
17	कासगंज	53	1
18	बरेली	88	31
19	शाहजहाँपुर	30	1
20	बदायूँ	4	1
21	पीलीभीत	54	4
22	मुरादाबाद	0	0
23	बिजनौर	324	0
24	रामपुर	51	0
25	ज्योतिबाफुलेनगर	203	0
26	सम्भल	57	3
27	कानपुर नगर	177	76
28	कानपुर देहात	141	73
29	इटावा	148	55
30	फर्रूखाबाद	155	49
31	कन्नौज	70	23
32	औरैया	81	18
33	इलाहाबाद	17	7
34	फतेहपुर	126	216
35	प्रतापगढ़	53	6
36	कौशाम्बी	105	41
37	झांसी	74	13
38	जालौन	30	0

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0)

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में वितरित कृषि रक्षा यन्त्र/उपकरण की जनपद–वार सूची

क्रमांक	जनपद	आवंटित	धनराशि उपलब्ध कराई
39	ललितपुर	193	0
40	बाँदा	178	51
41	हमीरपुर	164	1
42	महोबा	144	2
43	चित्रकूट	172	92
44	वाराणसी	110	8
45	गाजीपुर	2	0
46	जौनपुर	25	10
47	चन्दौली	146	135
48	मिर्जापुर	48	8
49	सोनभद्र	49	55
50	भदोही	153	14
51	गोरखपुर	27	42
52	देवरिया	1	0
53	कुशीनगर	23	7
54	महराजगंज	23	105
55	बस्ती	0	0
56	सिद्धार्थनगर	7	6
57	सन्त कबीर नगर	0	0
58	आजमगढ़	45	5
59	मऊ	129	136
60	बलिया	5	0
61	लखनऊ	74	17
62	हरदोई	236	23
63	खीरी	1	0
64	रायबरेली	32	18
65	सीतापुर	127	5
66	उन्नाव	146	292
67	फैजाबाद	0	0
68	सुल्तानपुर	90	1
69	बाराबंकी	27	5
70	अम्बेदकरनगर	6	2
71	अमेठी	4	5
72	गोण्डा	9	0
73	बहराइच	99	48
74	श्रावस्ती	71	65
75	बलरामपुर	206	5
योग–		6126	1939

(सीरज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ

नत्थी 'ग'

अतारांकित प्रश्न सं0-54 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 71 पर।

मण्डी स्थलों की सूची जहाँ कृषकों को विश्राम की सुविधा उपलब्ध।

क्रमांक	जनपद का नाम	मण्डी समिति का नाम
1	सहारनपुर	सहारनपुर
2	लखनऊ	लखनऊ
3	उन्नाव	बाँगरमऊ
4	रायबरेली	लालगंज
5	सीतापुर	सीतापुर
6	हरदोई	हरदोई
7	हरदोई	सण्डीला
8	हरदोई	शाहाबाद
9	लखीमपुरखीरी	लखीमपुर
10	सोनभद्र	राबर्ट्सगंज
11	प्रयागराज	प्रयागराज
12	वाराणसी	वाराणसी
13	मेरठ	मेरठ
14	मेरठ	मवाना
15	मेरठ	परीक्षितगढ़
16	मेरठ	सरधना
17	गाजियाबाद	गाजियाबाद
18	गौतमबुद्धनगर	नोएडा
19	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
20	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद
21	बुलन्दशहर	डिबाई
22	बुलन्दशहर	शिकारपुर
23	हापुड़	हापुड़
24	बलरामपुर	बलरामपुर
25	बलरामपुर	तुलसीपुर
26	सिद्धार्थनगर	नौगढ
27	अलीगढ	अलीगढ
28	कासगंज	कासगंज
29	हाथरस	हाथरस
30	आगरा	आगरा
31	मथुरा	मथुरा
32	मथुरा	कोसीकलाँ
33	मैनपुरी	मैनपुरी
34	ललितपुर	ललितपुर
35	झाँसी	झाँसी
36	जालौन	कोंच
37	हमीरपुर	मुस्करा
38	हमीरपुर	राठ
39	बांदा	बांदा
40	कानपुर	कानपुर (नौबस्ता)
41	कानपुर	कानपुर (चकरपुर)
42	कानपुर देहात	झींझक

43	फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद
44	इटावा	इटावा
45	इटावा	जसवन्त नगर
46	इटावा	भरथना
47	औरैया	अछल्दा
48	अयोध्या	फैजाबाद
49	गोण्डा	गोण्डा
50	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
51	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर
52	अमेठी	जायस
53	अमेठी	जाफरगंज
54	गोरखपुर	गोरखपुर
55	गोरखपुर	चौरीचौरा
56	गोरखपुर	सहजनवॉ
57	महाराजगंज	परतावल
58	सम्भल	चन्दौसी
59	अमरोहा	अमरोहा
60	बिजनौर	चाँदपुर
61	रामपुर	बिलासपुर
62	बरेली	बहेडी
63	बरेली	आंवला
64	बदायूँ	ऊझानी
65	बदायूँ	बिल्सी
66	शाहजहाँपुर	पुवायां
67	शाहजहाँपुर	जलालाबाद
68	पीलीभीत	पीलीभीत
69	पीलीभीत	पूरनपुर
70	पीलीभीत	बीसलपुर

12/7/2019
(निसार खान)
विपणन अधिकारी

नत्थी 'घ'

अतारांकित प्रश्न सं0-80 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 83 पर।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई कौशल विकास मिशन शामली

दिनांक 10–05–2019 तक स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षार्थियो की सूची

क0 सं0	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	प्रशिक्षण वर्ष	प्रशिक्षण का सैक्टर जिसमे प्रशिक्षार्थी स्वरोजगार प्राप्त है।
1	आरती	कवरपाल	2016–17	आई0सी0टी0
2	ज्योती	जोगिन्द्र सिंह	2016–17	आई0सी0टी
3	इशा मित्तल	रविन्द्र मित्तल	2016–17	आई0सी0टी
4	मोनिका	देवेन्द्र शर्मा	2016–17	आई0सी0टी0
5	निधि	देवेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
6	पारूल	पप्पू पाल	2016–17	आई0सी0टी
7	प्रियंका	बलराज सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
8	रेणू	हरपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी
9	रीता	रमेश चन्द	2016–17	आई0सी0टी
10	शाक्षी	राजकुमार	2016–17	आई0सी0टी0
11	संतोष	राधेश्याम	2016–17	आई0सी0टी
12	शिवानी	रोहिताश	2016–17	आई0सी0टी
13	शिवानी	नरेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी0
14	शिवानी राज	संजीव कुमार	2016–17	आई0सी0टी
15	मंयक	जगमोहन	2016–17	आई0सी0टी
16	पूजा	माहीपाल	2016–17	आई0सी0टी0
17	पूजा चौधरी	अशोक चौधरी	2016–17	आई0सी0टी
18	प्रिती	सतेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
19	राखी	मदनपाल	2016–17	आई0सी0टी0
20	आंचल तुहार	राजीव कुमार	2016–17	आई0सी0टी
21	अंकाक्षा	मोहकम सिंह	2016–17	आई0सी0टी
22	अलका	महावीर सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
23	आरती	अजय	2016–17	आई0सी0टी
24	दीपिका	राजकुमार	2016–17	आई0सी0टी
25	निशा	नरेन्द्र शर्मा	2016–17	आई0सी0टी0
26	प्रतिभा	मुकेश कुमार	2016–17	आई0सी0टी
27	रीतू कुमारी	सोहराज सिंह तोमर	2016–17	आई0सी0टी
28	रूबिन	ओमपाल	2016–17	आई0सी0टी0
29	सीमा	राजकुमार	2016–17	आई0सी0टी
30	स्वाती	संजय कुमार	2016–17	आई0सी0टी
31	अकित कुमार	लक्ष्मण सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
32	गौरव कुमार	रामपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी
33	अनुकिति	अग्रेंज सिंह	2016–17	आई0सी0टी
34	अर्चना	राजवीर	2016–17	आई0सी0टी0

35	काजल	योगेन्द्र कुमार	2016–17	आई0सी0टी
36	प्रिती	देवेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
37	प्रियंका	करण सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
38	संगीता	कृष्णा देवी	2016–17	आई0सी0टी
39	सपना	प्रीतम सिंह	2016–17	आई0सी0टी
40	मेगा गुप्ता	सुनील गुप्ता	2016–17	आई0सी0टी0
41	सन्नी चौधरी	रामपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी
42	आशीष कुमार	राकेश कुमार	2016–17	आई0सी0टी
43	बिटटु कुमार	रकम सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
44	गौतम	बलबीर	2016–17	आई0सी0टी
45	प्रियंका	रतन पाल	2016–17	आई0सी0टी
46	सपना	रामपाल	2016–17	आई0सी0टी0
47	मो0 शहजाद	मो0 असगर	2016–17	आई0सी0टी
48	सपना	जयपाल	2016–17	आई0सी0टी
49	शिखा	रामनाथ	2016–17	आई0सी0टी0
50	अजय कुमार	धर्मवीर सिंह	2016–17	आई0सी0टी
51	गौरव	देवेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
52	प्रेरणा	विनोद कुमार	2016–17	आई0सी0टी0
53	शेरखान	शकील	2016–17	आई0सी0टी
54	सुमित कुमार	सुरेखा	2016–17	आई0सी0टी
55	अजय कुमार	राजेश देवी	2016–17	आई0सी0टी0
56	अकित कुमार	ऋषिपाल	2016–17	आई0सी0टी
57	अंकुर कुमार	राजेश कुमार	2016–17	आई0सी0टी
58	पुष्पा	राम मेहर सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
59	ललित कुमार	लाखन सिंह	2016–17	आई0सी0टी
60	मंयक कुमार	रामपाल	2016–17	आई0सी0टी
61	मोनिका	महिपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
62	नीटू कुमार	तेजपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी
63	राहुल कटारिया	श्रीपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी
64	सौरभ कुमार	रोहिताश सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
65	विकास कुमार	राजकुमार	2016–17	आई0सी0टी
66	अभिलाषा	सोमपाल	2016–17	आई0सी0टी
67	अमरिता देवी	प्रमोद	2016–17	आई0सी0टी0
68	बेबी रानी	अशोक कुमार	2016–17	आई0सी0टी
69	दीपा	बालेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
70	काजल चौधरी	रामकुमार	2016–17	आई0सी0टी0
71	खुशबू	प्रमोद कुमार	2016–17	आई0सी0टी
72	अंकाक्षा	बिजेन्द्र	2016–17	आई0सी0टी
73	ज्योति देवी	राजपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
74	नोरती	सुभाष	2016–17	आई0सी0टी

75	नेहा	प्रवीण कुमार	2016–17	आई0सी0टी
76	रश्मी	सुरेशपाल	2016–17	आई0सी0टी0
77	शिवानी	सतीश कुमार	2016–17	आई0सी0टी
78	विशाखा	विरेन्द्र सिंह	2016–17	आई0सी0टी
79	लूसी दलाल	देवेन्द्र दलाल	2016–17	आई0सी0टी0
80	मेगा गोयल	सुरेश चन्द गोयल	2016–17	आई0सी0टी
81	मुनेश	मदनपाल	2016–17	आई0सी0टी
82	नीलम	ओमपाल सिंह	2016–17	आई0सी0टी0
83	नेहा शर्मा	वेद प्रकाश शर्मा	2016–17	आई0सी0टी
84	कु0 मिनाक्षी	श्री गुलाब सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
85	मनोज कुमार	श्री सलेक चन्द	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
86	अनुज कुमार	श्री जितेन्द्र कुमार	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
87	विकास कुमार	श्री सुरेश चन्द	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
88	मोहित कुमार	श्री प्रमोद कुमार	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
89	क0 उमा देवी	श्री मांगेराम	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
90	कु0 रेश्मा	श्री मुकेश	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
91	हेमचन्द	श्री पाल	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
92	कु0 श्रष्टी शर्मा	श्री ब्रहमानन्द शर्मा	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
93	विशाल भारती	श्री अरविन्द कुमार	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
94	नितिन कुमार	श्री अनुप सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
95	अमित	श्री मेमपाल	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
96	पंकज कुमार	श्री प्रेमचन्द	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
97	सचिन कश्यप	श्री मदनलाल	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
98	विकास कुमार	श्री नेतर पाल सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
99	आरती	श्री सोमपाल	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
100	कु0राधा	श्री राजेश	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
101	शिवओम	श्री गजराज सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
102	कु0जूली	श्री विरेन्द्र सैनी	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
103	मोनू	श्री रामपाल	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
104	कु0पूजा	श्री खेम सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
105	आदित्य कुमार	श्री सुशील सिंह	2017–18	बैकिंग एन्ड एकाउन्टिंग
106	नेहा कुमारी	श्री भागमल	2017–18	गारमेन्ट मेंकिग
107	आकृति सैनी	श्री इसम सैनी	2017–18	गारमेन्ट मेंकिग
108	कु0 कलसूम	श्री सलीक	2017–18	गारमेन्ट मेंकिग
109	कु0 पायल देवी	श्री नातीराम	2017–18	गारमेन्ट मेंकिग
110	कु0 प्रियंका देवी	श्री तेजपाल सिंह	2017–18	गारमेन्ट मेंकिग
111	जोनी कुमार	कैलाश	2017–18	आई0सी0टी
112	आरती	रामपाल	2017–18	आई0सी0टी0
113	अनु देवी	राजेश कुमार	2017–18	आई0सी0टी
114	चाचल तोमर	देवेन्द्र तोमर	2017–18	आई0सी0टी

115	पूनम तौमर	सतीश	2017–18	आई0सी0टी0
116	प्रिती रानी	तेलू राम	2017–18	आई0सी0टी
117	शिवानी	ओमपाल	2017–18	आई0सी0टी
118	रजनीश कुमार	दरियाव सिंह	2017–18	आई0सी0टी0
119	रितिक तोमर	अरविन्द तोमर	2017–18	आई0सी0टी
120	सददाम अली	सराफत अली	2017–18	आई0सी0टी
121	संदीप कुमार	मैनपाल	2017–18	आई0सी0टी0
122	सुमित कुमार	यशपाल	2017–18	आई0सी0टी
123	मीनू	लक्ष्मण सिंह	2017–18	आई0सी0टी
124	सुमन	विपिन कुमार	2017–18	आई0सी0टी0
125	रामकुमार	सेवाराम	2017–18	आई0सी0टी
126	रवि कुमार	लीला सिंह	2017–18	आई0सी0टी
127	सुमित तोमर	सतपाल सिंह	2017–18	आई0सी0टी0
128	सुनील कुमार	विनोद कुमार	2017–18	आई0सी0टी
129	विशाल कुमार	लीला	2017–18	आई0सी0टी
130	विशाल कुमार	राजेन्द्र कुमार	2017–18	आई0सी0टी0
131	जोनी कुमार सैनी	राकेश कुमार सैनी	2017–18	आई0सी0टी
132	बेबी	हरपाल सिंह	2017–18	आई0सी0टी
133	काजल	अरविन्द सिंह	2017–18	आई0सी0टी0
134	कोमल देवी	इन्दरपाल सिंह	2017–18	आई0सी0टी
135	रश्मी	रामपाल	2017–18	आई0सी0टी
136	रीता	मैनपाल सिंह	2017–18	आई0सी0टी0
137	शाक्षी देवी	बांगली	2017–18	आई0सी0टी
138	अंजली शर्मा	रवन कुमार	2017–18	आई0सी0टी
139	नेहा तोमर	रनपाल	2017–18	आई0सी0टी0
140	प्रियंका देवी	धर्मपाल	2017–18	आई0सी0टी
141	शिवानी शर्मा	दिनेश शर्मा	2017–18	आई0सी0टी
142	रवि कुमार	बिजेन्द्र सिंह	2017–18	आई0सी0टी0
143	सुमित कुमार केवरिया	कृष्ण पाल	2017–18	आई0सी0टी
144	दिनेश कुमार	बाबू राम	2017–18	आई0सी0टी
145	रेणू	किरणपाल	2017–18	आई0सी0टी0
146	साकिब	वकील अहमद	2017–18	फैब्रीकेशन
147	असदखान	नोशादखान	2017–18	फैब्रीकेशन
148	आसिफ	नवाब	2017–18	फैब्रीकेशन
149	मोनिका	श्री महेन्द्र सिंह	2018–19	गारमेन्ट मेंकिग
150	नेहा	श्री प्रवीण	2018–19	गारमेन्ट मेंकिग
151	रूकसार	श्री सलेक	2018–19	गारमेन्ट मेंकिग
152	शिखा देवी	श्री रामदास सिंह	2018–19	गारमेन्ट मेंकिग
153	सुबी	लोकेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी
154	आकाश कुमार	विरेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी

155	अमित कुमार	ब्रहमपाल	2018–19	आई0सी0टी0
156	अनु चौधरी	देवेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी
157	आशीष कुमार	मैनपाल	2018–19	आई0सी0टी
158	मानसी	अशोक	2018–19	आई0सी0टी0
159	आरजू देवी	जगमेर सिंह	2018–19	आई0सी0टी
160	ज्योति	गुलाब सिंह	2018–19	आई0सी0टी
161	मोनिका	रामपाल	2018–19	आई0सी0टी0
162	निशू	रामपाल सिंह	2018–19	आई0सी0टी
163	पारूल	त्रिऋषिपाल सिंह	2018–19	आई0सी0टी
164	प्रिती	राजेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
165	अदिती	रविन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी
166	भावना शर्मा	सतीश शर्मा	2018–19	आई0सी0टी
167	दिव्या	लखन सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
168	डोली	कंवरपाल	2018–19	आई0सी0टी
169	आकाश कुमार	ओमवीर सिंह	2018–19	आई0सी0टी
170	अनिल कुमार	नरेश कुमार	2018–19	आई0सी0टी0
171	बीरपाल	रतन पाल	2018–19	आई0सी0टी
172	कार्तिक	बबलू कुमार	2018–19	आई0सी0टी
173	हिना	अनवर खान	2018–19	आई0सी0टी0
174	प्रिती	भोपाल सिंह	2018–19	आई0सी0टी
175	रेश्मा	शिवचरण	2018–19	आई0सी0टी
176	रूपक	अनिल कुमार	2018–19	आई0सी0टी0
177	शिवानी	तिर्थपाल सिंह	2018–19	आई0सी0टी
178	आशू कतारिया	प्रेमचन्द्र कटारिया	2018–19	आई0सी0टी
179	अनु देवी	शिवचरण सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
180	दीपा	बाबू राम	2018–19	आई0सी0टी
181	कोमल देवी	सुरेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी
182	मंजू रानी	पाला राम	2018–19	आई0सी0टी0
183	नीलम वर्मा	मनमोहन लाल	2018–19	आई0सी0टी
184	कोमल	राजेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी
185	अमित	रामपाल	2018–19	आई0सी0टी0
186	अंकुर	जसवीर सिंह	2018–19	आई0सी0टी
187	अंकुर कुमार	लोकेन्द्र कुमार	2018–19	आई0सी0टी
188	फारूख अहमद	फरीद अहमद	2018–19	आई0सी0टी0
189	गौरव कुमार	शादीराम	2018–19	आई0सी0टी
190	लकशीता	देवी सिंह	2018–19	आई0सी0टी
191	पूजा रानी	शिवकुमारी शर्मा	2018–19	आई0सी0टी0
192	सोनम देवी	देशपाल सिंह	2018–19	आई0सी0टी
193	प्रियका देवी	विरेन्द्र	2018–19	आई0सी0टी
194	रूबी	रामपाल	2018–19	आई0सी0टी0

195	रूबी देवी	ब्रहम सिंह	2018–19	आई0सी0टी
196	मोहम्मद इन्तजार	मोहम्मद नवाब	2018–19	आई0सी0टी
197	नमन कपूर	आदेश कपूर	2018–19	आई0सी0टी0
198	प्रदीप कुमार	चन्द्रभान	2018–19	आई0सी0टी
199	प्रशान्त देवल	सुरेन्द्रसिंह	2018–19	आई0सी0टी
200	अभिषेक	रणधीर सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
201	अजय कुमार	सेवाराम	2018–19	आई0सी0टी
202	अनिल कुमार	राजकुमार	2018–19	आई0सी0टी
203	अकित कुमार	मदन सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
204	अंकित कुमार	राजेन्द्र कुमार	2018–19	आई0सी0टी
205	अकित कुमार	नरेश कुमार	2018–19	आई0सी0टी
206	दिग्विजय सिंह	भंवर सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
207	गौरव	सुमित	2018–19	आई0सी0टी
208	कपिल कुमार	सेवाराम	2018–19	आई0सी0टी
209	आरती तोमर	सतीश कमार	2018–19	आई0सी0टी0
210	काजल	चन्द्रपाल	2018–19	आई0सी0टी
211	प्रिति देवी	देवी सिंह	2018–19	आई0सी0टी
212	प्राची	राजेन्द्र सिंह	2018–19	आई0सी0टी0
213	प्रविन्द्र कुमार	श्यामलाल	2018–19	आई0सी0टी
214	राजन कुमार	जसबीर सिंह	2018–19	आई0सी0टी
215	दीपक	ऋषिपाल	2018–19	इल्कट्रीकल
216	सोनू	सोमपाल	2018–19	इल्कट्रीकल
217	अंकुर	ऋषिपाल	2018–19	इल्कट्रीकल

नत्थी 'ङ'

अतारांकित प्रश्न सं0-90 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 89 पर।

कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत जनपदवार भौतिक/वित्तीय प्रगति
वर्ष 2017–18 एवं 2018–19

क0सं0	मंडल	जनपद	वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19	
			वितरित कृषि यन्त्रों की संख्या	अनुदान की धनराशि (लाख रू0 में)	वितरित कृषि यन्त्रों की संख्या	अनुदान की धनराशि (लाख रू0 में)
1	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	274	207.04	1095	788.72
2	सहारनपुर	शामली	274	85.33	768	353.43
3	सहारनपुर	सहारनपुर	557	219.21	1248	576.33
		कुल योग	**1105**	**511.58**	**3111**	**1718.48**
4	मेरठ	गाजियाबाद	76	51.13	295	101.51
5	मेरठ	गौतमबुद्ध नगर	107	87.85	292	120.42
6	मेरठ	बुलन्दशहर	820	525.64	2989	1510.05
7	मेरठ	बागपत	252	165.04	565	313.51
8	मेरठ	मेरठ	169	95.12	537	242.64
9	मेरठ	हापुड़	303	115.35	664	179.13
		कुल योग	**1727**	**1040.13**	**5342**	**2467.26**
10	अलीगढ़	अलीगढ़	293	83.08	985	388.35
11	अलीगढ़	एटा	205	104.87	185	67.1
12	अलीगढ़	कासगंज	168	59.42	360	81.75
13	अलीगढ़	हाथरस (महामाया नगर)	248	112.43	778	181.61
		कुल योग	**914**	**359.8**	**2308**	**718.81**
14	आगरा	आगरा	524	178.42	1298	365.22
15	आगरा	फिरोजाबाद	107	114.09	350	148.94
16	आगरा	मथुरा	318	159.44	1152	480.54
17	आगरा	मैनपुरी	206	123.48	419	135.3
		कुल योग	**1155**	**575.43**	**3219**	**1130**
18	बरेली	पीलीभीत	441	175.8	568	291.89
19	बरेली	बदायूँ	291	126.01	1121	302.21
20	बरेली	बरेली	363	248.13	377	114.46
21	बरेली	शाहजहाँपुर	186	164.92	927	424.74
		कुल योग	**1281**	**714.86**	**2993**	**1133.3**
22	मुरादाबाद	अमरोहा(ज्योतिबा फुले नगर)	818	168.62	1492	675.59
23	मुरादाबाद	बिजनौर	1000	244.11	2026	928.87
24	मुरादाबाद	मुरादाबाद	297	123.91	655	278.51
25	मुरादाबाद	रामपुर	249	113.51	343	175.17
26	मुरादाबाद	सम्भल	266	99.02	497	188.15
		कुल योग	**2630**	**749.17**	**5013**	**2246.29**
27	कानपुर	इटावा	277	71.44	606	124.47
28	कानपुर	औरैया	104	18.43	454	47.04
29	कानपुर	कन्नौज	374	89.02	398	81.13
30	कानपुर	कानपुर देहात	117	80.92	1153	199.5
31	कानपुर	कानपुर नगर	254	96.23	1081	165.51
32	कानपुर	फर्रुखाबाद	500	71.69	626	114.67
		कुल योग	**1626**	**427.73**	**4318**	**732.32**
33	इलाहाबाद	कौशाम्बी	561	122.1	942	231.13
34	इलाहाबाद	प्रतापगढ़	381	164.63	1075	375.57
35	इलाहाबाद	प्रयागराज	499	157.03	1043	300.97
36	इलाहाबाद	फतेहपुर	1697	233.06	1254	353.27
		कुल योग	**3138**	**676.82**	**4314**	**1260.94**
37	झाँसी	जालौन	2960	925.31	1436	476.72
38	झाँसी	झाँसी	3393	1077.36	876	287.38
39	झाँसी	ललितपुर	2886	921.92	1709	262.65

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0)
कृषि भवन, लखनऊ

कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत जनपदवार भौतिक/वित्तीय प्रगति
वर्ष 2017–18 एवं 2018–19

क0सं0	मंडल	जनपद	वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2018-19	
			वितरित कृषि यन्त्रों की संख्या	अनुदान की धनराशि (लाख रू0 में)	वितरित कृषि यन्त्रों की संख्या	अनुदान की धनराशि (लाख रू0 में)
		कुल योग	9239	2924.59	4021	1026.75
40	चित्रकूट	चित्रकूट	2043	631.66	979	116.76
41	चित्रकूट	बांदा	1410	441.75	2290	633.09
42	चित्रकूट	महोबा	1921	604.76	1217	438.59
43	चित्रकूट	हमीरपुर	3184	945.92	994	369.9
		कुल योग	8558	2624.09	5480	1558.34
44	वाराणसी	गाजीपुर	359	166.27	440	200.72
45	वाराणसी	चन्दौली	502	118.45	783	179.08
46	वाराणसी	जौनपुर	761	251.53	1211	348.46
47	वाराणसी	वाराणसी	331	137.66	773	201.41
		कुल योग	1953	673.91	3207	929.67
48	विन्ध्याचल	भदोही	363	134.71	947	235.25
49	विन्ध्याचल	मिर्जापुर	305	128.06	941	252.42
50	विन्ध्याचल	सोनभद्र	179	82.59	481	101.24
		कुल योग	847	345.36	2369	588.91
51	आजमगढ	आजमगढ	796	254.92	674	208.48
52	आजमगढ	बलिया	182	71.73	188	64.15
53	आजमगढ	मऊ	265	90.95	667	96.2
		कुल योग	1243	417.6	1529	368.83
54	गोरखपुर	कुशीनगर	622	142.18	350	141.94
55	गोरखपुर	गोरखपुर	368	247.73	715	193.37
56	गोरखपुर	देवरिया	283	266.17	474	200.04
57	गोरखपुर	महराजगंज	4247	1198.95	730	305.38
		कुल योग	5520	1855.03	2269	840.73
58	बस्ती	बस्ती	451	281.37	665	481.91
59	बस्ती	सन्तकबीर नगर	227	97	185	68.65
60	बस्ती	सिद्धार्थनगर	468	136.81	536	119.49
		कुल योग	1146	515.18	1386	670.05
61	फैजाबाद	अमेठी	287	89.81	415	179.72
62	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	1109	318.46	906	340.6
63	फैजाबाद	अयोध्या	791	248.77	715	266.04
64	फैजाबाद	बाराबंकी	412	250.44	867	392.77
65	फैजाबाद	सुल्तानपुर	1335	391.71	1524	500.73
		कुल योग	3934	1299.19	4427	1679.86
66	देवीपाटन	गोण्डा	1571	426.92	806	440.5
67	देवीपाटन	बलरामपुर	175	52.31	650	121.15
68	देवीपाटन	बहराइच	127	43.04	882	236.45
69	देवीपाटन	श्रावस्ती	175	100.52	456	157.78
		कुल योग	2048	622.79	2794	955.88
70	लखनऊ	उन्नाव	676	144.25	1755	339.28
71	लखनऊ	रायबरेली	420	116.18	799	204.24
72	लखनऊ	लखनऊ	206	108.59	636	309.44
73	लखनऊ	लखीमपुर-खीरी	234	114.66	634	293.31
74	लखनऊ	सीतापुर	875	238.3	1180	377.21
75	लखनऊ	हरदोई	515	277.26	1790	669.94
		कुल योग	2926	999.24	6794	2193.42
		महायोग–	50990	17332.5	64894	22219.84

Received

विजय कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त कृषि निदेशक (मु0मु0)
कृषि भवन, लखनऊ

पी0एस0यू0पी0-एल0 178 विधान सभा (274)-26-11-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।